



आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्र. 1

आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्र.1

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2015
www.cag.gov.in

www.agmp.nic.in

विषय सूची

	कण्डिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix
पहला अध्याय		
प्रस्तावना		
बजट प्रोफाइल	1.1	1
राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग	1.2	1
राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे निधियों का अंतरण	1.3	2
भारत सरकार से अनुदान	1.4	2
लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन	1.5	2
निरीक्षण प्रतिवेदनों की कंडिकाओं पर शासन की उत्तरदेयता का अभाव	1.6	3
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शासन की प्रतिक्रिया	1.7	4
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.8	5
लेखापरीक्षा की पहल पर वसूलियां	1.9	5
राज्य विधान मंडल में स्वायत्त संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति	1.10	6
दूसरा अध्याय		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
वन विभाग		
टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की कार्यप्रणाली	2.1	7
जल संसाधन विभाग		
मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन	2.2	29
लोक निर्माण विभाग		
मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव	2.3	53
पशुपालन विभाग		
मध्य प्रदेश में पशुपालकों को पशुओं का वितरण	2.4	71
तीसरा अध्याय		
लेन-देनों की लेखापरीक्षा		
नियमों, आदेशों इत्यादि का अनुपालन न किया जाना	3.1	91
लोक निर्माण विभाग		
शासकीय धन का गबन	3.1.1	91

	कण्डिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
नर्मदा घाटी विकास विभाग		
कंसल्टेंट को मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान	3.1.2	93
लोक निर्माण, जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग		
कर्मकार कल्याण उपकर जमा करने में विलम्ब	3.1.3	94
औचित्य के बिना व्यय	3.2	95
नर्मदा घाटी विकास विभाग		
समयवृद्धि पर मूल्य समायोजन का अनौचित्यपूर्ण भुगतान	3.2.1	95
जल संसाधन विभाग		
सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग को अपनाने में त्रुटि के कारण अतिरिक्त व्यय	3.2.2	97
लोक निर्माण विभाग		
दर अनुसूची में उच्चतर दरें निर्धारित करने के कारण अतिरिक्त लागत	3.2.3	98
मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान	3.2.4	100
पर्यवेक्षण प्रभारों का कम आरोपण	3.2.5	101
सतत एवं व्यापक अनियमितताएं	3.3	102
लोक निर्माण विभाग		
परिहार्य अतिरिक्त लागत	3.3.1	102
जल संसाधन विभाग		
ठेकेदार से अतिरिक्त सुरक्षा जमा का न काटा जाना	3.3.2	103
असावधानी/ नियंत्रण में विफलता	3.4	105
नर्मदा घाटी विकास विभाग		
कार्य की पूर्णता में विलंब हेतु क्षतिपूर्ति की वसूली न होना	3.4.1	105

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	30 जून 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषित विवरण	109
2.1	वन विभाग का संगठन चार्ट (वन्य प्राणी शाखा)	111
2.2	मध्य प्रदेश में टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	112
2.3	चयनित संरक्षित क्षेत्रों में विकास निधि में प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण	113

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.4	संरक्षित क्षेत्रों से परिवहन किए गए वनोपज का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	114
2.5	अभ्यारण्य के विकास के लिए राज्य शासन द्वारा निधि प्रावधानित न किए जाने के बारे में विवरण	115
2.6	टाईगर रिज़र्व से गुजरने वाले विद्युत लाईनों के गुजरने के बारे में विवरण दर्शाने वाला पत्रक	116
2.7	वायरलेस सैटों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक	116
2.8	बीट निरीक्षण में कमी को दर्शाने वाला पत्रक	117
2.9	विकास निधि से संरक्षण कार्य न किए जाने के विवरण दर्शाने वाला पत्रक	118
2.10	मंडल वार न्यायालय प्रकरणों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक	118
2.11	परियोजना की लागत एवं मदों की मात्रा में वृद्धि दर्शाने वाला पत्रक	119
2.12	प्राक्कलनों में प्रावधानित अधिक लीड एवं इसकी लागत के विवरण दर्शाने वाला पत्रक	122
2.13	रूपांकनों एवं टी.एस. में मुख्य बदलावों से लागत में वृद्धि एवं एक मुश्त आधार पर प्रावधानित मदों को दर्शाने वाला पत्रक	124
2.14	प्राक्कलन में अनावश्यक/ अस्वीकार्य मदों एवं मात्राओं को सम्मिलित किए जाने के विवरण दर्शाने वाला पत्रक	125
2.15	मध्य प्रदेश की प्रमुख जिला सड़कों एवं अन्य जिला सड़कों को दर्शाने वाला मानचित्र	126
2.16	सड़कों के नवीनीकरण के लिए महंगी विशिष्टियों के अपनाए जाने को दर्शाने वाला पत्रक	127
2.17	ठेकेदारों द्वारा बिटुमिन की इनवाइस को प्रस्तुत न किए जाने के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	128
2.18	पैक्ड बिटुमिन के स्थान पर खुले बिटुमिन का उपयोग एवं बिटुमिन के इनवाइस को प्रस्तुत नहीं करने को दर्शाने वाला पत्रक	129
2.19	ठेकेदारों द्वारा बिटुमिन की खपत के समायोजन के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	130
2.20	ओ.जी.पी.सी. एवं बी.एम. जो सील कोट या एस.डी.बी.सी. से आच्छादित नहीं किया गया के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	131
2.21	एस.डी.बी.सी. कार्यों में बिटुमिन के कम उपयोग को दर्शाने वाला पत्रक	132
2.22	सरफेस ड्रेसिंग के अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक	133
2.23	विशिष्टियों की पुष्टि न करने वाले कार्यों को स्वीकार करने को दर्शाने वाला पत्रक	133

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.24	बी.एम. एवं बी.यू.एस.जी. कार्य जिनके लिए प्रारंभिक एवं अंतिम लेवल अभिलिखित किए बिना भुगतान किया गया, का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	134
2.25	मरम्मत एवं संधारण के लिए क्रय की गई सामग्री का लेखाकरण न किए जाने का विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	135
2.26	कार्यों को विभाजित करने के पश्चात निविदा करने तथा सौंपे जाने का विवरण को दर्शाने वाला पत्रक	135
2.27	ठेकेदारों द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों का नियोजन न किए जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	136
2.28	ठेकेदारों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन में मोटर ग्रेडर का नियोजन न किए जाने को दर्शाने वाला पत्रक	137
2.29	जॉब मिक्स फार्मूला के अनुमोदन के बिना एस.डी.बी.सी. कार्य का कार्यान्वयन दर्शाने वाला पत्रक	137
2.30	कार्यान्वयन में विलंब के लिए ठेकेदारों से निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होने/ कम होने को दर्शाने वाला पत्रक	138
2.31	विगत पाँच वर्षों का वर्षवार एवं योजनावार आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला पत्रक	139
2.32	पाँच योजनाओं के अंतर्गत पशुओं की लागत, शासकीय अनुदान, बैंक ऋण तथा हितग्राही अंशदान की राशि को दर्शाने वाला पत्रक	140
2.33	नन्दीशाला के अंतर्गत भैंसा सांडों के वितरण को दर्शाने वाला पत्रक	141
2.34	नन्दीशाला योजना के अंतर्गत प्रदाय किए गए सांडों का कार्य निष्पादन दर्शाने वाला पत्रक	142
2.35	हितग्राहियों को भैंसा सांडों के वितरण को दर्शाने वाला पत्रक	143
2.36	समुन्नत योजना के अंतर्गत भैंसा सांडों के कार्य निष्पादन को दर्शाने वाला पत्रक	144
2.37	डेयरी इकाई योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को गायों/ भैंसों के वितरण को दर्शाने वाला पत्रक	145
2.38	हितग्राहियों को बकरों के वितरण को दर्शाने वाला पत्रक	146
2.39	राज्य योजना, आर.के.वी.वाई. योजना एवं बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत बकरी इकाई के वितरण को दर्शाने वाला पत्रक	147
2.40	सघन बकरी संवर्धन योजना के क्रियान्वयन की प्रगति को दर्शाने वाला पत्रक	149
2.41	हितग्राहियों के नाम जिन्हें समान योजनाओं में बहुविध लाभ दिए गए थे को दर्शाने वाला पत्रक	150

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
3.1	खजाना तथा बैंक अभिलेखों से सत्यापित न किए गए प्रेषण का विवरण दर्शाने वाला पत्रक	151
3.2	सलाहकार को मूल्य वृद्धि के लिए किए गए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक	153
3.3	शासन को ब्याज तथा शास्ति की हानि को दर्शाने वाला पत्रक	154
3.4	सीमेंट कांक्रीट के एम-10 मिश्रण के स्थान पर एम-15 के अनियमित प्रावधान के कारण नहर लाईनिंग में अतिरिक्त लागत	163
3.5	कड़ी चट्टान में खुदाई (विस्फोटन प्रतिबंधित) की अतिरिक्त मद के लिए मद के घटकों की दरों को त्रुटिपूर्ण अपनाए जाने के कारण अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक	164
3.6	मुलताई-रोहना-गौरय्या-पौमा सड़क की क्रस्ट के सुधार हेतु त्रुटिपूर्ण गणना को दर्शाने वाला पत्रक नीमढाना-हिरदागढ़-नवेगांव सड़क के निर्माण हेतु क्रस्ट की त्रुटिपूर्ण गणना को दर्शाने वाला पत्रक	165
3.7	ओ.जी.पी.सी. के साथ सील कोट के स्थान पर बी.एम. के साथ एस.डी.बी.सी. के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला पत्रक	167
3.8	मदों की असंतुलित दरों की कटौती न किए जाने के कारण ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला पत्रक	168

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

वर्ष 2013-14 को आच्छादित करने वाले, इस प्रतिवेदन में, मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, वन, लोक निर्माण एवं जल संसाधन विभागों के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं। यद्यपि, सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्रों के अधीन विभागों को छोड़ा गया है एवं उसे सामान्य, सामाजिक एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित किए गए प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2013-14 के दौरान लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करते समय जानकारी में आए तथा ऐसे भी मामले हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे परन्तु जिन्हें पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका था; वर्ष 2013-14 की अनुवर्ती अवधि से संबंधित मामले भी यथास्थान सम्मिलित किए गए हैं।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लेखापरीक्षा मानकों पर आधारित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों की अनुरूपता में लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

इस प्रतिवेदन में, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों का विहंगावलोकन एवं तीन अध्याय सम्मिलित हैं। पहले अध्याय में राज्य का बजट प्रोफाइल, लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन, लेखापरीक्षा को विभागों के प्रत्युत्तर एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन सम्मिलित हैं। दूसरे अध्याय में टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की कार्यप्रणाली, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन, मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव एवं पशुपालन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में पशुपालकों को पशुओं का वितरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं। तीसरे अध्याय में आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है।

विहंगावलोकन

मध्य प्रदेश शासन के आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र पर 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में वित्तीय संव्यवहारों की लेखापरीक्षा से उद्भूत चार निष्पादन लेखापरीक्षा और 11 कंडिकाएं सम्मिलित हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है:

1. निष्पादन लेखापरीक्षाएं

1.1 टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों की कार्यप्रणाली

वन्य प्राणी (संरक्षण) कानून, 1972 राज्य शासन को, वन्य प्राणी व इनके परिवेश के पर्याप्त महत्ता वाले क्षेत्र को, इसकी सुरक्षा, विस्तार व विकास के लिए अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान (एन.पी.) या टाईगर रिज़र्व (टी.आर.) घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। नवम्बर 2014 तक, मध्य प्रदेश शासन ने 16,370.288 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हुए छह टाईगर रिज़र्व, चार राष्ट्रीय उद्यान और 19 वन्य प्राणी अभ्यारण्यों (डब्ल्यू.एल.एस.) को अधिसूचित किया (मई 1955 से अगस्त 2012), जो मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्र का 17.29 प्रतिशत है। विभाग की कार्यप्रणाली की एक समीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया:

- वन्य प्राणी और इसके परिवेश को संरक्षित एवं सुरक्षित करने हेतु आयोजना अपर्याप्त थी क्योंकि बाघ संरक्षण आयोजनाएं/ प्रबंधन आयोजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। बफर क्षेत्र को समाविष्ट करने में विलम्ब थे। सीहोर में नया रातापानी टाईगर रिज़र्व, खण्डवा में एक राष्ट्रीय उद्यान और दो अभ्यारण्य शासन द्वारा अधिसूचित नहीं किए गए और वन्य प्राणी कॉरीडोर को संरक्षित अभ्यारण्य घोषित नहीं किया गया, जिसने वन्य प्राणी संरक्षण के प्रयासों को प्रभावित किया।

(कंडिका 2.1.7.1 से 2.1.7.3)

- वर्ष 2006 की तुलना में, 2010 में बाघों की संख्या स्थिर थी। दो अभ्यारण्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, चीतलों, भालुओं और जंगली कुत्तों की संख्या में कमी आई। बारहसिंगा का प्रस्तावित विस्थापन नहीं किया जा सका और काले हिरणों के विस्थापन में कार्यकुशलता की कमी अधिक मृत्यु में परिणामित हुई। व्यावसायिक गतिविधियों, मुख्य क्षेत्र में आवासीय अधोसंरचनाओं ने वन्य प्राणी व इनके परिवेश को प्रभावित किया।

(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.4)

- वन्य प्राणियों की सुरक्षा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं की गई, क्योंकि संरक्षित क्षेत्रों से होकर जाने वाली विद्युत लाइनों का रोधण नहीं किया गया, पशु-चिकित्सा ढाँचा उपलब्ध नहीं था और वायरलैस सेट एवं अन्य निगरानी उपकरण बेकार पड़े थे। वन्य प्राणी अपराधों हेतु ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में कमी थी। निर्धारित बीट निरीक्षण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.9.1 से 2.1.9.5)

- ईको-विकास समितियों के माध्यम से ईको-विकास को सुनिश्चित नहीं किया गया था। जैविक-दबाव को कम नहीं किया जा सका क्योंकि पौधारोपण से जलाऊ लकड़ी

का उत्पादन नहीं किया जा सका एवं ग्रामीणों के लिए निस्तार (बिक्री-डिपो) सुविधा स्थापित नहीं की गई थी।

(कंडिका 2.1.10.1 से 2.1.10.2)

1.2 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन

राज्य में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, रूपांकन, सर्वेक्षण, निर्माण और रख-रखाव की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग के पास है। परियोजना के सही समय पर एवं संस्वीकृत लागत के भीतर पूरा होने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के अचूक तथा यथार्थ प्राक्कलन को तैयार करना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में, जल संसाधन के विभागीय (ज.स.वि.) स्रोतों द्वारा वृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं के माध्यम से मार्च 2014 तक कुल सिंचाई क्षमता 31.89 लाख हेक्टेयर (हे.) सृजित की गई थी। मध्य प्रदेश में 4,781 पूर्ण (13 वृहद, 110 मध्यम और 4,658 लघु) और 774 प्रगतिरत (09 वृहद, 31 मध्यम और 734 लघु) सिंचाई परियोजनाएं हैं। विभाग ने 31 मार्च 2014 तक 31 प्रगतिरत मध्यम परियोजनाओं पर ₹ 3,250.44 करोड़ व्यय किए।

चयनित प्रगतिरत मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलनों को तैयार करने पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया:

- नमूना जांच की गई सभी परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) को अनुपयुक्त सर्वेक्षण तथा अनुसंधान के साथ या इसके बिना तैयार किया गया था। अनिवार्य विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान को संचालित करना सुनिश्चित किए बिना अपर्याप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर शासन द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(कंडिका 2.2.1)

- विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के बाद अभिलिखित लेवल वाली लेवल बुक, भू-वैज्ञानिक अनुसंधानों और सामग्री सर्वेक्षण के प्रतिवेदन, जो प्राक्कलनों को तैयार करने का आधार होते हैं, संभागों के पास उपलब्ध नहीं थे। कार्यान्वयन के दौरान कार्यों की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि (19.54 प्रतिशत से 486.54 प्रतिशत) उचित सर्वेक्षण और अनुसंधान को संचालित किए जाने के बारे में संदेह उत्पन्न करती है।

(कंडिका 2.2.6.1)

- निविदाएं आमंत्रित करने से पहले या तो तकनीकी स्वीकृतियाँ प्राप्त नहीं की गईं या कार्यों को अनुपयुक्त/ अपर्याप्त सर्वेक्षण के आधार पर सौंप दिया गया था। बाद में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान रूपांकन, स्थान, कार्यों की मदों की मात्रा इत्यादि में बाद के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 52.36 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 2.2.6.2)

- कड़ी चट्टान व मिट्टी हेतु लीड एवं चिपकने न फूलने वाली मिट्टी हेतु अतिरिक्त लीड के गलत प्रावधान के परिणामस्वरूप सात परियोजनाओं के प्राक्कलनों में वृद्धि हुई।

(कंडिकाएं 2.2.7.1 एवं 2.2.7.2)

- प्राक्कलनों को तैयार करने के दौरान, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के कार्य में चिपकने न फूलने वाली मिट्टी को, इसकी आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य जाँच किए बिना, प्रावधानित किया गया था। दरों की एकीकृत अनुसूची एवं सिंचाई विशिष्टियों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनावश्यक या अस्वीकार्य मात्राएं एवं मर्दे सम्मिलित की गई थीं तथा फिल्टर में उपयोग के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध गिट्टी पर विचार नहीं किया गया था।

(कंडिकाएं 2.2.7.3, 2.2.7.5 एवं 2.2.7.6)

1.3 मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव

लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), मध्य प्रदेश शासन, आयोजना, रूपांकन एवं सड़कों और शासकीय भवनों के निर्माण में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, राज्य बजट के माध्यम से वार्षिक मरम्मत की योजना के अंतर्गत सड़कों की मरम्मत के लिए प्राप्त निधियों का उपयोग करते हुए सड़कों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाते हैं। विभाग ने 2013-14 तक राज्य में 19,574 कि.मी. मुख्य जिला सड़कों, 7,044 कि.मी. अन्य जिला सड़कों और 17,045 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया है। 2009-10 से 2013-14 के वर्षों के दौरान, विभाग ने राज्य में सड़कों की वार्षिक मरम्मत एवं नवीनीकरण पर ₹ 2,697.21 करोड़ का व्यय किया। विभाग द्वारा मरम्मत और रख-रखाव की एक समीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकट हुईं:

- संभागों में नवीनीकरण चक्र और नवीनीकरण आरेखों के विवरण संघारित नहीं किए गए जिससे सड़कों के समयबद्ध नवीनीकरण पर निगरानी रखी जा सके। गारंटी अवधि के अंतर्गत आच्छादित कार्यों एवं अन्य संगठनों को हस्तांतरित कार्य भी नवीनीकरण हेतु विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए थे।

(कंडिका 2.3.7.1)

- अधिक महंगी विशिष्टियां अपनाने के परिणामस्वरूप 200 सड़कों के नवीनीकरण के लिए ₹ 29.77 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 2.3.8.1)

- संभागों ने 107 कार्यों के संबंध में ठेकेदारों को ₹ 30.96 करोड़ का भुगतान किया जिनमें पैक्ड बिटुमिन की आवश्यकता थी परन्तु उनमें या तो बल्क बिटुमिन का वास्तव में प्रयोग किया गया या पैक्ड बिटुमिन के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया। संभागों ने बिटुमिनस कार्यों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों के मूल प्रमाणकों का आवश्यक सत्यापन किए बिना ₹ 105.26 करोड़ का भुगतान कर दिया।

(कंडिका 2.3.8.2)

- 19 सड़क कार्यों में, बिटुमिन का उपयोग निर्धारित खपत मानदंडों की तुलना में कम था और सड़कों पर ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट एवं बिटुमिनस मेकेडम के कार्यान्वयन के पश्चात् सील कोट नहीं कराया गया, जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई।

(कंडिकाएं 2.3.8.3 एवं 2.3.8.4)

- बिटुमिन, रेत, गिट्टी, मुरम इत्यादि की प्राप्ति एवं निर्गम को दर्शाने वाले लेखाकरण और माप पुस्तिकाओं के संदर्भ लेखापरीक्षा को नहीं दिखाए गए, इससे पर्याप्त अभिलेखों का संधारण न होना एवं कार्यों की अनुपयुक्त माप होना इंगित हुआ।

(कंडिका 2.3.8.9)

- सड़क निर्माण कार्य तीन या अधिक भागों में विभाजित किए गए थे एवं अलग अलग सौंपे गए थे एवं इस प्रकार उच्च अधिकारियों द्वारा निविदाओं की स्वीकृति के लिए अनुमोदन की आवश्यकता को टाला गया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन से बचा गया था।

(कंडिका 2.3.9.1)

- सड़क कार्यों के संबंध में, तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति और मोटर ग्रेडर का उपयोग होने के साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं कराए जा सके। सड़कों के सरफेस कोर्स की सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जॉब मिक्स फॉर्मूला अभिलेखों में नहीं पाए गए।

(कंडिका 2.3.9.2 से 2.3.9.4)

- कार्यान्वयन/ पूर्णता में ऐसे विलम्ब थे जो ठेकेदारों पर आरोपणीय थे। किंतु ₹ 1.32 करोड़ की निर्धारित क्षतिपूर्ति को या तो आरोपित नहीं किया गया या कम आरोपित किया गया था।

(कंडिका 2.3.9.5)

1.4 मध्य प्रदेश में पशुपालकों को पशुओं का वितरण

पशुपालन विभाग के उद्देश्य मानव उपयोग हेतु पौष्टिक पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण जनता को पशुधन उत्पादों जैसे दूध, अंडा, मांस के विक्रय के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं नस्ल सुधार हैं। 2009-14 के दौरान, विभाग ने ग्रामीणों को पशु वितरण की छह बड़ी योजनाओं (नन्दीशाला, समुन्नत, डेयरी इकाईयों, बकरा, बकरी इकाई का वितरण और सघन बकरी संवर्धन योजना) के क्रियान्वयन पर ₹ 86.88 करोड़ का व्यय किया। योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- कृषकों की आवश्यकता और क्षमता के पात्रता मापदण्ड, जैसा कि योजनाओं के दिशा निर्देशों में निर्धारित था, को सुनिश्चित किए बिना हितग्राहियों का चयन किया गया। पांच योजनाओं के अंतर्गत (बकरी इकाई योजना को छोड़कर) ऐसे किसानों का भी चयन कर लिया गया, जो पात्रता मापदण्ड को पूरा नहीं करते थे। डेयरी इकाई और बकरी इकाई योजना के 7,844 हितग्राहियों के आवेदन लेखापरीक्षा सत्यापन हेतु जिलों के अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे। बकरा योजना के अंतर्गत, 3,926 हितग्राहियों से चार जिलों के अधिकारियों द्वारा पात्रता मापदण्ड विवरण प्राप्त नहीं किए गए थे। इस प्रकार, क्रियान्वयन दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर योजना की निधियां उपयोग की गई थीं।

(कंडिका 2.4.6.1 से 2.4.6.6 तक की उप कंडिकाएं (अ))

- पांच चयनित योजनाओं के अंतर्गत (सघन बकरी संवर्धन योजना को छोड़कर), चयनित कृषकों की बड़ी संख्या (4,672) को पशु प्रदाय नहीं किए गए, यद्यपि उनके

लिए ₹ 6.53 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था और राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुपयोगी पड़ी रही। इनमें से, 456 हितग्राहियों ने अपने बैंक खातों से अनुदान को आहरित कर लिया, किन्तु पशुओं का क्रय नहीं किया था।

(कंडिकाएं 2.4.6.1(ब), 2.4.6.2(स), 2.4.6.3(ब), 2.4.6.4(ब) एवं 2.4.6.5(ब))

- विभाग के पास वितरित किए गए पशुओं के आस्तित्व एवं प्रजनन अवधि में हुई मृत्यु की स्थिति में, इनके प्रतिस्थापन के सत्यापन करने के लिए कोई तंत्र नहीं था जैसा कि अनुबंधों की शर्तों में आवश्यक था। तीन योजनाओं (नन्दीशाला, समुन्नत और बकरा योजना) में पशुओं की मृत्यु के दृष्टांत थे, लेकिन कोई प्रतिस्थापन नहीं किया गया।

(कंडिकाएं 2.4.6.1 (स), 2.4.6.2 (द) एवं 2.4.6.4 (द))

- नस्ल सुधार हेतु नन्दीशाला योजना और समुन्नत योजना के अंतर्गत बछड़ों के जन्म में गिरावट आई। 2009-14 की अवधि के दौरान, निर्धारित मानदंडों के आधार पर बछड़ों के जन्म के लक्ष्य (गाय: 4,65,024 और भैंस: 3,76,608) के विरुद्ध नन्दीशाला के अंतर्गत वास्तव में 1,55,935 (34 प्रतिशत) और समुन्नत के अंतर्गत 1,20,298 (32 प्रतिशत) बछड़ों का जन्म हुआ था। इस प्रकार, स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधार का लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया गया।

(कंडिकाएं 2.4.6.1(द), 2.4.6.2 (ई))

- योजनाओं के परिवीक्षण में कमी थी क्योंकि समान योजना में समान हितग्राहियों को बहुविध लाभ पहुँचाए गए और चयनित हितग्राहियों को पशुओं का वास्तविक वितरण सुनिश्चित किए बिना भौतिक व वित्तीय उपलब्धियाँ 100 प्रतिशत प्रतिवेदित की गईं।

(कंडिकाएं 2.4.7.1 और 2.4.7.2)

2. लेन-देनों की लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बहुत-सी उल्लेखनीय कमियों को भी इंगित किया है जो शासकीय विभागों/ संगठनों की सुचारु कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालती हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत एवं समूहबद्ध किया गया है:

- नियमों, आदेशों इत्यादि का अनुपालन न किया जाना
- औचित्य के बिना व्यय
- सतत् एवं व्यापक अनियमितताएं
- असावधानी/ नियंत्रण में विफलता

2.1 नियमों का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय, वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप हो। यह न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग तथा धोखाधड़ी पर रोक लगाता है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता करता है। इस प्रतिवेदन में ₹ 3.60 करोड़ के ऐसे उदाहरण दिये गये हैं जिनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। कतिपय महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:

- लोक निर्माण संभाग, राजगढ़ द्वारा प्रेषणों और धनादेश आहरणों का कोषालय अभिलेखों से मिलान न करने के कारण ₹ 9.50 लाख के गबन का पता नहीं चल पाया।

(कंडिका 3.1.1)

- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, खरगोन ने संविदा की शर्त की गलत व्याख्या कर कंसल्टेंसी प्रभारों के मूल्य वृद्धि की गलत गणना की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 59.07 लाख का अधिक भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.1.2)

- लोक निर्माण, जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभागों में कर्मकार कल्याण बोर्ड को कर्मकार कल्याण उपकर के ₹ 8.10 करोड़ को नियमों का उल्लंघन करते हुए विलंब से जमा करने से शासन पर ₹ 2.91 करोड़ के ब्याज की देयता निर्मित हुई।

(कंडिका 3.1.3)

2.2 औचित्य के बिना व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वहीं सतर्कता बरतने करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययिता बरतनी चाहिए। लेखापरीक्षा ने ₹ 14.97 करोड़ के अनौचित्य, अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय के दृष्टांतों को देखा, जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

- नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20 मंडलेश्वर, खरगोन में कार्य पूर्ण करने के लिए अविवेकपूर्ण ढंग से समयवृद्धि प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.29 करोड़ की राशि की मूल्य वृद्धि का अदेय भुगतान हुआ, इसके अतिरिक्त ठेकेदार पर आरोपणीय विलंब के लिए शास्ति का अनारोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.1)

- चार जल संसाधन संभागों के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा नहर लाइनिंग कार्य में सीमेंट कांक्रिट (सी.सी.) के गलत प्रावधान अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(कंडिका 3.2.2)

- प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग ने दरों की अनुसूची में "सड़क मार्गों के लिए कड़ी चट्टान में खुदाई-ब्लास्टिंग प्रतिबंधित" मद हेतु अविवेकपूर्ण ढंग से उच्च दरें निर्धारित कीं। लोक निर्माण संभाग (भवन/ सड़क) दमोह द्वारा दरों को अपनाने के परिणामस्वरूप एक सड़क कार्य में ₹ 50.75 लाख की अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.2.3)

- सड़क कार्य का कार्यान्वयन कर रहे एक ठेकेदार को, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग (रा.रा.) संभाग, भोपाल द्वारा मूल्य वृद्धि के ₹ 75.26 लाख का भुगतान किया गया, यद्यपि यह अनुबंध में शामिल नहीं था क्योंकि कार्य के पूरा होने की अवधि 12 माह से कम थी।

(कंडिका 3.2.4)

- यूको बैंक के भवनों के निक्षेप कार्य हेतु, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) ने गैर-शासकीय कार्यों हेतु निर्धारित सात प्रतिशत की दर के स्थान पर तीन प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण प्रभार लगाया। मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹ 41.26 लाख का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.2.5)

2.3 सतत एवं व्यापक अनियमितताएं

एक अनियमितताएं तब सतत समझी जाती है यदि यह वर्ष दर वर्ष प्रकट होती हो और जब यह संपूर्ण प्रणाली में प्रचलित हो जाती है, तो यह व्यापक हो जाती है। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में इंगित करते रहने के बावजूद अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न केवल कार्यपालकों के गंभीर न होने के सूचक है अपितु यह प्रभावी परिवीक्षण के अभाव का भी सूचक है। क्रमागत रूप से यह नियमों/ विनियमों के अनुपालन से जान बूझकर किए गए विचलनों को बढ़ावा देता है एवं प्रशासनिक संरचना की कमजोरी में परिणामित होता है। ₹ 5.63 करोड़ मूल्य की सतत अनियमितताओं के महत्वपूर्ण प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

- लोक निर्माण विभाग (भवन/ सड़क) संभाग, छिंदवाड़ा में दो सड़क कार्यों में भारतीय सड़क कांग्रेस की विशिष्टियों के प्रावधानों से तुलना में अवांछित महंगी विशिष्टियों का प्रावधान किया गया। परिणामस्वरूप कार्यों के कार्यान्वयन में ₹ 2.45 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

(कंडिका 3.3.1)

- दो जल संसाधन संभागों के कार्यपालन यंत्रियों द्वारा मदों की असंतुलित दर हेतु अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती न किए जाने से ठेकेदारों को ₹ 3.18 करोड़ के अदेय वित्तीय लाभ पहुँचाए गए, साथ ही साथ, उस सीमा तक शासकीय धन की हानि हुई।

(कंडिका 3.3.2)

2.4 असावधानी/ नियंत्रण में विफलता

सरकार का एक दायित्व है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना का विकास तथा उन्नयन एवं लोक सेवा के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के माध्यम से वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करें। तथापि, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण पाए गए हैं जिनमें समाज के लाभ के लिए सार्वजनिक संपत्तियों के सृजन हेतु सरकार द्वारा दी गई निधियां विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्रवाई के अभाव के कारण अप्रयुक्त/ अवरुद्ध रही और/ अथवा निष्फल/ अनुत्पादक सिद्ध हुई। राशि ₹ 1.97 करोड़ के प्रकरण की नीचे चर्चा की गई है:

- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन ने कार्य को पूर्ण करने में विलंब के लिए ₹ 1.97 करोड़ की क्षतिपूर्ति की राशि को आरोपित नहीं किया एवं ठेकेदार से वसूल नहीं की यद्यपि कार्यान्वयन में विलंब ठेकेदार पर आरोपणीय था।

(कंडिका 3.4.1)

पहला अध्याय

प्रस्तावना

1.1 बजट प्रोफाइल

सचिवालय स्तर पर राज्य में 52 विभाग हैं, जिनके प्रमुख, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव होते हैं जो उनके अंतर्गत आयुक्तों/ निदेशकों तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायित हैं। इनमें से, 15 शासकीय विभाग व इन विभागों के अंतर्गत आने वाली 67 सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयां (पी.एस.यू.)/ दो स्वायत्त निकाय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश के लेखापरीक्षा अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं। इन विभागों की लेखापरीक्षा की गई, जिनके प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किए गये। राज्य शासन की, 2009-14 के दौरान बजट प्राक्कलन एवं उनके विरुद्ध वास्तविक आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1 में दी गई है।

तालिका 1.1: 2009-14 के दौरान राज्य शासन का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	बजट प्राक्कलन	वास्तविक	बजट प्राक्कलन	वास्तविक						
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	13,685.34	12,013.78	14,181.41	14,646.68	18,220.45	16,228.64	20,577.43	17,705.14	22295.27	20590.93
सामाजिक सेवाएं	13,346.61	12,961.85	14,915.24	17,345.40	20,277.33	20,296.94	24,992.18	24,375.47	30100.70	27768.21
आर्थिक सेवाएं	8,753.47	8,371.37	9,664.10	10,084.48	12,208.06	12,964.91	14,251.77	16,823.35	17465.48	16971.33
सहायता अनुदान एवं अंशदान	2,476.70	2,549.90	3,102.51	2,935.03	3,217.65	3,203.22	3,722.12	4,064.57	4527.20	4539.29
योग (1)	38,262.12	35,896.90	41,863.26	45,011.59	53,923.49	52,693.71	63,543.50	62,968.53	74388.65	69869.76
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	6,793.16	7,924.87	8,024.72	8,799.88	8,721.93	9,055.16	10,820.22	11,566.89	11113.61	10812.52
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,389.39	3,816.88	1,619.33	3,714.73	3,200.21	15,760.56	5,667.26	5,378.25	6444.60	5077.52
अंतर्राज्यीय समायोजन	0.13	2.78	0	1.85	0	3.70	0	7.02	0	2.36
लोक ऋण का पुनर्भुगतान*	6,290.45	2,394.05	5,922.00	2,529.23	6,800.10	3,149.79	7,482.72	3,583.94	8017.43	4004.65
आकस्मिकता निधि	100.00	0	100.00	0	100.00	100.00	200.00	0	200.00	0
लोक लेखा संवितरण	94,675.61	50,871.84	96,735.11	62,344.26	1,53,133.63	73,279.04	2,24,574.20	82,735.57	313354.87	93063.99
अंतिम रोकड़ शेष	-102.93	3,912.93	-127.73	6,900.44	-78.79	7,775.88	-107.22	7,074.81	-123.16	4477.03
योग (2)	1,09,145.81	68,923.35	1,12,273.43	84,290.39	1,71,877.08	1,09,124.13	2,48,637.18	1,10,346.48	339007.35	117438.07
महायोग (1+2)	1,47,407.93	1,04,820.25	1,54,136.69	1,29,301.98	2,25,800.57	1,61,817.84	3,12,180.68	1,73,315.01	413396.00	187307.83

* चालू एवं साधन अग्रिमों व ओवर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देनों को छोड़कर

(स्रोत: वित्त लेखे एवं बजट अभिलेख)

1.2 राज्य शासन के संसाधनों का अनुप्रयोग

2012-13 के दौरान ₹ 79,920 करोड़ के विरुद्ध, 2013-14 के दौरान राज्य का कुल व्यय (राजस्व, पूँजीगत व ऋण और अग्रिम) ₹ 85,762 करोड़ था। वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (₹ 69,870 करोड़) पूर्ववर्ती वर्ष (₹ 62,967 करोड़) से 10.96 प्रतिशत बढ़

गया। राजस्व व्यय कुल व्यय का 81 प्रतिशत भाग था। 2013-14 के दौरान पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से 7 प्रतिशत घट गया। गैर-आयोजनागत राजस्व व्यय जो राजस्व व्यय का 72 प्रतिशत था एवं पूर्ववर्ती वर्ष से 10.92 प्रतिशत से बढ़ गया था।

जबकि 2009-14 की अवधि के दौरान राज्य के कुल व्यय में 18 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई, वर्ष 2009-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 17 प्रतिशत वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ी।

1.3 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे निधियों का अंतरण

2013-14 के दौरान, भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने के लिए ₹ 9,280.05 करोड़ को राज्य बजट के माध्यम से न भेजते हुए विभिन्न राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित किया। वर्तमान कार्यप्रणाली में, ये निधियाँ राज्य कोषालय प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजी जाती है एवं इसलिए राज्य के वित्त लेखे में इनका उल्लेख नहीं होता है। इस प्रकार राज्य के वार्षिक वित्त लेखे राज्य शासन के नियंत्रण के अंतर्गत संसाधनों की संपूर्ण स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं।

1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

2009-10 से 2013-14 के वर्षों के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका-1.2 में दिए गए हैं।

तालिका-1.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
गैर-आयोजनागत अनुदान	1,533	1,636	2,114	333	3,540
राज्य आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान	3,102	4,522	4,215	7,099	5,536
केन्द्र आयोजना की योजनाओं हेतु अनुदान एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	2,028	2,919	3,600	4,608	2,701
योग	6,663	9,077	9,929	12,040	11,777
पूर्व वर्ष पर वृद्धि का प्रतिशत	13.84	36.23	9.39	21.26	-2.18
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	16.10	17.50	15.86	17.10	15.55

1.5 लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न विभागों, स्वायत्त संस्थाओं, योजनाओं/ परियोजनाओं इत्यादि, की गतिविधियों की विवेचनात्मकता/ जटिलता, सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के स्तर, आन्तरिक नियंत्रण तथा हितधारियों की संबद्धता के जोखिम निर्धारण और पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विचारित करते हुए आरम्भ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार का निर्णय किया जाता है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा पूर्ण करने के उपरांत, निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मिलित होते हैं, कार्यालय प्रमुख को एक माह के भीतर प्रेषित करने के अनुरोध के साथ जारी किए जाते हैं। जब भी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो

निराकरण हो जाता है या अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई करने का परामर्श दिया जाता है। इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समाविष्ट करने की प्रक्रिया की जाती है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2013-14 के दौरान राज्य के 561 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी.डी.ओ.) और दो स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश द्वारा संचालित की गई। इसके अतिरिक्त, चार निष्पादन लेखापरीक्षा भी संचालित की गई।

1.6 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर शासन की उत्तरदेयता का अभाव

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश लेन-देनों की नमूना जाँच द्वारा शासकीय विभागों का आवधिक निरीक्षण संचालित करते हैं एवं निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखाओं तथा अभिलेखों के संधारण को सत्यापित करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएँ इत्यादि पता लगती हैं जिनका स्थल पर ही निराकरण नहीं हो पाता है, ये निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण किए गए कार्यालय प्रमुखों को, अगले उच्च प्राधिकारियों को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए, जारी किए जाते हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर, कार्यालय प्रमुखों एवं अगले उच्च प्राधिकारियों द्वारा महालेखाकार को इनका अनुपालन भेजा जाना अपेक्षित होता है। कार्यालय महालेखाकार, मध्य प्रदेश द्वारा गंभीर अनियमितताएँ भी, लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों के त्रैमासिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभागों के प्रमुखों के ध्यान में लाई जाती हैं।

30 जून 2014 को, आर्थिक क्षेत्र विभागों¹ के 5,750 निरीक्षण प्रतिवेदन (22,211 कंडिकाएँ) लंबित थे। इनमें से 1,658 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 4,219 कंडिकाएँ दस वर्षों से अधिक समय से निराकरण हेतु लंबित थीं। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिकाओं के वर्षवार विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

¹ पशुपालन, नागरिक विमानन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार, सहकारिता, ऊर्जा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मत्स्य, वन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण, ग्रामोद्योग, पर्यटन एवं जल संसाधन।

2013-14 के दौरान, उच्च अधिकार प्राप्त समिति² की 13 बैठकें हुईं जिसमें 1,083 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 4,413 कंडिकाओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 364 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 2,503 कंडिकाओं का निराकरण किया गया।

विभागीय अधिकारी निर्धारित समय सीमा में लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों पर कार्रवाई करने में विफल रहे इसके परिणामस्वरूप उत्तरदेयता का ह्रास हुआ था।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शीघ्र व उचित उत्तरदेयता सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण की जाँच पड़ताल कर सकता है।

1.7 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शासन की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/ कार्यकलापों के क्रियान्वयन के साथ साथ चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर अनेक महत्वपूर्ण कमियाँ जो विभागों की कार्यप्रणाली तथा कार्यक्रमों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, प्रतिवेदित की हैं। यह विशेष कार्यक्रमों/ योजनाओं की लेखापरीक्षा करने एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार करने एवं सुधारात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालकों को उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने पर केंद्रित था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के प्रावधान के अनुसार, विभागों से अपेक्षित है कि वे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/ प्रारूप कंडिकाओं पर अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। यह उनके ध्यान में लाया गया था कि ऐसी कंडिकाओं के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन, जो राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाता है, में संभावित रूप से समाविष्ट होने को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में उनकी टिप्पणियों को सम्मिलित करना वांछनीय होगा। उनको निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार के साथ बैठकें करने का परामर्श दिया गया था। प्रतिवेदन में समावेश करने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और कंडिकाओं को संबंधित अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके उत्तर मांगने के लिए अग्रेषित किया गया था। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं 11 प्रारूप कंडिकाओं पर प्रारूप प्रतिवेदन संबंधित प्रशासकीय सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। किन्तु शासन के उत्तर मात्र एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा एक प्रारूप कंडिकाओं के प्रकरणों में प्राप्त हुए। हालांकि सभी चार निष्पादन लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में निर्गम सम्मेलन में शासन के साथ चर्चा हो चुकी है।

² उच्चाधिकार प्राप्त समिति में, कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) से समूह अधिकारी एवं शाखा अधिकारी और राज्य शासन से विभाग के परिक्षेत्र प्रमुख (मुख्य अभियंता/ संयुक्त निदेशक), यूनिट प्रमुख (कार्यपालन यंत्री/ उप निदेशक) सम्मिलित होते हैं।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभाग को भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ए.आर.) में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर, यह ध्यान में न रखते हुए कि इनका लोक लेखा समिति द्वारा परीक्षण के लिए लिया गया है कि नहीं, स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारंभ करनी थी। उनको, लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित, उनके द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई या की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए विस्तृत टिप्पणियाँ भी राज्य विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उपलब्ध करानी थीं।

आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र से संबंधित वर्ष 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की कुल 132 कंडिकाओं में से 49 कंडिकाओं के संबंध में विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2014) (तालिका 1.3)।

तालिका: 1.3 आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय उत्तर की प्राप्ति

वर्ष	विभाग	30.11. 2014 को लंबित विभागीय उत्तर	राज्य विधान मंडल में प्रस्तुतीकरण का दिनांक	विभागीय उत्तरों की प्राप्ति का नियत दिनांक
2007-08	जल संसाधन	01	21-07-2009	21-10-2009
2009-10	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	01	23-07-2011	23-10-2011
2010-11	लोक निर्माण	04	12-12-2012	12-03-2013
	जल संसाधन	05		
2011-12	वन	05	11-01-2014	11-04-2014
	नर्मदा घाटी विकास	02		
	लोक निर्माण	02		
	जल संसाधन	08		
2012-13	वन	03	22-07-2014	22-10-2014
	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	01		
	सहकारिता	01		
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए.)	01		
	नर्मदा घाटी विकास	01		
	लोक निर्माण	04		
	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	01		
जल संसाधन	09			
योग		49		

(स्रोत: विधान सभा सचिवालय द्वारा पुष्टिकृत आंकड़े)

1.9 लेखापरीक्षा की पहल पर वसूलियां

राज्य शासन के विभागों के लेखाओं की नमूना जांच के दौरान ध्यान में आये लेखापरीक्षा निष्कर्षों को जिनमें वसूलियां की जानी थीं, लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए उन्हें पुष्टिकरण एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजा गया था।

2013-14 के दौरान ₹ 203 करोड़ की वसूली लेखापरीक्षा में इंगित की गई। उसी अवधि के दौरान, संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों में इंगित किए गए ₹ 7.84 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी। महत्वपूर्ण धन मूल्य की वसूली के कुछ प्रकरण तालिका 1.4 में दिए गए हैं।

तालिका 1.4. लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों द्वारा स्वीकृत/ वसूल की गई, वसूलियां (₹ करोड़ में)

विभाग	अवलोकित की गई वसूलियों के विवरण	2013-14 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई एवं विभाग द्वारा स्वीकार की गई वसूलियां			पूर्ववर्ती वर्षों के संदर्भ में 2013-14 के दौरान प्रभावित वसूलियां	
		प्रकरणों की संख्या	इंगित किए गए	स्वीकार किए गए	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित राशि
एम.पी.आर. आर. डी.ए.	निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होना	21	31.65	19.76	11	3.01
एम.पी.आर. आर. डी.ए.	मोबिलाइजेशन एवं मशीनरी अग्रिम	01	0.91	0.91	01	0.45
एन.वी.डी.ए.	मोबिलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज	01	0.70	0.70	01	0.35

1.10 राज्य विधान मंडल में स्वायत्त संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को रखे जाने की स्थिति

राज्य शासन द्वारा अनेक स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना की गई है। संस्थाओं के लेन देन, परिचालन गतिविधियों एवं लेखाओं, नियमितता अनुपालन लेखापरीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं प्रणाली एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि का सत्यापन करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा बड़ी संख्या में इन निकायों की लेखापरीक्षा की जाती है। राज्य में आर्थिक क्षेत्र के विभागों के अंतर्गत दो स्वायत्त संस्थाओं³ के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2012-13 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा जारी किया गया पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा गया (जनवरी 2014) एवं मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की एस.ए.आर. वर्ष 2011-12 व 2012-13 के लेखाओं की प्राप्ति में विलंब होने के कारण जारी नहीं की गई थी।

³ मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग तथा मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।

निष्पादन लेखापरीक्षा

वन विभाग

2.1 टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की कार्यप्रणाली

कार्यपालन सारांश

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राज्य शासन को वन्य जीवन एवं उसके परिवेश हेतु पर्याप्त महत्वपूर्ण किसी क्षेत्र को सुरक्षा, संचालन तथा विकास के लिए एक अभ्यारण्य, एक राष्ट्रीय उद्यान या टाईगर रिज़र्व के रूप में घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है।

- वन्य जीवन एवं उसके आवास का संरक्षण तथा सुरक्षा की आयोजना में कमियां थी, जैसे कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बाघ संरक्षण आयोजनाएं तैयार नहीं की गई थी। बफर क्षेत्रों को सम्मिलित करने में विलम्ब हुए थे। शासन द्वारा सीहोर में नये रातापानी टाईगर रिज़र्व, खण्डवा में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा दो अभ्यारण्य अधिसूचित नहीं किए गये थे तथा वन्य जीवन कॉरीडोर को संरक्षित आरक्षित के रूप में घोषित नहीं किया गया जिससे वन्य जीवन का संरक्षण प्रभावित हुआ।

(कंडिका 2.1.7.1 से 2.1.7.3)

- 2006 की तुलना में 2010 में बाघों की संख्या स्थिर थी। दो अभ्यारण्यों में सोन चिड़िया, चीतल, भालू तथा जंगली कुत्तों की संख्या घटी। बारहसिंगा का प्रस्तावित विस्थापन नहीं किया जा सका तथा विस्थापन में अकुशलता के कारण काले हिरणों की मृत्यु संख्या अधिक थी। कोर क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों, आवासीय अधोसंरचनाओं की उपस्थिति ने वन्य जीवन एवं उसके परिवेश के संरक्षण के लिए प्रयासों को प्रभावित किया।

(कंडिका 2.1.8.1 से 2.1.8.4)

- वन्य जीवन की सुरक्षा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं की गई, क्योंकि संरक्षित क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत तारों का रोधन नहीं किया गया, पशु चिकित्सकीय आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं था। वायरलेस सेट तथा अन्य निगरानी उपकरण अनुपयोगी पड़े थे। वन्य प्राणी अपराध से संबंधित आनलाइन निगरानी प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। निर्धारित बीट निरीक्षण नहीं किए गये थे।

(कंडिका 2.1.9.1 से 2.1.9.5)


- पर्यावरण विकास (ईको-डेवलपमेंट) समितियों के माध्यम से पर्यावरण विकास सुनिश्चित नहीं किया गया था। वृक्षारोपणों से जलाऊ लकड़ी के उत्पादन तथा ग्रामीणों के लिए निस्तार डिपो व्यवस्थाओं की स्थापना में विफलता के कारण जैविक दबाव को कम नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.1.10.1 से 2.1.10.2)

2.1.1 प्रस्तावना

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम) राज्य शासन को पर्याप्त पारिस्थितिक, जन्तु संबंधी तथा वनस्पतिय, भू-आकृति विज्ञानकीय¹, प्राकृतिक, या जन्तु विज्ञानकीय महत्व के क्षेत्र को वन्य जीवन या इसके पर्यावरण की सुरक्षा, संचालन तथा विकास के उद्देश्य से एक अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान (एन.पी.) या टाईगर रिज़र्व (टी.आर.) के रूप में घोषित करने तथा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। बाघों की पर्याप्त उपस्थिति वाले वन क्षेत्र को, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) की आवश्यक अनुशंसा के अधीन टी.आर. घोषित करने के लिए विचारित किया जाता है। वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की अपेक्षा राष्ट्रीय उद्यानों में अधिक कठोर प्रतिबंध होते हैं, यथा पशुओं की चराई एवं परिगमन तथा व्यक्तियों को भू-अधिकार वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में अनुमत्य है जबकि यह राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिबन्धित है। समान प्रकार के अपराध के लिए टी.आर. में, राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की अपेक्षा अधिक दण्ड के प्रावधान हैं।

नवम्बर 2014 तक, मध्य प्रदेश शासन ने 16,370.288 वर्ग कि.मी.² क्षेत्र में विस्तृत छह टी.आर., चार राष्ट्रीय उद्यान तथा 19 वन्य प्राणी अभ्यारण्य अधिसूचित किए जो मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र 94,689 वर्ग कि.मी.³ का 17.29 प्रतिशत है। राज्य के छह टाईगर रिज़र्व नीचे दिए गये मानचित्र में दर्शाए गये हैं:



इन संरक्षित क्षेत्रों (पी.ए.) के प्रबन्धन के लिए वन विभाग के वन्य प्राणी शाखा फरवरी 1977 में बनाई गई थी।

¹ भू-आकृति विज्ञान, भूमि आकृतियों एवं उनको आकार देने की प्रक्रिया का एक वैज्ञानिक अध्ययन है।

² टी.आर. में 10,989.247 वर्ग कि.मी. संरक्षित एवं 5,381.041 वर्ग कि.मी. बफर क्षेत्र

³ विभाग के वर्ष 2011-12 के प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार

2.1.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, शासन स्तर पर वन विभाग (विभाग) के प्रमुख हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.)- शीर्ष, विभाग के कार्यकारी प्रमुख हैं। वन्य प्राणी शाखा के प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) हैं, जो मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक (सी.डब्लू.एल.डब्लू.) के रूप में कार्य करते हैं। टी.आर./ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य में प्रमुख क्रमशः क्षेत्र संचालक/ संचालक तथा वन मण्डल अधिकारी/ अधीक्षक होते हैं। वन विभाग के वन्य प्राणी शाखा की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट 2.1** में दी गई है।

2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा आंकलन करने का प्रयास करती है कि:

- वन्य प्राणी के संरक्षण एवं सुरक्षा की आयोजना, यथा संरक्षण आयोजनाएं तैयार करना, संरक्षित क्षेत्रों का सृजन करना तथा आयोजना अभिलेखों को अद्यतन करना इत्यादि पर्याप्त था;
- वन्य प्राणी एवं उनके परिवेश का संरक्षण, यथा अधिनियम के अनुरूप नहीं होने वाली गतिविधियों को चरणबद्ध रूप से बन्द किया जाना, विलुप्त प्राय प्रजातियों का विस्थापन, परिवेश का विकास इत्यादि के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे;
- वन्य प्राणी एवं उनके परिवेश का संरक्षण यथा सुसज्जित पशु चिकित्सा के मूलभूत ढांचे की स्थापना, कर्मचारी इत्यादि दक्ष एवं प्रभावकारी था; तथा
- पारिस्थितिकी विकास हेतु पहल, यथा स्थानीय निवासियों की भागीदारी, उनकी आवश्यकताएं इत्यादि सुनिश्चित की गई थी।

2.1.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:

- वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972;
- वन्य प्राणी (संरक्षण) मध्य प्रदेश नियम, 1974, विकास निधि (पुनरीक्षित) नियम, 2009;
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं आदेश तथा
- संरक्षित क्षेत्रों के लिए संरक्षण एवं प्रबन्धन आयोजनाओं

से लिए गये मापदण्डों पर आधारित है।

2.1.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा 2009-14 की अवधि को आच्छादित करते हुए स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर चयन किए गये टी.आर. के बफर क्षेत्रों सहित 10 वन मण्डलों (चार टी.आर.⁴ एक राष्ट्रीय उद्यान तथा पाँच अभ्यारण्य) के अभिलेखों की

⁴ कान्हा टाईगर रिज़र्व (के.टी.आर.), मंडला में फेन अभ्यारण्य एवं के.टी.आर. का बफर क्षेत्र आच्छादित है।

नमूना जाँच के माध्यम से नवम्बर 2013 से जुलाई 2014 के दौरान संपन्न की गई थी (परिशिष्ट 2.2)।

प्रमुख सचिव के साथ एक प्रवेश सम्मेलन में लेखापरीक्षा उद्देश्य, क्षेत्र, कार्यप्रणाली तथा लेखापरीक्षा के मानदण्डों पर चर्चा की गई (13 फरवरी 2014)। सचिव के साथ 3 नवम्बर 2014 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। शासन ने समस्त लेखापरीक्षा अनुशंसाओं को स्वीकार किया। निष्पादन लेखापरीक्षा में सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों पर शासन के प्रत्युत्तरों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.1.6 संरक्षित क्षेत्रों हेतु आवंटन एवं व्यय

टी.आर., राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्यों के प्रबन्धन हेतु राशियों का आवंटन भारत सरकार एवं राज्य शासन दोनों द्वारा किया जाता है। वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु कुल राशि ₹ 619.70 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 404.29 करोड़ तथा मध्य प्रदेश शासन: ₹ 215.41 करोड़) विमुक्त की गई थी, जिसके विरुद्ध अवधि 2009-10 से 2013-14 के दौरान राशि ₹ 569.73 करोड़ (भारत सरकार: ₹ 372.62 करोड़ तथा मध्य प्रदेश शासन: ₹ 197.11 करोड़) का व्यय किया गया। वर्षवार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.1: योजनावार एवं वर्षवार व्यय एवं बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय एवं बचत	बाध परियोजना	वन्य प्राणी परिवेश एकीकृत विकास योजना	वित्त आयोग अनुदान	अन्य केन्द्रीय अनुदान	कुल केन्द्रीय अनुदान	राज्य योजनाएं	महायोग
2009-10	व्यय	47.68	6.42	8.29	0.41	62.8	0.1	62.9
	बचत	4.99	1.11	1.22	0.22	7.54	0.06	7.6
2010-11	व्यय	47.53	6	0	0.08	53.61	0.21	53.82
	बचत	4.34	2.15	1.85	0.91	9.25	13.09	22.34
2011-12	व्यय	64.25	5.22	0	0	69.47	5.46	74.93
	बचत	2.22	1.4	0	1	4.62	2.54	7.16
2012-13	व्यय	96.22	0	7.39	0	103.61	6.64	110.25
	बचत	9.08	0	0.61	0	9.69	0	9.69
2013-14	व्यय	69.24	0	13.89	0	83.13	184.7	267.83
	बचत	0.46	0	0.11	0	0.57	2.3	2.87
योग	व्यय	324.92	17.64	29.57	0.49	372.62	197.11	569.73
	बचत	21.13	4.66	3.75	2.13	31.67	18.3	49.97

(स्रोत: सी.डब्लू.एल.डब्लू.द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय निधि के ₹ 31.67 करोड़ का उपयोग, अवधि 2009-14 के दौरान नहीं किया जा सका। मुख्यतः संरक्षित क्षेत्रों से गांवों के पुनर्वास हेतु क्षतिपूर्ति के लिए ₹ 164.61 करोड़ के व्यय के कारण 2013-14 के दौरान राज्य योजनाओं के अन्तर्गत व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी।

संरक्षित क्षेत्रों में एवं इसके आस-पास विकास गतिविधियों में सहयोग हेतु विभाग ने प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र के लिए एक विकास निधि स्थापित करने का निर्णय लिया (फरवरी 1997)। पर्यटन के माध्यम से संबंधित टी.आर., राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य

प्राणी अभ्यारण्य में प्राप्त प्रवेश शुल्क विकास निधि में जमा किए जाने थे। इसका प्रबन्धन विकास निधि नियमों के अधीन शासित था। अवधि 2009-14 के दौरान, चयनित संरक्षित क्षेत्रों में कुल संग्रहण ₹ 72.17 करोड़ था (परिशिष्ट 2.3)। विकास निधि के प्रबन्धन में अवलोकित की गई कमियां निम्नलिखित थीं:

निधि को बचत खाते में रखने से विभाग को ₹ 51.69 लाख के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

- हमने विकास निधि में, पेंच टी.आर. में ₹ 1.51 करोड़ एवं कान्हा टी.आर. में ₹ 8.70 करोड़ तक के महत्वपूर्ण अव्ययित शेष अवलोकित किए। इन निधियों के उपयोग के संबंध में कोई योजना नहीं थी। राशियों को उच्चतर ब्याज धारक माध्यमों के स्थान पर बचत बैंक खातों में रखे जाने से विभाग को ₹ 51.69 लाख⁵ के ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

- हमने नमूना जाँच किए गये 10 संरक्षित क्षेत्रों में से पाँच⁶ में देखा कि विकास निधि के लेखे नहीं बनाये गये थे। जबकि दो संरक्षित क्षेत्रों (खिवनी वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा कूनो वन्य प्राणी अभ्यारण्य) ने रोकड़ बही संधारित नहीं की, दो अन्य संरक्षित क्षेत्रों (बांधवगढ़ टी.आर. तथा सतपुड़ा टी.आर.) ने रोकड़ बही में प्रविष्टियां नहीं की। आगे, सतपुड़ा टी.आर. में ₹ 68.66 लाख डिमांड ड्राफ्ट के रूप में दो वर्षों से अधिक समय तक रखे रहे, परिणामस्वरूप ₹ 9.31 लाख के ब्याज की हानि हुई।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि रोकड़ बही सहित विकास निधि लेखाओं के समुचित संधारण हेतु निर्देश जारी किए जायेंगे तथा चूकों हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7 वन्य प्राणी के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु आयोजना

2.1.7.1 टाईगर रिज़र्व हेतु आयोजना

पाँच टाईगर रिज़र्व अनुमोदित बाघ संरक्षण आयोजना जो सुरक्षा तथा स्थल विशेष परिवेश इनपुट के लिये आवश्यक थी, के बिना कार्य कर रहे थे।

वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 38 V के अनुसार, राज्य शासन प्रत्येक टी.आर.⁷ के समुचित प्रबन्धन हेतु सामान्यतः 10 वर्ष की अवधि के लिए एक बाघ संरक्षण आयोजना तैयार करेगा। आगे अधिनियम, अत्यावश्यक बाघ परिवेश को एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टी.आर. हेतु एक बफर क्षेत्र⁸ बनाये जाने का प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान/ वन्य प्राणी अभ्यारण्य के लिए उनके नियंत्रण, प्रबन्धन तथा रखरखाव हेतु एक प्रबन्धन आयोजना तैयार की जाती है।

एन.टी.सी.ए. को बाघ संरक्षण आयोजना अनुमोदित करने की शक्ति प्राप्त है। प्रत्येक टी.आर. हेतु, एन.टी.सी.ए., राज्य शासन तथा छह टी.आर.⁹ के संबंधित क्षेत्र संचालकों के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया था (नवम्बर 2009)। अनुबन्ध में

⁵ छोड़ा गया ब्याज, एक वर्ष से कम अवधि हेतु सावधि जमा की ब्याज की दर पर प्राप्ति योग्य ब्याज एवं बचत खाते के ब्याज की दर (न्यूनतम दर 5.75 प्रतिशत वर्ष 2009-14 के लिए अपनाया गया है) पर प्राप्त ब्याज का अंतर है।

⁶ डी.एफ.ओ., ओबेदुल्लागंज, देवास, ग्वालियर एवं कूनो वन्य प्राणी अभ्यारण्य (अप्रैल 2009 से प्रत्येक), एवं उपसंचालक (डी.डी.), बांधवगढ़ टी.आर. (जनवरी 2014 से)

⁷ इस खंड के उद्देश्य के लिए टाईगर रिज़र्व में कोर एवं बफर क्षेत्र सम्मिलित हैं।

⁸ बफर क्षेत्र कम सुरक्षा वाला परिवेश है।

⁹ बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय एवं सतपुड़ा टी.आर.

प्रत्येक टी.आर. के लिए बाघ संरक्षण आयोजना को दो वर्ष के अवधि के भीतर प्रस्तुत करना नियत था।

हमने निम्नांकित अवलोकन किया:

- कुल छह टी.आर. में से मात्र कान्हा टी.आर. की बाघ संरक्षण आयोजना अनुमोदित (मार्च 2013) थी। दिसंबर 2007 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के 940 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में से 917.43 वर्ग कि.मी. टी.आर. के रूप में अधिसूचित हुआ था। हाँलाकि, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के शेष 22.57 वर्ग कि.मी. क्षेत्र हेतु प्रबंध आयोजना नवंबर 2014 तक तैयार नहीं की गई थी।
- शेष पाँच टी.आर. की बाघ संरक्षण आयोजना नवंबर 2014 तक अनुमोदित नहीं हुई थी। इस प्रकार, बाघ संरक्षण योजनाओं की आवश्यकता के अनुसार बाघों की यथोचित संख्या हेतु सुरक्षा एवं संरक्षण तथा स्थल विशेष प्राकृतिक परिवेश के इनपुट सुनिश्चित नहीं किए जा सके।
- नमूना जॉच में देखे गये चार टी.आर. में से मात्र कान्हा टी.आर. में सितंबर 1976 से बफर क्षेत्र विद्यमान था। बांधवगढ़, सतपुड़ा एवं पेंच टी.आर. के बफर क्षेत्र जुलाई 2013 एवं फरवरी 2014 के मध्य, उनके कोर क्षेत्रों¹⁰ की अधिसूचना से 66 से 76 माहों के विलंब के अन्तराल से हस्तांतरित हुए थे।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि कान्हा के शेष क्षेत्र के लिए प्रबंधन आयोजना तैयार की जाएगी। आगे यह भी बताया गया कि बाघ संरक्षण आयोजनाओं को एन.टी.सी.ए. के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा। यह भी बताया गया कि आस-पास के ग्रामीणों तथा क्षेत्रीय वनमंडलों से सलाह की लंबी प्रक्रिया के कारण बफर क्षेत्रों को शामिल करने की प्रक्रिया में विलंब हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि टी.आर. की अधिसूचना के पूर्व, आस-पास के ग्रामीणों तथा क्षेत्रीय वनमंडलों के साथ सलाह कर ली जानी चाहिए थी।

2.1.7.2 वन्य प्राणी कॉरीडोर की संरक्षण आरक्षिति के रूप में घोषणा

अधिनियम की धारा 36 ए के अनुसार, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्यों के सन्निकट क्षेत्र तथा वे क्षेत्र जो एक संरक्षित क्षेत्र को दूसरे के साथ जोड़ते हैं (कॉरीडोर) को राज्य शासन, भू-दृश्यों, समुद्री दृश्यों, वनस्पतियों एवं प्राणीसमूह और उनके परिवेश की सुरक्षा के लिए संरक्षण आरक्षिति के रूप में घोषित कर सकता है। आगे, बाघ संरक्षण आयोजनाओं के प्रस्तावों को सी.डब्लू.एल.डब्लू. को वापस करते हुए एन.टी.सी.ए. ने अवलोकन किया कि वन्य प्राणियों एवं उनके परिवेश को सुरक्षित रखने के लिए भूमि के गहन उपयोग, यथा वाणिज्यिक खनन, उद्योगों इत्यादि की कॉरीडोर में स्थापना से बचना चाहिए।

एन.टी.सी.ए. के दिशा निर्देश 2008 एवं 2012 में वर्णित है कि जंगली जानवरों की अलग-थलग आबादी पृथक्करण के कारण विलुप्त होने के जोखिम का सामना करती है। ये भू-दृश्यों में जीन के प्रवाह को भी रोकते हैं।

¹⁰ कोर क्षेत्र दिसंबर 2007 में अधिसूचित हुए थे।

कॉरिडोर को संरक्षित आरक्षित के रूप में घोषित नहीं किए जाने के कारण भू-दृश्यों में वन्य प्राणियों का जीन प्रवाह सुनिश्चित नहीं किया गया था।

हमने अवलोकित किया कि कान्हा एवं पेंच टी.आर. को जोड़ने वाले कॉरिडोर की आयोजना तैयार की गई एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) को अनुमोदन हेतु भेजी गई (जनवरी 2014), जिसे वन्य प्राणियों के प्रबंधन हेतु आयोजना में प्रावधान सम्मिलित न किए जाने के कारण वापस कर दिया गया (मार्च 2014)। किसी भी कॉरिडोर के संबंध में अन्य संरक्षित क्षेत्र को जोड़ते हुए संरक्षण आरक्षित के रूप में कोई भी क्षेत्र अधिसूचित नहीं किया गया था। यह दर्शाने के लिए अभिलेखों में कुछ भी नहीं था कि इस संबंध में विभाग द्वारा कोई पहल की गई थी। वन्य प्राणियों के संबंध में विभाग द्वारा संधारित आनलाईन वन अपराध प्रबंधन प्रणाली के अनुसार, मानव एवं जानवरों के मध्य संघर्ष के दृष्टांत थे जिनके परिणामस्वरूप 3,595 जंगली जानवरों की मृत्यु जहर खुरानी, बिजली से मृत्यु, दुर्घटना, इत्यादि के कारण हुई, इसके अतिरिक्त 102 मनुष्यों की मृत्यु, 2,050 पशु घायल होना एवं 5,881 पशुओं की मृत्यु 2009 से 2013 की अवधि में हुई। संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले कॉरिडोर को अधिसूचित न किए जाने से भू-दृश्य में जीन प्रवाह द्वारा जंगली जानवरों के विलुप्त होने के खतरे को कम करने के उद्देश्य की प्राप्ति प्रभावित होगी।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि सभी कॉरिडोर की पहचान के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया जा रहा था एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.1.7.3 नए टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की आयोजना एवं अधिसूचना

नए संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना में विलंब से वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं सुरक्षा प्रभावित हुई।

किसी क्षेत्र को टी.आर., राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित करने का उद्देश्य, वन्य प्राणियों तथा इनके पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और उसका विकास करना है। लेखापरीक्षा के दौरान नए संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना जारी करने में पाई गई कमियों की नीचे चर्चा की गई है:

(अ) रातापानी अभ्यारण्य की टाईगर रिज़र्व के रूप में घोषणा

एन.टी.सी.ए., भारत सरकार द्वारा रातापानी अभ्यारण्य को टी.आर. के रूप में घोषित करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति अगस्त 2008 में दी गई थी। सी.डब्लू.एल.डब्लू. ने 1,107.735 वर्ग कि.मी. क्षेत्र (कोर: 793.984 वर्ग कि.मी. एवं बफर: 313.751 वर्ग कि.मी.) को सम्मिलित करते हुए राज्य शासन को टी.आर. की अंतिम अधिसूचना जारी करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (सितंबर एवं दिसंबर 2008)। मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग ने सी.डब्लू.एल.डब्लू. को कोर क्षेत्र तथा बफर क्षेत्र को अलग-अलग अधिसूचित करने हेतु निर्देशित किया (दिसंबर 2010)। सी.डब्लू.एल.डब्लू. ने 849.027 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को सम्मिलित कर के एक पुनरीक्षित प्रस्ताव यह बताते हुए प्रस्तुत किया (दिसंबर 2011) कि पूर्व में अधिसूचित अभ्यारण्य में 55.043 वर्ग कि.मी. राजस्व एवं निजी भूमि सम्मिलित नहीं थी। फिर भी, शासन द्वारा वन्य प्राणी अभ्यारण्य को टी.आर. अधिसूचित करने की कार्यवाही नहीं की गई। रातापानी अभ्यारण्य को छह वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी टी.आर. अधिसूचित न करने से बाघ एवं अन्य जंगली जानवरों का संरक्षण तथा सुरक्षा प्रभावित हुई।

(ब) इंदिरा सागर परियोजना हेतु व्यपवर्तित वनभूमि के वन्य प्राणियों का संरक्षण

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने खंडवा जिले में इंदिरा सागर बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना (आई.एस.पी.) हेतु 41,111.97 हे. वनभूमि के व्यपवर्तन की स्वीकृति देते समय (अक्टूबर 1987) क्षेत्र के वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एक समिति गठित करने हेतु राज्य के वन विभाग को निर्देशित किया। वर्ष 2001 की गणना के अनुसार बाघ एवं तेंदुओं सहित 1,737 मांसाहारी, 13,839 शाकाहारी एवं विभिन्न प्रकार के 1,107 पक्षी आई.एस.पी. से प्रभावित क्षेत्र में थे। प्रस्तावित समिति जनवरी 1988 में बनाई गई, जिसने अगस्त 1993 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

हमने देखा कि मध्य प्रदेश शासन ने रिट पिटीशन (1995 की 202) के उत्तर में सर्वोच्च न्यायालय में एक वचन पत्र प्रस्तुत किया कि एक राष्ट्रीय उद्यान (ऑकारेश्वर) एवं दो वन्य प्राणी अभ्यारण्यों (मान्धाता एवं सिंघाजी) के साथ-साथ दो संरक्षण आरक्षिती (सी.आर.), समिति की अनुशंसा के आधार पर बनाए जाएंगे। सी.डब्लू.एल.डब्लू. ने मात्र दो संरक्षण आरक्षिती घोषित करने हेतु प्रारूप अधिसूचना भेजी गई (दिसंबर 2010) जो कि मध्य प्रदेश शासन के पास नवंबर 2014 तक लंबित थीं। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों को घोषित करने का कोई प्रस्ताव नवंबर 2014 तक शासन को नहीं भेजा गया था। अतः एम.ओ.ई.एफ. के निर्देशों के उपरान्त भी प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, संरक्षण आरक्षिती मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित नहीं किए गये थे जिससे उस क्षेत्र में वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं सुरक्षा खतरे में पड़ गई।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि विभिन्न साझेदारों (स्थानीय रहवासियों) से विचार विमर्श की प्रक्रिया जारी थी एवं टी.आर., राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्यों इत्यादि के गठन पर अंतिम कार्यवाही नहीं की गई थी (नवंबर 2014)।

समस्त टाईगर रिज़र्व की बाघ संरक्षण आयोजना बनाई जानी चाहिए एवं नए टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्यों एवं संरक्षित आरक्षितियों की अधिसूचना शीघ्र की जानी चाहिए।

2.1.7.4 योजना एवं प्रबंधन की नीतियों हेतु कक्ष इतिहास का अनुरक्षण

कक्ष इतिहास (सी.एच.)¹¹ जिसमें कक्ष की परिसीमा, जलप्रवाह एवं तटीय प्रणाली, सड़कें, बारहमासी तालाब, जलाशय, झीलें, पुराने बड़े वृक्षों के गड्ढे, ग्रामों, कृषि भूमि, किए गये क्रियाकलाप इत्यादि सम्मिलित होते हैं, योजना एवं प्रबंधन की नीतियों हेतु एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। परिक्षेत्र अधिकारी (आर.ओ.) द्वारा कक्ष इतिहास को वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाना आवश्यक है, जिनकी जाँच वनमंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जानी होती है।

हमने चयनित किए गये तीन टी.आर. की नमूना जाँच में अवलोकित किया कि कक्ष इतिहास अद्यतन¹² नहीं किए गये थे। सतपुड़ा टी.आर. में 557 कक्ष इतिहासों में से हमें उपलब्ध कराए गये 17 कक्ष इतिहासों को विभिन्न अवधियों 2008-09 (नौ कक्ष

कक्ष इतिहास के अद्यतन नहीं किए गये थे, जिससे वन्य प्राणी के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु प्रबंधन आयोजना एवं कार्यनीतियां प्रभावित हुई।

¹¹ वन के प्रबंधन हेतु कक्ष सबसे छोटी इकाई होती है।

¹² बांधवगढ़ टी.आर.: 1991 से, कान्हा टी.आर.: 1980 से तथा पेंच टी.आर.: 2005 से

इतिहास), 2010-11 (तीन कक्ष इतिहास) एवं 2011-12 (पाँच कक्ष इतिहास) तक अद्यतन किया गया। सोनचिड़िया अभ्यारण्य (जी.आई.बी.) ग्वालियर, खिवनी, कूनो एवं सिंघोरी अभ्यारण्यों के कक्ष इतिहास क्रमशः 1973, 1982, 2008 एवं 2010 से अद्यतन नहीं किए गये थे। रातापानी वन्य प्राणी अभ्यारण्य में मात्र 48 कक्ष इतिहास अद्यतन किए गए। चूँकि कक्ष इतिहास में किए गये क्रियाकलापों तथा हुए परिवर्तनों (वनस्पतिय/ प्राणी समूह संबंधी/ भू-आकृति संबंधी) को वर्ष दर वर्ष अभिलिखित किया जाता है, इन टी.आर. एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु प्रबंधन आयोजना तथा नीतियाँ उपयुक्त तथा प्रभावी नहीं होंगी।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि कक्ष इतिहासों को अद्यतन करने हेतु निर्देश जारी किए जा रहे थे।

कक्ष इतिहासों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।

2.1.8 संरक्षण

वन्य प्राणी एवं उनके परिवेश के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अधिनियम में उपाय प्रावधानित हैं। संरक्षण में वन्यप्राणी एवं उनके परिवेश को किसी परिवर्तन, हानि या क्षय यथा घास के मैदानों का विकास/ खरपतवार उन्मूलन, जल संरक्षण, संकटग्रस्त प्रजातियों की पुनर्स्थापन इत्यादि से बचाना सम्मिलित हैं। वन्य प्राणी एवं उनके परिवेश के संरक्षण से संबंधित मुद्दों की अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.8.1 बाघों की संख्या

वर्ष 2010 की बाघों की संख्या की गणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में 262 बाघ थे। जैसा कि भारतीय वन्य प्राणी संस्थान (डब्लू.आई.आई.) द्वारा प्रतिवेदित किया गया, वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2010 में तीन क्षेत्रों¹³ में बाघों की संख्या स्थिर तथा तीन क्षेत्रों¹⁴ में बढ़ी थी। जबकि, पन्ना टी.आर. में यह संख्या वर्ष 2006 में 24 से, तेजी से घट कर वर्ष 2010 में 4 रह गई।

राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान, टी.आर. एवं अन्य क्षेत्रों में 2006 तथा 2010 की स्थिति में बाघों की संख्या¹⁵ नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 2.2: क्षेत्रवार बाघों की संख्या को दर्शाने वाला पत्रक

क्षेत्र की स्थिति	बाघ की संख्या		वन्य प्राणी संस्थान देहरादून के प्रतिवेदन के अनुसार संख्या में वृद्धि/ कमी/ स्थिरता
	2006	2010	
कूनो-शिवपुरी-माधव राष्ट्रीय उद्यान	5	3	स्थिर
रायसेन	10	16	वृद्धि
इन्दौर-देवास	आंकलित नहीं	7	आंकलित नहीं
सतपुड़ा टी.आर.	39	43	वृद्धि
पन्ना टी.आर.	24	4	कमी

¹³ बांधवगढ़, कान्हा टी.आर. एवं कूनो-माधव राष्ट्रीय उद्यान

¹⁴ पेंच, रायसेन एवं सतपुड़ा टी.आर.

¹⁵ डब्लू.आई.आई., देहरादून द्वारा वर्ष 2014 के लिए वन्य प्राणी संख्या की गणना नवम्बर 2014 में प्रकाशित होना संभावित है।

क्षेत्र की स्थिति	बाघ की संख्या		वन्य प्राणी संस्थान देहरादून के प्रतिवेदन के अनुसार संख्या में वृद्धि/ कमी/ स्थिरता
	2006	2010	
पेंच टी.आर.	33	65	वृद्धि
बांधवगढ़ टी.आर.	47	59	स्थिर
कान्हा टी.आर.	89	60	स्थिर
संजय-दुबारी-गुरु घासीदास	आंकलित नहीं	5	आंकलित नहीं
योग	247	262	

(स्रोत: सी.डब्लू.एल.डब्लू. द्वारा प्रदान की गई सूचना)

सी.डब्लू.एल.डब्लू. को जनवरी 2009 से मई 2014 की अवधि के दौरान वनमंडलों



पन्ना टाईगर रिज़र्व में बाघ

द्वारा मध्य प्रदेश में 69 बाघों की मृत्यु प्रतिवेदित की गई थी। जिनमें से 55 बाघों की मृत्यु हमारे द्वारा नमूना जाँच किए गये छह वनमंडलों में प्रकट हुई। मृत्यु के कारण, बीमारी (17), शिकार (1), क्षेत्रीय लड़ाई (19), विष प्रयोग (3), बिजली से मृत्यु (7), दुर्घटना (4), स्वप्रजाति भक्षण (8), प्राकृतिक मृत्यु (3), अन्य (7) थे।

बाघों के मृत्यु के कारण यथा, बीमारी, शिकार, विष प्रयोग, बिजली से मृत्यु, जो कि नियंत्रित किए जा सकते थे, विभाग के रोकथाम उपायों में कमजोरी को इंगित करते हैं।

हमने देखा (जुलाई 2014) कि बाघों के मृत्यु के 69 प्रकरणों में से 18 प्रकरण (26 प्रतिशत) बांधवगढ़ टी.आर. से संबंधित थे। हमने देखा कि बांधवगढ़ टी.आर. के परिक्षेत्र ताला, जिसका क्षेत्रफल 109.740 वर्ग कि.मी. था, में 34 बाघों का वास था (अर्थात् प्रति बाघ 3.23 वर्ग कि.मी. क्षेत्र उपलब्ध था), यद्यपि एन.टी.सी.ए. के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति बाघ 10 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आंकलित था। इस प्रकार वहां बाघों के परिवेश के लिए स्थान अपर्याप्त था। यह क्षेत्रीय लड़ाई, स्वप्रजाति भक्षण होने का कारण हो सकते थे और परिणामस्वरूप इनका आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिखराव हुआ।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि बाघों की मृत्यु उनके मध्य क्षेत्रीय संघर्ष के कारण हुई एवं उनके मध्य संघर्ष को कम करने के उपाय किए जा रहे थे। आगे, यह भी बताया गया कि बाघों की पुनर्स्थापना के लिए आयोजना भी बनाई जा रही थी।

2.1.8.2 अभ्यारण्यों में वन्यजीवों की संख्या में कमी

वन्य प्राणी एवं उनके परिवेश के संरक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य से अभ्यारण्यों को अधिसूचित किया गया। दो वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में संख्या गणना प्रतिवेदन के अनुसार जंगली जानवरों की संख्या में कमी पाई गई, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जी.आई.बी.) अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना (मई 1981) एक संकटापन्न प्रजाति, जी.आई.बी. जो सोनचिड़िया के रूप में जानी जाती है, के

दो वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में सोनचिड़िया एवं चीतल, भालू एवं जंगली कुत्तों की संख्या घटी।

संरक्षण के लिए की गई थी। सोनचिड़िया की संख्या 2005 में आठ से 2008 एवं 2009 में कम होकर तीन एवं 2011 में और घट कर एक रह गई थी। वर्ष 2012 एवं 2013 में इसकी संख्या शून्य हो गई।

हमने देखा कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि में परिक्षेत्र घाटीगाँव के 1.259 हे. क्षेत्रफल में पत्थर के अवैध उत्खनन के 806 प्रकरण पंजीबद्ध थे, जो कि सोनचिड़िया का प्राकृतिक परिवेश था। अभ्यारण्य से पक्षी के विलुप्त होने का प्रमुख कारण उसके प्राकृतिक परिवेश के बड़े क्षेत्र में फैला अवैध उत्खनन हो सकता है। इस प्रकार इस संकटापन्न पक्षी के संरक्षण हेतु अभ्यारण्य की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था।

• फेन अभ्यारण्य की प्रबंधन आयोजना अवधि 2011-2022 के अनुसार, अभ्यारण्य का उद्देश्य खुरदार¹⁶ वन्य प्राणियों की बेहतर संख्या को आधार प्रदान करने के लिए वन्य प्राणी परिवेश का प्रबंधन था। वर्ष 2006 में चीतल, भालू तथा जंगली कुत्तों की संख्या क्रमशः 225, 51 एवं 28 थी, जो वर्ष 2010 में घट कर 121, 23 एवं 5 रह गई थी, जो कि संख्या में क्रमशः 47, 55 एवं 82 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

अभिलेखों में यह दर्शाने के लिए कुछ भी नहीं था कि विभाग ने वर्ष 2006 से 2010 के दौरान संख्या में गिरावट के कारणों के विश्लेषण के लिए कोई अध्ययन किया था एवं कमी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय किया गया। वर्तमान प्रबंधन आयोजना में इन प्रजातियों की संख्या में गिरावट को रोकने हेतु विशेष उपाय भी नहीं थे।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि सोनचिड़िया एक प्रवासी पक्षी है एवं जी.आई.बी. अभ्यारण्य में उसको आकर्षित करने के लिए उपयुक्त फसल पद्धति की योजना बनाई जा रही थी एवं फेन वन्य प्राणी अभ्यारण्य में घटती संख्या को रोकने के लिए उनके प्राकृतिक परिवेश में सुधार कार्य कराए जा रहे थे।

2.1.8.3 वन्य प्राणियों का पुनर्स्थापन

वन्य प्राणियों के प्राकृतिक परिवेश के अंधाधुन्ध विनाश, वन अच्छादन में संकुचन, जानवरों का अवैध शिकार/ हत्या एवं विभिन्न अन्य कारणों ने कई जंगली प्रजातियों के विलुप्त होने का गंभीर खतरा उत्पन्न किया है। इसे ध्यान में रखते हुए वन विभाग म.प्र.शासन ने संकटापन्न प्रजातियों को विभिन्न संरक्षित क्षेत्रों में पुनर्स्थापन की योजना बनाई (अगस्त 2011)। पुनर्स्थापन की प्रजातिवार स्थिति एवं लेखापरीक्षा में अवलोकित की गई कमियाँ अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है:

(अ) काले हिरणों की उच्च मृत्यु दर

एम.ओ.ई.एफ. ने 50 काले हिरणों को जिला नरसिंहपुर के क्षेत्र से कान्हा टी.आर. में पुनर्स्थापन हेतु इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की (जून 2011) कि पुनर्स्थापन स्थल के प्राकृतिक परिवेश की व्यवहार्यता का विश्लेषण काले हिरणों के पुनर्स्थापन से पूर्व किया जाए। सी.डब्लू.एल.डब्लू. द्वारा क्षेत्र संचालक कान्हा टी.आर. को निर्देशित किया

¹⁶ खुरदार वह जानवर होते हैं, जिनके पैर का निचला हिस्सा कठोर होता है, जैसे गाय, चीतल, सांभर, इत्यादि।

गया (जुलाई 2011) कि 50 काले हिरणों को रासायनिक विधि से निश्चेत करने के उपरान्त उन्हें स्थानान्तरित किया जाए, जैसा कि एम.ओ.ई.एफ. की अनुमति की शर्तों में था।

कान्हा टी.आर. में काले हिरणों का पुनर्स्थापन परिवेश की व्यवहार्यता का मूल्यांकन एवं निश्चेत किए बिना किया गया, परिणामतः मृत्यु दर उच्च रही।

हमने अवलोकित किया (जून 2014) कि सिवनी जिले¹⁷ से कान्हा टी.आर. में 14 नवंबर से 21 नवंबर 2011 की अवधि में 50 काले हिरणों को प्राकृतिक परिवेश की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किए बिना स्थानान्तरित किया गया था। क्षेत्र संचालक कान्हा टी.आर. द्वारा प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2012) कि काले हिरण निश्चेत किए बिना पुनर्स्थापित किए गये थे। नवंबर 2011 से जनवरी 2012 की अवधि में पुनर्स्थापित 50 काले हिरणों में से 22 की मृत्यु बाड़े में हो गई। एम.ओ.ई.एफ. के प्रतिवेदन¹⁸ में बताया गया (जनवरी 2012) कि काले हिरणों के लिए परिवेश असहनीय था तथा घास कठोर थी। इस प्रकार एम.ओ.ई.एफ. के निर्देशों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप काले हिरणों की अधिक मृत्यु हुई एवं शेष काले हिरणों की नए स्थल में विपरीत परिस्थितियों के कारण उत्तरजीवितता जोखिम में पड़ी।

(ब) सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व में बारहसिंगा का पुनर्स्थापन न किया जाना

निर्धारित समयावधि में बारहसिंगा का पुनर्स्थापन नहीं किया जा सका एवं परियोजना बीच में रोक दी गई।

कान्हा टी.आर. मंडला विश्व के अंतिम 475 बारहसिंगा संख्या को आधार देने की एकमात्र विशेष योग्यता रखता है। सी.डब्लू.एल.डब्लू. ने एम.ओ.ई.एफ., भारत सरकार की स्वीकृति (मई 2011) के अनुपालन में, 20 बारहसिंगा को कान्हा टी.आर. से



कान्हा में राजकीय पशु बारहसिंगा

सतपुड़ा टी.आर. में पुनर्स्थापित करने हेतु आदेश दिया (जून 2011)। सी.डब्लू.एल.डब्लू. द्वारा ₹ 89 लाख मूल्य का प्रतिस्थापन हेतु एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जून 2011 में अनुमोदित किया गया। परियोजना की समय योजना जुलाई 2011 से मार्च 2012 निर्धारित की गई थी।

सी.डब्लू.एल.डब्लू. ने बारहसिंगा को 20 जनवरी और 30 जनवरी 2012 के मध्य पुनर्स्थापित करने हेतु क्षेत्र संचालकों को पुनः निर्देशित किया (अगस्त 2011)। एम.ओ.ई.एफ. ने कान्हा टी.आर. में पुनर्स्थापित काले हिरणों की अधिक मृत्यु के कारण बारहसिंगा के पुनर्स्थापन को आगामी आदेशों तक रोकने हेतु निर्देशित किया (नवंबर 2011)। एम.ओ.ई.एफ. ने अंतिम रूप से निर्देशित किया (मई 2013) कि फेन अधिक अभ्यारण्य के साथ कान्हा टी.आर. से विस्थापित हुए ग्रामों से उपलब्ध रिक्त स्थान में बारहसिंगा को बसाने के उपरान्त ही नए क्षेत्रों में पुनर्स्थापन पर विचार किया

¹⁷ उद्यान अधीक्षक, कान्हा टी.आर. के सर्वेक्षण प्रतिवेदन (अगस्त 2011) के आधार पर काले हिरणों को राज्य के नरसिंहपुर जिले के स्थान पर सिवनी जिले से लाया गया था।

¹⁸ प्रकरण की जाँच, एम.ओ.ई.एफ. के अधीन मुख्य वनसंरक्षक (केन्द्रीय) भोपाल द्वारा की गई थी।

जाए। इस प्रकार पुनर्स्थापन के क्रियान्वयन न होने से परियोजना पर किया गया व्यय ₹ 89.55 लाख¹⁹ निष्फल रहा।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि कान्हा टी.आर. से सतपुड़ा टी.आर. में बारहसिंगा का पुनर्स्थापन दिसंबर 2014 तक कर लिया जाएगा एवं काले हिरणों के पोस्टमार्टम प्रतिवेदन में प्रकट हुआ था कि मृत्यु, उनके पकड़ने की प्रक्रिया में त्रुटि के कारण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.ओ.ई.एफ. का प्रतिवेदन इंगित करता है कि काले हिरणों की मृत्यु का कारण असहनीय परिवेश था, परन्तु इस विषय में उत्तर मौन है।

2.1.8.4 अभ्यारण्यों एवं टाईगर रिज़र्व के कोर क्षेत्रों के अन्दर गतिविधियां

अधिनियम की धारा 32 के साथ पठित धारा 35(8) में उपबंधित है कि एक राष्ट्रीय उद्यान (एन.पी.) में कोई भी व्यक्ति रसायनों, विस्फोटकों अथवा किसी दूसरे पदार्थ, जो कि किसी वन्य प्राणी को संकट में डालने अथवा घायल करने का कारण हो सकता है, का उपयोग नहीं करेगा। एन.टी.सी.ए. के व्यापक दिशा निर्देशों (फरवरी 2008) की कंडिका 4.17 के अनुसार, कोर अथवा संकटग्रस्त बाघ परिवेश का उपयोग किसी रूप में पर्यटन के लिए नहीं किया जाएगा एवं इन क्षेत्रों में चल रही पर्यटन गतिविधियों को कॉरीडोर के महत्व को प्रभावित किए बिना, बाहर किया जाना चाहिए। अधिनियम के धारा 33 के अनुसार अभ्यारण्यों में वाणिज्यिक पर्यटन आवासों, होटलों, चिड़ियाघरों एवं सफारी उद्यानों का संनिर्माण राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड (एन.बी.डब्लू.एल.) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। हमारे द्वारा अवलोकित किए गये उपर्युक्त प्रावधानों से विचलन के दृष्टांतों का वर्णन नीचे किया गया है:

अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कान्हा टी.आर. में पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा था।

- कान्हा टी.आर. के कोर क्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी, किसली के नाम पर एक पेट्रोल पम्प संचालित था। अतः पेट्रोल पम्प के संचालन के कारण कोर या संकटपूर्ण बाघ परिवेश के क्षेत्र के वन्य प्राणी को खतरे में डाला गया। कान्हा टी.आर. के टी.सी.पी. अवधि 2011-2021 (मार्च 2013 में अनुमोदित) में भी उल्लेख था कि पेट्रोल पम्प का संचालन संरक्षण के लिये कमजोरी था। फिर भी, कान्हा टी.आर. प्रबंधन द्वारा नवंबर 2014 की स्थिति में भी पेट्रोल पम्प को विस्थापित किए जाने के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

कान्हा टाईगर रिज़र्व में वाणिज्यिक गतिविधियां एवं स्थित आवासीय अधोसंरचनाओं के कारण वन्यप्राणियों हेतु अनुल्लंघित क्षेत्र में कमी हुई।

- टी.सी.पी. के अनुसार कान्हा टी.आर. के कोर क्षेत्र में व्याख्यान केन्द्र तथा वन विश्राम गृह वन विभाग द्वारा वाणिज्यिक आधार पर संचालित किया जा रहे थे एवं बघीरा हट²⁰ को मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एम.पी.एस.टी.डी.सी.) द्वारा संचालित किया जा रहा था। टी.आर. के कोर क्षेत्र में कर्मचारी बस्ती और अन्य रिहायशी आवास/ कार्यालय भी स्थित थे। इन संरचनाओं को कोर क्षेत्र से बाहर किया जाना विभाग द्वारा अब तक प्रारम्भ नहीं किया गया (नवंबर 2014)।

¹⁹ बाड़े के निर्माण तथा परिवेश के विकास इत्यादि के लिए ₹ 82.37 लाख सतपुड़ा एवं ₹ 7.18 लाख कान्हा टी.आर. में

²⁰ एक लॉज, जिसके लिए अक्टूबर 1978 में वनभूमि व्यपवर्तित की गई थी।

• हमने आगे देखा कि रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत एक जंगल कैम्प एम.पी.एस.टी.डी.सी. द्वारा सितम्बर 2008 से संचालित किया जा रहा था एवं कूनो वन्य प्राणी अभ्यारण्य में दो विश्रामगृहों²¹ को वन विभाग द्वारा वाणिज्यिक आधार पर नवंबर 2014 की स्थिति में संचालित किया जा रहा था। अभ्यारण्यों के अंदर वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु हमारे द्वारा पूछे जाने पर, एन.बी.डब्लू.एल. की पूर्वानुमति नहीं दिखाई जा सकी।

इन पर्यटन सुविधाओं एवं कर्मचारी बस्तियों की अवस्थिति, वन्य प्राणी के लिए अनुल्लंघित क्षेत्र की उपलब्धता घटाती है।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि उक्त सुविधाएं पूर्व की आवश्यकताओं के आधार पर स्थापित की गई थीं। आगे, यह भी बताया गया कि अधिनियम/ नियम के विरुद्ध गतिविधियों की पहचान की जाएगी एवं उन्हें संरक्षित क्षेत्र से बाहर किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा यह भी बताया गया कि कान्हा टी.आर. से पेट्रोल पम्प तथा बघीरा हट एवं रातापानी अभ्यारण्य से पर्यटन कुटीरों को बाहर किए जाने की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

संरक्षित क्षेत्र से वाणिज्यिक गतिविधियों यथा पेट्रोल पम्प, होटल इत्यादि को बाहर किया जाना एवं संकटापन्न प्रजातियों की पुनर्स्थापना शीघ्रता से किया जाना चाहिये।

2.1.8.5 संरक्षित क्षेत्रों से मानव बसाहटों का पुनर्वास

संरक्षित क्षेत्रों (पी.ए.) को मानव जनसंख्या से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि जैविक दबाव को कम किया जाये एवं वन्य प्राणी तथा मानव संघर्ष को रोका जाए, ताकि परिवेश को अधिकतम संभव प्राकृतिक स्थिति में रखा जा सके।

मानव बसाहट के पुनर्स्थापन में अवलोकित की गई कमियों की नीचे चर्चा की गई है:

• संरक्षित क्षेत्रों में अप्रैल 2009 की स्थिति में 736 ग्राम स्थित थे। इनमें से मात्र 40 को या तो खाली कराया गया अथवा पुनर्स्थापित किया गया एवं अगस्त 2014 की स्थिति में 696 ग्रामों को रिक्त अथवा पुनर्स्थापित नहीं कराया गया था।

शासन द्वारा निर्गम सम्मेलन में बताया गया कि निधियों के उपलब्ध न होने के कारण पुनर्स्थापन में विलंब हुआ।

• बांधवगढ़ टी.आर., उमरिया में 10 राजस्व खंड²² थे, जिन्हें अधिग्रहीत किया जाना था। इनमें से छह खंडों²³ के अधिग्रहण के लिए अवार्ड संभाग आयुक्त रीवा द्वारा पारित किया गया था (2007) तथापि उनका अधिग्रहण अब तक लंबित था। तीन खंडों²⁴ के संबंध में, आवश्यक क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान भूमि अधिग्रहण अधिकारी को किया जा चुका था (मार्च 2008), परन्तु नवंबर 2014 तक अवार्ड पारित नहीं किया गया था। दसवें राजस्व खंड (मैरी) के अधिग्रहण के संबंध में प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की

प्रबंधन आयोजना में प्रावधानित बांधवगढ़ टी.आर. में स्थित 10 में से किसी भी राजस्व खंड का अधिग्रहण नहीं किया जा सका।

²¹ 1956-57 एवं 1997-98 में निर्मित

²² राजस्व भूमि के छोटे भाग राजस्व खंड होते हैं जिन पर सटे हुए ग्रामों के लोगो का मालिकाना हक होता है।

²³ दमना, घाघोड़, गीदडी, कुदरवार, कुम्हरा एवं कुशरवाह

²⁴ गोहडी, महामन एवं पठारी

गई थी। क्षेत्र संचालक द्वारा उक्त भूमि के लिये शीघ्र अवार्ड एवं अधिग्रहण करने के संबंध में उच्च स्तर पर अनुसरण का किया जाना अभिलेखों में नहीं पाया गया। इस प्रकार, नौ राजस्व खंडों के अधिग्रहण के लिए ₹ 2.95 करोड़ के भुगतान के उपरान्त भी कोई भी राजस्व खंड अधिग्रहित नहीं किया जा सका। इसलिए वन्य प्राणियों को अनुल्लंघित क्षेत्र उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

सी.डब्लू.एल.डब्लू. ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि राजस्व खंड के अधिग्रहण हेतु कलेक्टर के साथ अनुसरण किया जायेगा।

2.1.8.6 संरक्षित क्षेत्रों से वनोपज को हटाना

अधिनियम की धारा 29 एवं 35 (6) में प्रावधानित है कि कोई भी व्यक्ति राज्य शासन के प्राधिकृत करने के पश्चात सी.डब्लू.एल.डब्लू. द्वारा दिये गये अनुज्ञापत्र के बिना राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों से वन्यजीव, इनके परिवेश एवं वनोत्पाद को नष्ट, विदोहन, हटाना अथवा उसका व्यपवर्तन नहीं करेगा।

अवैध कटाई की जब्त वनोपज का सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना काष्ठागार में परिवहन किया गया था।

हमने चार वन्य प्राणी अभ्यारण्यों एवं तीन टी.आर. में देखा कि 2009 से 2013 की अवधि में 33,296 वृक्षों की अवैध कटाई के 5,085 प्रकरण पंजीबद्ध किए गये थे। जब्त वनोपज²⁵ को डिपो में परिवहित किया गया था (परिशिष्ट 2.4)। बड़ी संख्या में अवैध कटाई तथा सी.डब्लू.एल.डब्लू./ राज्य शासन की अनुमति के बिना इसको हटाए जाने से संरक्षित क्षेत्रों का पर्यावरण प्रभावित हुआ। इस प्रकार की अनुमति की अनुपस्थिति में, वन्य प्राणियों के प्राकृतिक परिवेश के सुधार एवं प्रगति हेतु, वनोपज को हटाये जाने की आवश्यकता स्थापित नहीं हुई थी।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि अवैध कटाई के प्रकरणों में साक्ष्य के उद्देश्य से इनको डिपो में परिवहित किया गया था। आगे, यह भी बताया गया कि सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक थी एवं प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा की जाएगी।

2.1.8.7 राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों में संरक्षण कार्यों का कार्यान्वयन

एम.ओ.ई.एफ. द्वारा जारी दिशा निर्देशों (अप्रैल 2010) में संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में गतिविधियों की वार्षिक योजना²⁶ (ए.पी.ओ.) के माध्यम से केन्द्र प्रवर्तित योजना, 'वन्य प्राणियों के परिवेश का समन्वित विकास' (आई.डी.डब्लू.एच.) के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु राज्य शासन उन समस्त आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय जो कि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, के लिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को वहन करेगा।

हमने अवलोकित किया कि 2010-14 की अवधि में आई.डी.डब्लू.एच. के अन्तर्गत वनविहार राष्ट्रीय उद्यान एवं पाँच अभ्यारण्यों हेतु ₹ 105.93 करोड़ प्रस्तावित किए गये थे। इसके विरुद्ध भारत सरकार ने ₹ 13.25 करोड़ स्वीकृत किए तथा ₹ 12.03 करोड़ जारी किए। विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त निधि इस हेतु उपलब्ध नहीं कराई गई एवं ₹ 4.59 करोड़ की केन्द्रीय निधि अव्ययित रही (परिशिष्ट 2.5)। हमने देखा कि शासन

²⁵ 19,607 बल्ली, 1,519.649 घ.मी. लट्टा, 1,634 नग एवं 1.227 नोशनल टन बांस इत्यादि

²⁶ ए.पी.ओ. लम्बी अवधि की प्रबंधन आयोजना से बनाया जाता है।

ने महत्वपूर्ण क्रियाकलापों जैसे कि ग्रामों के पुर्नवास, जलसंरचनाओं का निर्माण, चेन-लिक फेसिंग, सर्वेक्षण एवं निगरानी उपकरणों की प्राप्ति हेतु राशि प्रदान नहीं की, जो कि सी.डब्लू.एल.डब्लू. द्वारा योजना के अंतर्गत प्रस्तावित थे। राज्य शासन द्वारा राशि मुक्त न किए जाने के साथ-साथ वनमंडलों द्वारा निधि का कम उपयोग किए जाने से संरक्षण क्रियाकलाप प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि राज्य के संसाधन संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं में उपयोग किए जा रहे थे एवं निधियों की स्थिति में सुधार हो रहा था। प्रबंधन आयोजना में दिए गये कार्य, अन्य स्रोतों जैसे राज्य आयोजना, योजना आयोग एवं विकास निधि इत्यादि से भी कार्यान्वित किए जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वार्षिक योजना में सी.डब्लू.एल.डब्लू. द्वारा प्रस्तावित ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप नहीं किए गये थे।

2.1.9 संरक्षण

संरक्षण में वन्य प्राणियों एवं उनके परिवेश का बचाव तथा सुरक्षा उपाय सम्मिलित हैं। सुरक्षा के लिए मुख्य क्रियाकलाप, वन्य प्राणियों की बिजली से मृत्यु से सुरक्षा, गश्ती शिविरों/ चौकियों, वायरलेस तंत्र की स्थापना एवं रखरखाव, गश्त करना, हथियार एवं गोला बारुद की प्राप्ति, क्षेत्र सामग्री, रात्रि में देखने वाले उपकरण एवं वाहन हैं। नमूना जाँच किए गये संरक्षित क्षेत्रों (पी.ए.) में वन्य प्राणियों उनके परिवेश की सुरक्षा एवं सुरक्षा के उपायों में पाई गई कमियों की अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.1.9.1 विद्युत तारों का संरक्षित क्षेत्रों से गुजरना

एन.टी.सी.ए. के पुनरीक्षित दिशा निर्देशों (फरवरी 2008) की कंडिका 4.11 के अनुसार, टी.आर. से गुजरने वाले उच्च दाब विद्युत तार, शिकारियों द्वारा जंगली जानवरों को बिजली से मारने का कारण हैं। दिशा निर्देश वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखने के लिए पूर्व उपायों²⁷ को सम्मिलित करते हुए विभिन्न उपाय प्रावधानित करते हैं। हमने देखा (दिसंबर 2013 से जून 2014 तक) कि कुल 501.30 कि.मी. की लम्बाई में उच्चदाब वाले विद्युत तार कान्हा बफर क्षेत्र सहित चार टी.आर. से गुजर रहे थे। 2009-10 से 2013-14 के दौरान, बांधवगढ़, पेंच तथा कान्हा टी.आर. से गुजरने वाले 366.20 कि.मी. विद्युत तारों में से मात्र 158.60 कि.मी. के विद्युतरोधण की योजना बनाई गई थी।

आगे, कान्हा एवं सतपुड़ा टी.आर. से गुजरने वाले 135.10 कि.मी. विद्युत तारों के रोधण की योजना नहीं बनाई गई। पेंच टी.आर. एवं कान्हा बफर क्षेत्र द्वारा मात्र 18.80 कि.मी. विद्युत तारों के रोधण के कार्य ₹ 1.29 करोड़ की लागत से विभिन्न संस्थाओं को सौंपे गये (मार्च 2013 एवं मार्च 2014) (परिशिष्ट 2.6)। कार्य की प्रगति एवं इसकी पूर्णता के परीक्षण के संबंध में वनमंडलों में कोई अभिलेख नहीं थे। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा शेष 482.50 कि.मी. विद्युत तारों के रोधण या भूमिगत करने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी, यद्यपि यह एन.टी.सी.ए. के दिशा निर्देशों में उपबंधित था। इस प्रकार वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु उपाय अपर्याप्त थे।

संरक्षित क्षेत्रों से गुजरने वाली 501.30 कि.मी. विद्युत तारों में से मात्र 18.80 कि.मी. के रोधण के कार्य सौंपे गये जो अब तक पूर्ण होने शेष थे।

²⁷ मशीन में एक नया पुर्जा लगाना। यहाँ वर्तमान में दो उपाय -विद्युत तारों का रोधण एवं भूमिकरण अपनाए जा रहे हैं।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि निधियों की कमी के कारण विद्युत तारों के रोधण/ भूमिगत करने के कार्य कार्यान्वित नहीं किए जा सके।

शासन को विद्युत तारों के रोधण/ भूमिगत करने के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना चाहिए।

2.1.9.2 पशुचिकित्सकीय अधोसंरचना

सहायक कर्मचारियों सहित सुसज्जित पशुचिकित्सा प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की गई थी।

एम.ओ.ई.एफ. के दिशा निर्देश (अप्रैल 2010), जंगली जानवरों के स्वास्थ्य की देख-रेख एवं इसके द्वारा बीमारियों के नियंत्रण के लिए पशुचिकित्सा सुविधाओं को उन्नत करने की अनुशंसा करते हैं।

हमने समस्त चयनित वनमंडलों में देखा (दिसंबर 2013 से जुलाई 2014) कि पाँच सहायक पशु शल्यचिकित्सक, चार टी.आर. में एवं एक राष्ट्रीय उद्यान में पदस्थ थे, परन्तु चयनित संरक्षित क्षेत्रों में सुसज्जित प्रयोगशाला के साथ न तो पशुचिकित्सा दवाखाना था न ही अस्पताल था। पशुचिकित्सा सहायक कर्मचारियों²⁸ के पद केवल कान्हा टी.आर. में स्वीकृत थे, परन्तु पद खाली पड़े थे। इस प्रकार सुसज्जित पशुचिकित्सा की क्षेत्र सुविधाएं स्थापित नहीं हुई थी।

पशुचिकित्सा सुविधाएं स्थापित नहीं होने से सामान्य सर्वेक्षण एवं एपिजुशियोलाजिकल²⁹ अध्ययन प्रभावित हुए एवं इसलिए जंगली जानवरों की सुरक्षा के उपाय पर्याप्त नहीं थे। हमने देखा कि राज्य में कुल मृत 69 बाघों में से 17 बाघ बीमारी तथा चार दुर्घटना के कारण मरे थे।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि पशुचिकित्सा सहायकों का कार्य वन विभाग के अनुभवी कर्मचारियों से कराया जा रहा था। तथ्य वही रहता है कि योग्य सहायक कर्मचारी तथा चिकित्सा सुविधाएं संरक्षित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध नहीं थीं।

शासन को प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में योग्य सहायक कर्मचारियों की पदस्थापना एवं पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

2.1.9.3 निगरानी उपकरण

निगरानी उपकरण, यथा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट (पी.डी.ए.), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) एवं वायरलेस, वन्य प्राणियों का दिन-प्रतिदिन परिवीक्षण सुलभ करवाते हैं एवं इसलिए ये उनकी सुरक्षा के लिए उपयोगी हैं। इन उपकरणों के रख-रखाव में अपर्याप्तता के दृष्टांतों का नीचे वर्णन किया गया है:

(अ) पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट/ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का अनुप्रयोग

वन्य प्राणी प्रबंधन प्रणाली (डब्लू.एल.एम.एस.) एक जी.पी.एस. समर्थित पी.डी.ए. आधारित अनुप्रयोग है, जो कि भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) तकनीक का संयुक्त उपयोग है।

²⁸ कम्पाउंडर, प्रयोगशाला सहायक एवं तकनीकी सहायक, इत्यादि

²⁹ इसका संबंध परिस्थिति विज्ञान एवं महत्वपूर्ण अधिक दर वाली जानवरों को होने वाली बीमारियों के प्रकोप के कारणों से है।

मरम्मत/ प्रदाय/ उपयोग न किए जाने से पी.सी.सी.एफ. (आई.टी.) के पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट सेट निष्क्रिय पड़े थे।

नमूना जाँच वाले किसी भी वनमंडल द्वारा 425 पी.डी.ए. एवं 190 जी.पी.एस. सेट उपलब्ध होने के बाद भी एम.आई.एस. में रीडिंग/ प्रेक्षण अभिलिखित नहीं किए गये। इसलिए 2009-14 के दौरान प्रेक्षण पंजियाँ भी अद्यतन नहीं की गई थीं। हमने यह भी अवलोकित किया कि 126 पी.डी.ए. सेट, उपसंचालक कान्हा (कोर) टी.आर. द्वारा पी.सी.सी.एफ. (आई.टी.) को सुधारने के लिए भेजे गये (2010-12), जो नवंबर 2014 तक वापस प्राप्त नहीं हुए थे।

इसप्रकार, जी.आई.एस. के अनुप्रयोग में कमी के कारण वन्य प्राणियों की गतिविधियाँ नियमित रूप से पता नहीं लगाई जा सकीं, जो उनकी सुरक्षा तैयारी में कमी को इंगित करता है।

शासन ने बताया कि जी.आई.एस. की रीडिंग को एम.आई.एस. में करने तथा अवलोकन पंजियों को अद्यतन करने हेतु सभी संबंधितों को निर्देश दिये जाएंगे।

(ब) वायरलेस सेट

छह संरक्षित क्षेत्रों एवं एक बफर ज़ोन में उपलब्ध वायरलेस सेट के मात्र 60 प्रतिशत ही कार्य योग्य थे।

हमने देखा (दिसंबर 2013 से जुलाई 2014) कि चार टी.आर., वनविहार राष्ट्रीय उद्यान एवं चार वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में जुलाई 2014 तक 1,561 वायरलेस सेट क्षेत्रीय कर्मचारियों को प्रदाय किए गये थे। इनमें से 941 सेट (60 प्रतिशत) क्रियाशील स्थिति में थे (परिशिष्ट 2.7)। जी.आई.बी. अभ्यारण्य को वायरलेस सेट उपलब्ध नहीं कराए गये थे।

इस प्रकार, पर्याप्त संख्या में क्रियाशील वायरलेस सेट की अनुपलब्धता के कारण वन्य प्राणियों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उपाय प्रभावित हुए।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि वायरलेस सेट के उपयोग हेतु भारत सरकार को अनुज्ञप्ति शुल्क जमा नहीं करने के कारण विद्यमान सुविधा में वृद्धि अथवा अयोग्य सेट को बदलने हेतु नए वायरलेस सेट प्राप्त नहीं किए जा सके। तथ्य वही है कि क्षेत्र के कर्मचारियों को वायरलेस सेट उपलब्ध नहीं कराए जा सके।

वन्य प्राणियों की प्रभावी सुरक्षा के लिए निगरानी उपकरण उपलब्ध कराने तथा उनका अनुप्रयोग शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.1.9.4 टाईगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा सुरक्षा एवं परीक्षण

बाघ एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय वन्य प्राणी अपराध नियंत्रण कक्ष अस्तित्व में था, दिसंबर 2008 में उसका नाम परिवर्तित कर टाईगर स्ट्राइक फोर्स (टी.एस.एफ.) किया गया। पाँच क्षेत्रीय इकाईयाँ इन्दौर, इटारसी, जबलपुर, सागर एवं सतना भी बनाई गई, प्रत्येक इकाई, विद्यमान सी.सी.एफ./ सी.एफ./ ए.सी.एफ., वनक्षेत्रपाल, वनरक्षक इत्यादि से मिल कर बनी थी। गुप्तचर नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त टी.एस.एफ. को वन मंडलों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी के आधार पर वन्य प्राणी अपराध, पकड़े गये अपराधियों इत्यादि से संबंधित डाटाबेस को एकत्र करना, संधारित करना एवं विश्लेषण करना आवश्यक था।

(अ) हमने देखा कि नमूना जाँच किए गये वनमंडलों द्वारा डाटाबेस में आवश्यक विवरण अंकित नहीं किए जा रहे थे। इस प्रकार, डाटाबेस अपर्याप्त था एवं इसके

कारण प्रभावी परिवीक्षण के लिए पूर्णतया उपयोगी नहीं था। डाटाबेस के अनुपयुक्त संधारण के कारण विभाग द्वारा वन्य प्राणियों के अपराध से संबंधित विभिन्न प्रारूपों में तैयार किया गया डाटा बेमेल था, जैसा नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: वन्य प्राणी अपराधों का विवरण

वर्ष	वन्य प्राणी अपराध प्रबंधन के अनुसार	ए.पी.सी.सी.एफ./ संरक्षण के अनुसार	एफ.ओ.एम.एस. के अनुसार
2008	240	628	628
2009	295	740	768
2010	322	652	752
2011	303	657	698
2012	264	612	720
2013	249	668	810

(स्रोत: वन विभाग द्वारा प्रदाय की गई जानकारी)

वन मंडल स्तर पर इन आंकड़ों का वास्तविक आंकड़ों से मिलान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।

(ब) राज्य शासन की स्थाई वित्त समिति ने टी.एस.एफ. के सुदृढीकरण हेतु गश्ती कैम्पों में वितरण करने के लिए 438 वायरलेस सेट तथा 74 रिवाल्वर क्रय करने हेतु ₹ 74.73 लाख स्वीकृत किए (जुलाई 2008)। हांलाकि, इस उद्देश्य हेतु आवश्यक अनुज्ञप्ति उपलब्ध न होने के कारण कोई भी वायरलेस सेट क्रय नहीं किया जा सका एवं केवल 26 रिवाल्वर प्राप्त किए गये थे। इस प्रकार, चार वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सी.डब्लू.एल.डब्लू. आवश्यक वायरलेस सेट तथा रिवाल्वर प्राप्त नहीं कर सका।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि निधि की कमी के कारण आवश्यक संख्या में रिवाल्वर प्राप्त नहीं किए जा सके। आगे, शासन ने डाटा के अद्यतन करने में त्रुटि के तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि नियमित अद्यतन करने हेतु अनुदेश जारी करने के साथ-साथ प्रणाली की समीक्षा की जायेगी।

टाईगर स्ट्राइक फोर्स को आवश्यक उपकरण प्रदाय किए जाने चाहिए एवं ऑनलाईन परिवीक्षण प्रणाली को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए।

2.1.9.5 बीट निरीक्षण

बीट निरीक्षण, जैसा कि निर्धारित था नहीं किए गये थे।

ए.पी.सी.सी.एफ. (संरक्षण) द्वारा जारी निर्देशों (जून 2004 एवं जनवरी 2009) के अनुसार वन अपराधों के नियंत्रण के लिए वन अधिकारियों³⁰ को मासिक बीट निरीक्षण³¹ करना आवश्यक है।

हमने अवलोकित किया (दिसंबर 2013 से जून 2014) कि बांधवगढ़ टी.आर. में बीट निरीक्षण के लिए रोस्टर तैयार नहीं किया गया था एवं बीट निरीक्षण बिल्कुल ही नहीं किया गया था। चार वन्य प्राणी अभ्यारण्यों (जी.आई.बी., खिवनी, रातापानी एवं सिंघौरी) एवं दो टी.आर. (कान्हा बफर एवं सतपुड़ा) में एक वर्ष में 118 निरीक्षणों की

³⁰ परिक्षेत्र सहायक, परिक्षेत्र अधिकारी, एस.डी.ओ., डी.एफ.ओ./ उप संचालक (डी.डी.)

³¹ रोस्टर में निर्धारित अनुसार डी.एफ.ओ., आर.ओ. एवं परिक्षेत्र सहायक प्रत्येक के द्वारा दो तथा एस.डी.ओ. द्वारा तीन निरीक्षण।

संख्या तक की महत्वपूर्ण कमी थी (परिशिष्ट 2.8)। इस प्रकार बीट निरीक्षण के द्वारा वन अपराधों को नियंत्रित करने का उद्देश्य क्षीण हुआ।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि संरक्षित क्षेत्रों में बीट निरीक्षण प्रणाली एवं इसकी प्रासंगिकता की समीक्षा की जाएगी एवं आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

2.1.9.6 सुरक्षा कार्यों का कार्यान्वयन न होना

सुरक्षा कार्यों, यथा
चेन-लिक फेंसिंग,
श्रमिक आवास भवन,
बचाव दल हेतु सामग्री
इत्यादि कार्यान्वित
नहीं किए गये थे।

चेन-लिक फेंसिंग का उपयोग फसल सुरक्षा के लिए किया जाता है एवं पिंजरो का उपयोग समस्याकारक जानवरों को रोकने, मानव-जानवर टकराव को टालने, संरक्षण एवं घास के मैदानों की सुरक्षा इत्यादि के लिए किया जाता है।

हमने बांधवगढ़ टी.आर. में देखा (मई 2014) कि ₹ 1.04 करोड़ की लागत से ग्रामों की सीमा क्षेत्र में 13.6 कि.मी. चेन-लिक फेंसिंग की योजना बनाई गई थी (मई 2011)। चेन-लिक को ₹ 51.89 लाख की लागत से प्राप्त किया गया था (फरवरी एवं मार्च 2013) किन्तु फेंसिंग कार्य प्रारम्भ नहीं किए जा सके (मई 2014)।

हमने बांधवगढ़, पेंच टी.आर. एवं वनविहार राष्ट्रीय उद्यान में भी अवलोकित किया कि बचाव दल के विकास हेतु सामग्री क्रय, चेन-लिक फेंसिंग, मजदूरों के आवासीय भवन इत्यादि के कार्य विकास निधि से ₹ 3.49 करोड़ के लिए स्वीकृत किए गये (मई 2009 से अक्टूबर 2012)। ये कार्य स्वीकृति के दिनांक से 17 से 53 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रारम्भ नहीं किए गये थे (परिशिष्ट 2.9)। इस प्रकार की कमियों के कारण सुरक्षा प्रणाली मजबूत नहीं की जा सकी।

शासन द्वारा निर्गम सम्मेलन में बताया गया कि प्रकरणों की जांच पड़ताल की जाएगी तथा कार्य शीघ्र प्रारम्भ किए जाएंगे।

2.1.9.7 वन्य प्राणी अपराध के न्यायालयीन प्रकरण

सी.डब्लू.एल.डब्लू. ने वनमंडलाधिकारियों को अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने लिए संबंधित अधिकारियों को साक्ष्य एवं प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश जारी किए थे (1986)।

हमने चयनित 10 में से आठ वनमंडलों में देखा (दिसंबर 2013 से जुलाई 2014) कि वन्य प्राणियों से संबंधित 438 अपराध के प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। इन प्रकरणों में लंबित रहने की अवधि 5 से 25 वर्ष के मध्य थी। 2009-2014 की अवधि के दौरान न्यायालयों द्वारा 126 निर्णीत प्रकरणों में से 97 प्रकरण विभाग के विरुद्ध थे (परिशिष्ट 2.10)।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि विधि विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा था, कर्मचारियों को प्रकरणों को तैयार करने, साक्ष्य एकत्रीकरण तथा न्यायालय में अनुसरण और क्षमता का विकास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

2.1.10 ईको विकास

भारत सरकार, एम.ओ.ई.एफ. द्वारा जारी किए गये दिशा निर्देशों (अप्रैल 2010) में उल्लिखित था कि लोगों को सम्मिलित करते हुए संरक्षण प्रणाली का उद्देश्य जैविक संसाधनों पर नकारात्मक निर्भरता को कम करना एवं स्थानीय जीविका में वृद्धि करना है। सुरक्षित पीने के पानी का प्रदाय, उर्जा बचत के उपाय, यथा विद्युत अथवा सौर

उर्जा के स्ट्रीट लाईट स्थापित करना, उन्नत चूल्हों का प्रदाय, एल.पी.जी., सोलर कुकर, गोबर गैस संयंत्र, इत्यादि, इसके अतिरिक्त आधार देने वाले वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रचलनों को, यथा स्थानीय दशा में पर्यावरण के अनुकूल कृषि को प्रोत्साहन देना, क्रियाकलापों में सम्मिलित होंगे।

2.1.10.1 ईको विकास समितियों की सहभागिता

मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के संकल्प (अक्टूबर 2001) की कंडिका 4 के अनुसार वनों के प्रबंधन में जन सहभागिता प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में एवं आस-पास स्थित ग्रामों में ईको विकास समितियों, जिनके प्रमुख, निर्वाचित अध्यक्ष थे, का गठन किया जाना था। चयनित 10 में 5 वनमंडलों में ईको विकास समितियों के कार्यों में पाई गई कमियों की चर्चा निम्नलिखित कंडिकाओं में की गई है:

- ईको विकास समितियों द्वारा वनमंडलों की सहायता से सूक्ष्म प्रबंधन योजना (एम.एम.पी.) तैयार किया जाना था। हमने दो वनमंडलों (जी.आई.बी., ग्वालियर एवं खिवनी, देवास) में देखा कि 2009-2014 की अवधि में एम.एम.पी. तैयार नहीं किया गया था, यद्यपि 26 ईको विकास समितियाँ पंजीकृत थीं। इन ईको विकास समितियों को सुरक्षा, छोटे निर्माण, सामुदायिक विकास इत्यादि से संबंधित कार्यों के लिए निधियाँ उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।
- कान्हा टी.आर. में 171 ईको विकास समितियाँ³² गठित थीं यद्यपि इन ईको विकास समितियों हेतु एम.एम.पी. तैयार नहीं किए गये थे। सुरक्षा कार्यों, यथा दैनिक गश्ती, बचाव कार्य, अग्नि सुरक्षा, वर्षाकाल में गश्ती इत्यादि कार्य कान्हा वर्कर्स सोसाइटी (के.डब्लू.एस.)³³ के माध्यम से कराए गये थे। के.डब्लू.एस. द्वारा किए गये कार्यों पर ₹ 5.13 करोड़ (दिसंबर 2011 से अप्रैल 2014) के व्यय पुष्टि योग्य नहीं थे क्योंकि ये लेखापरीक्षा क्षेत्र के बाहर था।
- हमने देखा कि राज्य स्तरीय समन्वय समिति ने विकास निधि से ₹ 1.21 करोड़ स्वीकृत किये एवं बांधवगढ़ एवं पेंच टी.आर. की 210 ईको विकास समितियों को प्रदाय³⁴ किए। ईको विकास समितियों को किसी कार्य विशेष के लिए अनुबंध निष्पादन किए बिना राशि उपलब्ध कराई गई थी। नवंबर 2014 तक निधियाँ ईको विकास समितियों के पास निष्क्रिय पड़ी रहीं।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि अक्टूबर 2014 से पर्यटन गतिविधियों से प्राप्तियों का एक तिहाई संबंधित संरक्षित क्षेत्र के ईको विकास समिति को प्रदाय किया जाएगा। तथापि, के.डब्लू.एस. के माध्यम से कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में कोई अभिमत नहीं दिया गया। शासन ने यह भी बताया कि निधियों के उपयोग हेतु संबंधित ईको विकास समितियों से प्रस्ताव प्राप्त करने के निर्देश जारी किए जाएंगे एवं तदनुसार निधियों का उपयोग किया जाएगा।

कार्यों को बिना सौंपे ₹ 1.21 करोड़ की निधियाँ ईको विकास समितियों को स्थानान्तरित की गई थीं।

³² कान्हा टी.आर. के अर्न्तभाग में 28 ई.डी.सी. तथा बफर क्षेत्र में 143 ईको विकास समितियाँ
³³ कान्हा टी.आर. में के.डब्लू.एस. की स्थापना सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत उस समय प्रचलित मस्टर रोल प्रणाली को बदलने के लिए अप्रैल 2001 में की गई थी।
³⁴ बांधवगढ़ ₹ 66.50 लाख (फरवरी 2009 एवं मार्च 2010) एवं पेंच टी.आर. ₹ 54.90 लाख (मार्च 2013)

संरक्षण एवं सुरक्षा गतिविधियों में ईको विकास समितियों की भागेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

2.1.10.2 संरक्षित क्षेत्रों में जैविक दबाव को कम करना

पी.सी.सी.एफ. ने वनों पर जैविक दबाव कम करने के लिए जलाऊ काष्ठ के उत्पादन की आवश्यकता पर जोर दिया एवं सू-बबूल एवं बबूल की अन्य प्रजातियां जो अच्छी कापिस देती हैं एवं तेजी से बढ़ती हैं एवं जिसके रोपण के चार वर्ष उपरान्त 20 टन प्रति हे. जलाऊ काष्ठ का उत्पादन संभावित है, के रोपण हेतु निर्देशित किया (अप्रैल 2007)। हमने निम्नानुसार अवलोकित किया:

जैविक दबाव कम करने हेतु स्थानीय निवासियों के लिए जलाऊ काष्ठ के अनुमानित 4,400 टन विरुद्ध कोई उत्पादन नहीं हुआ था।

- कूनो वन्य प्राणी एवं कान्हा बफर वनमंडलों में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के वर्षों के दौरान क्रमशः 90 हेक्टेयर (हे.) एवं 40 हे. में नीलगिरी (यूकेलिप्ट्स), सू-बबूल, बबूल की अन्य प्रजातियां इत्यादि जैसी प्रजातियां रोपित की गई थी। अनुमानित उत्पादन 4,400 टन के विरुद्ध नवंबर 2014 तक कोई भी जलाऊ काष्ठ प्राप्त नहीं की जा सकी। इस प्रकार, जलाऊ काष्ठ के उत्पादन के माध्यम से जैविक दबाव कम करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

शासन ने बताया कि पर्याप्त निधियों की कमी के कारण उर्जा वन की योजना छोड़ दी गई थी।

ग्रामीणों की वनों पर निर्भरता कम करने हेतु स्थापित निस्तार व्यवस्था वापस ले ली गई।

- कूनो अभ्यारण्य की प्रबंधन आयोजना 2010-20 में पुनर्स्थापित ग्रामवासियों द्वारा बल्ली, जलाऊ काष्ठ, बाँस, चारा एवं कटीली झाड़ियाँ अवैध रूप से निकालने से बचाव के लिए निस्तार सुविधा³⁵ पृथक से स्थापित किया जाना निर्धारित करती है। हमने देखा कि दिसंबर 2013 तक चार निस्तार डिपो संचालित थे, इसके उपरान्त इन्हें बंद कर दिया गया। इस प्रकार, निस्तार डिपो को खोलने के माध्यम से वनोपज की अवैध निकासी में कम करने का उद्देश्य अपूर्ण रहा।

2.1.11 निष्कर्ष

- वन्यप्राणियों के संरक्षण की योजना अपर्याप्त थी क्योंकि सीहोर में रातापानी टी.आर., खण्डवा में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं दो अभ्यारण्य शासन द्वारा अधिसूचित नहीं किए गये थे। इसके अतिरिक्त वन्य प्राणी कॉरीडोर संरक्षित आरक्षिती के रूप में घोषित नहीं किए गये थे।
- संरक्षित क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों एवं आवासीय अधोसंरचनाओं की उपस्थिति ने वन्य प्राणियों एवं इनके परिवेश के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था।
- बारहसिंगा का प्रस्तावित पुनर्स्थापन नहीं किया गया था एवं काले हिरणों के पुनर्स्थापन में अक्षमता के कारण अधिक मृत्यु हुई।
- वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए पशुचिकित्सा अधोसंरचना स्थापित नहीं की गई थी एवं टाईगर रिज़र्व से गुजरने वाली विद्युत तारों का रोधण/ भूमिगत करने के कार्य नहीं किए गये थे जिससे वन्य प्राणियों की सुरक्षा प्रभावित हुई।

³⁵ यह एक विक्रय डिपो है, जो जलाऊ काष्ठ, बाँस, बल्ली आस-पास के रहवासियों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है।

जल संसाधन विभाग

2.2 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलन

कार्यपालन सारांश

जल संसाधन विभाग, राज्य में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, रूपांकन, सर्वेक्षण, निर्माण और संधारण के लिए उत्तरदायी है। परियोजना प्रारम्भ करने के पहले प्राक्कलनों का निरूपण पूर्व-अपेक्षित है एवं आयोजना का एक आधारभूत घटक है। परियोजना को स्वीकृत लागत के भीतर एवं समय पर पूर्ण करने के साथ साथ संसाधनों की आयोजना एवं प्रबंधन के लिए सिंचाई परियोजनाओं के परिशुद्ध और यथार्थ प्राक्कलनों को तैयार करना आवश्यक है। प्राक्कलन, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं मितव्ययिता के साथ साथ ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों के औचित्य का आंकलन सुनिश्चित करने का आधार भी प्रदान करते हैं।

31 मार्च 2014 की स्थिति में, 31 मध्यम परियोजनायें विभिन्न चरणों में प्रगतिरत थीं जिन पर भूमि की लागत सहित ₹ 3,250.44 करोड़ व्यय किए गए।

निष्पादन लेखापरीक्षा से चयनित मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के प्राक्कलनों को तैयार करने में कमियाँ प्रकट हुईं, जैसा नीचे उल्लिखित है:

नमूना जाँच की गई सभी परियोजनाओं में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुपयुक्त या बिना सर्वेक्षण और अनुसंधान के तैयार किए गये थे। अनिवार्य विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान किया जाना सुनिश्चित किए बिना इन अपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर शासन द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया था एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृतियाँ दी गई थीं।

(कंडिका 2.2.1)

अभिलिखित किए गये लेवल की लेवल-बुक, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं सामग्री सर्वेक्षण के प्रतिवेदनों, जो प्राक्कलनों को तैयार करने का आधार हैं, संभागों में उपलब्ध नहीं थे। कार्यान्वयन के दौरान कार्य के परिमाण में उल्लेखनीय वृद्धि (19.54 प्रतिशत से 486.54 प्रतिशत) उपयुक्त सर्वेक्षण और अनुसंधान किए जाने पर संदेह उत्पन्न करती है।

(कंडिका 2.2.6.1)

निविदा आमंत्रित करने और कार्य सौंपने से पहले, या तो तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी या अनुपयुक्त/ अपर्याप्त सर्वेक्षण के आधार पर जारी की गई थी। परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान रूपांकनों, स्थान, कार्यों की मदों की मात्रा इत्यादि में पश्चातवर्ती परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 52.36 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिका 2.2.6.2)

कड़ी चट्टान एवं मिट्टी के लिए लीड तथा चिपकने न फूलने वाली मिट्टी (सी.एन.एस.) के लिए अतिरिक्त लीड के त्रुटिपूर्ण प्रावधान के फलस्वरूप सात परियोजनाओं के प्राक्कलनों में वृद्धि हुई।

(कंडिकाएं 2.2.7.1 एवं 2.2.7.2)

प्राक्कलनों की तैयारी करते समय चिपकने न फूलने वाली मिट्टी का सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य में इसकी आवश्यकता का पता लगाने के लिए अनिवार्य परीक्षण के बिना प्रावधान किया गया था। अनावश्यक या अस्वीकार्य मात्राएँ और मर्दें शामिल की गई थीं और सिंचाई विशिष्टियों एवं एकीकृत दरों की अनुसूची के प्रावधानों के उल्लंघन में फिल्टर में स्थानीय रूप से उपलब्ध गिट्टी को उपयोग में लाने पर विचार नहीं किया गया था।

(कंडिकाएं 2.2.7.3, 2.2.7.5 एवं 2.2.7.6)

विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करने में कमियों के कारण 12 परियोजनाओं की कुल प्राक्कलित लागत (₹ 681.90 करोड़) में ₹ 21.29 करोड़ की वृद्धि हुई।

(कंडिकाएं 2.2.7.1 से 2.2.7.7)

2.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश में मार्च 2014 तक जल संसाधन विभाग द्वारा, वृहद, मध्यम और लघु परियोजनाओं के माध्यम से सृजित की गई कुल सिंचाई क्षमता 31.89 लाख हेक्टेयर (हे) थी। 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षेत्र की सिंचाई परियोजना वृहद परियोजना, 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर की मध्यम परियोजना और 2,000 हेक्टेयर से कम लघु परियोजना के रूप में वर्गीकृत हैं। मध्य प्रदेश में 13 वृहद परियोजनाएँ पूर्ण एवं 09 प्रगतिरत, 110 मध्यम परियोजनाएँ पूर्ण एवं 31 प्रगतिरत तथा 4,658 लघु परियोजनाएँ पूर्ण एवं 734 प्रगतिरत हैं। जल संसाधन विभाग, राज्य में इन परियोजनाओं की आयोजना, रूपांकन, सर्वेक्षण, निर्माण और संधारण के लिए उत्तरदायी है।


एक सिंचाई परियोजना आरंभ करने के लिए प्राक्कलनों का निरूपण एक पूर्व-अपेक्षा एवं योजना का मूल घटक है। यह कार्यान्वयन के दौरान कार्य की मात्राओं एवं मर्दों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को टालने के लिए आवश्यक है ताकि परियोजना की लागत में वृद्धि और ठेकेदारों के साथ विवाद को रोका जा सके।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली की कण्डिका 2.026 उपबंधित करती है कि परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान, शासन से प्रशासकीय अनुमोदन (ए.ए.) एवं सक्षम प्राधिकारी से सर्वेक्षण कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति (टी.एस.) की प्राप्ति के बाद प्रारंभ किया जाएगा। सर्वेक्षण और अनुसंधान के पूरा होने पर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) तैयार किया जाएगा और शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। तब शासन द्वारा परियोजना का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.006 के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति (प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति के रूप में जानी जाती है) हेतु एक यथोचित रूप से विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाना चाहिए। कार्य आरंभ करने से पहले यह स्वीकृति आवश्यक रूप से प्राप्त की जानी चाहिए। विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के बाद विभिन्न मद की आंकलित की गई प्राक्कलित मात्राओं एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जारी की गई एकीकृत दरों की अनुसूची में दी गई दरों

के आधार पर संबंधित प्राधिकारियों³⁶ द्वारा प्रकाशित सिंचाई विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं।

एक मध्यम सिंचाई परियोजना की तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन की तैयारी के विभिन्न चरणों के चित्रण का एक फ्लो चार्ट नीचे दर्शाया गया है:



मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.080 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं में कार्य की अनुमानित लागत के विरुद्ध निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्य को सौंपने के लिए निविदा दरों की उपयुक्तता, समान प्रकृति के कार्यों हेतु अंचल या कछार में प्रचलित दरों को ध्यान में रखकर अनुमानित लागत से अधिक या कम प्रतिशत के आधार पर आंकलित की जाती है। कार्य में अतिरिक्त मदों एवं मात्राओं के समावेश द्वारा कार्य की बढ़ी हुई प्राक्कलित लागत, दरें उच्चतर होने के बाद भी ऊपरी तौर पर निविदा दरों को युक्तिसंगत बनाती है।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के परिशिष्ट 2.13, 2.18 एवं 2.14 तीन प्रकार के मानक निविदा प्रपत्र निर्धारित करते हैं। प्रतिशत दर निविदा में प्राक्कलित दरों पर निविदाकार द्वारा उद्धृत निविदा प्रीमियम या निविदा छूट के प्रतिशत के आधार पर भुगतान किया जाता है। इस प्रकार, प्राक्कलनों में अस्वीकार्य लीड, मदें एवं मात्राओं को सम्मिलित किए जाने के कारण कार्य की विभिन्न मदों की प्राक्कलित दरों में कोई भी वृद्धि ठेकेदारों को अधिक भुगतान में परिणामित होती है। एकमुश्त निविदा में प्राक्कलित लागत के विरुद्ध निविदाकार द्वारा उद्धृत एकमुश्त लागत पर भुगतान किए जाते हैं। इसलिए प्राक्कलनों में सम्मिलित किन्तु कार्यान्वित न की गई अवांछनीय मदों/ मात्राओं के परिणामस्वरूप ठेकेदार को वित्तीय लाभ होता है। मद दर निविदा में, कार्य की प्रत्येक मद हेतु प्राक्कलित मात्राओं से 10 प्रतिशत अधिक तक निविदाकार द्वारा उद्धृत दर से भुगतान किया जाता है। तथापि, किसी मद की प्राक्कलित मात्राओं के 10 प्रतिशत से अधिक कार्यान्वित की गई मात्राओं का निविदा आमंत्रण के दिनांक पर मद की प्राक्कलित लागत पर स्वीकृत निविदा के ऊपर अथवा नीचे प्रतिशत को जोड़कर अथवा घटाते हुए, जैसा भी मामला हो, प्राक्कलित लागत पर संपूर्ण कार्य लागत के लिए भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार, मात्राओं का त्रुटिपूर्ण आंकलन, कार्य के परिमाण में अनुवर्ती वृद्धि एवं इसके लिए बढ़ी हुई प्राक्कलित दरों पर भुगतान में परिणामित होता है।

³⁶ प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग

31 मार्च 2014 की स्थिति में, ₹ 5,084.19 करोड़³⁷ की स्वीकृत लागत पर अनुमोदित 2,79,810 हेक्टेयर की रूपांकित सिंचाई क्षमता के लिए 31 मध्यम परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति पर था। इनमें से 16 परियोजनायें अप्रैल 2009 से पूर्व आरंभ की गई थीं। विभाग ने इन 31 प्रगतिरत परियोजनाओं पर 31 मार्च 2014 तक ₹ 3,250.44 करोड़ का व्यय किया था। वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि में ₹ 2,850.90 करोड़ के बजट आवंटन के विरुद्ध भूमि की लागत सहित व्यय ₹ 2,763.34 करोड़ था।

2.2.2 संगठनात्मक संरचना

शासन के स्तर पर प्रमुख सचिव एवं विभागीय स्तर पर प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के प्रमुख हैं। विभाग, 8 कक्ष प्रत्येक के प्रमुख मुख्य अभियंता, 36 मंडल प्रत्येक के प्रमुख अधीक्षण यंत्री एवं 129 संभाग प्रत्येक के प्रमुख कार्यपालन यंत्री में विभाजित है। उप-संभागीय स्तर पर उप-संभागीय अधिकारियों तथा अनुभाग स्तर पर उप-यंत्रियों द्वारा कार्यपालन यंत्रियों को सहायता प्रदान की जाती है।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 7.003 के अनुसार उप-यंत्रियों को सौंपे गये सर्वेक्षणों के लिए, सर्वेक्षण और लेवल की शुद्धता के लिए वे पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। उप-यंत्री के कार्य की निर्दिष्ट प्रतिशत तक जाँच हेतु अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं उप-संभागीय अधिकारी उत्तरदायी हैं।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.006 के अंतर्गत परिशिष्ट 2.31 में मध्यम परियोजनाओं की परिभाषा के अनुसार शीर्ष कार्य³⁸ के प्राक्कलनों और रूपांकनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु मुख्य अभियंता को पूर्ण शक्तियाँ हैं। नहर कार्य के रूपांकनों और प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति के लिए नहर की प्रवाह क्षमता पर निर्भर करते हुए कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री एवं मुख्य अभियंता को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.028 में व्याख्या के अनुसार, प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति देने वाला अधिकारी आरेखनों के संदर्भ में सभी मदों को सम्मिलित करने के लिए एवं रूपांकनों की सुदृढ़ता के लिए उत्तरदायी है।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि:

- प्राक्कलनों को तैयार करने से पूर्व-अपेक्षित गतिविधियाँ पर्याप्त रूप से प्रारंभ की गई थीं एवं
- परिशुद्ध प्राक्कलनों को तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था।

2.2.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष, निम्न स्रोतों से प्राप्त मापदंडों के आधार पर लिए गये थे:

³⁷ भूमि एवं पुनर्वास की लागत सहित

³⁸ शीर्ष कार्य में मुख्य बांध, स्पिल वे एवं व्यपवर्तन कार्य सम्मिलित हैं।

- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली;
- केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.), जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गये दिशा निर्देश;
- जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं हेतु जारी विशिष्टियां (सिंचाई विशिष्टियां) एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गये तकनीकी परिपत्र तथा
- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा जारी एकीकृत दर अनुसूची।

2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

इकतीस मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 12 से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (नवंबर 2013 से जून 2014) के माध्यम से लेखापरीक्षा की गई थी। पांच कछारों, छह मण्डलों एवं नौ संभागों को आच्छादित करते हुए मध्यम परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले संभागों का मौद्रिक इकाई नमूना चयन पद्धति³⁹ से चयन किया गया था। इन 12 परियोजनाओं के शीर्ष कार्य एवं नहर कार्यों के लिए 25 प्राक्कलनों में से हमने भूमि की लागत को छोड़कर ₹ 681.90 करोड़ की सकल लागत के 23 प्राक्कलनों का परीक्षण किया था। चयनित परियोजनाओं, क्रियान्वयन करने वाले संभागों के नाम, अनुमोदित लागत तथा मार्च 2014 तक परियोजनाओं की भौतिक प्रगति एवं व्यय को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.4: चयनित परियोजनाओं की मार्च 2014 तक की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	संभाग	प्रशासकीय अनुमोदन	प्रशा.अनु./ पुन.प्रशा.अनु. का माह एवं वर्ष	व्यय	भौतिक पूर्णता प्रतिशत में	
						बांध	नहर
1	बघरूँ	विदिशा	64.17	अप्रैल 2013 ⁵	68.29	95	70
2	बिलगांव	डिंडोरी	182.22	दिसंबर 2011 ⁵	103.55	40	15
3	घोघरा	सिहोर	97.84	दिसंबर 2010	103.30	70	50
4	कछाल	शाजापुर	91.39	जून 2013 ⁵	81.22	100	30
5	कीटखेड़ी	शाजापुर	66.47	मार्च 2012	52.71	90	17
6	कुशलपुरा	राजगढ़	81.88	दिसंबर 2010 ⁵	84.60	100	93
7	मझगई	पन्ना	358.99	नवम्बर 2012	42.63 ⁴⁰	0	0
8	रेहटी	गंजबसौदा	53.41	मई 2013 ⁵	50.68	100	90
9	सगड़	गंजबसौदा	296.64	मई 2013 ⁵	248.80	100	80
10	संजय सागर बाह	गंजबसौदा	291.95	मई 2013 ⁵	253.41	98	75
11	सेमरी	रायसेन	110.90	मार्च 2012 ⁵	69.23	55	0
12	अपर काकेटो	श्योपुर	183.06	जनवरी 2008	204.23	98	0
	योग		1,878.92		1,362.65		

⁵पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन का माह एवं वर्ष

(स्रोत: प्रमुख अभियंता कार्यालय जल संसाधन विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

³⁹ मौद्रिक इकाई नमूना पद्धति, मौद्रिक राशियों पर आधारित निष्कर्ष देती है।

⁴⁰ ₹ 40.45 करोड़ भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पन्ना को भुगतान किए गये थे एवं शेष राशि कार्यों पर भुगतान की गई थी।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, मापदंड एवं लेखापरीक्षा की कार्यप्रणालियों पर प्रमुख सचिव जल संसाधन विभाग के साथ 12 फरवरी 2014 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में चर्चा की गई थी। 10 नवंबर 2014 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में विभाग के प्रमुख सचिव के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हुई और उनके विचारों को उपयुक्त रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। शासन ने लेखापरीक्षा की सभी अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

प्राक्कलनों की तैयारी के उद्देश्य से सर्वेक्षण एवं अनुसंधान से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता, अधिक लीड के प्रावधान, प्राक्कलनों में अस्वीकार्य मदों एवं मात्राओं का समावेश, कार्यान्वयन के दौरान मात्राओं में असामान्य वृद्धि इत्यादि कमियों पर अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2.6 प्राक्कलनों की तैयारी से पहले पूर्व-अपेक्षित गतिविधियाँ

2.2.6.1 विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान

केन्द्रीय जल आयोग के दिशा निर्देशों और मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार भू-वैज्ञानिक अनुसंधान, निर्माण सामग्री सर्वेक्षण और हाइड्रोलॉजिकल अनुसंधान सहित आवश्यक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान किए जाने के बाद विस्तृत प्राक्कलन बनाए जाने आवश्यक हैं और उनसे संबंधित आवश्यक अभिलेखों को संभागों द्वारा संधारित किया जाना आवश्यक है।

हमने लेखापरीक्षा में अवलोकन किया (नवंबर 2013 से जून 2014) कि विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान से संबंधित आवश्यक अभिलेख विभाग द्वारा या तो संधारित नहीं किए गये थे अथवा अनुपयुक्त रूप से संधारित किए गये थे जिससे सर्वेक्षण और अनुसंधान किए जाने एवं प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए आधार पर संदेह होता है जैसा कि अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है:

(अ) लेवल-बुक का संधारण न किया जाना

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 7.004 के अनुसार, विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के दौरान लेवल अंकित करने के लिए मशीन द्वारा डाले गये नंबरों के पृष्ठों वाली लेवल-बुक⁴¹ का उपयोग किया जाएगा। लेवल-बुक, प्राक्कलनों के तैयार करने का और किए गये कार्य की मात्राओं के लेखाओं का आधार हैं एवं इन्हें सावधानी पूर्वक रखा जाना चाहिए। लेवल-बुक की एक पंजी संभाग/ उप संभाग कार्यालय में संधारित की जाएगी। लेवल-बुक संभाग द्वारा उपसंभागीय अधिकारियों/ उप-यंत्रियों को जारी की जाएगी, जो आलेखन (प्लॉटिंग) करने के बाद संरक्षित रखने हेतु इन्हें संभाग को वापिस करेंगे।

⁴¹ सर्वेक्षण के दौरान भूमि के लेवल अंकित करने के प्रयोजन से लेवल-बुक संधारित की जाती है।

लेवल-बुक जारी करने और वापस करने के अभिलेख संभागों में उपलब्ध नहीं थे, जिससे सर्वेक्षण एवं अनुसंधान किए जाने पर संदेह होता है।

दस चयनित परियोजनाओं⁴² में, जैसा संभागीय अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया (नवंबर 2013 से मई 2014) लेवल अंकित करने हेतु उप-यंत्री को लेवल-बुक जारी करने एवं प्लॉटिंग के बाद इनकी वापसी के अभिलेख संभागों में उपलब्ध नहीं थे। संबंधित अभिलेख अन्य परियोजनाओं (सेमरी एवं अपर काकेटो) में संधारित थे। लेवल-बुक के अभाव में प्राक्कलनों में मात्राओं के अनुमान एवं प्राक्कलन में मिट्टी कार्य और कांक्रिट की मात्रा के निर्धारण के उद्देश्य से किए गये सर्वेक्षण की यथार्थता संदिग्ध थी। हमने दो प्राक्कलनों में लेवल-बुक का संधारण न करने एवं मिट्टी कार्य की मात्राओं में उल्लेखनीय वृद्धि के दृष्टांतों का अवलोकन किया, जैसा निम्न कण्डिकाओं में चर्चा की गई है:

- घोघरा मुख्य तालाब के एप्रोच और स्पिल चैनल की कुछ दूरियों (रीचेस) में, विघटित/ नरम चट्टान के उत्खनन के माप और कार्यान्वित मात्रायें कार्यारम्भ से पूर्व का लेवल एवं अंतिम कार्यान्वित लेवल माप-पुस्तकों⁴³ में अंकित किए बिना संगणित की गई थीं यद्यपि मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 7.012 के अनुसार यह आवश्यक था।

चूंकि, लेवल-बुक संधारित नहीं थीं, इस परियोजना से संबंधित प्रारंभिक लेवल भी अंकित नहीं किए गये थे। प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति चार बार पुनरीक्षित की गई थी एवं पिछली तकनीकी स्वीकृति कार्य के कार्यान्वयन के दौरान माप-पुस्तिकाओं में अंकित मापों के आधार पर मई 2012 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई थी। कार्यान्वयन के दौरान नरम चट्टान एवं विघटित चट्टान की मात्रा असाधारण रूप से 41,357.70 घन मीटर से 7,00,868.86 घन मीटर अर्थात् प्राक्कलित मात्रा से 1,594.65 प्रतिशत तक बढ़ गई थी, जैसा **परिशिष्ट 2.11** के मद क्रमांक 22 में वर्णित है।

- घोघरा पोषक तालाब कार्य में सर्वेक्षण के दौरान लेवल-बुक संधारित नहीं की गई थीं। इस प्रकार, विस्तृत प्राक्कलनों में अंकित लेवल का कोई आधार नहीं था। हमने अवलोकन किया कि कार्यान्वयन के दौरान माप-पुस्तिका में अंकित किए गये लेवल, विस्तृत प्राक्कलनों में अंकित प्रारंभिक लेवल से विस्तृत रूप से भिन्न थे। हमने अवलोकन किया कि उत्खनन, फिल्टर, कट ऑफ ट्रेच⁴⁴ (सी.ओ.टी.) एवं पिचिंग की मात्रायें 27 प्रतिशत से 104 प्रतिशत तक बढ़ गईं, परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.11** के सरल क्रमांक 27 से 30 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख अभियंता ने बताया (नवम्बर 2014) कि सभी संभागीय अधिकारियों को लेवल-बुक के संधारण हेतु अनुदेश जारी किए जायेंगे। घोघरा तालाब के संबंध में उन्होंने बताया कि कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

⁴² बघरू, बिलगांव, घोघरा, कछाल, कीटखेड़ी, कुशलपुरा, मझगई, रेहटी, सगड़, संजय सागर बाह

⁴³ उदाहरण के लिए, माप-पुस्तिका क्रमांक 2035 में आर.डी. 950 मी. से आर.डी. 1150 मी. के संबंध में कार्यारम्भ से पूर्व का लेवल एवं अंतिम निष्पादित लेवल

⁴⁴ कट ऑफ ट्रेच: बाँध की नींव के नीचे जल के रिसाव को कम करने के लिए अप्रवेश्य सामग्री का एक अवरोध।

(ब) भू-वैज्ञानिक अन्वेषण प्रतिवेदनों एवं परिणामों की अनुपलब्धता

केन्द्रीय जल आयोग के दिशा निर्देश (जुलाई 2002) एवं मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के परिशिष्ट 7.02 के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग से अनापत्ति हेतु उसे प्रस्तुत करने के लिए परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी के स्तर पर एवं विस्तृत रूपांकनों और प्राक्कलनों को तैयार करने हेतु विस्तृत अन्वेषण के स्तर पर परियोजना स्थल की मिट्टी का वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए भू-वैज्ञानिक अन्वेषण अनिवार्य है।

रूपांकनों और प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गये थे।

नौ परियोजनाओं⁴⁵ में रूपांकन और प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित, रिपोर्ट/ दस्तावेज़ लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गये थे (नवंबर 2013 से जून 2014)। दो परियोजनाओं⁴⁶ में विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करने एवं तकनीकी स्वीकृति के बाद संभागों द्वारा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) से भू-वैज्ञानिक अन्वेषण प्रतिवेदन प्राप्त किए गये थे (अप्रैल 2012 एवं अक्टूबर 2013)। विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने एवं और तकनीकी स्वीकृति से पूर्व भू-वैज्ञानिक प्रतिवेदन के अभाव में विभिन्न प्रकार की मिट्टी की मात्रायें सही ढंग से अनुमानित नहीं की जा सकीं। छह परियोजनाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की मिट्टी की मात्रायें 19.54 प्रतिशत से 486.54 प्रतिशत तक बढ़ीं, जैसा परिशिष्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

हमारे ध्यान में यह भी आया कि मिट्टी के उत्खनन (विघटित और नरम चट्टान) की मात्रायें जो कार्य में उपयोग योग्य नहीं थीं, कार्यान्वयन के दौरान प्राक्कलित मात्रा 6.83 लाख घन मीटर से 15.03 लाख घन मीटर तक बढ़ीं। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप ठेकेदार को भुगतान योग्य मिट्टी की मात्रायें बढ़ीं⁴⁷ एवं परिणामतः परियोजना की लागत⁴⁸ में वृद्धि हुई थी।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख अभियंता ने बताया कि आगे से भू-वैज्ञानिक अन्वेषण प्रतिवेदन नियमित रूप से संधारित किए जाएंगे एवं लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राक्कलन से मात्राओं में भिन्नता के संबंध में, शासन ने बताया कि कार्य की वास्तविक प्रकृति ध्यान में रखते हुए यह अपरिहार्य था और कार्य प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से सौंपे गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करने से पूर्व नींव और स्पिल चैनल के लिए अनिवार्य भू-वैज्ञानिक अन्वेषण के प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अंतर्गत आवश्यक है।

(स) निर्माण सामग्री के सर्वेक्षण के अभिलेख उपलब्ध न होना

निर्माण सामग्री सर्वेक्षण के जाँच प्रतिवेदन संभागों में उपलब्ध नहीं थे।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 6.004 एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किए गये तकनीकी परिपत्र संख्या 53 (फरवरी 2006) के अनुसार परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व सामग्री की उपयुक्तता, गुणवत्ता और मात्रा के

⁴⁵ बघरू, घोघरा, कछाल, कुशलपुरा, मझगई, रेहटी, सगड़, संजय सागर बाह एवं सेमरी

⁴⁶ बिलगांव एवं अपर काकेटो

⁴⁷ मिट्टी कार्य के लिए खनन क्षेत्र से लायी गई मिट्टी की मात्रा 1.65 लाख घ.मी. के सीमा तक बढ़ी।

⁴⁸ परिशिष्ट 2.14 के सरल क्रमांक 1, 5, 22 और 27

लिए निर्माण सामग्री का सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। उपयुक्त निर्माण सामग्री निकटतम पहुंच योग्य लीड⁴⁹ के भीतर उपलब्ध होनी चाहिए।

आठ परियोजनाओं⁵⁰ में हमने अवलोकन किया कि निर्माण सामग्री सर्वेक्षण से संबंधित अभिलेख संभागों में उपलब्ध नहीं थे जैसा संभागीय अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया। दो अन्य परियोजनाओं⁵¹ में विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने एवं तकनीकी स्वीकृति दिए जाने के बाद सर्वेक्षण के उद्देश्य को विफल करते हुए निर्माण सामग्री के सर्वेक्षण के लिए जाँच कराए गये थे (दिसम्बर 2011 और मार्च 2012)। उपयोग की जाने वाली सामग्री की उपयुक्तता और सामग्री की लीड हेतु निर्माण सामग्री का सर्वेक्षण न करना, अतिरिक्त लीड की लागत के रूप में प्राक्कलनों में वृद्धि में परिणामित होता है जैसा कि कण्डिका 2.2.7.1 में भी चर्चा की गई है।

हमने आगे देखा कि सात परियोजनाओं⁵² के संबंध में प्राक्कलनों के उद्देश्य हेतु ली गई कार्यों के विभिन्न मदों हेतु लीड, वास्तविक लीड से अधिक थीं जो अपर्याप्त निर्माण सामग्री सर्वेक्षण को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, इन परियोजनाओं के प्राक्कलन ₹ 10.10 करोड़ तक बढ़ हुए थे जैसा **परिशिष्ट 2.12** एवं कण्डिका 2.2.7.1 एवं 2.2.7.2 में दर्शाया गया है।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख अभियंता ने बताया कि निर्माण सामग्री सर्वेक्षण विभाग को खनिज खदानें आवंटित हो जाने के बाद प्रासंगिक था एवं निविदाओं में विनिर्दिष्ट खदान उल्लिखित थी। उन्होंने आगे बताया कि 2009 की दर अनुसूची पुनरीक्षण के अधीन थी एवं पुनरीक्षित दर अनुसूची में ठेकेदार को लीड (दूरी) के लिये उपलब्ध स्वतंत्रता को समाप्त करना प्रस्तावित था।

उत्तर समाधान कारक नहीं है क्योंकि निर्माण सामग्री सर्वेक्षण की आवश्यकता अब तक समाप्त नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, निर्माण सामग्री सर्वेक्षण, ठेकेदारों द्वारा उद्धृत दरों की उपयुक्तता का आंकलन करने के लिए एक यथार्थ प्राक्कलन को तैयार करना सुगम बनाता है।

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि लेवल-बुक के अभिलेख एवं भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और निर्माण सामग्री सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिवेदन, प्राक्कलनों को तैयार के लिए सर्वेक्षण एवं अनुसंधान किए जाने को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त रूप से संधारित किए गये हैं।

2.2.6.2 प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.006 के अनुसार, प्रत्येक कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए उपयुक्त रूप से एक विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना आवश्यक है। यह स्वीकृति "प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति" के रूप में जानी जाती है एवं आवश्यक रूप से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.026 (II) के अनुसार परियोजना

⁴⁹ लीड: सामग्री के परिवहन के दौरान तय की गई क्षैतिज दूरी।

⁵⁰ बघरू, बिलगांव, कुशलपुरा, मझगई, रेहटी, सगड़, संजय सागर बाह एवं अपर काकेटो

⁵¹ कछाल एवं सेमरी

⁵² बघरू, बिलगांव, घोघरा, कुशलपुरा, रेहटी, सेमरी एवं अपर काकेटो

प्रतिवेदन (विस्तृत प्राक्कलन) सर्वेक्षण और अनुसंधान पूर्ण होने के बाद तैयार किया जाता है। आगे, मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.028 के अनुसार, प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति देने वाला अधिकारी रूपांकन की सुदृढता के लिए और प्राक्कलन में सम्मिलित किए जाने हेतु सभी आवश्यक मर्दों को समाविष्ट करने के लिए उत्तरदायी होता है।

हमने ऐसे दृष्टांतों का अवलोकन किया (नवंबर 2013 एवं जून 2014) जहाँ विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधानों के बिना तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। यहां तक कि तकनीकी स्वीकृति के बिना भी कार्य सौंपा गया था, जैसा अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है:

(अ) कार्यान्वयन के दौरान कार्यों के रूपांकन, स्थान, मर्दों की मात्रा इत्यादि में परिवर्तन

हमने पांच परियोजनाओं⁵³ के छह अनुबंधों में देखा कि प्राक्कलन के तैयार होने और तकनीकी स्वीकृति के बाद आरेखनों, रूपांकनों और रेडियल द्वारों की संख्या में परिवर्तन, स्पिलवे के प्रकार और स्थिति में परिवर्तन, मिट्टी के वर्गीकरण में परिवर्तन, कार्यान्वयन के दौरान टीले की उपस्थिति के कारण बांध की लंबाई में वृद्धि जैसे प्रमुख परिवर्तन किए गये थे, जो इंगित करता है कि विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान, लेवल का निर्धारण, रूपांकनों और आरेखनों को अंतिम रूप दिए बिना तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप 2009-14 के दौरान इन पांच परियोजनाओं की लागत में ₹ 49.11 करोड़ की वृद्धि हुई। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.13** में दिया गया है।

पाँच परियोजनाओं में तकनीकी स्वीकृति के बाद कार्यों की मर्दों में वृहद् परिवर्तनों से ₹ 49.11 करोड़ की लागत बढ़ी।

आगे, तीन⁵⁴ परियोजनाओं में, प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के आधार पर नहर एवं इसकी संरचनाओं के निर्माण हेतु प्राक्कलनों में ₹ 48.48 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया था (मार्च 2011 से मई 2012), किन्तु रूपांकनों और आरेखनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था जैसा **परिशिष्ट 2.13** में वर्णित है। विस्तृत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के बिना प्राक्कलन में एकमुश्त प्रावधान के कारण कार्यान्वयन के दौरान नहर और संरचनाओं की मर्दों की मात्रायें परिवर्तित होंगी।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया (नवंबर 2014) कि घोघरा परियोजना में प्रमुख अभियंता द्वारा सेन्ट्रल स्पिलवे को हटा दिया गया था जिससे लागत कम हुई तथा स्पिलवे की खुदाई में कार्यपालन यंत्री ने स्थल के चयन में गलती की थी। यह भी बताया गया कि घोघरा पोषक तालाब में टीले से बचा जा सकता था और भूमि अधिग्रहण को कम किया जा सकता था। बघरू परियोजना में प्रमुख अभियंता ने स्वीकार किया कि रेडियल द्वारों का परिहार करके लागत में बचत को कारगर किया जा सकता था। कीटखेड़ी परियोजना के संबंध में उन्होंने बताया कि परियोजनायें समय और लागत के भीतर पूर्ण हुई थीं। सगड़ एवं संजय सागर बाह परियोजनाओं के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तीन परियोजनाओं में एकमुश्त प्रावधानों के संबंध में प्रमुख अभियंता ने बताया कि संदर्भित प्रकरणों में निविदाएं स्टेज-एक प्राक्कलन पर

⁵³ बघरू, घोघरा, कीटखेड़ी, सगड़ एवं संजय सागर बाह

⁵⁴ बघरू, बिलगांव एवं घोघरा

आमंत्रित की गई थीं और अब व्यवस्थित सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी और निविदाएँ केवल विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के बाद आमंत्रित की जा रही थीं।

(ब) प्राक्कलनों में नहर की लंबाई का त्रुटिपूर्ण प्रावधान

मुख्य अभियंता ने 6,300 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र⁵⁵ (सी.सी.ए.) विकसित करने के लिए ₹ 10.32 करोड़ रुपये की लागत पर कुशलपुरा परियोजना की तकनीकी स्वीकृति दी थी (सितंबर 2003)। कार्यपालन यंत्री नरसिंहगढ़ संभाग⁵⁶ ने कुशलपुरा परियोजना के निर्माण का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 11.32 करोड़ की एकमुश्त लागत पर अप्रैल 2008 तक पूर्ण करने के लिए सौंपा था (अप्रैल 2006)। कार्य के क्षेत्र में वितरिकाओं एवं माईनरों सहित कुल 106.56 कि.मी. नहर प्रणाली का निर्माण सम्मिलित था। कार्य अप्रैल 2006 में प्रारंभ किया गया था किन्तु ठेकेदार द्वारा बिना कोई कारण बताए दिसंबर 2012 में बंद कर दिया गया। इस प्रकार, जनवरी 2014 में ₹ 11.74 करोड़ (मूल्य वृद्धि सहित) की राशि का व्यय करने के बाद भी कार्य अधूरा रह गया।

प्राक्कलन में 33.47 कि.मी. अधिक लंबाई के प्रावधान से अनुमानित लागत ₹ 3.25 करोड़ तक बढ़ गई।

हमने अवलोकन किया कि पुनरीक्षित प्रशासकीय अनुमोदन (दिसंबर 2010) में नहर की लंबाई 106.56 कि.मी. से घटा कर 73.09 कि.मी. इस आधार पर की गई कि संशोधित लंबाई कृषि योग्य समान कमान क्षेत्र को विकसित करने के लिए पर्याप्त थी। तदनुसार, कार्य का क्षेत्र भी कम हो गया था। चूंकि कार्य एकमुश्त अनुबंध पर सौंपा गया था और अनुबंध के अनुसार, 6,300 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र विकसित करने के लिए मात्राओं में कमी से ठेका मूल्य कम नहीं होगा, संभाग द्वारा सहमत मूल्य में कमी को प्रभावित नहीं किया जा सका। इस प्रकार, पर्याप्त सर्वेक्षण और अनुसंधान के बिना नहर की अधिक लंबाई के प्रावधान के साथ तकनीकी स्वीकृति जारी की गई थी, प्राक्कलित लागत ₹ 3.25 करोड़⁵⁷ से बढ़ गई जो ₹ 3.69 करोड़⁵⁸ की अतिरिक्त लागत में परिणामित हुई। संभाग ने बताया (फरवरी 2014) कि नहर की प्रारंभिक लंबाई प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित थी, जो अंतिम नहीं थी।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख अभियंता ने बताया कि एक मुश्त अनुबंध में रूपांकित कृषि योग्य कमान क्षेत्र का कवरेज एक निश्चित मानदंड है और ठेकेदार नहर नेटवर्क की संरचनाओं या नहर की लंबाई को कम करके ले-आउट सुधार सकता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के स्थान पर प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर अयथार्थ प्राक्कलन तैयार किए जाने के परिणामस्वरूप कार्य पर अतिरिक्त लागत आई।

⁵⁵ सी सी ए: कृषि योग्य कमान क्षेत्र या सिंचाई क्षेत्र

⁵⁶ राजगढ़ संभाग को यह परियोजना बाद में स्थानान्तरित कर दी गई।

⁵⁷ ₹ 10.32 करोड़ (106.56 - 73.09) कि.मी./ 106.56 कि.मी.

⁵⁸ ₹ 3.25 करोड़ पर अनुमानित लागत से 13.42 प्रतिशत अधिक उद्धृत मूल्य जोड़कर

सर्वेक्षण के समय दो कार्यों में स्पिल चैनल में टीले पता नहीं लगे थे, परिणामस्वरूप कार्यों की लागत में वृद्धि हुई।

(स) अपर्याप्त सर्वेक्षण के कारण टीले का ज्ञात न होना

• घोघरा परियोजना के घोघरा पोषक तालाब के लिए आर.डी. 0 मी. से आर.डी. 900 मी. में मिट्टी के बांध एवं आर.डी. 900 मी. से आर.डी. 1020 मी. में स्पिलवे के निर्माण के लिए तकनीकी स्वीकृति दी गई थी (मई 2011)। विभाग द्वारा जून 2012 तक पूर्ण करने के लिए जुलाई 2011 में कार्य सौंपा गया था। कार्य के कार्यान्वयन के समय मुख्य अभियंता द्वारा निरीक्षण के दौरान (नवंबर 2012) स्पिलवे के सामने स्पिल चैनल में टीले की उपस्थिति का अवलोकन किया गया जबकि बांध का महत्वपूर्ण मिट्टी कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका था। इससे अपर्याप्त सर्वेक्षण होना इंगित हुआ। टीले की उपस्थिति के कारण मिट्टी के बांध की लंबाई आर.डी. 900 मी. से आर.डी. 1020 मी. तक बढ़ी और स्पिलवे की स्थिति आर.डी. 1020 मी. से आर.डी. 1100 मी. पर स्थानांतरित कर दी गई थी। परिणामस्वरूप नवम्बर 2012 में जारी की गई संशोधित तकनीकी स्वीकृति के अनुसार मिट्टी कार्य की लागत में ₹ 1.37 करोड़ की वृद्धि हुई। कार्य नवंबर 2014 तक प्रगति पर था। यदि सर्वेक्षण एवं अनुसंधान उचित रूप से किया गया होता तो टीले की उपस्थिति देखी जा सकती थी।

• संजय सागर बाह परियोजना में, सेन्ट्रल स्पिलवे एवं मिट्टी बांध का कार्य जुलाई 2008 तक पूर्ण करने हेतु जुलाई 2006 में सौंपा गया था। मिट्टी बांध एवं सेन्ट्रल स्पिलवे के लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण होने के बाद जून 2011 में स्पिल चैनल में टीले की उपस्थिति ध्यान में आई। टीला हटाने की तकनीकी स्वीकृति जुलाई 2012 में प्रदान की गई थी एवं फरवरी 2014 में ₹ 1.60 करोड़ की लागत पर कार्य पूर्ण हुआ। स्पिलवे और मिट्टी बांध का कार्य मार्च 2014 तक प्रगति पर था।

दो परियोजनाओं के स्पिल चैनल में टीले ज्ञात न होना, प्राक्कलनों की तैयारी के दौरान सर्वेक्षण और अनुसंधान का अभाव दर्शाता है। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं की लागत में ₹ 2.97 करोड़ (₹ 1.37 करोड़ + ₹ 1.60 करोड़) की वृद्धि हुई थी।

घोघरा पोषक तालाब के बारे में प्रमुख अभियंता ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि यह स्पिलवे की स्थिति बदलने से हुआ था। बाह परियोजना के संबंध में उन्होंने बताया कि यह आस्थगित लागत का प्रकरण था क्योंकि यह पता लगाने का प्रयास किया गया था कि यदि संभव हो इसे टाल दिया जाए।

तथ्य वही है कि घोघरा पोषक तालाब में, टीले का पता न लगने के कारण स्पिलवे की स्थिति में परिवर्तन हुआ था, जिसे टाला जा सकता था जैसा कि प्रमुख अभियंता ने भी स्वीकार किया। बाह परियोजना में अभिलेखों में यह सुझाने के लिए कुछ भी नहीं था कि टीले की उपस्थिति प्रारंभ में ध्यान में आई थी।

(द) संग्रहण क्षमता की त्रुटिपूर्ण गणना

6,300 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र के विकास एवं छह एम.सी.एम.⁵⁹ पेय जल की आपूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा पुनरीक्षित डी.पी.आर. में प्राक्कलित की गई ₹ 81.88 करोड़ (मूल लागत ₹ 52.51 करोड़) की संशोधित लागत पर 46.446

⁵⁹ मिलियन क्यूबिक मीटर

संग्रहण क्षमता की त्रुटि पूर्ण गणना के कारण कुशलपुरा परियोजना से लक्षित लाभ नहीं प्राप्त किए जा सके।

एम.सी.एम. की सक्रिय संग्रहण क्षमता⁶⁰ (एल.एस.सी.) हेतु कुशलपुरा परियोजना को शासन ने पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की (दिसंबर 2010)।

शीर्ष कार्य के पूरा होने और जलाशय भर जाने के बाद मुख्य अभियंता ने अवलोकन करने के बाद प्रतिवेदित किया कि 46.44 एम.सी.एम. की लक्षित सक्रिय जलसंग्रहण क्षमता के विरुद्ध बाँध में केवल 15.058 एम.सी.एम. की वास्तविक उपलब्धता थी। इस प्रकार, जलाशय में सक्रिय संग्रहण क्षमता असामान्य रूप से कम हो गई थी और जो वास्तविक रूप से 9.058 एम.सी.एम.⁶¹ उपलब्ध जल से केवल 1,540 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र विकसित कर सकता है। प्रमुख अभियंता ने अपने पत्र (सितंबर 2013) में अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग गुना को उल्लेख किया कि जलाशय की रूपांकित सक्रिय संग्रहण क्षमता, बाँध की क्षमता की संगणना करने में गणना त्रुटि के कारण उच्चतर पक्ष में ली गई थी। परिणामस्वरूप, वास्तविक सक्रिय संग्रहण क्षमता में कमी एवं फलस्वरूप जल की कम उपलब्धता से 6,300 हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र के लक्षित लाभ प्राप्त नहीं किए जा सके।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने स्वीकार किया (नवंबर 2014) कि यह एक तकनीकी विफलता थी एवं जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।

तथ्य वही है कि रूपांकन में की गई गलती का तकनीकी स्वीकृति देने से पहले पता नहीं लगाया जा सका जो यह दर्शाता है कि प्राक्कलन की संवीक्षा पर्याप्त नहीं थी।

(ई) तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य सौंपा जाना

कार्यपालन यंत्री द्वारा अधीक्षण यंत्री को विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत करने से पूर्व एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना, कार्यपालन यंत्री, पन्ना संभाग ने, ₹ 9.73 करोड़ की संभावित लागत पर मझगई परियोजना की एप्रोच, फीडर एवं एक्ज़िट चैनल के कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की थी (जनवरी 2013)। निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित अनुमानित लागत एवं कार्य के परिमाण का आधार न तो अभिलेखों में था और न ही बताया गया। ठेकेदार को ₹ 9.20 करोड़ की निविदा लागत पर कार्य सौंपा गया था। परियोजना का निर्माण प्रारम्भ करने के लिए कार्यदेश कार्यपालन यंत्री ने मार्च 2013 में जारी किया एवं विस्तृत प्राक्कलन अधीक्षण यंत्री को, मुख्य अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन हेतु केवल दिसंबर 2013 में ही प्रस्तुत किए गये थे। सितम्बर 2014 तक भी तकनीकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति के अनुमोदन के बिना कार्य प्रारम्भ किया गया था (मार्च 2013)।

चूंकि, अनुमोदित प्राक्कलनों के अभाव में निविदा मूल्य की उपयुक्तता का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, उच्चतर दरों पर या असाध्य मूल्य पर कार्य सौंपे जाने से ठेकेदारों द्वारा गुणवत्ता से समझौता किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

⁶⁰ एल.एस.सी.: बाँध में उपयोग योग्य सक्रिय संग्रहण क्षमता

⁶¹ 9.058 एम.सी.एम.=(15.058 एम.सी.एम.- 6 एम.सी.एम. पेय जल हेतु) रबी फसल हेतु विभाग द्वारा अपनाए गये 170 हेक्टेयर प्रति एम.सी.एम.जल के मापदंड के आधार पर

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि तकनीकी स्वीकृति के बिना मझगई परियोजना पर होने वाले व्यय से संबंधित प्रकरण की जांच की जाएगी।

शासन को परियोजनाओं हेतु तकनीकी स्वीकृति, विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के आधार पर जारी किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.6.3 कार्यान्वयन के दौरान मात्रा और लागत में वृद्धि के दृष्टांत

अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान के परिणामस्वरूप कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न मदों की मात्राओं में असामान्य वृद्धि एवं लागत में परिणामी वृद्धि हुई।

जैसा कि पूर्ववर्ती कण्डिकाओं में पहले ही चर्चा की गई है, परियोजनाओं से संबद्ध प्राक्कलनों एवं रूपांकनों तैयार करने के लिए भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और निर्माण सामग्री सर्वेक्षण से संबंधित अभिलेख, लेवल-बुक, संभागों में उपलब्ध नहीं थे जो तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्य स्थलों के अपर्याप्त/ न किए गये सर्वेक्षण को इंगित करता है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न मदों की मात्राओं के साथ साथ परियोजनाओं की लागत असामान्य रूप ₹ 24.40 करोड़ से बढ़ गई, जैसा परिशिष्ट 2.11 में विवरण दिया गया है।

निम्नलिखित प्रकरणों में, मात्राओं में महत्वपूर्ण वृद्धि थी, परिणामस्वरूप कार्यों की लागत में वृद्धि हुई:

- रेहटी परियोजना में, मुख्य नहर की लंबाई 20.36 कि.मी. अनुमानित की गई थी जो कार्यान्वयन के दौरान इस आधार पर घटाकर 8.82 कि.मी. कर दी गई कि समान कृषि योग्य कमान क्षेत्र विकसित होगा। नहर की लंबाई में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद भी, विघटित चट्टान/ नरम चट्टान और कांक्रीट की मात्रायें अनुमानित मात्रा की तुलना में बढ़ गई थीं जो अपर्याप्त सर्वेक्षण और अनुसंधान के संकेत थे। इसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत में ₹ 1.14 करोड़⁶² की शुद्ध वृद्धि हुई।
- कार्यान्वयन के दौरान कुशलपुरा सेन्ट्रल स्पिलवे कार्य में, बांध के लिए मिट्टी कार्य की मात्रायें प्राक्कलित 20,770 घन मीटर से 1,21,824.99 घन मीटर तक बढ़ गईं।
- अपर काकेटो शीर्ष कार्य में, कड़ी चट्टान के उत्खनन में 214.88 प्रतिशत तक, कड़ी मिट्टी/ कड़ी मुरुम के उत्खनन में 50.77 प्रतिशत तक, ग्राउटिंग में 79.01 प्रतिशत तक, एम-25 नियंत्रित कांक्रीट में 94.14 प्रतिशत तक एवं स्टील प्रबलन सरियों में 52.52 प्रतिशत तक की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।
- घोघरा मुख्य तालाब में विघटित चट्टान/ नरम चट्टान का उत्खनन 1,594.65 प्रतिशत तक बढ़ा, कड़ी चट्टान का उत्खनन 251.60 प्रतिशत तक बढ़ा, फिल्टर ब्लेकैट 310.13 प्रतिशत तक बढ़ा तथा बोल्टर पिचिंग 152.83 प्रतिशत तक बढ़ी।

शासन ने बताया (नवंबर 2014) घोघरा परियोजना की लागत में बचत प्रभावित करने के लिए सेन्ट्रल स्पिलवे का परिहार करने के कारण मिट्टी कार्य की मात्रा बढ़ी थी। परियोजनाओं में चट्टानों और विभिन्न प्रकार की मिट्टी की मात्राओं में परिवर्तन के संबंध

62

एम-10 पी.सी.सी	4,266.12 घ.मी.	₹ 2,289 की दर	= ₹ 97,65,149	= ₹ 1,14,09,750 (यथा 1.14 करोड़)
डी.आर./एस.आर खुदाई	17,660.01 घ.मी.	₹ 90.86 की दर	= ₹ 16,04,589	
एच.आर. खुदाई	217.75 घ.मी.	₹ 183.75 की दर	= ₹ 40,012	

में यह बताया गया कि प्रस्तावित संशोधित एकीकृत दर अनुसूची में चट्टानों और मिट्टी का वर्गीकरण, दो श्रेणियों यथा "सभी प्रकार की मिट्टी" एवं "सभी प्रकार के चट्टान" तक सीमित किया जा रहा था।

तथ्य वही है कि अपर्याप्त सर्वेक्षण और अनुसंधान के कारण कार्यान्वयन के दौरान मदों की मात्रायें असामान्य रूप से बढ़ी थीं।

2.2.7 विस्तृत प्राक्कलनों को तैयार करने में अशुद्धियाँ

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.028 के अनुसार, प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति देने वाला अधिकारी रूपांकन की सुदृढ़ता के लिए और प्राक्कलन में सम्मिलित करने हेतु सभी आवश्यक मदों को समाविष्ट करने के लिए उत्तरदायी है। मध्यम परियोजनाओं के शीर्ष कार्यों के प्राक्कलनों की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने हेतु मुख्य अभियंता उत्तरदायी है। नहर कार्य के संबंध में नहर की प्रवाह क्षमता पर निर्भर करते हुए, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता को शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, एकीकृत दर अनुसूची, सिंचाई परियोजनाओं की विशिष्टियों एवं तकनीकी परिपत्रों के प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण प्राक्कलनों को तैयार करने में अवलोकित की गई अशुद्धियों के दृष्टांतों में लीड के अशुद्ध प्रावधान, सी.एन.एस. परत का अनुचित प्रावधान, अधिक मंहंगी विशिष्टि को अपनाना, अस्वीकार्य मदों और मात्राओं को सम्मिलित करना, स्थानीय सामग्री का उपयोग न करना एवं लागत का सार गलत तैयार करना सम्मिलित थे, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

2.2.7.1 प्राक्कलनों में लीड (दूरी) का त्रुटिपूर्ण प्रावधान

एकीकृत दर अनुसूची के अध्याय 4 की टीप 9 में जैसा उपबंधित है, मिट्टी कार्य की लीड को खनन क्षेत्र के केन्द्र से बांध तटबंध की मध्य रेखा तक घुमावदार पथ को कवर करने के लिए क्रौ-फ्लाइज़ की भाँति, अतिरिक्त पाँच प्रतिशत के साथ मापा जाएगा। अध्याय 4 की टीप 8 (एच) के अनुसार मिट्टी बांध के तटबंध के प्राक्कलन, एप्रोच/ स्पिल चैनल की खुदाई से उपलब्ध उपयोगी सामग्री के उपयोग को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित रूपांकन के आधार पर स्वीकृत किए जाने चाहिए। एप्रोच/ स्पिल चैनल के प्राक्कलन केवल शेष उत्खनन, जिसे उपयोग नहीं किया जा सकता के लिए स्वीकृत किए जाने चाहिए।

हमने निम्नलिखित अवलोकन किया:

(अ) छह परियोजनाओं⁶³ के प्राक्कलनों में दर्शाए अनुसार उसी कार्यस्थल पर शीर्ष कार्य में उपयोग के लिए एप्रोच, स्पिल चैनल⁶⁴ एवं "कट ऑफ ट्रेंच" के उत्खनन से कड़ी चट्टान उपलब्ध थी। इसलिए खनन क्षेत्र के केन्द्र से तटबंधों के किनारों की मध्य रेखा (100 मीटर की मुक्त लीड से 2 कि.मी.) तक लीड अनुमत्य थी। हमने अवलोकन किया कि कड़ी चट्टान (गिट्टी, शिंगल/ बोल्टर) के लिए 3 कि.मी. से 35

कड़ी चट्टान एवं मिट्टी के लिए लीड के त्रुटिपूर्ण प्रावधान के परिणामस्वरूप प्राक्कलनों में ₹ 10.10 करोड़ की वृद्धि हुई।

⁶³ बिलगांव, घोघरा, कुशलपुरा, रेहटी, सेमरी एवं अपर काकेटो

⁶⁴ स्पिल चैनल: स्पिल वे से बाढ़ के पानी को मूल नदी या नाले तक ले जाने के लिए चैनल

कि.मी. तक की लीड की लागत प्राक्कलनों में जोड़ी गई थी। इसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित लागत में ₹ 2.20 करोड़ की वृद्धि हुई जैसा **परिशिष्ट 2.12** के सरल क्रमांक 1 से 5 में विवरण दिया गया है।

(ब) अपर काकेटो परियोजना के विस्तृत प्राक्कलनों के अनुसार, बांध एवं कट ऑफ ट्रेंच में उपयोग के लिए कार्यस्थल पर उत्खनन से उपयुक्त मिट्टी उपलब्ध थी। डी.पी.आर. में निर्दिष्ट किया गया था कि अतिरिक्त मिट्टी की आवश्यकता के लिए खनन क्षेत्र तीन कि.मी. की दूरी के भीतर स्थित था। इसके अतिरिक्त, बांध के तटबंधों के लिए अपनायी गई मिट्टी कार्य की दर, अधिकतम लीड हेतु उच्चतम दर थी। इसलिए प्राक्कलनों में अलग से लीड हेतु कोई प्रावधान नहीं किया जाना था। हमने देखा कि तटबंधों और कट ऑफ ट्रेंच में मिट्टी कार्य की प्राक्कलित दरों के निर्धारण के लिए, पाँच कि.मी. की अतिरिक्त लीड पृथक से जोड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त, कार्य में उपयोग योग्य मिट्टी के उत्खनन की प्राक्कलित दरों को निर्धारित करते समय तीन कि.मी. की लीड भी प्रावधानित की गई थी यद्यपि तटबंधों और कट ऑफ ट्रेंच में मिट्टी भराव के मद में समस्त लीड का मूल्य सम्मिलित था। आगे, कार्यस्थल पर उत्खनन से प्राप्त अनुपयोगी मिट्टी का निपटान करने के लिए तीन कि.मी. की लीड प्राक्कलित दर में जोड़ी गई थी यद्यपि इसे कार्यस्थल के निकट ही निपटान किया जा सकता था जैसा अन्य परियोजनाओं में किया जा रहा है। इसे दूरस्थ स्थान पर निपटान करने के प्रावधान के लिए कोई कारण अभिलेखों में नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप सम्मिलित प्राक्कलित दरों एवं प्राक्कलित लागत में ₹ 7.84 करोड़ तक वृद्धि हुई जैसा कि **परिशिष्ट 2.12** के सरल क्रमांक 7 में विवरण दिया गया है।

कार्यान्वयन के दौरान उक्त मदों की मात्रायें प्राक्कलित मात्राओं के 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ी थीं जिनका मद दर अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्राक्कलित दरों के आधार पर भुगतान किया गया था। चूंकि, प्राक्कलित दरें उच्चतर निर्धारित की गई थीं, इसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित मात्राओं के 10 प्रतिशत से अधिक मात्राओं पर ₹ 62.66 लाख⁶⁵ की अतिरिक्त लागत आई।

इन छह परियोजनाओं में लीड के लिए अधिक दर एवं अतिरिक्त लीड के प्रावधान के परिणामस्वरूप प्राक्कलनों में ₹ 10.10 करोड़ तक की वृद्धि हुई, जैसा **परिशिष्ट 2.12** में विवरण दिया गया है।

शासन ने बताया कि बोली लगाने वाले (निविदाकार) कार्यस्थल की परिस्थितियों सहित सामग्री की उपलब्धता एवं लीड को ध्यान में रखते हैं एवं इसलिए अनुमानित और वास्तविक लीड में परिवर्तन से अतिरिक्त व्यय नहीं होता है। अपर काकेटो परियोजना के बारे में शासन ने आगे बताया कि बोलियाँ स्पर्धात्मक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त की गई थीं जिनमें बोली लगाने वालों ने कार्यस्थल की स्थितियों को ध्यान में रखकर दरें उद्धृत की थीं। अतः प्राक्कलनों में लीड के परिवर्तनों से अतिरिक्त व्यय या लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई।

65

मिट्टी में खुदाई	34,277.39 घ.मी.	₹ 79.11 प्रति घ.मी. की दर	= ₹ 27,11,684	= ₹ 62,66,234
कड़ी चट्टान में खुदाई	44,465.22 घ.मी.	₹ 79.94 प्रति घ.मी. की दर	= ₹ 35,54,550	

उत्तर समाधानकारक नहीं है क्योंकि प्राक्कलित लागत, बोली लगाने वालों द्वारा प्रस्तुत दरों के लिए एक वित्तीय निर्देश चिन्ह (बेंचमार्क) का कार्य करती है एवं बढ़े हुए प्राक्कलन निविदत्त दरों को उपरी तौर पर उचित बनाते हैं यदि ये उच्चतर भी हों। इस प्रकार अस्वीकार्य लीड, मदों एवं मात्राओं को सम्मिलित किए जाने के कारण प्राक्कलनों में विभिन्न मदों की बढ़ी हुई दरों के फलस्वरूप प्रतिशत दर एवं एक मुश्त ठेकों के साथ साथ मद दर ठेकों में प्राक्कलित मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त कार्यान्वित मात्रा के लिए भी ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान में परिणामित होता है।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्तृत प्राक्कलन, उत्खनन से उपलब्ध उपयोग योग्य मिट्टी/ कड़ी चट्टान और स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री को ध्यान में लेने के बाद तैयार किए जाएं।

2.2.7.2 सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग हेतु चिपकने न फूलने वाली मिट्टी हेतु लीड का त्रुटिपूर्ण प्रावधान

सी.एन.एस. मिट्टी के लिए अतिरिक्त लीड के प्रावधान के परिणामस्वरूप प्राक्कलनों में ₹ 2.53 करोड़ की वृद्धि हुई।

प्रमुख अभियंता, बोधी, जल संसाधन विभाग द्वारा बनाई गई एकीकृत दर अनुसूची 2009 में किए गये संशोधन (जुलाई 2010) के अनुसार सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग के लिए चिपकने न फूलने वाली मिट्टी (सी.एन.एस.)⁶⁶ की पूर्ण मद के लिए 100 मीटर तक सीमित की गई जल की लीड के साथ ₹ 94 प्रति घनमीटर की दर निर्धारित की गई थी। दर अनुसूची में दिसंबर 2012 के संशोधन द्वारा मिट्टी की लीड 50 मीटर एवं जल की लीड 100 मीटर तक सीमित करते हुए ₹ 52 प्रति घन मीटर तक मद की दर घटाई गई थी। इस प्रकार, दिसंबर 2012 से पहले, सी.एन.एस. की लीड का घटक सी.एन.एस. की मद में एकीकृत दर अनुसूची के अनुसार जोड़ा गया है और सी.एन.एस. की कोई अतिरिक्त लीड नहीं जोड़ी जानी थी।

हमने अवलोकन किया (नवंबर 2013 से जून 2014) कि बघरू, रेहटी एवं सेमरी नहर कार्यों में, यद्यपि सी.एन.एस. मिट्टी एक पूर्ण मद थी, प्राक्कलनों में सी.एन.एस. हेतु 5 कि.मी. से 15 कि.मी. की अतिरिक्त लीड जोड़ी गई थी। इसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित लागत में ₹ 2.53 करोड़⁶⁷ की वृद्धि हुई।

प्रमुख अभियंता ने बताया (नवंबर 2014) कि वह व्यक्तिगत रूप से इस प्रकरण पर ध्यान देंगे और उत्तर प्रस्तुत करेंगे।

2.2.7.3 आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना चिपकने, न फूलने वाली मिट्टी का प्रावधान

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशिष्टियों की कण्डिका 2.5.3 के अनुसार सब-ग्रेड मिट्टी के परीक्षण के बाद, सब-ग्रेड मिट्टी के फूलने के दबाव एवं परिणामित विकृति के आधार पर नहर कार्य में लाइनिंग एवं सब-ग्रेड के बीच सी.एन.एस. मिट्टी की एक परत

⁶⁶ सी.एन.एस.: गीली होने पर ना फूलने/ बढ़ने वाली मिट्टी।

⁶⁷

बघरू	35,031.19 घ.मी.	₹ 153.6 की दर (लीड: 15 कि.मी.)	= ₹ 53,80,790
सेमरी	1,17,812.83 घ.मी.	₹ 129.78 की दर (लीड: 10 कि.मी.)	= ₹ 1,52,89,748 = ₹ 2,52,88,347
रेहटी	46,986.25 घ.मी.	₹ 98.28 की दर (लीड: 5 कि.मी.)	= ₹ 46,17,809

अनिवार्य जाँच तथा कार्य में इसकी आवश्यकता को सुनिश्चित किए बिना ₹ 1.92 करोड़ मूल्य की सी.एन.एस. मिट्टी का प्रावधान किया गया था।

बिछाई जाती है। जल संसाधन विभाग, बोधी ने दिसंबर 2012 और फरवरी 2013 के अपने आदेशों में इसे पुनः द्वारा दोहराया था।

हमने चार परियोजनाओं में अवलोकन किया कि सी.एन.एस. मिट्टी की आवश्यकता का आंकलन एवं अनिवार्य जाँच किए बिना लाइनिंग के नीचे सी.एन.एस. मिट्टी का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.92 करोड़⁶⁸ के लागत की सी.एन.एस. मिट्टी का प्रावधान कार्य में इसकी आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना किया गया था। इससे कार्य की प्राक्कलित लागत बढ़ी एवं तदनुसार उद्धृत ठेका मूल्य को प्रभावित किया।

प्रमुख अभियंता ने बताया कि यह एक प्रचलित नियम (थम्ब रूल) के रूप में दृष्टि आंकलन पर सी.एन.एस. प्रावधानित की जाती है एवं कार्यान्वयन के समय मिट्टी की स्थिति एवं फूलने के दबाव के परीक्षण के आधार पर यदि आवश्यक हो तो सी.एन.एस. की अनुमति दी जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्राक्कलन तैयार करने और तकनीकी स्वीकृति के पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के दौरान सी.एन.एस. की आवश्यकता का आंकलन किया जाना होता है ताकि सुनिश्चित किया जाए कि प्राक्कलन की लागत यथार्थ है।

2.2.7.4 महँगी विशिष्टियाँ अपनाना

प्रमुख अभियंता द्वारा जनवरी 1984 में जारी किए गये तकनीकी परिपत्र के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं में सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग में एम-10 ग्रेड⁶⁹ की सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) प्रावधानित किया जाना है।

हमने नहर के कार्य की सात परियोजनाओं⁷⁰ में से दो परियोजनाओं (कछाल और सेमरी नहर) में अवलोकन किया कि लाइनिंग के प्राक्कलनों में एम-10 ग्रेड सीमेंट कांक्रीट के स्थान पर अधिक महँगे मिश्रण एम-15 ग्रेड सीमेंट कांक्रीट⁷¹ का प्रावधान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्राक्कलनों में रुपये ₹ 62.82 लाख⁷² की वृद्धि हुई है और कार्य के कार्यान्वयन पर अतिरिक्त व्यय भी आवश्यक होगा।

प्रमुख अभियंता ने बताया कि अब एम-10 सीमेंट कांक्रीट अनुमत्य नहीं किया जा रहा है और आई.एस. कोड में एम-15 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है जो तकनीकी परिपत्रों और प्रचलित दर अनुसूची के प्रावधान पर अधिभावी (ओवरराइड) है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तकनीकी परिपत्रों एवं प्रचलित दर अनुसूची के अनुसार एम -10 के प्रावधान अब भी विद्यमान हैं जिसके अनुसार, नहर लाइनिंग के लिए एम-10 सीमेंट कांक्रीट पर्याप्त है।

68

बघरूँ	35031.19 घ.मी.	₹ 94.00 की दर	= ₹ 32.92 लाख	
घोघरा	19935.17 घ.मी.	₹ 94.00 की दर	= ₹ 18.74 लाख	
कछाल	14,440.31 घ.मी.	₹ 203.67 की दर	= ₹ 29.41 लाख	
सेमरी	1,17,812.83 घ.मी.	₹ 94.00 की दर	= ₹ 110.74 लाख	= ₹ 191.81 लाख

69 एम-10 ग्रेड कांक्रीट में सीमेंट, रेत एवं गिट्टी 1:3:6 के अनुपात में होती है।

70 बघरूँ, बिलगांव, घोघरा, कछाल, कुशलपुरा, रेहटी एवं सेमरी

71 एम-15 ग्रेड कांक्रीट में सीमेंट, रेत एवं गिट्टी 1:2:4 के अनुपात में होती है।

72 कछाल नहर (₹ 17.40 लाख) एवं सेमरी नहर (₹ 45.42 लाख)

2.2.7.5 प्राक्कलनों में अस्वीकार्य मदों और मात्राओं का समावेश

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों और केन्द्रीय जल आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार, प्राक्कलन सही और विश्वसनीय परिशुद्ध आंकड़ों पर आधारित होंगे एवं पूर्ण होंगे।

प्राक्कलनों में अनावश्यक या अस्वीकार्य मात्राओं एवं मदों के समावेश के परिणामस्वरूप प्राक्कलित लागत में ₹ 5.63 करोड़ की वृद्धि हुई।

हमने छह परियोजनाओं⁷³ में अवलोकन किया कि विभिन्न मदों की प्राक्कलित दर निकालते समय अनावश्यक या अस्वीकार्य मदें सम्मिलित की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों की कुल अनुमानित लागत में ₹ 5.63 करोड़ तक की वृद्धि हुई (परिशिष्ट 2.14)। अस्वीकार्य मदों एवं मात्राओं के समावेश से प्राक्कलित लागत में वृद्धि के उदाहरण नीचे वर्णित हैं:

(अ) बघरू शीर्ष कार्य

प्राक्कलनों में प्लेन सीमेंट कांक्रीट (पी.सी.सी.) एवं प्रबलित सीमेंट कांक्रीट (आर.सी.सी.) के साथ अलग फार्म वर्क⁷⁴ की लागत जोड़ी गई थी यद्यपि, एकीकृत दर अनुसूची के अध्याय 7 एवं 16 के अनुसार कांक्रीटिंग कार्य में यह मद (फार्म वर्क) सम्मिलित थी। इसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित लागत में ₹ 39.97 लाख की वृद्धि हुई।

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख अभियंता ने बताया कि यद्यपि ठेके में मद दी गई थी, उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया था।

(ब) बिलगांव शीर्ष कार्य

नदी के संरक्षण को दिशा देने के लिए आवश्यक नदी नियंत्रण कार्य हेतु परियोजना के प्राक्कलन में सीपेज ड्रेन की मद के साथ उत्खनन की मात्रा जोड़ी गई थी जबकि यह बताने के लिए समर्थन में कोई अभिलेख नहीं था कि मद की आवश्यकता का आंकलन किया गया था। तथापि, मद के समावेश से प्राक्कलित लागत में ₹ 55.49 लाख की वृद्धि हुई।

प्रमुख अभियंता ने बताया कि प्रारम्भ में नदी नियंत्रण का कार्य आवश्यक माना गया था, लेकिन मद को कार्यान्वित नहीं किया गया था।

(स) सेमरी नहर

- स्लीपर्स के लिए हाउसिंग⁷⁵ का उत्खनन, सी.एन.एस. मिट्टी, कांक्रीट लाइनिंग और फिल्टर के अलग प्रावधान प्राक्कलनों में सम्मिलित किए गये यद्यपि ये सम्मिलित किए जाने आवश्यक नहीं थे क्योंकि सिंचाई की विशिष्टियों के अनुसार स्लीपर्स के लिए हाउसिंग, सी.एन.एस. मिट्टी, कांक्रीट लाइनिंग और फिल्टर, मिट्टी कार्य की मदों में सम्मिलित थे। इसने प्राक्कलित लागत में ₹ 41.66 लाख की वृद्धि की थी। कार्य अभी सौंपा जाना था (2014 फरवरी)।

⁷³ बघरू, बिलगांव, घोघरा, सगड़, सेमरी एवं काकेटो

⁷⁴ फार्म वर्क: कांक्रीट को जमाने से पूर्व आधार एवं आवश्यक आकार देने के लिए लकड़ी या स्टील की बनी अस्थाई संरचना।

⁷⁵ हाउसिंग: स्लीपर्स, सी.एन.एस. एवं कांक्रीट लाइनिंग बिछाने के लिए खुदाई द्वारा नहर के मिट्टी कार्य में स्थान बनाना।

- सी.एन.एस. मिट्टी बिछाने के लिए नहर तल और पार्श्वों में टैम्पिंग (हाथ से संघनन) का प्राक्कलनों में अलग प्रावधान किया गया था यद्यपि आवश्यकता नहीं थी क्योंकि नए नहर के कार्य में नहर तल और पार्श्वों में संघनन, मिट्टी कार्य में सम्मिलित रहता है। इसने प्राक्कलित लागत में ₹ 20.97 लाख की वृद्धि की थी।

- एकीकृत दर अनुसूची के अनुसार, प्राक्कलनों को तैयार करने के लिए सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग कार्य हेतु कांक्रीट के साधारण मिश्रण⁷⁶ की दर अपनाने के बजाय नियंत्रित कांक्रीट⁷⁷ की उच्चतर दर त्रुटिपूर्ण रूप से अपनाई गई थी। इससे प्राक्कलित लागत में ₹ 10.12 लाख की वृद्धि हुई।

प्रमुख अभियंता ने हाउसिंग से प्राप्त मिट्टी के उपयोग, टैम्पिंग का अलग प्रावधान एवं नियंत्रित कांक्रीट की उच्चतर दर के बारे में बताया कि इन मदों का अभी तक कार्यान्वयन एवं भुगतान नहीं हुआ था।

(द) अपर काकेटो शीर्ष कार्य

- खुली नींव में चट्टान के लिए डावल बार के मद में स्टील का मूल्य अलग से प्राक्कलनों में जोड़ा गया था यद्यपि मद में स्टील का मूल्य सम्मिलित है, इससे प्राक्कलित लागत में ₹ 15.29 लाख की वृद्धि हुई।

- ग्राउटिंग एवं वेट परकुशन ड्रिलिंग के लिए एक खनित छिद्र से दूसरे छिद्र तक ड्रिलिंग उपकरण को ले जाने के लिए प्राक्कलनों में अतिरिक्त प्रावधान किया गया था यद्यपि एकीकृत दर अनुसूची के अनुसार यह अलग से भुगतान योग्य नहीं है। इससे प्राक्कलित लागत में ₹ 68.91 लाख की वृद्धि हुई।

- एकीकृत दर अनुसूची के अध्याय 4 के टीप 8 (एच) की शर्तों में अलग से भुगतान योग्य सभी मदों की मात्रायें, मिट्टी कार्य की शुद्ध मात्रा निकालने के लिए घटायी जाएंगी। इसलिए बांध के तटबंधों के मिट्टी कार्य के लिए खुदाई में प्राप्त उपयोग योग्य उपलब्ध सामग्री के उपयोग पर विचार करते हुए मिट्टी कार्य की भराई की शुद्ध मात्रा के लिए अनुमोदित रूपांकन के आधार पर प्राक्कलन स्वीकृत किए जाएंगे।

हमने विस्तृत प्राक्कलनों में देखा कि अलग से भुगतान न करने योग्य, सी.ओ.टी. के उत्खनन से प्राप्य उपयोगी मिट्टी की मात्रा जो पिचिंग के लिए हाउसिंग एवं खुदाई के अंतर्गत भुगतान योग्य थी, मिट्टी कार्य की शुद्ध कुल मात्रा को प्राप्त करने के लिए घटाई नहीं गई थी। इसके अतिरिक्त, मिट्टी कार्य की मात्रा में, स्ट्रिपिंग के खोदे गये क्षेत्र को भरने के लिए आवश्यक मिट्टी की मात्रा को दो बार जोड़ा गया था एवं उत्खनन से प्राप्त उपयोगी मिट्टी की मात्रा को, मिट्टी कार्य भराई की शुद्ध कुल मात्रा निकालने के लिए इसे घटाने के बजाए जोड़ा गया था। इसके कारण प्राक्कलनों में

⁷⁶ नियंत्रित कांक्रीट की दर (वांछित सुदृढ़ता प्राप्त करने के लिए चयनित संघटकों के भार द्वारा रूपांकित अनुपात में कांक्रीट) तल - ₹ 2,859.00 प्रति घन मीटर, पार्श्व के ढलान- ₹ 3,344.00

⁷⁷ साधारण मिश्रण की दर (संघटकों के आयतन द्वारा निर्धारित अनुपात में कांक्रीट) तल- ₹ 2,739.00 प्रति घन मीटर, पार्श्व के ढलान- ₹ 3,268.00

₹ 83.61 लाख की वृद्धि हुई थी जैसा कि परिशिष्ट 2.14 के सरल क्रमांक 15 में दर्शाया गया है।

प्राक्कलनों में स्टील के मूल्य के समावेश के मामले में प्रमुख अभियंता ने तथ्य को स्वीकार किया। मिट्टी कार्य की शुद्ध कुल मात्रा की गणना के संबंध में उन्होंने बताया कि अतिरिक्त मात्रा के लिए भुगतान नहीं किया गया था।

(ई) घोघरा शीर्ष कार्य

स्पिल चैनल की खुदाई से प्राप्य उपयोगी मिट्टी की मात्रा और फिल्टर ब्लेंकेट, रॉक टो की अलग से भुगतान योग्य मदों की मात्रा विस्तृत प्राक्कलनों में मिट्टी कार्य की शुद्ध कुल मात्रा निकालने के लिए घटाई नहीं गई थी। इससे प्राक्कलनों में ₹ 69.22 लाख की वृद्धि हुई।

प्रमुख अभियंता ने लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमत होते हुए बताया कि इसके लिए भुगतान नहीं किया गया था।

उपरोक्त परियोजनाओं के संबंध में दिए गये उत्तर समाधानकारक नहीं हैं क्योंकि विभाग द्वारा तैयार की गई प्राक्कलित लागत, निविदा के लिए एक आधार का कार्य करती है एवं इसलिए प्राक्कलन में गलती, जिससे ठेकेदार अवगत नहीं है, निविदा मूल्य को प्रभावित करती है।

(फ) सगड़ शीर्ष कार्य

बांध की सुरक्षा के लिए तकनीकी परिपत्रों⁷⁸ के अनुसार पानी की लहरों के प्रभाव के कारण कटाव को रोकने के लिए बांध तटबंध के अपस्ट्रीम ढलान में स्टोन पिचिंग प्रावधानित की जाती है एवं डाउनस्ट्रीम में टर्फिंग⁷⁹ प्रावधानित की जाती है।

हमने अवलोकन किया कि प्राक्कलनों में तटबंध के डाउनस्ट्रीम ढलान में टर्फिंग के स्थान पर पिचिंग प्रावधानित की गई और कार्यान्वित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप बांध के डाउनस्ट्रीम ढलान में 27,706.23 घनमीटर पिचिंग के उपयोग के कारण, केवल श्रम लागत को ध्यान में रखते हुए अर्थात् गिट्टी जो पहले से ही उपलब्ध थी, की लागत को कम करते हुए, ₹ 60.25 लाख⁸⁰ की अतिरिक्त लागत होने के साथ साथ प्राक्कलनों में वृद्धि हुई।

प्रमुख अभियंता ने बताया कि कार्यस्थल पर सामग्री की उपलब्धता के कारण पिचिंग कार्यान्वित की गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यस्थल पर पिचिंग सामग्री यदि उपलब्ध भी थी तो, पिचिंग के लिए केवल श्रम लागत की तुलना में डाउनस्ट्रीम ढलान पर टर्फिंग का उपयोग मितव्ययी होता।

⁷⁸ सिंचाई कार्य हेतु अगस्त 1987 का तकनीकी परिपत्र क्र. 9 एवं मार्च 1994 का तकनीकी परिपत्र क्र. 8

⁷⁹ टर्फिंग: मिट्टी के कटाव से संरक्षण के लिए बांध के डाउनस्ट्रीम ढलान पर उगायी गई घास।

⁸⁰

पिचिंग की लागत (45 से.मी. मोटाई में)	27,706.23 घ.मी. ₹ 225 की दर	= ₹ 62,33,902
टर्फिंग की लागत	61,569.40 घ.मी. ₹ 3.40 प्रति व.मी. की दर	= ₹ 2,09,336
लागत का अंतर		= ₹ 60,24,566

इन छह परियोजनाओं में प्राक्कलनों में अनावश्यक या अस्वीकार्य मात्राओं एवं मदों के सम्मिलित किए जाने के परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं के प्राक्कलनों में ₹ 5.63 करोड़ की वृद्धि हुई जैसा **परिशिष्ट 2.14** में विवरण दिया गया है।

शासन को कार्यों में मितव्ययिता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली/ सिंचाई विशिष्टियाँ/ एकीकृत दर अनुसूची के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.7.6 सस्ती स्थानीय सामग्री (फिल्टर) का उपयोग न करना

12 परियोजनाओं के प्राक्कलनों में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री को फिल्टर में उपयोग हेतु ध्यान में नहीं लिया गया तथापि स्थानीय रूप से उपलब्ध गिट्टी की अनुपलब्धता के प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।

एकीकृत दर अनुसूची में, जल निकासी के लिए फिल्टर के मदों हेतु अध्याय 21 के सामान्य टीप 9 के अनुसार स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री (पत्थर/ बोल्टर) को प्रथम अधिमान्यता के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। यदि यह स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हों, तो दूसरे विकल्प के रूप में बोल्टर के साथ कड़ी मुरुम के उत्खनन से प्राप्त पत्थर या चट्टानों के टुकड़े उपयोग किए जा सकते हैं बशर्ते कि स्वीकृति के लिए प्राक्कलन प्रस्तुत करते समय कार्यपालन यंत्री द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि आस पास के नदी या नालों में पत्थर/ बोल्टर उपलब्ध नहीं हैं।

सभी नमूना जाँच की गई 12 परियोजनाओं के प्राक्कलनों में हमने देखा (नवंबर 2013 से जून 2014) कि स्थानीय सामग्री की उपलब्धता का पता लगाए बिना फिल्टर के लिए अधिक महंगी सामग्री प्राक्कलनों में सम्मिलित की गई थी। यह प्रमाणित करने के लिए अभिलेखों में कुछ भी नहीं था कि 12 परियोजनाओं में से किसी में भी फिल्टर के लिए उपयुक्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी। फिल्टर के लिए स्थानीय सामग्री के उपलब्ध नहीं होने के प्रमाण पत्रों एवं कड़ी मुरुम के उत्खनन से प्राप्त सामग्री की अनुपयुक्तता के समर्थन में साक्ष्य के अभाव में लेखापरीक्षा में प्राक्कलनों की यथार्थता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

कार्यों में स्थानीय रूप से उपलब्ध उपयुक्त सामग्री का उपयोग नहीं करने से सामग्री के परिवहन की बढ़ी हुई लागत के कारण अतिरिक्त लागत आएगी।

प्रमुख अभियंता ने बताया कि सभी परियोजनाओं हेतु स्थानीय/ अधिक सस्ती सामग्री की उपलब्धता ध्यान में रखी जाती है एवं स्थानीय/ अधिक सस्ती सामग्री की उपलब्धता/ अनुपलब्धता अभिलिखित न करना एक प्रक्रियात्मक चूक थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्देश जारी किए जाएंगे कि भविष्य में संबंधित कार्यपालन यंत्री सामग्री की उपलब्धता के संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करें।

शासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री को ध्यान में रखते हुए विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान के बाद एकीकृत दर अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए जाएं।

2.2.7.7 तकनीकी स्वीकृति के लिए लागत के सार को त्रुटिपूर्ण तैयार करना

विस्तृत प्राक्कलन, विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तकनीकी स्वीकृति देने के उद्देश्य से विस्तृत प्राक्कलनों में दी गई मदों और मात्राओं के आधार पर लागत के सार तैयार किए जाते हैं।

तीन परियोजनाओं⁸¹ में हमने अवलोकन किया (नवंबर 2013 से जून 2014) कि कार्यों की विभिन्न मदों की मात्रायें दर्शाते हुए विस्तृत प्राक्कलन तैयार किए गये थे। किन्तु लागत के सार में अंकित की गई मात्रायें इन परियोजनाओं हेतु विस्तृत प्राक्कलनों में दी गई मात्राओं से अधिक थीं। लागत के सार में मात्राओं में त्रुटियों एवं तकनीकी स्वीकृति देने के दौरान उन्हें कम नहीं किए जाने के कारण स्वीकृत प्राक्कलनों की राशि में ₹ 49.11 लाख की वृद्धि हुई। विवरण नीचे दिए गये हैं:

तालिका 2.5 : विस्तृत प्राक्कलन से सार में मदों की मात्राओं में वृद्धि

परियोजना का नाम	मद	विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार मात्रा (घ.मी.)	सार में सम्मिलित मात्रा (घ.मी.)	मात्राओं में अंतर (घ.मी.)	दर (₹)	राशि (₹)
1	2	3	4	5=(4-3)	6	7=(5*6)
बघरू नहर	मिट्टी कार्य	109580.60	136764.60	27184	31	842704
घोघरा मुख्य तालाब	कड़ी मिट्टी	25656.57	9621.21	(-)16035.36	26	(-) 442920
सी.ओ.टी. का उत्खनन	कड़ी मुरुम	64141.42	9621.21	(-) 54520.21	36	(-) 1962727
	विघटित चट्टान	19242.426	89797.98	70555.55	71	5009445
	नरम चट्टान	12828.28	19242.40	6416.16	122	782530
रेहटी शीर्ष कार्य	मिट्टी कार्य में मिट्टी का उपयोग	निरंक	14506.00	14506.00	47	681782
योग						49,10,814

शासन ने बताया कि चूक के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा एवं कार्रवाई की जाएगी।

शासन को तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व प्राक्कलनों की यथार्थता और परिशुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.2.8 निष्कर्ष

जल संसाधन विभाग द्वारा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलन तैयार करने में पूर्व अपेक्षित गतिविधियों में कमियाँ थीं, जिससे बढ़े हुए/ त्रुटिपूर्ण प्राक्कलनों और परिणामतः निविदत्त दरों/ लागत में वृद्धि हुई।

- नमूना जाँच की गई सभी परियोजनाओं में अनुपयुक्त विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान या इसके बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गये थे। अनिवार्य विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान किया जाना सुनिश्चित किये बिना इन अपूर्ण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर विभागीय अधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृतियाँ प्रदान की गई थीं तथा शासन द्वारा परियोजना लागत का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया था।

- संभागों में प्राक्कलनों की तैयारी हेतु पूर्व-अपेक्षित गतिविधियों से संबंधित अभिलेख जैसे लेवल-बुक, भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन इत्यादि नहीं थे जिससे प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण थे एवं कार्यान्वयन के दौरान कार्यों की मात्राओं में वृद्धि हुई। पर्याप्त

⁸¹ बघरू, घोघरा एवं रेहटी

रूप से पूर्ण की गई छह परियोजनाओं की मात्राओं में वृद्धि 19.54 प्रतिशत से 486.54 प्रतिशत के बीच थी।

- विशिष्टियों, दर-अनुसूची इत्यादि से संबंधित प्रावधानों का पालन न करने के कारण परियोजनाओं के कार्यस्थल पर मिट्टी एवं कड़ी चट्टान की उपलब्धता की अनदेखी की गई एवं मिट्टी/ कड़ी चट्टान हेतु प्राक्कलनों में अतिरिक्त लीड को प्रावधानित किया गया था जिससे परियोजनाओं की प्राक्कलित लागत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी एवं फलस्वरूप परियोजना में अतिरिक्त लागत आई।
- प्राक्कलनों में अनावश्यक या अस्वीकार्य मदों एवं मात्राओं के समावेश के परिणामस्वरूप परियोजनाओं की अनुमानित लागत में वृद्धि हुई, जिसके कारण निविदा मूल्यांकन के लिए ठेकेदारों द्वारा उद्धृत उच्चतर दरें यथोचित प्रतीत हुईं। नमूना जाँच की गई परियोजनाओं में फिल्टर कार्यों में उपयोग के लिए अधिक सस्ती स्थानीय सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना प्राक्कलनों में अधिक महंगी सामग्री के लिए प्रावधान किए गये थे। विस्तृत प्राक्कलन को तैयार करने में अशुद्धियों के कारण 12 परियोजनाओं की कुल प्राक्कलित लागत में (₹ 681.90 करोड़) ₹ 21.29 करोड़ तक वृद्धि हुई।

लोक निर्माण विभाग

2.3 मध्य प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव

कार्यपालन सारांश

लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन, सड़कों और शासकीय भवनों के निर्माण की आयोजना, रूपांकन, निर्माण में कार्यरत है। सड़कों के निर्माण के अतिरिक्त, वार्षिक मरम्मत योजना के अंतर्गत सड़कों के रख-रखाव के लिए राज्य बजट के माध्यम से प्राप्त निधियों के उपयोग करते हुए मरम्मत और रख-रखाव भी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य में 2013-14 तक विभाग ने 19,574 कि.मी. मुख्य जिला सड़कों, 7,044 कि.मी. अन्य जिला सड़कों और 17,045 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया।

सड़कों के समय पर नवीनीकरण पर निगरानी रखने के लिए नवीनीकरण चक्र और नवीनीकरण रेखाचित्र (डायग्राम) के विवरण संभागों में संघारित नहीं किए गये थे। गारंटी अवधि के भीतर और अन्य संगठन को हस्तांतरित सड़कों के नवीनीकरण कार्य ₹ 46.95 लाख की लागत पर कार्यान्वयन हेतु प्रारंभ किए गये थे।

(कंडिका 2.3.7.1)

200 सड़कों के नवीनीकरण के लिए अधिक महँगी विशिष्टियों के अपनाने से ₹ 29.77 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई।

(कंडिका 2.3.8.1)

पैक्ड बिटुमिन के उपयोग की आवश्यकता के 107 कार्यों के संबंध में संभागों ने ₹ 30.96 करोड़ का भुगतान किया, यद्यपि ठेकेदारों द्वारा बल्क बिटुमिन का उपयोग किया गया था या पैक्ड बिटुमिन के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों से मूल प्रमाणकों का सत्यापन जैसा कि आवश्यक है, किए बिना बिटुमिनस कार्यों के लिए ₹ 105.26 करोड़ का भुगतान किया गया था। 19 सड़क कार्यों में, बिटुमिन की खपत, सैद्धांतिक खपत की तुलना में कम थी और सड़कों पर बिटुमिनस मेकेडम एवं ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कॉरपेट के कार्यान्वयन के बाद सील कोट नहीं डाला गया था जिससे गुणवत्ता प्रभावित हुई।

(कंडिका 2.3.8.2 से 2.3.8.4)

बिटुमिन, रेत, गिट्टी, मुरुम इत्यादि की प्राप्तियों एवं निर्गमों को दर्शाने वाले लेखाकरण और माप पुस्तिकाओं में संदर्भ हमें नहीं दिखाए गए, इससे पर्याप्त अभिलेखों का संधारण न होना एवं कार्यों की अनुपयुक्त माप होना इंगित हुआ।

(कंडिका 2.3.8.9)

सड़क निर्माण कार्य तीन या अधिक भागों में विभाजित किए गये थे एवं अलग अलग सौंपे गये थे एवं इस प्रकार उच्च अधिकारियों द्वारा निविदाओं की स्वीकृति के लिए अनुमोदन की आवश्यकता को टाला गया एवं समाचार पत्रों के माध्यम द्वारा विज्ञापन से बचा गया था।

(कंडिका 2.3.9.1)

सड़क निर्माण कार्यों के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ नियोजित करने के और मोटर ग्रेडर का उपयोग करने के साक्ष्य हमें प्रस्तुत नहीं किये जा सके। सड़कों के सरफेस कोर्स (सतह की परत) की सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जॉब मिक्स फार्मूले अभिलेखों में नहीं पाए गये थे।

(कंडिका 2.3.9.2 से 2.3.9.4)

कार्यान्वयन/ पूर्ण होने में विलंब ठेकेदारों पर आरोपणीय थे, किन्तु ₹ 1.32 करोड़ की राशि का निर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित नहीं की गई या कम आरोपित की गई थी।

(कंडिका 2.3.9.5)

2.3.1 प्रस्तावना

यातायात की सुरक्षा और सुविधा के लिए सड़कों का उपयोग काफी हद तक सड़कों की गुणवत्ता से शासित होता है। इसलिए सुरक्षित और सुविधाजनक सड़क के लिए सड़कों का उचित रख-रखाव अधिक महत्व रखता है।

लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन सड़कों और शासकीय भवनों की आयोजना, रूपांकन एवं निर्माण में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त, सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव भी विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य के बजट में सड़कों की वार्षिक मरम्मत और रख-रखाव के लेखा शीर्षों के अंतर्गत सड़कों के रख-रखाव हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मरम्मत और रख-रखाव गतिविधियों को मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन उप-शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:

- वार्षिक मरम्मत, सड़क को निर्माण की गई स्थिति की भाँति रखने के लिए नियमित रख-रखाव के कार्य हैं। इसके अंतर्गत पॉट होल्स दरारें आदि को भरना सम्मिलित है।
- नवीनीकरण कार्यों में, पेवमेंट क्रस्ट को संरक्षित रखने एवं आरोहण की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी पूर्व निर्धारित आवृत्ति पर ऊपरि सतह (वियरिंग सरफेस) पर नवीनीकरण आवरण (कोट) का प्रावधान सम्मिलित होता है। मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के अनुसार प्रत्येक वर्ष में सड़क की 20 प्रतिशत लंबाई को कवर करते हुए सड़क का नवीनीकरण चक्र तैयार करके पाँच वर्षों में पूर्ण करने हेतु सड़क के नवीनीकरण की योजना बनायी जाती है।
- विशेष मरम्मत कार्यों में मोड़ों, दृश्यता में मामूली सुधार, सेतुओं, पुलियों इत्यादि के मरम्मत शामिल होते हैं।

विभाग के वर्ष 2013-14 के लिए प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार, 2013-14 के अंत तक राज्य में 19,574 कि.मी. प्रमुख जिला सड़कों, 7,044 कि.मी. अन्य जिला सड़कों और 17,045 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया था। मुख्य जिला सड़कें, एक जिले के उत्पादन और बाजारों के क्षेत्रों के भीतर एक दूसरे को या मुख्य राजमार्गों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कें हैं। अन्य जिला सड़कें उत्पादन के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायें देने वाली एवं बाजार केन्द्रों, तालुका/ तहसील मुख्यालयों, विकासखंड मुख्यालयों तक या अन्य मुख्य सड़कें या एक दूसरे के साथ गांवों के समूहों एवं उच्चतर श्रेणी की एक सड़क तक निकासी प्रदान करने वाली सड़क है। मध्य प्रदेश की

मुख्य जिला सड़कों एवं अन्य सड़कों को दर्शाने वाला एक मानचित्र संलग्न है (परिशिष्ट 2.15)।

2.3.2 संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव विभाग के प्रमुख हैं। प्रमुख अभियंता (ई.-इन-सी.) विभाग के तकनीकी प्रमुख हैं जिनकी सहायता परिक्षेत्रों के सात मुख्य अभियंताओं (सी.ई.) द्वारा की जाती है। मण्डल स्तर पर 14 अधीक्षण यंत्री (एस.ई.) हैं। सड़कों और भवन कार्यों के निर्माण और रख-रखाव के लिए प्रत्येक संभाग में कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) के नेतृत्व में 55 संभागों द्वारा अधीक्षण यंत्रियों की सहायता की जाती है।

2.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने की दृष्टि से संचालित की गई थी कि क्या:

- मरम्मत और रख-रखाव के लिए सड़कों की पहचान एवं चयन करने की सौंपे जाने से पूर्व की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार थीं;
- सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के कार्य भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.) की विशिष्टियों के प्रावधानों के अनुसार, मितव्ययिता और दक्षतापूर्वक कार्यान्वित किए गये थे एवं
- कार्य का निविदाकरण, कार्य सौंपना तथा ठेकों का प्रबंधन दक्षतापूर्वक किया गया था।

2.3.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित से लिए गये मापदंडों पर आधारित थे:

- मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली, केंद्रीय लोक निर्माण लेखा संहिता,
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, आई.आर.सी. की विशिष्टियाँ,
- लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी की गई दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.)
- विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गये कार्यों से संबंधित दिशा निर्देश और अनुदेश एवं
- मरम्मत और रख-रखाव कार्यों के लिए अनुबंधों की निबंधन एवं शर्तें।

2.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा का क्षेत्र मुख्य जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव कार्यों जो कार्यपालन यंत्रियों द्वारा कार्यान्वित एवं अधीक्षण यंत्री स्तर तक पर्यवेक्षित सामान्यतः कम मूल्य के कार्य⁸² होते हैं, तक सीमित है। विभाग के सात परिक्षेत्रों और 14 मण्डलों के अधीन 55 संभागों के माध्यम से मरम्मत और रख-रखाव का कार्य किये जाते हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा, 2009-14 की

⁸² नमूना जाँच किए गये कार्यों का मूल्य, ₹ 21 लाख प्रत्येक के औसत से ₹ 2 लाख से ₹ 19 करोड़ के मध्य था।

अवधि के लिए 19 संभागों⁸³ में अभिलेखों/ प्रलेखों की नमूना जांच के माध्यम से संचालित की गई थी, जिन्हें स्तरीकृत सरल यादृच्छिक (रैंडम) नमूना चयन पद्धति का उपयोग कर चयनित किया गया था। सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव हेतु कुल 4,828 कार्यान्वित अनुबंधों में से ₹ 300.64 करोड़ मूल्य के 1,412 अनुबंधों (29 प्रतिशत) को संवीक्षा के लिए चयनित किया गया था। इस उद्देश्य हेतु, नमूना जांच की गई इकाइयों में उच्च मूल्य के अनुबंधों का चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, मापदण्ड और कार्यप्रणाली पर प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ 11 मार्च 2014 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में चर्चा की गई थी। 03 नवंबर 2014 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में विभाग के प्रमुख सचिव से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा हुई और उनके विचारों को उपयुक्त रूप से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। शासन ने लेखापरीक्षा की सभी अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

2.3.6 बजट आवंटन एवं व्यय

2009-10 से 2013-14 के वर्षों के दौरान विभाग ने राज्य में सड़कों की वार्षिक मरम्मत और नवीनीकरण पर ₹ 2,914.37 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 2,697.20 करोड़ व्यय किए थे। आवंटन एवं व्यय के वर्षवार विवरण नीचे तालिका में दिए गये हैं:

तालिका 2.6: सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव पर आवंटन एवं व्यय दर्शाने वाला पत्रक
(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	वार्षिक मरम्मत कार्य		नवीनीकरण कार्य	
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1.	2009-10	195.64	188.29	79.01	78.37
2.	2010-11	198.89	198.25	125.01	124.70
3.	2011-12	158.38	156.71	227.01	226.73
4.	2012-13	216.39	215.64	550.01	546.89
5.	2013-14	599.02	406.52	565.01	555.10
योग		1368.32	1165.41	1546.05	1531.79

(स्रोत: प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

इस प्रकार, 2009-14 की अवधि के दौरान कुल ₹ 2,914.37 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 217.17 करोड़ (7.5 प्रतिशत) की बचत थी।

19 चयनित संभागों में, 2009-14 की अवधि के दौरान सड़कों के वार्षिक रख-रखाव एवं नवीनीकरण पर व्यय क्रमशः ₹ 415.82 करोड़ एवं ₹ 584.99 करोड़ किया गया था। राज्य के बजट में संभागवार आवंटन नहीं दिया जाता है। विभाग ने भी इसे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया था। चूंकि, बजट आवंटन "सड़कों के नवीनीकरण" एवं "सड़कों की वार्षिक मरम्मत" शीर्षों के अंतर्गत दिया गया था, विभाग ने भी मुख्य जिला सड़क/ अन्य जिला सड़क/ ग्रामीण सड़क वार व्यय संघारित नहीं किया था।

⁸³ अशोक नगर, बालाघाट, बड़वानी, बुरहानपुर, छतरपुर, देवास, गुना, ग्वालियर-II, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नीमच, रायसेन, रीवा, सागर, सीहोर, टीकमगढ़, उज्जैन एवं विदिशा

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि सड़कों के नवीनीकरण के लिए पहचान की प्रणाली कमजोर थी, नवीनीकरण के लिए महँगी विशिष्टियाँ अपनाई गई थीं। कार्यों में उपयोग किए गये बिटुमिन (डामर) की गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित नहीं की गई थी, निविदाओं को स्वीकृत करने आदि की सुगमता हेतु कार्यों को विभाजित किया गया था। मरम्मत और रख-रखाव के कार्यान्वयन में ध्यान में आई कमियों की निम्नलिखित कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

2.3.7 मरम्मत और रख-रखाव कार्यों की पहचान

2.3.7.1 नवीनीकरण चक्र और कार्यक्रम आरेख

सड़कों के समय पर नवीनीकरण पर निगरानी रखने के लिए नवीनीकरण चक्र और नवीनीकरण आरेख के विवरण संभागों में संधारित नहीं थे।

एक सड़क की डामरीकृत सतह का नवीनीकरण चक्र यातायात घनत्व, वर्षा और सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करता है जैसा 1982 की आई.आर.सी.-82 की कण्डिका 6.5 में परिभाषित है। मुख्य जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण चक्र, यातायात घनत्व और वर्षा के अनुसार तीन से छह वर्षों में अलग अलग होता है।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 2.047 के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान सड़क की एक विशिष्ट दूरी (रीच) के निर्माण/ मरम्मत कार्य के लिए उपयोग की गई निर्माण सामग्री का संग्रहण और समेकन दर्शाने के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक सड़क के लिए एक नवीनीकरण चक्र और कार्यक्रम आरेख उप संभाग एवं संभाग में संधारित होना चाहिए। यह आरेख, आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान नवीनीकरण हेतु सड़क की दूरियों (रीचेज़) को निश्चित करने के लिए ध्यान में लिए जाते हैं।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2014 से जून 2014) कि चयनित 19 संभागों में से किसी ने भी नवीनीकरण चक्र और नवीनीकरण आरेख के विवरण संधारित नहीं किए थे। परिणामतः विभाग सड़कों की रीच विशेष के नवीनीकरण की आवश्यकता को सुनिश्चित नहीं कर सका। निष्पादन गारण्टी अवधि के अंतर्गत सड़कों एवं मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को पहले से ही स्थानान्तरित सड़कों के नवीनीकरण के दृष्टांतों पर अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है:

(अ) निष्पादन गारंटी अवधि के भीतर सड़कों की मरम्मत

संभागों ने गारंटी अवधि के भीतर चार सड़कों के नवीनीकरण का कार्य किया था और ₹ 46.95 लाख का व्यय किया।

तीन संभागों⁸⁴ में, दो अन्य जिला सड़कें एवं दो मुख्य जिला सड़कें⁸⁵, जो ठेकेदारों के साथ इन सड़कों के निर्माण के लिए अनुबंधों की शर्तों के अनुसार ये सड़कें पूर्ण होने की दिनांक से निष्पादन गारंटी के अंतर्गत एक वर्ष की गारंटी अवधि के भीतर थीं, की मरम्मत का कार्य पांच अनुबंधों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2014 से जून 2014) कि संभागों ने इन सड़कों के नवीनीकरण के कार्य प्रारंभ किए थे (2010-11 से 2012-13) और कार्य ठेकेदारों को

⁸⁴ छतरपुर, खरगोन एवं रायसेन

⁸⁵ चांदला-अजयगढ़ सड़क (एम.डी.आर.), एन्टाखेड़ी-अजितनगर सड़क (ओ.डी.आर.), लौंडी-महोबा सड़क (एम.डी.आर.), मल्हरा-लौंडी सड़क एवं नगझिरी-घुट्टी सड़क (ओ.डी.आर.)

सौंपे थे, यद्यपि ये कार्य गारंटी अवधि के भीतर थे; और इन कार्यों पर ₹ 46.95 लाख का व्यय किया गया था, जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.7: सड़कें, जो निष्पादन गारंटी अवधि के अंतर्गत थी, की मरम्मत के विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंध क्र./ वर्ष	सड़कों का नाम/ कि.मी.	कार्य पूर्ण करने की तिथि	गारंटी अवधि	कार्यादेशों के दिनांक	मूल ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि
1	रायसेन	173/11-12	एन्टाखेड़ी- अजित नगर सड़क (कि.मी. 5 से कि.मी. 14)	15.05.12	16.05.12 से 15.05.13	30.05.12	15.61
2	खरगोन	192/10-11	नगझिरी- घुट्टी रोड (कि.मी. 5 एवं कि.मी. 6)	14.04.11	15.04.2011 से 14.04.12	28.11.11	08.27
3	छतरपुर	96/11-12	एम.एल.सी.ए. रोड कि.मी. 49, 50 एवं कि.मी. 51)	05.03.12	06.03.12 से 05.03.13	06.03.12	08.04
4	छतरपुर	96/11-12	लौंडी-महोबा सड़क (कि.मी. 1 एवं 2)	05.03.12	06.03.12 से 05.03.13	06.03.12	05.36
5	छतरपुर	140/10-11	एम.एल.सी.ए. रोड (कि.मी. 38)	20.10.11	21.10.11 से 20.10.12	01.02.12	09.67
योग							46.95

(स्रोत: संभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

इस प्रकार, आयोजना दोषपूर्ण थी, क्योंकि सड़कें निष्पादन गारंटी के अंतर्गत संधारित की जानी आवश्यक थीं। संभाग भी निष्पादन गारंटी के अंतर्गत मरम्मत कार्यों को करने के लिए संबंधित ठेकेदारों द्वारा किये गये ठेके के अनुपालन को प्रभावशील करने में विफल रहे।

विभाग द्वारा, इन सड़कों के नवीनीकरण पर व्यय की गई लागत की वसूली संबंधित ठेकेदारों से करने के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई, जिन्होंने मूल कार्यों को निष्पादित किया एवं इन कार्यों के लिए गारंटी प्रायोजित की थी।

(ब) हस्तांतरित सड़कों का नवीनीकरण

नीमच संभाग में, दो सड़कें (अन्य जिला सड़कें) उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को मार्च 2009 में स्थानांतरित की गई थीं। संभाग ने, फिर भी, इन सड़कों⁸⁶ के नवीनीकरण के लिए कार्यादेश क्रमशः मार्च 2012 और अक्टूबर 2012 में जारी किए और ₹ 27.26 लाख की लागत से उनको पूरा किया। हमारे पत्र के उत्तर में मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने सूचित किया (मई 2014) कि उसने जुलाई 2009 और नवंबर 2012 के दौरान इन सड़कों⁸⁷ के उन्नयन के लिए कार्यादेश जारी किए थे और कार्यान्वयन के लिए कार्य प्रारंभ किए थे। इस प्रकार, विभाग ने उन सड़कों पर व्यय किया, जो पहले से ही मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी गई थीं, जो आयोजना में कमियों और दो विभागों के बीच समन्वय के अभाव को इंगित करता है।

ऐसी सड़कों के नवीनीकरण पर ₹ 27.26 लाख व्यय किए गये जो पहले से ही मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित की जा चुकी थीं।

⁸⁶ रेवली-देवली सड़क (मार्च 2012), भाटखेड़ी-जमुनिया-रावजी सड़क (अक्टूबर 2012)

⁸⁷ भाटखेड़ी-जमुनिया-रावजी सड़क (जुलाई 2009), रेवली-देवली सड़क (नवंबर 2012)

निर्गम सम्मेलन में, प्रमुख अभियंता ने बताया कि नवीनीकरण चक्र और आरेख से संबंधित अभिलेखों को संधारित किया जाना है एवं उन संभागों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी जहां अभिलेख संधारित नहीं किए जा रहे थे। उन्होंने यह सूचित किया कि विभाग द्वारा सड़कों के समयबद्ध नवीनीकरण पर निगरानी/ परीक्षण रखने एवं सड़क निर्माण कार्यों के इतिहास के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा था। वे मरम्मत के लिए सड़कों के अनियमित चयन के दृष्टांतों की जाँच पड़ताल करने हेतु सहमत हुए।

नवीनीकरण कार्य के समयबद्ध कार्यान्वयन एवं नवीनीकरण की आवश्यकता वाली सड़क की पहचान एवं चयन सुनिश्चित करने के लिए सभी सड़कों के नवीनीकरण चक्र और नवीनीकरण आरेख संधारित किए जाने चाहिए।

2.3.8 मरम्मत और रख-रखाव कार्यों का कार्यान्वयन

अनुबंधों की शर्तों और निबंधनों में अपेक्षित है कि कार्यों को सस्ती से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुरूप कार्यान्वित किया जाएगा। नमूना जाँच किए गये 19 संभागों में कुल 4,828 अनुबंध स्वीकृत एवं कार्यान्वित किए गये थे। दर अनुसूची (अप्रैल 2009) के आधार पर 3.75 मीटर चौड़ाई की सड़क की डामरीकृत सतह का सेमी डेन्स बिटुमिनस कांक्रीट (एस.डी.बी.सी.) के साथ, ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कॉरपेट (ओ.जी.पी.सी.) और सील कोट के साथ तथा सरफेस ड्रेसिंग से नवीनीकरण की औसत लागत क्रमशः ₹ 4.91 लाख ₹ 4.43 लाख और ₹ 1.91 लाख प्रति किलोमीटर थी। संवीक्षा किए गये 1,412 अनुबंधों में से 838 अनुबंधों (लागत ₹ 186.80 करोड़) में निर्धारित विशिष्टियों से विचलन तथा अन्य कमियाँ देखी गई थीं। इससे 18 संभागों में 336 अनुबंधों के संबंध में ठेकेदारों से ₹ 38.69 करोड़ की वसूली योग्य राशि एवं अतिरिक्त व्यय भी हुआ, जैसी अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

2.3.8.1 सड़कों के नवीनीकरण के लिए अधिक महँगी विशिष्टियाँ अपनाना

200 सड़कों के नवीनीकरण में महँगी विशिष्टियाँ अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.77 करोड़ की अतिरिक्त लागत आई।

आई.आर.सी.: 82-1982 की विशिष्टियों की कण्डिका 6.5, मुख्य जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों के तीन से छह वर्ष के अंतराल पर सरफेस (सतह) ड्रेसिंग के साथ नवीनीकरण को प्रावधानित करती है। प्रमुख अभियंता ने यह निर्देशित किया था (1992) कि अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों का नवीनीकरण सरफेस ड्रेसिंग प्रणाली द्वारा किया जाना चाहिए।

11 संभागों में (परिशिष्ट 2.16) हमने अवलोकित किया (फरवरी 2014 से जून 2014) कि 53 मुख्य जिला सड़कों एवं 147 ग्रामीण सड़कों सहित अन्य जिला सड़कों (1,028 सड़क कार्यों में से) में नवीनीकरण के लिए विशिष्टियों में निर्धारित सरफेस ड्रेसिंग का उपयोग करने के स्थान पर नवीनीकरण की अधिक महँगी पद्धति अर्थात् एस.डी.बी.सी. या 20 मि.मी. ओ.जी.पी.सी. के साथ सील कोट (राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के लिए स्वीकार्य) अवधि के दौरान अपनाये गये थे (अप्रैल 2010 से मार्च 2014)। अधिक महँगी विशिष्टियाँ अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 29.77 करोड़ (परिशिष्ट 2.16) की अतिरिक्त लागत आई।

निर्गम सम्मेलन में प्रमुख अभियंता ने उत्तर दिया कि सड़कों के नवीनीकरण के लिए पद्धति का चयन विशुद्ध रूप से एक तकनीकी विषय है एवं सरफेस ड्रेसिंग सड़कों के नवीनीकरण के लिए एक समर्थ पद्धति नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.आर.सी. विशिष्टियों में मुख्य जिला सड़कों/ अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के लिए सरफेस ड्रेसिंग एक निर्धारित पद्धति है और विशिष्टियों से विचलन के लिए अभिलेखों में कोई कारण नहीं दिया गया था।

मितव्ययता के साथ-साथ सड़कों की गुणवत्ता एवं सुदृढ़ता को संधारित करने के लिए सड़क निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित विशिष्टियों का पालन किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी आवश्यक हो विशिष्टियों में परिवर्तन के लिए औचित्य के साथ आदेशों को जारी किया जाना चाहिए।

2.3.8.2 पैकड बिटुमिन के स्थान पर बल्क बिटुमिन का उपयोग और ठेकेदारों द्वारा बिटुमिन के बीजक प्रस्तुत नहीं करना

सड़क कार्यों के मरम्मत और रख-रखाव के लिए अनुबंधों की निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करते हैं कि ठेकेदारों को बिटुमिनस कार्यों के भुगतान को, सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों से बिटुमिन क्रय के लिए मूल प्रमाणकों/ बीजकों को प्रस्तुत करने के बाद ही प्राधिकृत किया जाना था। प्रत्यक्ष रूप से, आवश्यक मात्रा में गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुबंध में यह आवश्यकता सम्मिलित की गई थी।

हमारे ध्यान में निम्नलिखित आया:

(अ) 90 मुख्य जिला सड़कों एवं 437 अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के बिटुमिनस कार्यों हेतु 16 संभागों द्वारा निष्पादित 527 अनुबंधों में ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों से बिटुमिन क्रय के लिए मूल बीजक प्रस्तुत नहीं किए गये थे या कम मात्रा के लिए डुप्लीकेट बीजक प्रस्तुत किए गये थे। इस प्रकार, 16,161 मीट्रिक टन आवश्यक मात्रा की उचित गुणवत्ता के बिटुमिन का उपयोग इन कार्यों में सुनिश्चित नहीं किया गया था। इन कार्यों के लिए ठेकेदारों को ₹ 105.26 करोड़ की कुल राशि का भुगतान किया गया था (परिशिष्ट 2.17)।

आगे, ऊपर बताए गये 16 संभागों में से तीन संभागों⁸⁸ में 2011-14 के दौरान कार्यान्वित 107 अन्य अनुबंधों (13 मुख्य जिला सड़कों और 94 अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के लिए) में अन्य बातों के साथ ठेकों में पैकड बिटुमिन के उपयोग के लिए शर्त सम्मिलित थी। ठेकेदारों ने पैकड बिटुमिन के क्रय के समर्थन में पैकड बिटुमिन के स्थान पर या तो बल्क बिटुमिन के डुप्लीकेट बीजकों को प्रस्तुत किया था अथवा बीजकों को प्रस्तुत नहीं किया था। तथापि, संभागों ने अनुबंधों की शर्तों के अनुसार पैकड बिटुमिन का उपयोग सुनिश्चित किए बिना ही कार्यों के लिए ठेकेदारों को ₹ 30.96 करोड़ का भुगतान किया। हमने आगे देखा कि पैकड बिटुमिन की तुलना

अनुबंधों के प्रावधानों के विपरीत 16 संभागों ने 527 अनुबंधों में बिटुमिन के मूल बीजक प्राप्त किए बिना ठेकेदारों को ₹ 105.26 करोड़ का भुगतान किया था एवं 107 अनुबंधों में पैकड बिटुमिन के उपयोग को सुनिश्चित किए बिना ₹ 30.96 करोड़ का भुगतान किया गया था।

⁸⁸ बालाघाट, नीमच एवं विदिशा

में बल्क बिटुमिन ₹ 3,000 प्रति मीट्रिक टन⁸⁹ तक सस्ता था। इसलिए 4,202 मीट्रिक टन बिटुमिन की सैद्धांतिक खपत⁹⁰ के मूल्य में अंतर होने से ठेकेदारों से ₹ 1.26 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी (परिशिष्ट 2.18)।

इसके अतिरिक्त, बल्क बिटुमिन के उपयोग को अनुमत करने या पैकड बिटुमिन की आपूर्ति के समर्थन में मूल बीजक की पुष्टि नहीं करने के कारण, इन कार्यों में उपयोग किए गये बिटुमिन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

(ब) चार संभागों⁹¹ (16 संभागों में से) में 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान 18 अनुबंध (दो मुख्य जिला सड़कों और 16 अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के संबंध में) निष्पादित किए गये थे (परिशिष्ट 2.19)। ठेकेदारों ने बिटुमिन प्राप्ति के समर्थन में ऐसे बीजक प्रस्तुत किए थे, जो ठेकेदारों द्वारा पहले से ही अन्य अनुबंधों/ कार्यों के लिए प्रस्तुत किए जा चुके थे या सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्ति की रसीदें प्रस्तुत की थीं जैसा कि लेखापरीक्षा में सत्यापित किया गया था। इन सड़क कार्यों में, जिनके लिए बिटुमिन की 967.73 मीट्रिक टन की आवश्यकता थी, बिटुमिनस कार्य के लिए ठेकेदारों को ₹ 6.72 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसके विरुद्ध, 95.19 मीट्रिक टन बिटुमिन के वास्तविक प्रमाणक प्रस्तुत किए एवं 451.29 मीट्रिक टन बिटुमिन के लिए अस्वीकार्य रसीदें/ प्रमाणक प्रस्तुत किए गये थे जैसा **परिशिष्ट 2.19** में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, बिटुमिन के 421.25 मीट्रिक टन से संबंधित प्रलेख, अभिलेखों में नहीं पाए गये थे। इस प्रकार ₹ 6.72 करोड़ की लागत के बिटुमिनस कार्यों का कार्यान्वयन, क्रय प्रमाणकों द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित नहीं था।

निर्गम सम्मेलन में शासन लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमत हुआ एवं इस संबंध में विभागीय परिपत्र जारी करने का आश्वासन दिया। तथ्य यद्यपि वही है कि बिटुमिन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी, बिटुमिन क्रय हेतु बीजकों को प्राप्त किए बिना ठेकेदारों को भुगतान प्राधिकृत किया गया था एवं मूल्य का अंतर बिना वसूली के रह गया।

बिटुमिन के क्रय के मूल प्रमाणकों के सत्यापन के बाद बिटुमिनस कार्य के लिए भुगतान किया जाना चाहिए एवं जहाँ अनुबंधों में प्रावधान हो पैकड बिटुमिन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

2.3.8.3 बिटुमिनस कार्यों में सील कोट का प्रयोग

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित बिटुमिनस कार्यों के निर्माण और पर्यवेक्षण के लिए नियमावली की कण्डिका 8.4.9.7 और 8.4.9.8 में उपबंधित है कि सड़क की अंतिम सतह के रूप में उपयोग किए गये ओ.जी.पी.सी. को इसके बिछाने

⁸⁹ कार्यान्वयन की अवधि के दौरान इंडियन ऑयल कार्पोरेशन द्वारा प्रकाशित दरों के आधार पर ₹ 3,000 प्रति मी.टन की औसत दर अपनायी गई है। निकटतम डिपो में फरवरी 2013 में पैकड बिटुमिन एवं बल्क बिटुमिन की दरें क्रमशः ₹ 39,380 प्रति मी.टन एवं ₹ 36,380 प्रति मी.टन (करों को छोड़कर) थीं।

⁹⁰ विशिष्टियों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्टैंडर्ड डाटा बुक एवं सड़क कार्यों के लिए लागू दरों की अनुसूची के अनुसार बिटुमिन की सैद्धांतिक खपत की दर

⁹¹ बालाघाट, छतरपुर, देवास एवं मंदसौर

नौ सड़क कार्यों में ओ.जी.पी.सी. एवं बी.एम. कार्यान्वित करने के बाद सील कोट नहीं किया गया था और ₹ 34.49 लाख मूल्य के कार्य को शीघ्रता से खराब होने के लिए खुला छोड़ दिया था।

19 सड़क कार्यों में बिटुमिन की खपत सैद्धांतिक खपत की तुलना में कम थी जिसके लिए ठेकेदारों से ₹ 40.94 लाख की राशि वसूली योग्य थी।

के बाद चार से छह घंटे के भीतर सील कोट द्वारा कवर किया जाना चाहिए और सील कोट के बिना प्रीमिक्स कॉरपेट पर यातायात को अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।

हमने अवलोकित किया कि तीन संभागों (बालाघाट, छतरपुर, और ग्वालियर क्र.11) में 2009-14 के दौरान सौंपे गये 614 कार्यों में से एक मुख्य जिला सड़क एवं आठ अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण कार्यों के संबंध में ओ.जी.पी.सी. एवं बी.एम. (बी.एम.) के कार्यान्वयन के बाद सील कोट का कार्य नहीं किया गया था जैसा कि अंतिम देयकों में इंगित किए गये मापों से स्पष्ट हुआ। संभागों ने ठेकेदारों को ओ.जी.पी.सी./ बी.एम. की लागत सहित अंतिम देयकों का भुगतान किया। इस प्रकार, ओ.जी.पी.सी. या बी.एम. को बिना सील किए, सड़कों को यातायात के लिए खोल दिया गया था जो न केवल विशिष्टियों के विरुद्ध था, अपितु ₹ 34.49 लाख लागत का कार्य शीघ्रता से खराब होने के लिए खुला छोड़ दिया गया था (परिशिष्ट 2.20)।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने सहमति व्यक्त की एवं बताया कि सील कोट बिछाना चाहिए था और इस मामले की जाँच पड़ताल करने का आश्वासन दिया।

2.3.8.4 मरम्मत कार्य में बिटुमिन का उपयोग

सड़क और सेतु कार्यों के लिए विशिष्टियों की कण्डिका 507.3.2 उपबंधित करती है कि एस.डी.बी.सी. कार्य के लिए मिश्रण⁹² में बिटुमिन की मात्रा का उपयोग उस कार्य हेतु अनुमोदित जॉब मिक्स फार्मूले के अनुसार होना चाहिए। मिश्रण में प्रयुक्त सामग्री के स्रोत और भराव (चूना या सीमेंट) के अनुसार मिश्रण में बिटुमिन का प्रतिशत भिन्न हो सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्टैंडर्ड डाटा बुक के अनुसार मिश्रण का भार 2,300 किलोग्राम प्रति घनमीटर मानते हुए, मिश्रण में बिटुमिन की सैद्धांतिक मात्रा 115 किलोग्राम प्रति घनमीटर होती है।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2014 से मई 2014) कि मंदसौर संभाग में 189 कार्यों में से दो मुख्य जिला सड़कों और 17 अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के कार्य में 11,135.39 घनमीटर एस.डी.बी.सी. कार्य कार्यान्वित किया गया था। किन्तु कार्यों के लिए जॉब मिक्स फार्मूला यदि कोई अनुमोदित हुआ था, तो विवरण पूछे जाने पर हमें उपलब्ध नहीं कराए जा सके। कार्यों के लिए माप-पुस्तिकाओं से इंगित हुआ कि खपत मानदंड के अनुसार बिटुमिन की 12,80,569.85 किलोग्राम की आवश्यक मात्रा के विरुद्ध वास्तव में खपत किया गया बिटुमिन 11,17,324.40 किलोग्राम⁹³ था। चूंकि वास्तविक खपत 1,63,245.45 किलोग्राम तक कम थी, कार्य विशिष्टियों के अनुसार कार्यान्वित नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप, सड़कों के लिए आवश्यक मजबूती को सुनिश्चित नहीं किया गया था। बिटुमिन की कम खपत के लिए ठेकेदारों से ₹ 40.94 लाख की राशि भी वसूली योग्य थी (परिशिष्ट 2.21)।

निर्गम सम्मेलन में शासन इस मामले की जाँच पड़ताल करने के लिए सहमत हुआ।

⁹² एस.डी.बी.सी. हेतु मिश्रण में सीमेंट, एकत्रित गिट्टी एवं बिटुमिन सम्मिलित हैं।

⁹³ मिश्रण के प्रति घनमीटर 100 किलोग्राम की दर से

2.3.8.5 अतिरिक्त वियरिंग कोर्स का कार्यान्वयन

सड़क एवं सेतु निर्माण हेतु विशिष्टियों की कण्डिका 510, 511 एवं 513 में दी गई परिभाषा के अनुसार सील कोट के साथ 20 मि.मी. ओ.जी.पी.सी. और सरफेस ड्रेसिंग दोनों बिटुमिनस वियरिंग कोर्स हैं। इसलिए, दोनों में से किसी एक को सड़कों की अंतिम सतह के लिए उपयोग किया जा सकता है।

हमने माप पुस्तिकाओं एवं अन्य अभिलेखों में अवलोकित किया (फरवरी 2014 से जून 2014) कि 2010-13 के दौरान गुना और ग्वालियर-॥ संभागों में कार्यान्वित किए गये सात अनुबंधों⁹⁴ में अन्य जिला सड़कों के कार्यों के प्राक्कलनों में सरफेस ड्रेसिंग की एक अतिरिक्त परत का प्रावधान किया गया और 20 मि.मी. मोटे ओ.जी.पी.सी. और सील कोट के कार्यान्वयन से पहले इसे सड़कों पर कार्यान्वित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सरफेस ड्रेसिंग पर ₹ 18.95 लाख (परिशिष्ट 2.22) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

निर्गम सम्मेलन में शासन इस मामले जाँच पड़ताल करने के लिए सहमत हुआ।

2.3.8.6 विशिष्टियों के अनुरूप न किए गये कार्यों को स्वीकार करना

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाशित दर अनुसूची में दी गई सामान्य टिप्पणियों के अनुसार, यदि कोई कार्य अवमानक पाया जाता है किन्तु प्रभारी अभियंता की राय में इसे घटी दर पर स्वीकार किया जा सकता हो, तब प्रभारी अभियंता इसके लिए विश्लेषण द्वारा समर्थित अर्थात् ऐसी कमी या वृद्धि के औचित्य के साथ प्रस्तावों को संबंधित अधीक्षण यंत्री से उसका अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करेगा। अधीक्षण यंत्री के आदेशों के साथ अनुमोदित विश्लेषण, ठेकेदारों के अंतिम देयकों के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।

पांच संभागों⁹⁵ में 2009-10 से 2013-14 के दौरान कार्यान्वित किए गये नौ मुख्य जिला सड़कों एवं 48 अन्य जिला सड़कों/ग्रामीण सड़कों के कार्यों के संबंध में हमने अवलोकित किया (फरवरी 2014 से जून 2014) कि विभिन्न मदों की दरों को 0.25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक कम करने के बाद ठेकेदारों को ₹ 3.41 करोड़ का भुगतान किया गया था (परिशिष्ट 2.23) जो इंगित करता है कि कार्य अपेक्षित विशिष्टियों के अनुसार कार्यान्वित नहीं किए गये थे। अवमानक कार्य हेतु दरों में कमी के लिए औचित्य और विश्लेषण के साथ कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए अधीक्षण यंत्री को भेजा जाना संभागों के अभिलेखों में नहीं पाया गया था, यद्यपि यह ठेकेदारों को भुगतान करने से पहले आवश्यक था। इस प्रकार विशिष्टियों से पूर्ण रूप से पुष्टिकरण न होने वाले कार्यों को स्वीकार किया जाना और उनके लिए भुगतान, अनियमित और अन्यायसंगत था।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने इस मामले की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की और इस संबंध में एक विभागीय अनुदेश जारी करने का आश्वासन दिया।

₹ 3.41 करोड़
लागत के अवमानक
कार्य दरें घटाकर
उच्च प्राधिकारी के
अनुमोदन के बिना
स्वीकार किए गये थे।

⁹⁴ गुना संभाग में बंजारापुरा से डोंगरखेड़ी सड़क एवं ग्वालियर संभाग में मुरार-चिनोर सड़क (चार अनुबंध), डबरा-चिनोर सड़क एवं बरूआ पहुंच मार्ग

⁹⁵ बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर क्र.॥, नीमच एवं रीवा

कार्य के कार्यान्वयन में बड़े आकार की गिट्टी और कम बिटुमिन का उपयोग किया गया था।

2.3.8.7 ओ.जी.पी.सी. कार्यों में गिट्टी और बिटुमिन का उपयोग

आई.आर.सी. द्वारा बिटुमिनस कार्यों के निर्माण और पर्यवेक्षण के लिए प्रकाशित नियमावली की कंडिका 4.3.5.3 के अनुसार, ओ.जी.पी.सी. के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक गिट्टी का आकार 5.60 मि.मी. से 13.20 मि.मी. तक होना चाहिए एवं बिटुमिन/ इमल्शन की मात्रा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार होना चाहिए।

हमने अवलोकित किया (मार्च 2014) कि 2012-13 के दौरान रायसेन संभाग में एक ठेकेदार को एक अनुबंध के अंतर्गत तीन अन्य जिला सड़कों⁹⁶ के बिटुमिनस सतह (बी.टी.) पैच मरम्मत का कार्य श्रम अनुबंध के आधार पर सौंपा गया था। माप पुस्तिकाओं के अनुसार, ठेकेदार ने 45 मि.मी. तक के विभिन्न आकार की गिट्टी का उपयोग कर 10,877.33 वर्ग मीटर में एक समान मोटाई का 20 मि.मी. मोटा ओ.जी.पी.सी. कार्यान्वित किया था। आगे, 25.93 मीट्रिक टन बिटुमिन और 10.88 मीट्रिक टन इमल्शन की सैद्धांतिक खपत के विरुद्ध क्रमशः 17.31 मीट्रिक टन बिटुमिन और 3.80 मीट्रिक टन इमल्शन ही विभागीय भण्डार से निर्गमित किया गया था। दर अनुसूची (अप्रैल 2009) के आधार पर ओ.जी.पी.सी. के कार्य का मूल्य ₹ 19.04 लाख⁹⁷ संगणित होता है। कम मात्रा में बिटुमिन और बड़े आकार की गिट्टी के साथ ओ.जी.पी.सी. के कार्य का कार्यान्वयन संदेहास्पद था।

निर्गम सम्मेलन, में शासन ने इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

2.3.8.8 मरम्मत कार्यों की माप

12 सड़क कार्यों के संबंध में, बिटुमिनस मेकेडम के लेवल की माप को अंकित किए बिना एवं बी.यू.एस.जी. कार्य के गिट्टी के चट्टों की माप के बिना ठेकेदारों को ₹ 3.81 करोड़ का भुगतान किया गया।

सड़क एवं सेतु निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों की कण्डिका 113 में प्रावधान है कि सब-बेस, बेस और बिटुमिनस परतों की मात्रा, कार्यों के कार्यान्वयन से पहले और कार्यान्वयन के बाद लिये गये लेवल के आधार पर संगणित की जाएगी और आयतन के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर प्रकाशित दर अनुसूची, कार्य के लिए आवश्यक गिट्टी की मात्रा की संगणना के लिए निर्धारित करती है कि कार्य हेतु उपयोग के पूर्व इसे ठेकेदार द्वारा लाया जाना चाहिए, कार्य पर उपयोग से पूर्व कार्य स्थल पर चट्टे लगाना चाहिए, माप लेना चाहिए एवं माप-पुस्तिका में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2014 से जून 2014) कि छह संभागों⁹⁸ में 12 सड़कों (एक मुख्य जिला सड़क और 11 अन्य जिला सड़कें/ ग्रामीण सड़कें) के संबंध में बी.एम. कार्य के पूरा होने से पूर्व और बाद के लेवल अंकित किए बिना और बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट (बी.यू.एस.जी.) कार्य के लिए चट्टों के माप लिए बिना ठेकेदारों को ₹ 3.81 करोड़ का भुगतान किया गया था (परिशिष्ट 2.24)। ठेकेदारों को भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, बी.एम. एवं बी.यू.एस.जी. कार्य की मापों के लिए मात्र

⁹⁶ राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से देवरी पहुंच मार्ग, चैनपुर-गगनवारा सड़क कि.मी. 1 से कि.मी.10 एवं अमरावद भारकच्छ सड़क कि.मी. 1 से कि.मी.9 एवं कि.मी.14 से कि.मी.17

⁹⁷ 10,817.33 वर्गमीटर पर ₹ 176 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्राईमर कोट, टैक कोट एवं सीलकोट के साथ ओ.जी.पी.सी. की लागत

⁹⁸ बड़वानी, बुरहानपुर, कटनी, रीवा, सागर एवं उज्जैन संभाग

सतह क्षेत्र को विचारित किया गया था। इसलिए, बी.एम. एवं बी.यू.एस.जी. कार्यों का आयतन (परत की मोटाई को विचारित करते हुए) सुनिश्चित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन कार्यों में अतिरिक्त भुगतान की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने इस मामले की जाँच पड़ताल के लिए सहमति व्यक्त की। एक कार्य के संबंध में निर्माण सामग्री की प्राप्तियों और निर्गमों को दर्शाने वाले अभिलेख तथा लेवल के माप दर्शाने वाली माप-पुस्तिकाएं संधारित की जानी चाहिए।

2.3.8.9 मरम्मत और रख-रखाव कार्यों के लिए निर्माण सामग्री का क्रय

बिटुमिन, रेत, गिट्टी, मुरुम इत्यादि की प्राप्तियों और निर्गम का लेखाकरण और माप-पुस्तिकाओं का संदर्भ अभिलेखों में नहीं था।

नियमावली की कण्डिका 4.092, उपबंधित करती है कि संभागों एवं उपसंभागों में सभी सड़क सामग्रियों की एक पंजी संधारित की जाएगी जिसमें समस्त प्राप्तियों एवं निर्गमों तथा माप-पुस्तिकाओं के पृष्ठ एवं क्रमांक, जिसमें सड़क सामग्री के देयकों को अंकित किया गया हो, के विवरण दर्शाए जाएंगे। सामग्री को कार्य पर सीधे प्रभारित किया जाता है जिसका लेखाकरण कार्यस्थल सामग्री लेखा (एम.ए.एस.) में किया जाता है।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2014 से जून 2014) कि आठ संभागों में 2012-13 और 2013-14 के दौरान विभागीय रूप से सड़कों के मरम्मत और रख-रखाव के लिए सार्वजनिक रिफाइनिंग से ₹ 2.36 करोड़ मूल्य का बिटुमिन क्रय किया गया था (परिशिष्ट 2.25)। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान 11 संभागों में ₹ 5.94 करोड़ मूल्य का रेत, गिट्टी, मुरुम इत्यादि भी खरीदे गये थे (परिशिष्ट 2.25)। तथापि, सामग्री की प्राप्तियों और निर्गम एवं माप-पुस्तिकाओं के संदर्भ दर्शाने वाले लेखाकरण या कार्यस्थल सामग्री लेखे मांगे जाने पर हमें नहीं दिखाये जा सके। ऐसे अभिलेखों के अभाव में, सामग्री के क्रय की आवश्यकता और उपयोगिता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने सहमति व्यक्त की कि बिटुमिन और सामग्री की प्राप्तियों और निर्गमों के अभिलेख संधारित किए जाने चाहिए और इस मामले की जांच करने का आश्वासन दिया।

2.3.8.10 निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन में नियंत्रण का अभाव

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कण्डिका 1.003 के अनुसार, प्रमुख अभियंता को विभाग की सभी गतिविधियों पर संपूर्ण पर्यवेक्षी शक्तियाँ होंगी और विभाग के समुचित कार्यप्रणाली के लिए शासन के प्रति उत्तरदायी होंगे। मुख्य अभियंता संबंधित परिक्षेत्रों के प्रमुख होंगे। आगे, मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली और विभागीय अनुदेश निर्धारित करते हैं कि अधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री स्तर पर पर्यवेक्षण के माध्यम से कार्यपालन यंत्री एवं अधीनस्थ यंत्री निर्माण कार्यों का विशिष्टियों के अनुसार कार्यान्वयन करने, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, कार्यस्थल सामग्री लेखाओं और माप-पुस्तिकाओं के संधारण हेतु उत्तरदायी हैं।

हमने अवलोकन किया कि कार्यान्वयन में दक्षता और मितव्ययता सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन के परिवीक्षण के लिए कोई निर्धारित तंत्र नहीं था। जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, कार्य उच्च

विशिष्टियों के साथ कार्यान्वित किए गये थे, बिटुमिनस कार्यों में उपयोग किए गये बिटुमिन की मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी, मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों के दौरान निर्धारित विशिष्टियों की अनदेखी की गई और कार्य के गलत माप तथा सामग्री लेखाओं का संधारण नहीं किए जाने के उदाहरण थे। कार्यान्वयन के दौरान प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंता के स्तर पर नियंत्रण के अभाव में ये उनके ध्यान में आने से छूट गये थे।

2.3.9 ठेका प्रबंधन

ठेका प्रबंधन, वित्तीय और परिचालन निष्पादन को अधिकतम बढ़ाने और जोखिम को न्यूनतम करने के उद्देश्य से ठेका सृजन, कार्यान्वयन और विश्लेषण का व्यवस्थित रूप से एवं कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने की प्रक्रिया है। ₹ 195.61 करोड़ लागत के सड़क निर्माण कार्यों के 1035 अनुबंधों की नमूना जांच के दौरान ध्यान में आई ठेका प्रबंधन में कमियों पर अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

2.3.9.1 कार्यों के विभाजन के बाद निविदाकरण और कार्य सौंपा जाना

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के आदेश (मई 2008)⁹⁹ के अनुसार, कार्यपालन यंत्री ₹ 20 लाख तक मूल्य के कार्यों की निविदा स्वीकार करने के लिए सक्षम हैं। अधीक्षण यंत्री ₹ 20 लाख से अधिक और ₹ 2 करोड़ तक मूल्य की निविदा स्वीकार करने के लिए सक्षम हैं, मुख्य अभियंता ₹ 5 करोड़ तक मूल्य की निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम हैं एवं प्रमुख अभियंता ₹ 7.50 करोड़ तक मूल्य की निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम हैं। नियमावली की कण्डिका 2.077 के अनुसार ₹ 2 लाख से अधिक लागत के कार्यों हेतु निविदा समाचार पत्रों में विज्ञापित की जाएगी। मध्य प्रदेश वित्तीय संहिता का नियम 148 (2) प्रावधानित करता है कि अनुमोदन एवं स्वीकृतियों के उद्देश्य से एक कार्यों का समूह जो एक परियोजना बनाता है एक कार्य के रूप में माना जाना चाहिए और उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता को टाला नहीं जाना चाहिए।

सात संभागों¹⁰⁰ में, 2009-14 के दौरान 80 सड़कों के संबंध में ₹ 13.39 करोड़ (परिशिष्ट 2.26) की कुल लागत के अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के 223 अनुबंध किए गये थे। हमारे ध्यान में निम्नलिखित आया (फरवरी 2014 से जून 2014):

27 सड़कों के संबंध में, जहां प्रत्येक सड़क की लागत ₹ 20 लाख से अधिक और ₹ 1.76 करोड़ तक थी, कार्यपालन यंत्रियों द्वारा तीन से 13 भागों में विभाजित कर प्रत्येक भाग की लागत ₹ 20 लाख या कम रखते हुए 82 अनुबंधों के माध्यम से उन्हें अलग अलग ठेकों पर सौंपा गया था। इस प्रकार, उच्च प्राधिकारी (एस.ई.) द्वारा निविदाओं की स्वीकृति के लिए अनुमोदन की आवश्यकता से बचा गया था।

पुनः, 53 अन्य सड़कों के संबंध में, जहां प्रत्येक सड़क की लागत ₹ 2 लाख से अधिक थी, इन्हें भी तीन या अधिक भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक को ₹ 2 लाख या कम मूल्य पर रखकर 141 अनुबंध किए गये थे। इस प्रकार, इन प्रकरणों में (परिशिष्ट 2.26) समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन की आवश्यकता से

उच्च प्राधिकारी द्वारा निविदाओं की स्वीकृति हेतु अनुमोदन और समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन की आवश्यकता को टालने के लिए 80 सड़कों के कार्य, 3 से 13 भागों में विभाजित किए गये थे।

⁹⁹ आदेश क्रमांक 879/ 2008/ नियम/ चार/ 395 दिनांक 23 मई 2008

¹⁰⁰ बालाघाट, छतरपुर, ग्वालियर-II, खरगोन, मंदसौर, नीमच एवं सीहोर

बचा गया था। इसलिए, इन सड़क कार्यों के लिए और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने का अवसर, एक ही सड़क के कार्यों के संयोजन नहीं करने के कारण समाप्त हो गया था।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने बताया कि इस मामले की जांच की जाएगी।

कार्यों को विभाजित न किए जाने एवं विज्ञापन करने के संबंध में नियमावली, संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग के आदेशों के अनुवर्तन को प्रभावशील किया जाना चाहिए।

2.3.9.2 ठेकेदार द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों का नियोजन

₹ 14.11 करोड़ लागत के 15 सड़क कार्यों के नवीनीकरण के संबंध में यह दर्शाने के लिए कोई भी अभिलेख नहीं थे कि आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किए गये थे।

सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव हेतु अनुबंधों की सामान्य निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार जब कार्य ₹ 25 लाख से अधिक लागत का कार्यान्वित किया जाना हो तो ठेकेदार एक ग्रेजुएट अभियंता नियुक्त करेगा। तकनीकी विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं करने पर चूक की अवधि में ठेकेदार से ₹ 30,000 प्रति माह की दर से वसूली की जानी थी।

छह संभागों¹⁰¹ में सात मुख्य जिला सड़कों और आठ अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण कार्यों के संबंध में ₹ 14.11 करोड़ की लागत से प्रारंभ किए गये कार्यों में हमने अवलोकित किया (फरवरी 2014 से जून 2014) कि तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के साक्ष्य, जैसे कि अभियंताओं के नियुक्ति-पत्र, अभियंताओं को भुगतान के साक्ष्य, अभियंताओं की शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, माप-पुस्तिकाओं में स्थल पर उपस्थिति के विवरण या कार्यों पर अभियंताओं को नियोजित करने की पुष्टि के अन्य अभिलेख, जब मांगे गये हमें उपलब्ध नहीं कराए जा सके। इस प्रकार, तकनीकी विशेषज्ञों का नियोजन नहीं करने के लिए ₹ 60.60 लाख की राशि ठेकेदारों से वसूली योग्य थी (परिशिष्ट 2.27)।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने बताया कि प्रकरण की जांच की जाएगी और इस संबंध में पर्याप्त प्रलेख संधारित किए जाएंगे।

2.3.9.3 ठेकेदारों द्वारा मोटर ग्रेडर का नियोजन

मरम्मत और रख-रखाव कार्यों के अनुबंधों की शर्तों में प्रावधानित था कि संयंत्र और मशीनरी का स्वामित्व ठेकेदार के नाम पर होना चाहिए। दर अनुसूची के अनुसार तटबंधों¹⁰², ग्रेनुलर सब-बेस¹⁰³ (जी.एस.बी.) वाटर बाउण्ड मैकेडम¹⁰⁴ (डब्ल्यू.बी.एम.)

¹⁰¹ बड़वानी, देवास, कटनी, रीवा, सागर एवं टीकमगढ़

¹⁰² तटबंध: उंचे स्तर पर निर्माण में सहायता के लिए सामग्री जमा करके धरती के प्राकृतिक स्तर से उंचा किया गया मिट्टी कार्य

¹⁰³ ग्रेनुलर सब बेस: तैयार की गई सब ग्रेड पर दानेदार सामग्री जैसे प्राकृतिक रेत, मुरम, बजरी, लेटराइट, कंकर प्राकृतिक रूप से मिलने वाली या कृत्रिम गिट्टी को बिछाना एवं संघनित करना।

¹⁰⁴ डब्ल्यू.बी.एम.: सड़क की सतह की परत जिसमें सड़क की गिट्टी को पानी और मिट्टी वाली सामग्री या चट्टान के कणों साथ संघनित किया गया हो।

और शोल्डर के निर्माण के कार्य की मद की दरों में मोटर ग्रेडर¹⁰⁵ को कार्य में नियोजित करने की दर सम्मिलित है। यदि कार्य में मोटर ग्रेडर नियोजित नहीं किया जाता है, तो शोल्डर्स और तटबंध के लिए ₹ 25 प्रति घनमीटर और जी.एस.बी. और डब्ल्यू.बी.एम. कार्य के लिए ₹ 50 प्रति घनमीटर मद की दरों में से कम किए जाएंगे।

515 सड़क कार्यों के संबंध में मोटर ग्रेडर से संबंधित स्वामित्व के प्रलेख एवं उनके नियोजन के साक्ष्य अभिलेखों में नहीं थे, नियोजित न करने के कारण ₹ 3.50 करोड़ वसूली योग्य थे जिनकी वसूली नहीं हुई थी।

हमने अवलोकन किया (फरवरी 2014 से जून 2014) कि 15 संभागों में (परिशिष्ट 2.28) 2009-14 के दौरान कार्यान्वित 65 मुख्य जिला सड़कों एवं 450 अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य में 515 अनुबंधों के संबंध में मोटर ग्रेडर नियोजित करने के साक्ष्य अर्थात् क्रय और स्वामित्व प्रमाण पत्र, मोटर ग्रेडर का पट्टा/ किराया प्रमाण पत्र न तो अभिलेखों में थे और न ही हमारे द्वारा सत्यापन के लिए मांगे जाने पर उपलब्ध कराये गए। मोटर ग्रेडर नियोजित नहीं करने के लिए ठेकेदारों से ₹ 3.50 करोड़ वसूली योग्य थे (परिशिष्ट 2.28)। तथापि, हमने अवलोकन किया कि ठेकेदारों के चल देयकों से कोई वसूली नहीं की गई थी।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने बताया कि इस प्रकरण की जाँच पड़ताल की जाएगी एवं उल्लेख किया कि मोटर ग्रेडर लागत का घटक हटाने के लिए दर अनुसूची में संशोधन किया जाएगा क्योंकि मरम्मत और रख-रखाव के कार्य में मोटर ग्रेडर का उपयोग नहीं किया जा रहा था।

कार्यों पर अभियंताओं एवं अपेक्षित संयंत्र और मशीनरी का नियोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जैसा अनुबंधों और प्रलेखों में दिया गया हो।

2.3.9.4 ठेकेदारों द्वारा जॉब मिक्स फार्मूले को प्रस्तुत करना

सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव के अनुबंधों की निबंधनों एवं शर्तों में उपबंधित है कि कार्यों का कार्यान्वयन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार किया जाएगा। सड़क एवं सेतु निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों की कण्डिका 507.3.3 और 510 के अनुसार ठेकेदार, निर्माण कार्य में उपयोग के लिए प्रस्तावित एस.डी.बी.सी. का जॉब मिक्स फार्मूला कार्यपालन यंत्री को सूचित करेगा और गिट्टी, बाइंडर, मिश्रण के अनुपात इत्यादि का पूर्ण विवरण देगा। जॉब मिक्स फार्मूले का अनुमोदन कार्यपालन यंत्री द्वारा स्वतंत्र परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

134 सड़क कार्यों के संबंध में ₹ 22.26 करोड़ मूल्य के एस.डी.बी.सी. कार्य के लिए भुगतान किया गया था यद्यपि कार्यों के लिए आवश्यक जॉब मिक्स फार्मूले अभिलेखों में नहीं पाए गये।

हमने छह संभागों¹⁰⁶ में अवलोकित किया (फरवरी 2014 से जून 2014) कि 2009-10 से 2013-14 के वर्षों के दौरान 22 मुख्य जिला सड़कों और 112 अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के लिए सड़क निर्माण कार्य कार्यान्वित किए गये थे जिनके लिए जॉब मिक्स फार्मूले अभिलेखों में नहीं पाए गये थे। तथापि, ठेकेदारों को एस.डी.बी.सी. कार्य के लिए ₹ 22.26 करोड़ का भुगतान किया गया था (परिशिष्ट 2.29)। इस प्रकार, कार्यान्वित कार्यों की आवश्यक सुदृढ़ता के लिए विशिष्टियों में

¹⁰⁵ मोटर ग्रेडर: सब-ग्रेड या सबस्वाइल को ढीला कर या ऊपर की सामग्री को आजू बाजू हटाकर सड़क को आकार देने के लिए व्हील बेस के भीतर स्क्रैपर या समायोज्य ब्लेड की व्यवस्था के साथ एक मशीन।

¹⁰⁶ बड़वानी, बालाघाट, देवास, ग्वालियर-II, मंदसौर एवं सागर

निर्धारित जॉब मिक्स फार्मूले के अनुसार कार्यों के कार्यान्वयन में बिटुमिन का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने इस मामले की जाँच पड़ताल के लिए सहमति व्यक्त की।

2.3.9.5 अनुबंध की प्रावधानों से परे नाममात्र की शास्ति का अधिरोपण

अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार, कार्य की निर्धारित पूर्णता अवधि का कड़ाई के साथ पालन किया जाना था। यदि कार्य की पूर्णता विलंबित होते हैं, अनुबंध के प्रावधानों के अधीन समय वृद्धि की स्वीकृति हेतु समय पर कार्यवाही की जानी थी। समय वृद्धि की स्वीकृति/ अनुमोदन होने तक कोई भुगतान नहीं किया जाना था।

217 सड़क कार्यों के संबंध में विलंब ठेकेदारों पर आरोपणीय थे किन्तु ₹ 1.32 करोड़ की राशि की निर्धारित क्षतिपूर्ति अधिरोपित नहीं की गई या कम अधिरोपित की गई।

तथापि, हमने अवलोकन किया कि कार्यों की पूर्णता असाधारण रूप से विलंबित हुई थी किन्तु सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 21 मुख्य जिला सड़कों एवं 196 अन्य जिला सड़कों/ ग्रामीण सड़कों के कार्यों में अंतिम भुगतान विमुक्त हो जाने के बाद भी समय वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी गई थी। निर्धारित क्षतिपूर्ति (एल.डी.) के लिए ₹ 1.43 करोड़ की वसूली योग्य राशि के विरुद्ध केवल ₹ 10.55 लाख वसूल किए गये थे।

आगे, अनुबंधों में प्रावधान था कि ठेकेदार द्वारा कार्य की समानुपाती प्रगति देने में विफलता होने की दशा में कार्य के मूल्य के 0.50 प्रतिशत से 0.0625 प्रतिशत के समतुल्य प्रति सप्ताह क्षतिपूर्ति आरोपित की जाएगी जो कार्य के मूल्य के छह प्रतिशत तक सीमित होगी। अनुबंध में अन्यथा निर्दिष्ट हो, को छोड़कर किसी भी कारण विवाद के प्रकरण में मुख्य अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि मुख्य जिला सड़कों के 12 कार्यों में समय वृद्धि को अंतिम रूप देते समय ठेकेदारों पर आरोपणीय विलंब की अवधि के विश्लेषण के बिना अधीक्षण यंत्री ने कार्य के मूल्य का 0.10 प्रतिशत से 0.80 प्रतिशत के मध्य प्रति सप्ताह के स्थान पर कार्य के मूल्य का 0.10 प्रतिशत से 0.80 प्रतिशत के मध्य या ₹ 1,500 से ₹ 5,000 की नाम मात्र शास्ति अधिरोपित की थी। इस प्रकार, अनुबंध के प्रावधानों के उल्लंघन से एवं विलंबों की उपेक्षा करते हुए नाममात्र शास्ति के आरोपण के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 1.32 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ, जैसा परिशिष्ट 2.30 में विवरण दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में, शासन ने सहमति व्यक्त की कि ठेकेदारों के पक्ष में विलंबों को निर्धारित करने के लिए कार्यों के कार्यान्वयन में विलंबों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और ठेकेदारों पर आरोपणीय न होने वाले विलंबों के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय वृद्धि प्रदान की जानी चाहिए।

विलंब के कारणों के लिए विश्लेषण करने के बाद ठेकेदारों पर उनके पक्ष पर विलंब के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति आरोपित की जानी चाहिए।

2.3.9.6 ठेका प्रबंधन पर नियंत्रण का अभाव

ठेके के मानक प्रलेखों के प्रावधानों के अनुसार, ठेकों की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने एवं सभी अभिलेखीय साक्ष्यों के संधारण के लिए कार्यपालन यंत्री उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, शास्ति आरोपित करने की शक्तियाँ मुख्य अभियंता में निहित हैं।

ऊपर उल्लिखित प्रकरणों में हमारे ध्यान में आया कि कार्यों को विभाजित करने के बाद कार्यपालन यंत्रियों द्वारा कार्य स्वीकृत किए गये थे। ठेकेदारों द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों को नियोजित करने, मोटर ग्रेडर का उपयोग करने एवं जॉब मिक्स फार्मूले से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना सुनिश्चित नहीं किया था। विलंबित कार्यों के प्रकरणों में नाममात्र की शास्ति अधिरोपित की गई थी।

इस प्रकार, मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्यों में ठेका प्रबंधन में नियंत्रण का अभाव था।

2.3.10 निष्कर्ष

मुख्य जिला सड़कों एवं अन्य सड़कों की मरम्मत और रख-रखाव की पहचान एवं चयन की कार्य सौंपने से पूर्व की गतिविधियों, कार्यों के कार्यान्वयन और ठेका प्रबंधन में कमियाँ थीं जैसा निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट है:

- सड़कों का समयबद्ध नवीनीकरण सुनिश्चित करने के लिए नवीनीकरण चक्र और नवीनीकरण आरेख के विवरण संधारित करना नहीं पाए गये थे। निष्पादन गारंटी अवधि के अंतर्गत आनेवाली सड़कों के नवीनीकरण के कार्य एवं अन्य संगठन को हस्तांतरित सड़कों के कार्य भी प्रारम्भ किए गये थे।
- कार्यों के कार्यान्वयन में, सड़कों के नवीनीकरण के लिए अधिक महंगी विशिष्टियों को अपनाया गया था। इन कार्यों में उपयोग किए गये बिटुमिन की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी और निर्धारित खपत मानदंड के अनुसार मात्रा की अपेक्षा बिटुमिन की खपत कम थी। बिटुमिनस बेस कोर्स एवं सरफेस कोर्स के कार्यान्वयन के बाद सड़कों पर सील कोट नहीं किया गया था।
- सड़क निर्माण कार्यों में आवश्यक बिटुमिन, रेत, गिट्टी, मुरुम आदि के लेखाकरण, जब मांगे गए, हमें नहीं दिखाये गए, जो इन उद्देश्यों के लिए पर्याप्त अभिलेख संधारित नहीं होने अथवा कार्यों की अनुपयुक्त माप होने का संकेत देता है।
- सड़क कार्य विभाजित किए गये थे और इस प्रकार उच्च प्राधिकारी द्वारा निविदाओं की स्वीकृति हेतु अनुमोदन और समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन की आवश्यकता को टाला गया था।
- कार्यों के लिए ठेकेदारों द्वारा अभियंताओं और मोटर ग्रेडर के नियोजन की पुष्टि के साक्ष्य संभागों के अभिलेखों में नहीं पाए गये थे। सड़कों की सतह की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक जॉब मिक्स फार्मूला भी अभिलेखों में नहीं पाए गये थे। संभागों ने विलंबों के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति को आरोपित नहीं किया या कम आरोपित किया था।

पशुपालन विभाग

2.4 मध्य प्रदेश में पशुपालकों को पशुओं का वितरण

कार्यपालन सारांश

पशुपालन विभाग का उद्देश्य नस्ल सुधार सुविधाएं देना, मानव उपभोग के लिए पौष्टिक पशु प्रोटीन एवं ग्रामीण जनता के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देता है। राज्य में पशुधन की संख्या 4.07 करोड़ (पशु संगणना 2007) थी एवं सभी राज्यों की तुलना में चौथी सर्वोच्च संख्या थी। उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए विभाग ने ग्रामीण जनता में पशुओं के वितरण से संबंधित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया। छह प्रमुख योजनाओं (नन्दीशाला, समुन्नत, डेयरी इकाई योजना, बकरा योजना, बकरी इकाई का वितरण और सघन बकरी संवर्धन योजनाओं) की निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

25 नमूना जॉच जिलों के 37,273 चयनित हितग्राहियों में से, डेयरी इकाई एवं बकरी इकाई योजना के 7,844 हितग्राहियों के आवेदन पत्र उप-संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के पास उपलब्ध नहीं थे, चार उप-संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा बकरा प्रदाय योजना के 3,926 हितग्राहियों के पात्रता मापदंड प्राप्त नहीं किए गये और पांच योजनाओं (बकरी इकाई योजना को छोड़कर) के 1,162 हितग्राही पात्रता मापदंड को पूरा नहीं करते थे। इस प्रकार, 12,932 हितग्राहियों (35 प्रतिशत) का चयन पात्रता सुनिश्चित किए बिना किया गया था।

(कंडिका 2.4.6.1 से 2.4.6.6 की उप कंडिका(अ))

पांच चयनित योजनाओं के अंतर्गत (सघन बकरी संवर्धन योजना को छोड़कर) 25 नमूना जॉच जिलों के 36,804 चयनित हितग्राहियों में से 4,672 हितग्राहियों को पशु प्रदाय नहीं किए गये यद्यपि उनके लिए ₹ 6.53 करोड़ का अनुदान जारी किया गया था एवं राशि हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुपयोगी पड़ी रही।

(कंडिकाएं 2.4.6.1(ब), 2.4.6.2(स), 2.4.6.3(ब), 2.4.6.4(ब) और 2.4.6.5(ब))

विभाग के पास वितरित किए गये पशुओं के अस्तित्व का सत्यापन एवं प्रजनन अवधि के भीतर मृत्यु होने पर अनुबंधों के शर्तानुसार उनके प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। पशुओं की मृत्यु के प्रकरण तीन योजनाओं (नन्दीशाला, समुन्नत और बकरा प्रदाय योजना) के अंतर्गत पाए गये थे।

(कंडिकाएं 2.4.6.1 (स), 2.4.6.2 (द) और 2.4.6.4 (द))

नस्ल सुधार हेतु नन्दीशाला योजना और समुन्नत योजना के अंतर्गत बछड़ों के जन्म में गिरावट आई। निर्धारित मानदंडों के आधार पर बछड़ों के जन्म के लक्ष्य (गाय: 4,65,024 और भैंस: 3,76,608) के विरुद्ध 2009-14 की अवधि के दौरान नन्दीशाला के अंतर्गत वास्तविक बछड़ा जन्म 1,55,935 (34 प्रतिशत) और समुन्नत के अंतर्गत 1,20,298 (32 प्रतिशत) था।

(कंडिकाएं 2.4.6.1 (द), 2.4.6.2 (ई))

योजनाओं का परिवीक्षण प्रभावी नहीं था क्योंकि चयनित हितग्राहियों को पशुओं का वास्तविक वितरण सुनिश्चित किए बिना भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ 100 प्रतिशत प्रतिवेदित की गई थीं। समान हितग्राहियों को एक ही योजना के अंतर्गत बहुविध लाभ के उदाहरण थे। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित पशुपालकों का आर्थिक उत्थान हुआ था, योजनाओं का क्रियान्वयन पश्चात मूल्यांकन संचालित नहीं किया गया था।

(कंडिकाएं 2.4.7.1 एवं 2.4.7.2)

2.4.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश के ग्रामीण कृषि क्षेत्र में पशु अति महत्वपूर्ण आर्थिक परिसंपत्तियाँ हैं। पशु संगणना 2007 के अनुसार, सभी राज्यों की तुलना में राज्य में चौथी उच्चतम पशुधन संख्या (4.07 करोड़) थी जो पूरे देश की कुल पशुधन संख्या (52.97 करोड़) का 7.68 प्रतिशत थी। पशुपालन विभाग राज्य में पशुधन के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है। इसने 2012-13 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 8.05 प्रतिशत का योगदान दिया। विभाग के उद्देश्यों में मानव उपभोग के लिए कम लागत पर पौष्टिक पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना, पशुओं की नस्ल सुधार करना और पशुधन उत्पादों जैसे दूध, मांस इत्यादि के विक्रय के माध्यम से ग्रामीण जनता के परिवार की अनुपूरक आय सृजित कराना सम्मिलित है।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने ग्रामीण जनता में पशुओं के वितरण की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया। छह प्रमुख राज्य और केन्द्रीय योजनाओं यथा नन्दीशाला योजना, समुन्नत योजना, डेयरी इकाई योजना, बकरा योजना, बकरी इकाई योजना का वितरण और सघन बकरी संवर्धन योजना, निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित की गई।

2.4.2 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव, विभाग के प्रमुख हैं, जो पशुधन के विकास से संबंधित शासन की नीतियों/ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। समग्र प्रशासकीय नियंत्रण संचालक, पशु चिकित्सा सेवा में निहित हैं जिनकी सहायता मुख्यालय स्तर पर संयुक्त संचालकों एवं उप-संचालकों द्वारा तथा नौ संभागों में नौ संयुक्त संचालकों द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर, 50 उप-संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं (डी.डी.वी.एस.) हैं। इसके अतिरिक्त, शासन ने प्रबंध संचालक के नेतृत्व में एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यथा मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम गठित किया है जो तीन योजनाओं¹⁰⁷ के अंतर्गत पशुओं की आपूर्ति एवं सभी योजनाओं के अंतर्गत पशुओं की विशिष्टताओं के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है।

2.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा, यह आंकलन करने के उद्देश्य से की गई थी कि क्या:

¹⁰⁷ नन्दीशाला, समुन्नत योजना (राज्य एवं केन्द्र) तथा बकरा योजना

- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन और पशुओं का वितरण योजना के दिशा निर्देशों पर ध्यान देते हुए कुशलता से किया गया था;
- मानव उपभोग के लिए कम लागत पर पौष्टिक पशु प्रोटीन, नस्ल सुधार सुविधाएं प्रदान करने और ग्रामीण जनता की अनुपूरक आय सृजित करने के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था; एवं
- योजना क्रियान्वयन का परिवीक्षण और मूल्यांकन पर्याप्त था।

2.4.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2009-14 की अवधि को आच्छादित करते हुए पशुओं के वितरण की छह चयनित योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2013 से जुलाई 2014) की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु राज्य में 50 डी.डी.वी.एस. में से 25 डी.डी.वी.एस.¹⁰⁸ का सरल यादृच्छिक नमूना प्रणाली के आधार पर चयन किया गया; इसके अतिरिक्त संचालनालय और मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम से जानकारी प्राप्त की गई थी। प्रमुख सचिव के साथ 19 मई 2014 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मापदंड और लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। 10 नवंबर 2014 को आयोजित निर्गम सम्मेलन में प्रमुख सचिव के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। शासन के उत्तर एवं निर्गम सम्मेलन में उनके दृष्टिकोण संबंधित कण्डिकाओं में शामिल किए गये हैं। निर्गम सम्मेलन में शासन ने लेखापरीक्षा की सभी अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

2.4.5 पशुधन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धि

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में राज्य में दुग्ध और मांस के उत्पादन को 9 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि तक संवर्धित करना विचारित था। राज्य ने दुग्ध उत्पादन (362 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 359 लाख मीट्रिक टन) और मांस के उत्पादन (1.47 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 1.82 लाख मीट्रिक टन) के लिए 2007-12 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी वही उद्देश्य, दुग्ध, मांस इत्यादि के उत्पादन में वृद्धि करना एवं उन्नत प्रजनन सुविधाएं, डेयरी विकास, बकरी विकास, पशु स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि प्रदान कर हितग्राहियों की अतिरिक्त आय सृजित करना विचारित थे। राज्य में दुग्ध उत्पादन 2012-13 के दौरान 88.38 लाख मीट्रिक टन था। मार्च 2013 के अंत तक पिछले 10 वर्षों के दौरान विकास दर 8.5 प्रतिशत थी जो देश में उच्चतम थी।

राज्य में 2009-14 की अवधि के दौरान छह चयनित योजनाओं के अंतर्गत 68,875 हितग्राही आच्छादित किए गये थे। केन्द्र और राज्य शासनों द्वारा उपलब्ध कराए गये ₹ 88.08 करोड़ में से ₹ 86.87 करोड़ व्यय हुआ था। राज्य में तथा चयनित जिलों में निधि आवंटन, व्यय और आच्छादित किए गये हितग्राही नीचे दिए गये हैं:

¹⁰⁸ बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, दमोह, देवास, धार, गुना, होशंगाबाद, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, मण्डला, नरसिंहपुर, रतलाम, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, सीहोर, सिवनी, शिवपुरी, सीधी, टीकमगढ़ और उमरिया

तालिका 2.8: वर्ष 2009-14 के लिए छह प्रमुख योजनाओं का आवंटन और व्यय
(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	राज्य के सभी जिलों के लिए			लेखापरीक्षा के लिए चयनित 25 जिलों में			
	आवंटन	व्यय	हितग्राही	आवंटन	व्यय	हितग्राही	
नन्दीशाला (राज्य)	11.43	11.11	8552	5.56	5.55	4339	
समुन्नत	राज्य	10.97	11.00	2469	5.59	5.59	2906
	केन्द्र	4.52	4.52	7494	2.61	2.61	2104
डेयरी इकाई (राज्य)	8.75	8.31	3965	4.90	4.82	2384	
बकरा योजना (राज्य)	10.84	10.77	30821	5.67	5.31	16195	
बकरी इकाईयाँ	राज्य योजना	5.15	4.74	5481	2.92	2.91	2513
	केन्द्र ¹⁰⁹	17.54	17.54	4089	9.19	9.19	3494
	केन्द्र ¹¹⁰	6.04	6.04	5461	3.99	3.80	2869
सघन बकरी संवर्धन योजना (केन्द्र)	12.84	12.84	543	8.35	8.35	469	
योग	88.08	86.87	68,875	48.78	48.13	37,273	

(स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

चयनित योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार व्यय परिशिष्ट 2.31 में दिया गया है।

2.4.6 योजनाओं का क्रियान्वयन

पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभाग ने स्थानीय पशुओं की नस्ल सुधार, डेयरी विकास, बकरी विकास, पशु उत्पादों को बढ़ाना और पशुपालन क्षेत्र में रोजगार सृजन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बल दिया था। तदनुसार, विभाग द्वारा जिला कार्यालयों, ब्लॉक कार्यालयों एवं पंचायत स्तर संस्थानों के माध्यम से पशुओं के वितरण की छह प्रमुख योजनाएं क्रियान्वित की गई थीं।

विभाग, जिला कार्यालयों को विभिन्न योजनाओं के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य देता है। निधियों का आवंटन प्राप्त होने के बाद जिला कार्यालय, योजनाओं के लिए हितग्राहियों का चयन करता है एवं हितग्राही अंशदान के जमा होने को सुनिश्चित करने के पश्चात हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुदान राशि जमा करता है। पशुओं का मूल्य, शासकीय अनुदान, बैंक ऋण, हितग्राहियों का अंशदान परिशिष्ट 2.32 में दर्शाए गये हैं। पशुओं की आपूर्ति के बाद ही हितग्राही द्वारा बैंक खाते से उसके अंशदान के साथ अनुदान की राशि को आहरित कर आपूर्तिकर्ताओं के खाते में जमा करना होता है। 2009-10 तक, पशुओं का मूल्य विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के खाते में सीधे जमा किया जा रहा था।

योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार इच्छुक हितग्राही को योजना के लिए एक आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करना होता है। ब्लॉक कार्यालयों में पदस्थ सहायक पशु चिकित्सक आवेदन पत्रों पर जनपद पंचायत का अनुमोदन प्राप्त करता है और जिले के डी.डी.वी.एस. को प्रस्तुत करता है। डी.डी.वी.एस. बजट

¹⁰⁹ बुन्देलखंड पैकेज के अंतर्गत

¹¹⁰ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.व्ही.वाय.) के अंतर्गत

आवंटन को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों का चयन करता है और जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अनुदान विमुक्त करता है।

लेखापरीक्षा ने 25 चयनित जिलों के 37,273 हितग्राहियों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की। हमने अवलोकित किया कि 12,932 हितग्राहियों (35 प्रतिशत) का चयन योजनाओं के दिशा निर्देशों में उल्लिखित पात्रता मापदंड सुनिश्चित किए बिना किया गया था। इसके अतिरिक्त, 4,672 चयनित हितग्राहियों को पशु वितरण नहीं किए गये थे, बैंकों में अनुदान राशि अवरूद्ध थी, बछड़ों के जन्म में निर्धारित मानदंडों की तुलना में गिरावट थी, जैसा कि समीक्षा में चर्चा की गई है।

2.4.6.1 गौ सांडों के वितरण हेतु नन्दीशाला योजना

मध्य प्रदेश शासन ने प्राकृतिक गर्भाधान उपलब्ध कराकर एवं स्थानीय (देशी) गाय की नस्ल में सुधार लाने के उद्देश्य से नन्दीशाला योजना प्रारंभ की (फरवरी 2006)। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के पशु पालकों को, जिनके पास कृषि योग्य भूमि और कम से कम पांच गायें हों या वह जिनके पास कृषि योग्य भूमि न हो, लेकिन 20 या अधिक गाय हों, उन्हें उत्कृष्ट आनुवंशिक क्षमता वाला एक गौ सांड उपलब्ध कराना था। योजना के अंतर्गत गौ सांडों को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाना था।

चयनित हितग्राहियों को विभाग के साथ एक अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक था जिसमें प्रजनन के लिए गौ सांड का उपयोग, मृत्यु की स्थिति में हितग्राही द्वारा गौ सांड का प्रतिस्थापन आदि शर्तें निर्धारित थीं।

(अ) अपात्र कृषकों को सहायता

2009-14 की अवधि के दौरान 25 नमूना जाँच किए गये जिलों में 4,339 चयनित आवेदकों (कृषकों) जिन्हें अनुदान प्रदान किया गया था, में से 3,727 हितग्राहियों को पशु का वितरण किया गया था।

चयनित हितग्राहियों के आवेदन से हमने अवलोकन किया (नवंबर 2013 से जुलाई 2014) कि 14 जिलों¹¹¹ में 511 हितग्राही, जो कृषि भूमि के होने या गायों की न्यूनतम संख्या होने की पात्रता मापदंड पूरा नहीं करते थे उन्हें भी योजना के अंतर्गत अनुदान प्रदान किया गया था। अपात्र कृषकों को ₹ 67.24 लाख की अनुदान का भुगतान किया गया था। अपात्र हितग्राहियों के लिए योजना निधियों के उपयोग ने पात्र हितग्राहियों को योजना के लाभ से वंचित कर दिया।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया (नवंबर 2014) कि योजना का लाभ केवल पात्र हितग्राहियों को दिया गया था और इन प्रकरणों में हितग्राहियों के आवेदन पत्रों को अद्यतन कर दिया गया था। उत्तर ठीक नहीं है क्योंकि बाद के दिनांकों में आवेदनों को अद्यतन करना आश्वस्त नहीं करता कि हितग्राही उनके चयन के समय, पात्रता मापदंडों को पूरा कर रहे थे।

14 जिलों में चयनित
511 हितग्राही
(11.78 प्रतिशत)
पात्रता मापदंड पूरा
नहीं करते थे।

¹¹¹ बालाघाट: 65, बड़वानी: 9, बैतूल: 6, दमोह: 37, देवास: 5, धार: 63, गुना: 05, खण्डवा: 36, मण्डला: 170, नरसिंहपुर: 6, रतलाम: 39, सागर: 33, शिवपुरी: 1, एवं टीकमगढ़: 36

विभाग को हितग्राहियों के चयन और वित्तीय सहायता जारी करने से पूर्व पात्रता मापदंड के अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए।

(ब) गौ सांडों का वितरण

12 जिलों में, 612 हितग्राहियों (14.10 प्रतिशत) को गौ सांड प्रदान नहीं किए गये तथा अनुदान राशि ₹ 85.35 लाख उनके बैंक खातों में अवरुद्ध रही।

हितग्राहियों के चयन एवं अनुमोदन के बाद हितग्राहियों के नाम पर खोले गये बैंक खाते में अनुदान की राशि जमा की जानी थी।

नमूना जाँच किए जिलों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से हमने अवलोकन किया (नवंबर 2013 से जुलाई 2014) कि कुल 4,339 अनुमोदित आवेदकों जिनको अनुदान जारी किया गया था, के विरुद्ध 12 जिलों के 612 कृषकों (14.10 प्रतिशत) को मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम द्वारा पशुओं की आपूर्ति नहीं किए जाने से सांड प्रदान नहीं किए गये (विवरण परिशिष्ट 2.33 में दर्शाया गया है)। चूंकि उन 612 हितग्राहियों के बैंक खातों में ₹ 85.35 लाख का अनुदान अवरुद्ध रहा, जिससे अनुदान राशि के अनियमित आहरण की संभावना थी। हमने देखा कि 2010-14 की अवधि के दौरान बालाघाट जिले के 22 हितग्राहियों ने ₹ 2.86 लाख आहरित कर लिये थे एवं आपूर्तिकर्ताओं के खाते में जमा नहीं किए।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों, हितग्राही के स्वयं की अनुपलब्धता, राज्य के बाहर से विशिष्ट नस्ल के पशुओं के क्रय के मुद्दों और विचाराधीन अवधि में लगातार निर्वाचनों जैसे अवरोधों की वजह से गौ सांड के वितरण में बैकलॉग था।

उत्तर समाधान कारक नहीं है क्योंकि पशुओं के वितरण में अवरोधों का अनुमान लक्ष्य निर्धारित करने और अनुदान विमुक्त करने के पूर्व लगाया जा सकता था एवं योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए थे।

हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुदान को जमा करने के तुरंत बाद पशुओं का क्रय एवं वितरण कर दिया जाना चाहिए। हितग्राही द्वारा बैंक खाते से अनुदान राशि का आहरण केवल योजना के उद्देश्य हेतु सीमित करने की प्रणाली विभाग को विकसित करना चाहिए।

(स) गौ सांडों की मृत्यु की दशा में उनका प्रतिस्थापन

वितरित गौ सांडों के अस्तित्व और प्रजनन अवधि के भीतर मृत्यु होने पर प्रतिस्थापना सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

हितग्राहियों और विभाग के मध्य निष्पादित अनुबंध की मानक शर्तों में पांच वर्षों की प्रजनन अवधि के भीतर गौ सांडों की मृत्यु होने पर हितग्राही द्वारा इसे प्रतिस्थापित करना उपबंधित था। तथापि, डी.डी.वी.एस. ने केवल सांडों द्वारा की गई सेवाओं और बछड़ा जन्म से संबंधित आंकड़े संधारित किए थे।

हमने देखा (नवंबर 2013 से जुलाई 2014) कि वितरित किए गये गौ सांडों के अस्तित्व और प्रजनन अवधि यथा पांच वर्ष के भीतर मृत्यु, यदि होती है, तो उनके प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग में कोई तंत्र नहीं था। सात नमूना जाँच किए गये जिलों के डी.डी.वी.एस. ने 376 गौ सांडों¹¹² की मृत्यु की सूचना दी थी। हालांकि, संबंधित डी.डी.वी.एस. लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित किए जाने हेतु

¹¹² बड़वानी: 64, बालाघाट: 49, देवास: 89, गुना: 42, मण्डला:105, नरसिंहपुर: 25 एवं शिवपुरी: 02

प्रतिवेदित मृत्यु के अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके और उनके प्रतिस्थापन की स्थिति भी सूचित नहीं कर सके।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2014) में शासन ने बताया कि सांडों के अस्तित्व को उनके द्वारा दी गई सेवाओं और बछड़ा जन्म के माध्यम से परोक्ष रूप से निगरानी की जाती है।

तथ्य वही है कि गौ सांडों का अस्तित्व एवं मृत्यु के मामले में उनके प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने हेतु कोई निर्धारित तंत्र नहीं था।

वितरित किए गये पशुओं का अस्तित्व और मृत्यु के स्थिति में उनके प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

(द) नन्दीशाला योजना के अंतर्गत बछड़ा जन्म में कमी

मानदंडों के विरुद्ध प्रतिवेदित बछड़ा जन्म में 66 प्रतिशत की कमी थी।

जैसा कि विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया था, प्रत्येक गौ सांड को प्रत्येक वर्ष में 60 प्रतिशत सफलता दर के साथ 80 प्राकृतिक गर्भाधान सेवाएं प्रदान करना था। एक गौ सांड का सेवा योग्य जीवन पांच वर्ष निर्धारित किया गया था। नन्दीशाला योजना जिसमें प्रावधान था कि जब सांड को परिसर से बाहर भेजा जाये तो हितग्राही को सांड के साथ जाना चाहिए, के अंतर्गत गौ सांडों का सेवा अभिलेख संधारित करने के लिए एक पुस्तिका हितग्राहियों को दी गई थी।

23 जिलों¹¹³ द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से हमने अवलोकन किया (नवंबर 2013 से जुलाई 2014) कि 2009-14 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत सेवाएं देने के लिए कुल 9,688 गौ सांड उपलब्ध थे। मानदंडों के अनुसार, इस अवधि के दौरान 4,65,024 बछड़े¹¹⁴ होने चाहिए थे। इसके विरुद्ध, 23 जिलों में बछड़ा जन्म की वास्तविक संख्या केवल 1,55,935 थी। इस प्रकार, 3,09,089 (66 प्रतिशत) बछड़ा जन्म की गिरावट थी। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 2.34 में दिए गये हैं।

निर्गम सम्मेलन (नवंबर 2014) के दौरान शासन ने बताया कि बछड़ा जन्म में गिरावट वास्तविक रूप से ओपन रेंज सिस्टम¹¹⁵ में दी गई गौ सांडों की सेवा से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित न किए जाने के कारण थी, जहां एक सांड द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं बछड़ा उत्पादन को अभिलिखित करना कठिन था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार गायों की नस्ल सुधार की उद्देश्य को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2.4.6.2 भैंसा सांडों के वितरण हेतु समुन्नत योजना

शासन ने समुन्नत पशु प्रजनन योजना लागू की (1999-2000) जिसके अंतर्गत प्राकृतिक गर्भाधान के लिए भैंसा सांडों की सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक मुर्रा सांड (भैंसा) एक पशुपालक या प्रशिक्षित गोसेवक¹¹⁶ को प्रदान किया जाना था एवं

¹¹³ भिण्ड एवं उमरिया जिलों के डी.डी.वी.एस. ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी।

¹¹⁴ कुल बछड़े = 9,688 सांड * 80 गर्भाधान * 60 प्रतिशत = 4,65,024 बछड़े

¹¹⁵ ओपन रेंज सिस्टम का अर्थ, चरने के लिए परिसर से बाहर भेजे जाने पर सांड द्वारा करवाए गये गर्भाधान से है।

¹¹⁶ गोसेवक एक व्यक्ति है, जिसे गायों/ भैंसों के पालने का प्रशिक्षण दिया गया हो।

जिससे स्थानीय भैंसों की नस्ल में सुधार लाना था। विशेष बुंदेलखंड पैकेज लागू होने (2010-11) के फलस्वरूप बुंदेलखंड क्षेत्र के छह जिलों¹¹⁷ में समुन्नत पशु प्रजनन योजना को समुन्नत योजना के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। योजना के अंतर्गत भैंसा सांडों की आपूर्ति मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम द्वारा की जानी थी।

(अ) अपात्र हितग्राहियों को सहायता प्रदान करना

बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत, 96 अपात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिया गया था।

बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत समुन्नत योजना के लिए विभाग ने प्रत्येक हितग्राही के पास न्यूनतम पांच भैंसे होने का मापदंड निर्धारित किया। तथापि, शेष जिलों में क्रियान्वित राज्य योजना समुन्नत पशु प्रजनन के लिए ऐसा कोई मापदंड निर्धारित नहीं किया गया था।

बुंदेलखंड क्षेत्र के तीन जिलों¹¹⁸ के 1,398 चयनित हितग्राहियों के आवेदनों से हमने अवलोकन किया कि 96 हितग्राहियों जिनके पास भैंसों की न्यूनतम संख्या नहीं थी उनको 2010-14 के दौरान अनुदान राशि ₹ 18.20 लाख का भुगतान किया गया था। अपात्र हितग्राहियों के लिए योजना निधि के उपयोग से पात्र हितग्राही इस योजना के लाभों से वंचित रहे।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि आवेदनों की पुनः जांच की गई एवं अद्यतन करने के बाद हितग्राहियों के पास मानदंडों के अनुसार पशु थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बाद के दिनांकों में आवेदनों को अद्यतन करना आश्वस्त नहीं करता कि हितग्राही उनके चयन के समय लाभ के पात्र थे। इसके अतिरिक्त, राज्य योजना में न्यूनतम पांच भैंसों को रखने का मानदंड हटाने के कारणों को भी उत्तर में वर्णित नहीं किया गया था।

विभाग द्वारा योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों के चयन के दौरान हितग्राहियों की पात्रता के मानदंड सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

(ब) निर्धारित विशिष्टि के प्रतिकूल भैंसा सांडों की आपूर्ति

बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत 208 हितग्राहियों को वितरित किए गये भैंसा सांड मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं थे।

बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत समुन्नत योजना के लिए मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम ने विशिष्टियों में हितग्राहियों को प्रदाय किए जाने वाले भैंसा सांडों की आयु तीन से साढ़े तीन वर्ष वर्णित की थी (दिसंबर 2010)।

हमने देखा कि बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत दमोह जिले में आपूर्ति किए गये 208 भैंसा साण्ड¹¹⁹ मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम द्वारा निर्दिष्ट आयु से कम (ग्यारह माह से ढाई वर्ष के बीच) के थे। 56 भैंसा सांडों के मामले में पशुओं के वंशावली पत्रक में आयु से संबंधित जानकारी अभिलिखित नहीं की गई थी। कम आयु के भैंसा सांड प्रदाय किए जाने से हितग्राहियों को इन सांडों के प्रजनन की आयु तक

¹¹⁷ छतरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर एवं टीकमगढ़ (इनमें से दमोह, सागर एवं टीकमगढ़ लेखा परीक्षा में अछादित थे)

¹¹⁸ दमोह, सागर एवं टीकमगढ़

¹¹⁹ मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम द्वारा प्रदत्त 208 में से 99 एवं शासकीय फार्मर्स से प्रदत्त 221 में से 109।

पहुँचने तक इनका पालन पोषण करने पर अवांछित व्यय वहन करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

शासन ने बताया कि बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरित भैंसा सांड मानदंडों के अनुसार थे। उत्तर, यद्यपि कम आयु के भैंसों के वितरण के बारे में मौन है।

(स) भैंसा सांडों का वितरण

दोनों योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के चयन और अनुमोदन के बाद, विभाग ने 25 जिलों में 5,010 हितग्राहियों के बैंक खातों में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 8.19 करोड़ की अनुदान राशि जमा की थी।

19 जिलों में 812 हितग्राहियों (16.20 प्रतिशत) को भैंसा सांड नहीं दिए गये और अनुदान राशि ₹ 1.38 करोड़ उनके बैंक खातों में अवरुद्ध रही।

हमने देखा (नवंबर 2013 से जुलाई 2014) कि चयनित किए गये 5,010 हितग्राहियों जिन्हें अनुदान जारी किए गये थे, मात्र 4,198 हितग्राहियों (83.79 प्रतिशत) को भैंसा सांड वितरित किए गये थे। इस प्रकार, 812 हितग्राहियों को, मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम द्वारा आपूर्ति नहीं की जाने के कारण भैंसा सांड वितरित नहीं किए गए। इनमें से 277 हितग्राही¹²⁰ वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 से संबंधित थे। इस प्रकार, इन हितग्राहियों ने इनके चयन के एक से चार वर्ष बाद भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया था। चूंकि, उन 812 हितग्राहियों के बैंक खातों में ₹ 1.38 करोड़ की अनुदान राशि जैसा कि परिशिष्ट 2.35 में विवरण दिया गया है, अवरुद्ध रही, अनुदान राशियों के अनियमित आहरण की संभावना थी। हमने देखा कि वर्ष 2013-14 के दौरान छह हितग्राहियों¹²¹ ने ₹ 1.07 लाख आहरित कर लिए थे।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि भैंसा सांडों का वितरण एक सतत प्रक्रिया थी जिसमें हितग्राही की पसंद और भौगोलिक पहुँच जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण थे। आगे बताया गया कि 661 भैंसा सांड वितरित (अप्रैल और नवंबर 2014 के बीच) किए जा चुके थे। उत्तर समाधान कारक नहीं है क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करने और अनुदान जारी करने से पहले पशुओं के वितरण में अवरोधों का अनुमान लगाया जा सकता था।

हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुदान राशि के जमा होने के तुरंत बाद पशुओं का क्रय एवं चयनित हितग्राहियों को इसका वितरण शीघ्रता से पूर्ण किया जाना चाहिए। हितग्राहियों द्वारा केवल योजना के उद्देश्य हेतु बैंक खाते से अनुदान राशि आहरित करने तक प्रतिबंधित करने की एक प्रणाली विभाग को विकसित करनी चाहिए।

(द) भैंसा सांडों की मृत्यु की दशा में उनका प्रतिस्थापन

दोनों योजनाओं में हितग्राहियों और विभाग के मध्य निष्पादित अनुबंध की शर्तों में पांच वर्षों की प्रजनन अवधि के भीतर भैंसा सांडों की मृत्यु के मामले में इसके प्रतिस्थापन का प्रावधान है।

¹²⁰ 2010-11: 51, 2011-12: 136 एवं 2012-13: 90

¹²¹ बालाघाट: 5, टीकमगढ़: 1,

वितरित भैंसा सांडों के अस्तित्व और पाँच वर्ष की अवधि के भीतर मृत्यु के प्रकरण में इनके प्रतिस्थापन के परिवीक्षण को कोई तंत्र नहीं था।

हमने देखा (नवंबर 2013 से जुलाई 2014) कि 12 जिलों¹²² के डी.डी.वी.एस. ने 452 भैंसा सांडों की मृत्यु सूचित की थी। तथापि, डी.डी.वी.एस. मृत भैंसा सांडों के मामलों में प्रतिस्थापन के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं कर सके। डी.डी.वी.एस. लेखापरीक्षा में सत्यापन के लिए, भैंसा सांडों की मृत्यु की सूचित संख्या के समर्थन में अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि भैंसा सांडों द्वारा की गई सेवाओं और बछड़ा उत्पादन के माध्यम से भैंसा सांडों के अस्तित्व की परोक्ष रूप से निगरानी की जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मृत्यु के प्रकरणों में अभिलेखों के अभाव से इंगित हुआ कि वितरित किए गये भैंसा सांडों का अस्तित्व एवं मृत्यु के मामले में उनके प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था का अभाव था।

वितरित किए गये पशुओं का अस्तित्व और पाँच वर्ष की प्रजनन अवधि के भीतर मृत्यु के मामले में उनकी प्रतिस्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

(ई) समुन्नत योजना के अंतर्गत बछड़ा जन्म में कमी

निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध प्रतिवेदित बछड़ा जन्म में 68 प्रतिशत की गिरावट थी।

18 जिलों¹²³ के द्वारा हमें उपलब्ध करायी गई जानकारी से हमने अवलोकित किया (नवंबर 2013 से जुलाई 2014) कि 2009-14 की अवधि के दौरान, योजना के अंतर्गत 7,846 भैंसा सांड सेवाएं देने के लिए उपलब्ध थे। कंडिका 2.4.6.1 (द) के अंतर्गत उल्लिखित मानदंडों के अनुसार इन सांडों द्वारा दी गई सेवाओं के परिणामस्वरूप 3,76,608 बछड़ा जन्म¹²⁴ होने चाहिए थे। इस के विरुद्ध, वास्तविक बछड़ा जन्म की संख्या केवल 1,20,298 थी। इस प्रकार बछड़ा जन्म में 2,56,310 (68 प्रतिशत) की कमी थी, जैसा परिशिष्ट 2.36 में विवरण दिया गया है।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि बछड़ा जन्म में गिरावट वास्तविक रूप से ओपन रेंज सिस्टम में दी गई भैंसा सांडों की सेवा से संबंधित आंकड़ों को अभिलिखित नहीं किए जाने के कारण थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित मानदंडों के अनुरूप स्थानीय भैसों के नस्ल सुधार के उद्देश्य को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

2.4.6.3 दुधारु पशुओं के वितरण हेतु डेयरी इकाई योजना

राज्य शासन ने डेयरी इकाई योजना (दुधारु इकाई), दुग्ध उत्पादन की वृद्धि के माध्यम से हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और जनता के लिए दुग्ध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की (2008-09)। योजना के अंतर्गत एक हितग्राही को तीन दुधारु पशु¹²⁵ उपलब्ध कराए जाने थे।

¹²² बालाघाट: 13, बैतूल: 11, दमोह: 5, देवास: 116, गुना: 86, जबलपुर: 15, मण्डला:41, नरसिंहपुर: 19, राजगढ़: 12, शिवपुरी: 11, सिवनी: 117 एवं टीकमगढ़: 6

¹²³ बड़वानी, इन्दौर, जबलपुर, खण्डवा, सागर, सीहोर एवं टीकमगढ़ जिलों को छोड़कर

¹²⁴ बछड़ों की कुल संख्या=7,846 (सांडों की संख्या) *80 गर्भाधान*60 प्रतिशत= 3,76,608

¹²⁵ तीन देशी नस्ल की गायें या तीन संकर (क्रास) नस्ल की गायें या तीन मुरा श्रेणी की भैंसें हितग्राही की पसंद के अनुसार

(अ) अपात्र हितग्राहियों का चयन

22 जिलों में, डेयरी इकाई योजना हेतु 1,837 हितग्राहियों के आवेदन उनकी पात्रता मापदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला अधिकारियों के पास उपलब्ध नहीं थे।

इस योजना का लाभ लघु एवं सीमांत कृषकों¹²⁶ के लिए उपलब्ध था जिन्हें गायों/भैंसों के पालन का अनुभव था। 25 जिलों में 2009-14 की अवधि के दौरान 2,384 चयनित हितग्राहियों¹²⁷ के विरुद्ध 1,930 हितग्राहियों को डेयरी इकाईयाँ वितरित की गई थीं।

तीन जिलों के 547 चयनित हितग्राहियों के आवेदन पत्रों की संवीक्षा (नवंबर 2013 से जुलाई 2014) के दौरान हमने देखा कि 44 हितग्राहियों¹²⁸ जिनके पास कृषि भूमि नहीं थी, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत लाभ (₹ 5.93 लाख) दिए गये थे। शेष 22 जिलों के सभी 1,837 हितग्राहियों के आवेदन पत्रों से संबंधित अभिलेख डी.डी.वी.एस. के पास संधारित नहीं होने के कारण पात्रता मापदंडों की पूर्ति का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। इस प्रकार, योजना निधियों का उपयोग अपात्र हितग्राहियों को लाभ देने में किया गया था।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि यह एक बैंकग्राह्य योजना थी अतः हितग्राहियों के आवेदन बैंकों में संधारित थे। आवेदन की एक प्रति रखने के लिए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे थे।

तथ्य वही है कि आवेदन पत्रों या उनकी प्रतियों के अभाव में हम 22 जिलों में 1,837 हितग्राहियों की पात्रता का सत्यापन नहीं कर सके। डी.डी.वी.एस. द्वारा आवश्यक अभिलेखों का संधारण न करने के बारे में उत्तर मौन है।

योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों के चयन के दौरान हितग्राहियों के पात्रता मापदंड सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

(ब) गायों/ भैंसों का वितरण

डेयरी इकाई योजना हेतु दिशा निर्देशों में पशुओं के क्रय एवं हितग्राहियों को वितरण की प्रक्रिया उल्लिखित नहीं थी। पूछे जाने पर डी.डी.वी.एस. इन्दौर ने बताया कि स्थानीय बाजार से पशुओं के क्रय हेतु विभाग के एक अधिकारी, बैंक से एक सदस्य और संबंधित हितग्राही को सम्मिलित कर एक समिति गठित की जाती है।

18 जिलों में 454 हितग्राहियों को डेयरी इकाई प्रदान नहीं की गई थीं एवं उनके बैंक खातों में अनुदान राशि ₹ 78.98 लाख अवरुद्ध रही।

हमने देखा कि डेयरी इकाई के वितरण हेतु वर्ष 2009-14 की अवधि के दौरान 25 जिलों में 2,384 हितग्राहियों की पहचान की गई थी। जिला अधिकारियों ने सूचित किया कि 1,930 हितग्राहियों (80.96 प्रतिशत) को डेयरी इकाई वितरित की गई। तथापि, हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति एवं वितरण, पशुओं का क्रय एवं वितरण इत्यादि से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा में सत्यापन हेतु उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार 18 जिलों में 454 हितग्राहियों (वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक से संबंधित 247 हितग्राही¹²⁹) को डेयरी इकाईयाँ वितरित नहीं की गई थीं, जिसका कारण बैंकों का सहयोग न करना बताया गया। हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुदान राशि ₹ 78.98 लाख (परिशिष्ट 2.37) अब तक पड़ी थी। हितग्राहियों को पशुओं के वितरण में विलंब

¹²⁶ 2 हेक्टेयर्स तक कृषि भूमि वाले कृषक

¹²⁷ लक्ष्य 2,482 हितग्राहियों का निर्धारित था।

¹²⁸ धार (272 में से 30), इन्दौर (169 में से 4) एवं रतलाम (106 में से 10)

¹²⁹ 2009-10: 112, 2010-11: 57 2011-12: 35 एवं 2012-13: 43

(एक से चार वर्ष) के कारण उनके लिए योजना के अभिष्ट लाभ प्राप्त नहीं किए गये थे।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि पशुओं का क्रय एवं वितरण बैंक ऋण के वितरण के बाद ही होता है। डी.डी.वी.एस. को प्रकरणों पर ध्यान देकर ऋण वितरण एवं पशुओं की आपूर्ति शीघ्र करने के अनुदेश दिए गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियाँ विमुक्त करने से पूर्व विभाग बैंकों से मुद्दों को सुलझा नहीं सका।

इस प्रकार, बढ़े हुए दुग्ध उत्पादन से पशुपालकों की आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं की गई थी।

हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुदान राशि के जमा होने के बाद पशुओं का क्रय एवं चयनित हितग्राहियों को पशुओं का वितरण शीघ्रता से पूर्ण किया जाना चाहिए।

2.4.6.4 बकरा प्रदाय योजना

इस योजना को शासन ने देशी बकरियों की नस्ल सुधारने के उद्देश्य से लागू किया (2008-09)। योजना के अंतर्गत बकरी पालक¹³⁰ को अनुदान के आधार पर एक जमनापारी¹³¹ बकरा दिया जाना था।

(अ) अपात्र बकरी पालक का चयन

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, न्यूनतम पाँच बकरियाँ रखने वाले हितग्राही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 2009-14 की अवधि के दौरान, नमूना जाँच किए गये 25 जिलों में 16,195 के लक्ष्य के विरुद्ध 15,269 हितग्राहियों (94.28 प्रतिशत) को बकरे वितरित किए गए।

हमने पाया (दिसंबर 2013 से जून 2014) की चार जिलों¹³² के सभी 3,926 हितग्राहियों के संबंध में आवेदन पत्रों में बकरियों को रखने के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की गई। आगे, नौ अन्य जिलों में 7,067 हितग्राहियों के आवेदनों की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि 413 हितग्राहियों¹³³ के पास पाँच से कम बकरियाँ थीं। इनमें से 28 के पास कोई बकरी नहीं थी एवं 67 लाभार्थियों ने अपने आवेदन पत्रों में बकरियों के होने की जानकारी नहीं दी थी।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि योजना में हितग्राही को पात्र होने के लिए बकरियाँ रखने की न्यूनतम संख्या का प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2012-13 तक के योजना के दिशा निर्देशों में न्यूनतम पाँच बकरियाँ रखने की शर्त विद्यमान थी। शर्त को बाद में हटाने के लिए कोई कारण अवगत नहीं कराया गया।

विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि चयनित आवेदक योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्रता मापदंड पूर्ण करते हैं।

13 जिलों में योजना के दिशा निर्देशों और पात्रता मापदंडों की अनदेखी की गई; 3,926 हितग्राहियों से वांछित जानकारी प्राप्त नहीं की गई थी।

¹³⁰ एक व्यक्ति जिसका कार्य बकरियों के समूह की देखभाल करना है।

¹³¹ बकरे की एक प्रजाति

¹³² बालाघाट (1,292), भिण्ड (1,473), गुना (946), एवं सागर (215)

¹³³ दमोह (20), होशंगाबाद (128), जबलपुर (112), मण्डला (94), नरसिंहपुर (25), रायसेन (14), राजगढ़ (13), शिवपुरी (2) एवं टीकमगढ़ (5)

(ब) बकरों का वितरण

12 जिलों में 926 हितग्राहियों (5.72 प्रतिशत) को बकरे नहीं दिए गये थे एवं अनुदान राशि ₹ 36.11 लाख उनके बैंक खातों में अवरूद्ध रही।

हमने देखा (नवंबर 2013 से जुलाई 2014) कि 25 जिलों में 16,195 चयनित हितग्राहियों में से 15,269 (94.28 प्रतिशत) को पशु दिए गये थे। 12 जिलों (कुल आवेदक 6,109) में 926 बकरों का कम वितरण था जैसा कि परिशिष्ट 2.38 में विवरण दिया गया है। उन हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुदान राशि ₹ 36.11 लाख अवरूद्ध रही। 130 हितग्राही¹³⁴ को वितरण में कमी वर्ष 2011-2012 से 2012-2013 से संबंधित थी। हमने अवलोकन किया कि 5 जिलों में 390 हितग्राहियों ने पशुओं की आपूर्ति से पूर्व ही अनुदान राशि ₹ 14.63 लाख आहरित कर ली थी।

निर्गम सम्मेलन में शासन ने बताया कि वितरण एक सतत् प्रक्रिया थी जिसमें मौसम/जलवायु स्थितियाँ, हितग्राही की पसंद आदि बाध्यताएं थीं एवं 648 बकरे और (अप्रैल और नवंबर 2014 के बीच) वितरित किए जा चुके थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अवरोधों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था।

हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुदान के जमा होने के बाद पशुओं का क्रय कर चयनित हितग्राहियों को पशुओं का वितरण शीघ्र पूर्ण किया जाना चाहिए। विभाग को हितग्राही द्वारा केवल योजना के उद्देश्य हेतु बैंक खाते से अनुदान राशि आहरित करने तक प्रतिबंधित करने की एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

(स) मृत्यु के प्रकरणों में बकरों का प्रतिस्थापन

वितरित पशुओं के अस्तित्व और प्रजनन की अवधि के भीतर उनकी मृत्यु होने पर प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने हेतु शासन ने कोई तंत्र निर्धारित नहीं किया था।

योजना के हितग्राहियों के साथ अनुबंध की शर्तों और निबंधनों में प्रजनन अवधि (पाँच वर्ष) के भीतर मृत्यु होने की स्थिति में बकरे का प्रतिस्थापन हितग्राही द्वारा प्राप्त किए गये बीमा दावे एवं प्रतिस्थापन का मूल्य पूरा न होने की स्थिति में अपने स्वयं के अंशदान से किया जाना प्रावधानित था।

हमारे ध्यान में आया कि वितरित बकरों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का कोई तंत्र विभाग में नहीं था। जैसा कि प्रजनन अवधि के दौरान मृत बकरों की संख्या एवं हितग्राहियों द्वारा उनके प्रतिस्थापन के संबंध में डी.डी.वी.एस. के पास समेकित जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

छह जिलों¹³⁵ में अधीनस्थ कार्यालयों के अभिलेखों से हमने अवलोकन किया (फरवरी से जून 2014) कि हितग्राहियों को प्रदाय किए गये 2,196 बकरों में से 1,183 बकरे¹³⁶ (54 प्रतिशत) या तो मृत पाए गये थे अथवा हितग्राहियों द्वारा बेच दिए गए थे। इन जिलों के अभिलेखों में बकरों की मृत्यु के बाद उनके प्रतिस्थापन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने निर्गम सम्मेलन में बताया कि हितग्राहियों को वितरित किए गये बकरों के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए एक प्रणाली अस्तित्व में थी और बकरों के मृत्यु दर कम करने के लिए आवश्यक पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए

¹³⁴ 2011-2012 : 68, 2012-2013 : 62

¹³⁵ केवल छह जिलों यथा बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, जबलपुर, मण्डला एवं नरसिंहपुर से जानकारी प्राप्त हुई थी।

¹³⁶ बालाघाट (578 में से 281), बैतूल (588 में से 153), भिण्ड (162 में से 72), जबलपुर (223 में से 156), मण्डला (341 में से 273) एवं नरसिंहपुर (304 में से 248)

डी.डी.वी.एस. को अनुदेश जारी किए गये थे। तथ्य वही है कि नमूना जाँच किए गये जिलों में डी.डी.वी.एस. बकरों के मरने और उनके प्रतिस्थापन के संबंध में समेकित जानकारी उपलब्ध नहीं करा सके थे जो इंगित करता है कि बकरों की मृत्यु और उनके प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।

इस प्रकार, स्थानीय बकरियों की नस्ल में सुधार लाने का उद्देश्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया गया था।

वितरित पशुओं के अस्तित्व एवं मृत्यु की स्थिति में उनके प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

2.4.6.5 बकरी इकाई योजना

राज्य शासन द्वारा बकरी इकाई योजना (राज्य योजना), स्थानीय बकरियों की नस्ल में सुधार लाने, मांस और दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि करने एवं हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से लागू की गई थी (2008-09)। वर्ष 2009-10 में भारत सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों के लिए एक विशेष बुंदेलखंड पैकेज को लागू किया। भारत सरकार ने पैकेज के अंतर्गत ₹ 17.55 करोड़ उपलब्ध कराए जो 2009-12 की अवधि के दौरान 5,061 बकरी इकाइयों के वितरण के लिए उपयोग किए गये थे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 2010-11 के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.व्ही.वाई) के अंतर्गत ₹ 6.04 करोड़ उपलब्ध कराए जो 5,461 बकरी इकाइयों¹³⁷ के प्रदाय के लिए उपयोग किए गये थे।

इन योजनाओं के अंतर्गत 10 स्थानीय नस्ल की बकरियां एवं जमनापारी/ बरबरी/ सिरौही या बिटल नस्ल से संबंधित एक बकरे की एक इकाई प्रदाय की जानी थी। नमूना जाँच किए सभी 25 जिलों में राज्य योजना एवं आर.के.व्ही.वाई योजनाएं क्रियान्वित की गई थीं। बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत योजना को उन छह जिलों¹³⁸ में राज्य योजना और आर.के.व्ही.वाई योजना को प्रतिस्थापित करते हुए 2009-12 की अवधि के दौरान लागू किया गया था।

(अ) अपात्र हितग्राहियों का चयन

योजना बकरी पालन में अनुभव रखने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूर, लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए उपलब्ध थी।

हमारे ध्यान में आया (नवंबर 2013 से जुलाई 2014) कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत तीन चयनित जिलों¹³⁹ में हितग्राहियों के आवेदन पत्र उपलब्ध थे, किन्तु 22 अन्य जिलों के 6,007 हितग्राहियों के आवेदन पत्र संबंधित डी.डी.वी.एस. के पास उपलब्ध नहीं थे। आवेदन के अभिलेखों के संघारण न करने के कारण हम जांच नहीं कर सके कि क्या चयनित हितग्राही योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र थे।

22 जिलों में, बकरी इकाई योजना हेतु 6,007 हितग्राहियों के आवेदन पात्रता मापदंडों की पूर्ति के सत्यापन हेतु जिला कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थे।

¹³⁷ 10 बकरियों एवं एक बकरा प्रत्येक की 4,435 इकाइयाँ, तथा 20 बकरियों एवं दो बकरे प्रत्येक की 1,026 इकाइयाँ

¹³⁸ छतरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर एवं टीकमगढ़ जिले

¹³⁹ दमोह, सागर एवं टीकमगढ़ जिले

(ब) बकरी इकाईयों का वितरण

बकरी इकाई योजना के लिए दिशा निर्देशों में पशुओं के क्रय एवं पात्र हितग्राही को वितरण के लिए प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई। लेखापरीक्षा में पूछताछ करने पर डी.डी.वी.एस. इंदौर ने बताया कि स्थानीय बाजार से पशुओं की खरीद के लिए एक समिति बनाई गई थी।

हमारे ध्यान में निम्नलिखित आया:

17 जिलों में, 1,868 हितग्राहियों को बकरी इकाईयाँ प्रदान नहीं की गईं और अनुदान राशि ₹ 3.06 करोड़ उनके बैंक खातों में अवरुद्ध पड़ी थी।

- राज्य योजना के अंतर्गत 25 नमूना जाँच किए जिलों में 2009-14 की अवधि के दौरान बकरी इकाईयों के वितरण हेतु 2,573 लक्षित हितग्राहियों के विरुद्ध 2,513 हितग्राहियों का चयन किया गया था। इनमें से 1,913 हितग्राहियों (76.12 प्रतिशत) को बकरी इकाईयाँ वितरित की गई थीं। इस प्रकार, 600 हितग्राहियों को बकरी इकाईयाँ वितरित नहीं की गई थीं जिसके लिए हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुदान ₹ 66.66 लाख जमा की गई थी (परिशिष्ट 2.39)।

- आर.के.व्ही.वाई के अंतर्गत 22 जिलों (तीन चयनित बुंदेलखंड जिलों के अतिरिक्त) में 3,677 हितग्राही लक्षित थे जिसके विरुद्ध 3,494 हितग्राहियों का, वर्ष 2011-12 के दौरान बकरी इकाईयाँ प्रदान करने के लिए चयन किया गया था। इसके विरुद्ध, केवल 2,643 हितग्राहियों (75.64 प्रतिशत) को बकरी इकाईयाँ प्रदान की गईं। इस प्रकार, आठ जिलों के 851 हितग्राहियों को बकरी इकाईयाँ वितरित नहीं की गईं। अनुदान राशि ₹ 82.49 लाख (परिशिष्ट 2.39) अब भी बैंक के साथ पास पड़ी थी।

यद्यपि, राज्य योजना और आर.के.व्ही.वाई. योजना दोनों के ही अंतर्गत डी.डी.वी.एस., हितग्राहियों को बैंक ऋण की स्वीकृति और संवितरण, बकरी इकाईयों के क्रय एवं वितरण, वितरित की गई बकरियों की बीमा पॉलिसियों, हितग्राहियों की पावती आदि से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके थे। परिणामस्वरूप, बकरी इकाईयों के वास्तविक क्रय और वितरण को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

- बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत तीन चयनित जिलों में 2010-14 की अवधि के दौरान 2,869 हितग्राहियों को बकरी इकाईयाँ प्रदान की जानी थीं। इनमें से 2,452 हितग्राहियों को बकरी इकाईयाँ वितरित की गईं। इस प्रकार, 417 हितग्राहियों (14.53 प्रतिशत) को बकरी इकाईयाँ वितरित नहीं की गईं, यद्यपि हितग्राहियों के बैंक खातों में अनुदान राशि ₹ 1.66 करोड़ जमा की गई थी (परिशिष्ट 2.39)।

पशुओं के वितरण में विलंब के कारण ऊपर उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत 1,868 हितग्राहियों¹⁴⁰ के बैंक खातों में राशि ₹ 3.06 करोड़ अवरुद्ध रही। हमने देखा कि बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत सागर और टीकमगढ़ जिलों में 38 हितग्राहियों ने, जिनको पशु प्रदान नहीं किए गये, अनुदान राशि ₹ 12.13 लाख आहरित कर ली थी। बकरी इकाई प्रदान नहीं किए गये 1,868 हितग्राही में से 1,376 हितग्राही वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 से संबंधित थे। इस प्रकार, चयनित हितग्राहियों को बकरी इकाईयों के वितरण में एक से चार वर्ष के विलंब पाए गये थे।

¹⁴⁰ राज्य योजना: 600, आर.के.व्ही.वाई.: 851 एवं बुंदेलखंड पैकेज : 417

शासन ने बताया (नवंबर 2014) कि संबंधित कर्मचारियों को आवेदनों की प्रतियां रखने और ऋणों के वितरण और पशुओं की आपूर्ति के लिए बैंकों के साथ प्रकरण पर निगरानी रखने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी किए जा रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के कार्यान्वयन में अवरोधों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था और पशुओं के वितरण के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य डी.डी.वी.एस. के पास उपलब्ध नहीं थे।

इस प्रकार, स्थानीय बकरियों की नस्ल सुधार, मांस और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और चयनित हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी।

हितग्राहियों के बैंक खाते में अनुदान राशि के जमा होने के तुरंत बाद पशुओं का क्रय एवं हितग्राहियों को वितरण पूर्ण किया जाना चाहिए।

2.4.6.6 सघन बकरी संवर्धन योजना

भारत सरकार ने नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट योजना के अंतर्गत कृषकों के आर्थिक उत्थान, बकरी पालन के माध्यम से रोजगार सृजन और पशु प्रोटीन के रूप में उपभोक्ताओं को पोषण संतुलन प्रदान करने के उद्देश्य से सघन बकरी संवर्धन योजना आरम्भ की (सितंबर 2012)। योजना के अंतर्गत 95 बकरियों और पांच बकरे की एक इकाई पात्र हितग्राहियों को वितरण करना विचारित था। योजना के दिशा निर्देशों में अल्पतर संसाधनों के हितग्राहियों को बकरियों के इकाई आकार के आधे के वितरण की व्यवस्था भी थी। एक इकाई की परियोजना लागत, शेड निर्माण, दवाइयाँ, वैक्सीन, धातु फीडर, खाद्य, एक साइलेज पिट¹⁴¹ और पशुओं को बीमा की लागत सहित राशि ₹ 2,36,460 निर्धारित की गई थी। योजना के अंतर्गत एक इकाई की कुल लागत हितग्राही और नोडल अधिकारी (डी.डी.वी.एस. के अधीन सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी/ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी) के नाम से खोले गये एक संयुक्त खाते में जमा कराई जानी थी। भारत सरकार ने 2012-13 के दौरान ₹ 12.84 करोड़ विमुक्त किए जो राज्य के 23 जिलों के 543 हितग्राहियों के लिए उपयोग किए गए।

(अ) अपात्र हितग्राहियों का चयन

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार एक किसान जिसके पास एक वर्ष से अधिक समय से कम से कम 10 या अधिक बकरियाँ हों, योजना का लाभ के लिए पात्र था। लेखापरीक्षा में जाँच किए गये 15 जिलों में 353 हितग्राहियों के लक्ष्य के विरुद्ध 469 हितग्राहियों¹⁴² का चयन 2012-13 (409) और 2013-14 (60) किया गया था। अतिरिक्त कवरेज 232 हितग्राहियों को आधी इकाईयों के वितरण के कारण था।

¹⁴¹ साइलेज पिट: काटे गये हरे चारे को आंशिक खमीर द्वारा रसीला रखने के लिए एक गड्ढा (भूमिगत संरचना) होता है।

¹⁴² 237 हितग्राहियों को पूरी इकाईयाँ दी गईं एवं 232 हितग्राहियों को आधी इकाईयाँ दी गईं।

योजना के अंतर्गत कृषकों को उनकी पात्रता सुनिश्चित किए बिना लाभ दिया गया था।

आठ जिलों में चयनित 246 हितग्राहियों¹⁴³ के आवेदन पत्रों में से हमें 236 हितग्राहियों¹⁴⁴ के आवेदन पत्र दिखाये जा सके। इनमें से 51 हितग्राहियों ने अपने पास बकरियों की संख्या नहीं दर्शाई थी और 47 हितग्राहियों ने उनके पास 10 से कम बकरियाँ होना दर्शाया था। इस प्रकार अपात्र हितग्राहियों को लाभ दिया गया अथवा हितग्राहियों को उनकी पात्रता सुनिश्चित किए बिना योजना का लाभ दिया गया था।

योजना के अंतर्गत चयन के दौरान हितग्राहियों की पात्रता के मापदंड सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

(ब) योजना का धीमा कार्यान्वयन

15 चयनित जिलों में योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित किए गये भौतिक और वित्तीय लक्ष्य और उनके विरुद्ध उपलब्धियाँ परिशिष्ट 2.40 में दिए गये हैं। योजना के दिशा निर्देशों में एक बकरी इकाई को पूर्ण रूप से चालू करने की पूर्णता की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। हमने अवलोकन किया कि सितंबर 2012 में चयनित 469 हितग्राहियों में से 308 हितग्राहियों ने शेड निर्माण पूर्ण किए थे, उनमें से 203 ने साइलो पिट पूर्ण किए थे और केवल 91 हितग्राहियों ने उन्हें स्वीकृत 5,850 बकरियों में से 5,330 बकरियाँ क्रय की थीं। इस प्रकार योजना के अंतर्गत अनुदान जारी होने के दिनांक से एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद जुलाई 2014 तक 161 हितग्राहियों (34 प्रतिशत) ने शेड निर्माण नहीं किया था, 266 हितग्राही (57 प्रतिशत) ने साइलो पिट का निर्माण नहीं किया था और 378 हितग्राहियों (81 प्रतिशत) ने बकरियों का क्रय नहीं किया था। डी.डी.वी.एस. ने किसी भी हितग्राही द्वारा चारा एवं धातु फीडर के क्रय के बारे में जानकारी नहीं दी थी।

आगे, योजना के विभिन्न घटकों पर किए गये व्यय और हितग्राहियों को बाद में प्रतिपूर्ति की यथार्थता को सत्यापित करने के लिए क्रय के देयक, बकरियों की प्राप्ति के लिए हितग्राहियों की पावती, बकरियों की बीमा पॉलिसियाँ इत्यादि जिला कार्यालयों के पास उपलब्ध नहीं थे।

शासन ने बताया (नवंबर 2014) कि आवेदन पत्र पूर्ण कर लिये गये हैं और सभी प्रकरणों में पात्रता मापदंड पाए गये थे एवं शेष हितग्राहियों को बकरी इकाईयाँ जल्द ही प्रदान कर दी जाएगी।

उत्तर समाधान कारक नहीं है क्योंकि बाद के दिनांकों में आवेदनों को अद्यतन करना आश्वस्त नहीं करता कि हितग्राही उनके चयन के समय पात्रता मापदंडों को पूरा कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने योजना के अंतर्गत बकरी पालन के माध्यम से रोजगार सृजन का आंकलन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृषकों के आर्थिक उत्थान का उद्देश्य पूर्ण हुआ है, नहीं किया था।

¹⁴³ बड़वानी: 33, बैतूल: 35, देवास: 40, खण्डवा: 20, रायसेन: 28, रतलाम: 30, सिवनी: 40 एवं शिवपुरी: 20

¹⁴⁴ शिवपुरी जिले के 20 हितग्राहियों में से 10 के आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं थे।

2.4.7 परिवीक्षण एवं योजनाओं का मूल्यांकन

परिवीक्षण, दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध तरीके से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है। विभाग द्वारा योजनाओं के परिवीक्षण एवं मूल्यांकन में ध्यान में आई कमियों पर अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है:

2.4.7.1 योजनाओं का परिवीक्षण

(अ) प्रतिवेदनों/ विवरणियों की प्रस्तुति

परियोजना क्रियान्वयन की प्रगति पर आवधिक प्रतिवेदन एवं विवरणियां, अधीनस्थ इकाईयों द्वारा योजनाओं के उपयुक्त क्रियान्वयन के संदर्भ में गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रबंधन के हाथों में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

हमारे ध्यान में आया कि विभाग में आवधिक विवरणियों की कोई तंत्र नहीं था, फिर भी जब और जैसे मांगे गये के आधार पर भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों के प्रतिवेदन भेजे गये थे। आगे, संचालनालय से योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति पर डी.डी.वी.एस. ने संपूर्ण अनुदान राशि चयनित हितग्राहियों के बैंक खातों में जमा कर दी एवं चयनित हितग्राहियों को पशुओं के वास्तविक वितरण को सुनिश्चित किए बिना विभाग को 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ प्रतिवेदित की थीं जो बैंक खातों में अनुदान के अवरूद्ध होने में परिणामित हुआ। इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन करने के परिणामस्वरूप उच्चतर प्राधिकारी पशुओं के वास्तविक वितरण का परिवीक्षण करने में विफल रहे एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी की दशा में उपयुक्त कार्रवाई नहीं कर सके। हमारे ध्यान में यह भी आया कि पशुओं के वितरण/ मृत्यु की गतिविधियों का परिवीक्षण करने में विभाग और मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के बीच समन्वय का अभाव था।

(ब) एक ही योजना या समान प्रकृति की योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को बहुविध लाभ प्रदान करना

योजना के दिशा निदेशों या शासकीय आदेश एक ही योजना/ समान प्रकृति/ उद्देश्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक ही हितग्राही को बहुविध लाभ प्रदान करने को निषेध नहीं करते थे। अतः एक हितग्राही को एक ही योजना या समान प्रकृति की योजनाओं के अंतर्गत बहुविध लाभ देने से बचने के लिए परिवीक्षण की कोई प्रणाली नहीं थी।

चयनित हितग्राहियों की सूची से हमने अवलोकन किया (फरवरी से जून 2014) कि पांच जिलों के 43 हितग्राहियों को एक ही योजना के अंतर्गत दो या तीन अवसरों पर **परिशिष्ट 2.41** में दर्शाए अनुसार लाभ प्रदान किए गये थे।

शासन ने बताया (नवंबर 2014) कि एक व्यक्ति को एक से अधिक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित करने पर कोई रोक नहीं है। जहां समान व्यक्ति को कई बार लाभ प्रदान किया गया था, कार्रवाई की जा रही थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समान हितग्राही को बहुविध लाभ प्रदान करने से अन्य पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित रहे।

पाँच जिलों के 43 हितग्राहियों को एक योजना के अंतर्गत एक से अधिक बार लाभ दिया गया।

2.4.7.2 योजनाओं का मूल्यांकन

ग्रामीण जनता को पशुओं के वितरण की योजनाएं मानव उपभोग के लिए कम लागत और पौष्टिक पशु प्रोटीन के साथ साथ ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की गई थीं।

हमने अवलोकन किया कि योजनाओं के उद्देश्यों की उपलब्धियाँ सुनिश्चित करने हेतु हितग्राही सर्वेक्षण के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन के पश्चात मूल्यांकन नहीं किया गया था। संचालनालय द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी और विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार राज्य में दूध उत्पादन वर्ष 2008-09 के दौरान 68.51 लाख मीट्रिक टन (एम.टी.) से बढ़कर 2013-14 के दौरान 95.99 लाख मीट्रिक टन हो गया। इसी प्रकार, मांस उत्पादन वर्ष 2008-09 के दौरान 34.20 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2013-14 के दौरान 47.67 हजार मीट्रिक टन हो गया। तथापि, उत्पादन में वृद्धि पर विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के योगदान की मात्रा का आंकलन, योजनाओं के क्रियान्वयन पश्चात हितग्राहियों पर प्रभाव के मूल्यांकन के अभाव में, नहीं किया जा सका।

शासन ने बताया (नवंबर 2014) कि उनके पास मासिक परिवीक्षण की एक मजबूत और पारदर्शी प्रणाली है, जिसके आधार पर विभागीय अधिकारियों का मूल्यांकन किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि मासिक परिवीक्षण प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी क्योंकि उच्च अधिकारियों के मांग पर प्रगति प्रतिवेदन भेजे जा रहे थे, जिसके कारण योजना क्रियान्वयन के प्रभावों का मूल्यांकन नहीं हुआ था। आगे, विभाग तथा मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के बीच समन्वय का अभाव बैंक खातों में अनुदान के अवरूद्ध होने में परिणामित हुआ। इसके अतिरिक्त, मासिक परिवीक्षण प्रणाली का उद्देश्य योजना के मूल्यांकन के लिए था न कि अधिकारियों के मूल्यांकन के लिए।

विभाग को योजना के उद्देश्यों की पूर्णता की सीमा और इसके प्रभावों का आंकलन करने के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात मूल्यांकन को सुनिश्चित करना चाहिए।

2.4.8 निष्कर्ष

पशु वितरण की छह प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा मानव उपयोग हेतु पौष्टिक प्रोटीन उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण जनता को स्वयं के रोजगार के अवसर प्रदान करने का पशुपालन विभाग का उद्देश्य अपर्याप्त था जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- नन्दीशाला, समुन्नत, डेयरी इकाई, बकरा योजना एवं सघन बकरी संवर्धन योजना में हितग्राहियों के पात्रता मापदंड सुनिश्चित नहीं किए गये थे अथवा अपात्र हितग्राहियों को पशु वितरित किए गये थे।
- योजनाओं के अंतर्गत सभी चयनित हितग्राहियों को पशु प्रदाय/ वितरित नहीं किए गए; परिणामतः उनके बैंक खातों में अनुदान राशि अवरूद्ध रही। नस्ल सुधार कार्यक्रमों के अधीन, बछड़ों के जन्म में निर्धारित मानदंडों की तुलना में अत्यधिक गिरावट थी।

- योजनाओं के दिशा निर्देशों में योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के परीक्षण के लिए कोई तंत्र निर्धारित नहीं था। इसके अतिरिक्त वितरित पशुओं के अस्तित्व और प्रजनन अवधि के दौरान मृत पशुओं के प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।
- राज्य ने दुग्ध एवं मांस उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य प्राप्त किए थे, जैसा कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित था। तथापि, विभाग ने योजनाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार का आंकलन नहीं किया था।

तीसरा अध्याय

लेन-देनों की लेखापरीक्षा

शासकीय विभागों, उनकी क्षेत्रीय संरचनाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा से संसाधनों के प्रबंधन में चूकें तथा नियमितता, औचित्य एवं मितव्ययिता के मानकों के पालन में विफलताओं के अनेक दृष्टांत सामने आए। इन्हें व्यापक उद्देश्य शीर्षकों के अंतर्गत आगामी कंडिकाओं में प्रस्तुत किया गया है।

3.1 नियमों, आदेशों इत्यादि का अनुपालन न किया जाना

सुदृढ़ वित्तीय प्रशासन तथा वित्तीय नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि व्यय, वित्तीय नियमों, विनियमों तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुरूप हो। इससे न केवल अनियमितताएं, दुर्विनियोग तथा धोखाधड़ी पर रोक लगती है अपितु अच्छे वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सहायता भी मिलती है। नियमों तथा विनियमों के अनुपालन न किए जाने से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों में से कुछ निम्नानुसार हैं:

लोक निर्माण विभाग


3.1.1 शासकीय धन का गबन

प्रेषणों और धनादेश आहरणों का कोषालय सूचियों से मिलान न करने के कारण ₹ 9.50 लाख के गबन का पता नहीं चला।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (एम.पी.टी.सी.) के खण्ड-1 अध्याय-6 के नियम 53 (v) में प्रावधान है कि जब शासकीय सेवक द्वारा उसकी अभिरक्षा में धन को कोषालय या बैंक में जमा कराया जाता है तो कार्यालय प्रमुख को इसका सत्यापन करने से पहले स्वयं को सुनिश्चित करना चाहिए कि राशि वास्तव में कोषालय या बैंक में जमा की गई है। उसे कोषालय से सभी प्रेषणों की समेकित पावती लेनी चाहिए और रोकड़ बही की प्रविष्टि से मिलाना चाहिए। फार्म-51 के साथ पटित केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा (सी.पी.डब्ल्यू.ए.) संहिता की कंडिका 22.3.1 प्रावधानित करती है कि कोषालय से दैनिक जमा सूची (प्राप्तियां और भुगतान) प्राप्त करने के बाद संभागीय अधिकारी (डी.ओ.), संभाग और अनुविभागों द्वारा धनादेशों के लेन-देनों और प्रेषणों के मिलान के लिए उत्तरदायी होगा।

हमने अवलोकित किया कि लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लगातार इंगित किए जाने के बावजूद भी लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) राजगढ़ संभाग के संभागीय अधिकारी द्वारा 1998 से प्रेषणों और धनादेशों का कोषालय सूचियों से मिलान (फार्म-51) नहीं किया गया था। राजगढ़ संभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया (अगस्त 2013) कि उप संभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.), राजगढ़ की ओर से अनुविभागीय लिपिक (एस.डी.सी.) ने अप्रैल 2008 से नवम्बर 2009 की अवधि के दौरान निविदा प्रपत्र विक्रय/ मिश्रित प्राप्तियों के बाबत ₹ 9.91 लाख प्राप्त किए। कोषालय चालानों के अधपत्रों (जमाकर्ता की प्रति) और रोकड़ बही के अनुसार विक्रय प्रक्रियाओं की संपूर्ण राशि को एस.डी.ओ. की ओर से, एस.डी.सी. द्वारा उसके स्वयं के हस्ताक्षर से बैंक में प्रेषित किया गया। एस.डी.ओ. ने कोषालय में राशियों के प्रेषण का सत्यापन किए बिना कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) को मासिक लेखा भेज दिया। कार्यपालन यंत्री ने भी प्रेषणों की उसी राशि को कोषालय से प्रेषणों को सत्यापित किए बिना मासिक लेखाओं में सम्मिलित कर लिया।

हालाँकि, संभाग के अभिलेखों के अनुसार कोषालय अभिलेखों और बैंक सूची के साथ लेन-देनों के सत्यापन के दौरान हमने अवलोकित किया कि कोषालय चालानों के अधपत्रों में दर्शाई गई राशि ₹ 9.91 लाख के विरुद्ध वास्तव में जमा की गई राशि मात्र ₹ 0.41 लाख थी। हमने आगे अवलोकित किया कि कोषालय में जमा की गई राशि को, मूल चालानों के अनुसार जमा की गई वास्तविक राशि के बाईं ओर एस.डी.सी. द्वारा अतिरिक्त अंक (शब्द भी) लगाकर प्रेषित की गई राशियां अधपत्रों में बढ़ा दी गई थी, जैसा कि फोटोग्राफ में प्रदर्शित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.50 लाख की राशि का गबन हुआ जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में विवरण दिया गया है। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रकरण पुलिस प्राधिकारी को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2013)।



चालान की जमाकर्ता की प्रति (संभागीय अभिलेखों में) चालान की बैंक की प्रति (बैंक अभिलेखों में) इस प्रकार प्रेषणों और आहरित किए गए धनादेशों के कोषालय/ बैंक अभिलेखों के साथ मिलान की प्रणाली को न अपनाने के कारण संभावित गबन के विरुद्ध कोई रक्षोपाय नहीं थे और कम जमा की गई राशि का पता नहीं लग पाया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2013), मुख्य अभियंता (सी.ई.) ने बताया कि जिला कोषालय से पत्राचार किया गया था एवं जिला कोषालय अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मिलने के बावजूद, जारी किए गए धनादेशों/ समेकित कोषालय पावतियों (सी.आई.सी./ सी.टी.आर.) का लंबित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था। उन्होंने गबन को स्वीकार किया (मई 2014) और बताया कि दोषी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुका है (नवम्बर 2009) और विभाग ने कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज करा दी थी (अक्टूबर 2013) जिसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था।

उत्तर, संभाग द्वारा मार्च 1998 से प्रेषणों और भुगतानों को मिलान न करने के कारणों जिससे शासकीय धन के गबन का पता नहीं लगा को नहीं दर्शाता है और इसके भी कोई प्रमाण नहीं है कि जिला कोषालय अधिकारी से सी.आई.सी./ सी.टी.आर. के प्राप्त न होने पर प्रकरण को वित्त विभाग के समक्ष लाया गया था।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (जनवरी एवं अगस्त 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

नर्मदा घाटी विकास विभाग

3.1.2 कंसल्टेंट को मूल्य वृद्धि का अधिक भुगतान

अनुबंधित अवधि की समाप्ति के पश्चात किए जाने वाले शेष कार्य के मूल्य के स्थान पर कुल उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्य वृद्धि की त्रुटिपूर्ण गणना करने के कारण कंसल्टेंट को मूल्य वृद्धि के कारण राशि ₹ 59.07 लाख कंसल्टेंसी प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ।

कार्यपालन यंत्री (ई.ई.), नर्मदा विकास (एन.डी.) नहर संभाग, खरगोन ने इंदिरा सागर मुख्य नहर प्रणाली के आर.डी.¹ कि.मी.130.935 से आर.डी. कि.मी.155.000 तक का विस्तृत अभियांत्रिकी सेवाओं (परामर्श सेवाएं) का कार्य "टर्न की" आधार पर ₹ 3.85 करोड़ की लागत पर एक कंसल्टेंट को सौंपा। कंसल्टेंसी कार्य के कार्य-क्षेत्र में निर्माण कार्य की निविदाओं का मूल्यांकन एवं अनुशंसा, आरेखनों एवं रूपांकनों की जाँच, पर्यवेक्षण, माप, गुणवत्ता नियंत्रण, परिवीक्षण इत्यादि सम्मिलित था। कंसल्टेंसी कार्य वर्षा काल सहित 48 महीने के भीतर अर्थात् मार्च 2012 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। उद्धृत राशि का 12 प्रतिशत कंसल्टेंट को प्रारंभिक भुगतान के रूप में भुगतान किया जाना था एवं ठेका मूल्य का शेष 88 प्रतिशत राशि निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यान्वित कार्य² के लिए किए गए भुगतान पर निर्भर करते हुए यथानुपात आधार पर भुगतान की जानी थी। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों और निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यों की पूर्णता में विलंब के कारण नहर प्रणाली के कार्य की पूर्णता में विलंब थे, मुख्य अभियंता (सी.ई.) इंदिरा सागर परियोजना (नहर) सनावद ने दो बार (जुलाई 2012 और अक्टूबर 2013) में 01 अप्रैल 2012 से 30 जून 2014 तक समय वृद्धि प्रदान की। कंसल्टेंट को मूल्य वृद्धि की राशि ₹ 76.68 लाख सहित कुल ₹ 4.24 करोड़ के 51वें चलित देयक का भुगतान किया गया था (मई 2014)।

कंसल्टेंसी सेवा के अनुबंध की शर्त 11 के अनुसार ठेके की बढ़ी हुई अवधि के लिए मूल्य वृद्धि, ठेका अवधि की समाप्ति के पश्चात किए गए शेष कार्य के लिए उद्धृत दर के 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लागू होगी। उपरोक्त शर्तों के अनुसार, वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए भुगतान योग्य मूल्य वृद्धि क्रमशः ₹ 11.14³ लाख एवं ₹ 6.47⁴ लाख थी।

हमने देखा (फरवरी 2014) कि संभाग ने, 2012-14 की बढ़ी हुई अवधि के दौरान ₹ 76.68 लाख⁵ के मूल्य वृद्धि लागत की गणना, इन वर्षों के दौरान ठेकेदार द्वारा घटे हुए शेष कार्य के मूल्य के 10 प्रतिशत के स्थान पर कुल उद्धृत मूल्य (₹ 3.85 करोड़) के 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर की। इस प्रकार निर्माण एजेंसी द्वारा किये जाने वाले शेष कार्य की मात्रा से असंबद्ध, मूल्य वृद्धि की एक निश्चित राशि (उद्धृत मूल्य का 10 प्रतिशत) कंसल्टेंट को देय हो गई। परिणामस्वरूप, कंसल्टेंट को ₹ 59.07 लाख का अधिक भुगतान किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 3.2** में विवरण दिया गया है।

¹ चल दूरी

² मार्च 2011 तक पूर्ण होने हेतु नियत

³ कंसल्टेंसी की पूर्णता का नियत दिनांक यथा मार्च 2012 के पश्चात कार्यान्वित न किए गए शेष कार्य के मूल्य (उद्धृत दर पर ₹ 111.40 लाख) का 10 प्रतिशत

⁴ मार्च 2013 की स्थिति में शेष कार्य का मूल्य (उद्धृत दर पर ₹ 64.73 लाख) का 10 प्रतिशत

⁵ 2012-13 के लिए ₹ 38.50 लाख एवं 2013-14 के लिए ₹ 38.18 लाख

हमने आगे देखा कि ऑकारेश्वर नहर परियोजना, चरण-1 के कार्यान्वयन हेतु एक अन्य कार्य⁶ में, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 32, बड़वाह ने कंसल्टेंसी के लिए कंसल्टेंट को निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात किए गए शेष कार्य के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर मूल्यवृद्धि का भुगतान किया था, न कि मूल उद्धृत मूल्य के 10 प्रतिशत का। यह स्पष्ट है कि कार्यपालन यंत्री, एन.डी. संभाग, खरगोन ने शर्त में स्पष्टता के अभाव में शर्त की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की थी।

मुख्य अभियंता ने बताया (जुलाई 2014) कि मूल्य वृद्धि भुगतान, संविदा अवधि के समाप्त होने पर शेष निर्माण कार्य के लिए था न कि शेष कार्य की राशि के लिए और अनुबंध के प्रावधान के अनुसार था। मूल्य वृद्धि का भुगतान, किए जाने वाले शेष कार्य के लिए उद्धृत दर के 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि कंसल्टेंसी का कार्य निर्माण एजेंसी का कार्य संपूर्ण रूप से पूर्ण होने के कम से कम एक वर्ष बाद में पूरा होगा एवं कंसल्टेंट को परियोजना क्रियान्वयन गतिविधियों के परिवीक्षण हेतु कोई भुगतान नहीं मिलेगा, लेकिन उसे कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों के वेतन, वाहन व अन्य व्यय वहन करना होगा, जिसके लिए केवल मूल्य वृद्धि के विरुद्ध भुगतान उपलब्ध होगा। न्याय के प्राकृतिक नियम की दृष्टि से भुगतान न्यायोचित प्रतीत होता है।

मुख्य अभियंता का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यदि मूल्य वृद्धि भुगतान से सम्बन्धित शर्तें शेष कार्य की मात्रा को संज्ञान में नहीं लेती हैं एवं निर्माण एजेंसी को जब तक समय वृद्धि अनुमत्य की जाती है, मूल्य वृद्धि की राशि का भुगतान उसी दर (₹ 38.50 लाख प्रतिवर्ष की दर से) पर किए जाने से यह कंसल्टेंसी पर मूल्य वृद्धि की असंगत रूप से बड़ी राशि में परिणामित होगा। आगे, कंसल्टेंट ने अनुबंध के समस्त शर्तों एवं निबंधनों यथा निर्धारित अवधि के लिए कर्मचारियों के वेतन, वाहन और अन्य व्यय पर विचार करते हुए दरें उद्धृत की थीं। इसके अतिरिक्त, मूल्य वृद्धि का भुगतान अनुबंध की शर्तों के आधार पर होना चाहिए जो शासकीय हित की सुरक्षा करते हैं।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (जुलाई एवं अगस्त 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

लोक निर्माण, जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग

3.1.3 कर्मकार कल्याण उपकर जमा करने में विलम्ब

कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के उल्लंघन में, कर्मकार कल्याण उपकर के ₹ 8.10 करोड़ कर्मकार कल्याण बोर्ड को विलम्बित रूप से जमा करने से शासन पर ₹ 2.91 करोड़ के ब्याज की देयता हुई।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 3(1), निर्माण कार्य पर एक संस्था द्वारा व्यय की गई लागत के दो प्रतिशत से अनधिक किन्तु एक प्रतिशत से कम न हो, उपकर उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु प्रावधानित करती है। तदनुसार, मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियम 2002 एक प्रतिशत की दर से उपकर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण को प्रावधानित करता है जो अप्रैल 2003 से प्रभावी है। कल्याण उपकर नियम, 1998 का नियम 5 (2) प्रावधानित करता है कि संग्रहित राशि धनादेश/ बैंक ड्राफ्ट द्वारा राज्य के कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को इसके संग्रहण के 30 दिनों के भीतर हस्तांतरित की जाएगी।

⁶ समान संविदा शर्त सहित अनुबंध दिनांक 18 अक्टूबर 2004

अधिनियम की धारा 8 प्रावधानित करती है कि निर्धारित समय के भीतर उपकर की किसी राशि के भुगतान में विफलता, भुगतान की जाने वाली राशि पर, उस दिनांक जब ऐसा भुगतान देय हुआ से उस दिनांक जब ऐसी राशि वास्तव में भुगतान की गई तक की अवधि को समाविष्ट करने वाले माह या माह के भाग के लिए दो प्रतिशत की दर से भुगतान की जाने वाली राशि पर ब्याज के भुगतान को आवश्यक बनाती है।

हमने कर्मकार उपकर संग्रहण व जमा करने से संबद्ध ठेकेदारों को किए गए भुगतान के प्रमाणकों में पाया (मार्च 2013 से फरवरी 2014) कि फरवरी 2004 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान तीन निर्माण विभागों⁷ के 16 संभागों ने ठेकेदारों के देयकों से स्रोत पर ₹ 8.10 करोड़ की राशि का उपकर संग्रहित किया था। हालाँकि, संभागीय अधिकारियों ने एक माह की निर्धारित अवधि में राशियों को बोर्ड में जमा नहीं किया। बोर्ड को धनराशि जमा करने के स्थान पर राशियाँ सिविल डिपॉजिट में जमा की गई थीं। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संभागीय अधिकारियों ने मार्च 2013 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान उपकर की राशि को बोर्ड में जमा किया। बोर्ड में उपकर जमा करना एक माह से 119 माह तक विलंबित हुआ था। बोर्ड में उपकर जमा करने में हुए विलंब के कारण विभाग ब्याज की राशि ₹ 2.91 करोड़ के भुगतान का भागी हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 3.3 में विवरण दिया गया है।

प्रत्यक्ष रूप से, निर्धारित समय सीमा के भीतर उपकर को जमा करना सुनिश्चित करने के लिए ताकि विलंबों के कारण ब्याज की देयता को टाला जा सके, विभागों ने कोई प्रणाली विकसित नहीं की।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (जुलाई 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

3.2 औचित्य के बिना व्यय

लोक निधियों से व्यय का प्राधिकार, लोक व्यय के औचित्य तथा दक्षता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। व्यय करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों से वही सतर्कता लागू करने की आशा की जाती है जो एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति अपने स्वयं के धन के संबंध में बरतता है और उसे प्रत्येक कदम पर वित्तीय व्यवस्था तथा पूर्ण मितव्ययिता लागू करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने अनौचित्यपूर्ण, अतिरिक्त एवं निष्फल व्यय के दृष्टांतों का पता लगाया है, उनमें से कुछ नीचे उल्लिखित किए गए हैं:

नर्मदा घाटी विकास विभाग

3.2.1 समय वृद्धि पर मूल्य समायोजन का अनौचित्यपूर्ण भुगतान

कार्य पूर्ण करने के लिए समय वृद्धि को अविवेकपूर्ण रूप से प्रदान करने से मूल्य वृद्धि के ₹ 12.29 करोड़ का भुगतान हुआ, इसके अतिरिक्त ठेकेदार पर आरोपणीय विलम्बों के लिए शास्ति का अनारोपण हुआ।

⁷ जल संसाधन विभाग- जल संसाधन संभाग खनियाढाना, सिंगरौली, टीकमगढ़, क्योटी नहर संभाग रीवा, बाणसागर वितरण संभाग रीवा एवं मेसनरी बांध संभाग मड़ीखेड़ा।

लोक निर्माण विभाग- पी.डब्ल्यू.डी. (भ/स) संभाग अशोक नगर, देवास, गुना, जबलपुर, खंडवा, रतलाम, टीकमगढ़ एवं उमरिया।

नर्मदा घाटी विकास विभाग- नर्मदा विकास संभाग क्र.-1 डिंडोरी और संभाग क्र. 2 पनागर

नर्मदा घाटी विकास विभाग (एन.व्ही.डी.डी.) ने "वितरण नेटवर्क सहित दायीं तट नहर के आर.डी.⁸ कि.मी. 9.775 से आर. डी. कि.मी. 68.92 तक समाविष्ट होने वाली आँकारेश्वर परियोजना⁹ नहर प्रणाली (चरण-II) के कार्यान्वयन" का कार्य भू-अर्जन की लागत को छोड़कर ₹ 193 करोड़ की लागत पर एक संयुक्त उद्यम कंपनी को 'टर्न की'¹⁰ आधार पर ठेके पर सौंपा (मार्च 2008)। कार्य 30 माह के भीतर, अर्थात् सितम्बर 2010 तक पूर्ण होना निर्धारित था। कार्य जून 2014 तक अपूर्ण था।

ठेका अनुबंध के अनुसार, मूल्य समायोजन शर्त निर्धारित समय सीमा या ठेकेदार पर आरोपणीय न होने वाले कारणों के लिए प्रदान की गई समय वृद्धि के भीतर पूर्ण किए गए कार्य के लिए लागू होगी। कार्यान्वयन में 100 दिन से अधिक विलम्ब की दशा में शास्ति¹¹ के आरोपण अथवा ठेके को समाप्त करने का भी प्रावधान था।

ठेकेदार ने अगस्त 2008 से कार्य का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया। हालाँकि 01 जुलाई 2009 से 25 फरवरी 2010 तक, माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण कार्य रोक रखा गया था क्योंकि विभाग ने भू-अर्जन की प्रक्रिया से पहले संविधान के अनुच्छेद 243 एम और पंचायत अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम सभा और पंचायतों से परामर्श नहीं किया था। कार्य मार्च 2010 में पुनः प्रारंभ हुआ। मुख्य अभियंता (सी.ई.) निचली नर्मदा परियोजना ने माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश एवं भू-अर्जन में विलंब के आधार पर सितम्बर 2010 से जून 2012 तक समय वृद्धि प्रदान की (दिसम्बर 2010)। हमने देखा (जुलाई 2013) कि समय वृद्धि की स्वीकृति से पूर्व दिसम्बर 2010 में भूमि का 95 प्रतिशत उपलब्ध था एवं कार्य के लिए आवश्यक कुल भूमि (774.516 हे.) ठेकेदार को मई 2011 तक उपलब्ध करा दी गई थी। हमने यह भी देखा कि कार्यपालन यंत्री (ई.ई.), एन.डी.संभाग क्र. 20, मंडलेश्वर ने उन स्थानों पर जहाँ भूमि पहले से ही उपलब्ध करा दी गई थी, कार्य की धीमी प्रगति के बारे में ठेकेदार के ध्यान में निरंतर लाया था (मार्च, जुलाई एवं अक्टूबर 2010)। धीमे कार्यान्वयन के कारण ठेकेदार कार्य को बड़ी हुई अवधि में भी पूरा नहीं कर पाया। मुख्य अभियंता (सी.ई.) ने हालाँकि 30 नवम्बर 2013 तक की दूसरी समय वृद्धि शास्ति को आरोपित करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस शर्त के साथ प्रदान की (जुलाई 2012) कि यदि तिमाही लक्ष्य के विरुद्ध आनुपातिक प्रगति प्राप्त की जाती है तभी मूल्य वृद्धि का भुगतान किया जाएगा। जून 2014 तक, ठेकेदार कार्य का मात्र 56 प्रतिशत ही पूरा कर सका। संभाग ने, विलंब को, ठेकेदार के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव होने से संबंधित होना माना था। संभाग ने किए गए कार्य के सकल मूल्य के लिए 129 वें चलित (आर.ए.) देयक तक ₹ 28.95 करोड़ के मूल्य समायोजन को सम्मिलित करते हुए ₹ 167.77 करोड़ का भुगतान किया (जून 2014)। बड़ी हुई अवधि (नवम्बर 2013 तक) में कार्य के पूर्ण न होने के कारण जैसा कि अनुबंध में उल्लिखित है, शास्ति को

⁸ चल दूरी

⁹ परियोजना में 520 मे.वॉ. का विद्युत उत्पादन एवं 146,800 हेक्टेयर (हे.) भूमि की सिंचाई के लिए गेट वाले स्पिल वे सहित कांक्रीट बांध का निर्माण प्रावधानित था।

¹⁰ सर्वेक्षण, आयोजना, रूपांकन, प्राक्कलन, भू-अर्जन प्रकरणों को तैयार करना, सीमेंट क्रंकीट लाइनिंग, कांक्रीट संरचनाएं एवं क्रॉस ड्रेनेज कार्यों सहित नहर के निर्माण के संपूर्ण कार्य समाविष्ट होना।

¹¹ विलम्ब की स्थिति में, ठेकेदार पर कम (शार्टफॉल) मूल्य के 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन के दर से शास्ति आरोपित होगी। हालाँकि संचयी शास्ति ठेका मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी।

आरोपित करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए मुख्य अभियंता ने मार्च 2015 तक पुनः समय वृद्धि प्रदान की (जून 2014)।

चूँकि, मई 2011 तक ठेकेदार को सम्पूर्ण भूमि उपलब्ध करा दी गई थी एवं अपर्याप्त संसाधनों के कारण ठेकेदार के कार्य की प्रगति धीमी थी, जून 2012 के बाद का विलंब ठेकेदार पर आरोपणीय था एवं इसलिए दायित्वक प्रावधान को आकर्षित करता है। शास्ति के आरोपण के बारे में निर्णय के अनौचित्यपूर्ण स्थगन के कारण ठेकेदार को अदेय मूल्य समायोजन का भुगतान सुगम हुआ। विभाग ने जून 2012 के बाद की बढ़ी हुई अवधि के लिए मूल्य समायोजन हेतु ₹ 12.29 करोड़¹² का भुगतान किया एवं ₹ 19.30¹³ करोड़ की शास्ति भी आरोपित नहीं की जो अनौचित्यपूर्ण था।

कार्यपालन यंत्री ने उत्तर दिया (जुलाई 2013) कि शास्ति को आरोपित करने एवं मूल्य समायोजन के बारे में प्रकरण सक्षम प्राधिकारी के पास समीक्षाधीन था और निर्णय के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कार्यपालन यंत्री का उत्तर समाधानकारक नहीं है क्योंकि जून 2012 के बाद का विलंब ठेकेदार पर आरोपणीय था, इसलिए ठेकेदार को मूल्य समायोजन का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (मई और अगस्त 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

जल संसाधन विभाग

3.2.2 सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग को अपनाने में त्रुटि के कारण अतिरिक्त व्यय

सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग के प्रावधान को अपनाने में त्रुटि के परिणामस्वरूप चार नहर कार्यों में ₹ 1.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रमुख अभियंता (ई.-इन-सी.), जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) द्वारा जारी किए गए तकनीकी परिपत्र (जनवरी 1984) एवं एकीकृत दर अनुसूची (यू.एस.आर.) के अध्याय 25 की टिप्पणी 8 के अनुसार तीन क्यूमेक तक पानी के बहाव एवं पानी की गहराई एक मीटर से कम वाली नहरों के लिए एम-10 सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.)¹⁴ लाईनिंग की जाएगी।

पाँच जल संसाधन संभागों¹⁵ के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने देखा (अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 एवं मार्च 2014) कि विभाग के पाँच संभागों द्वारा क्रियाचित की जा रही

¹² जून 2014 तक भुगतान की गई मूल्य वृद्धि (₹ 28,95,39,637) घटाएँ जून 2012 तक भुगतान की गई मूल्य वृद्धि (₹ 16,65,91,805) = ₹ 12,29,47,832

¹³

- | | |
|---|-----------------|
| (1) कुल विलम्ब (जुलाई 2012 से जून 2014) 24 माह | = 730 दिवस |
| (2) जून 2014 की स्थिति में किये गये कार्य के मूल्य में कमी (₹ 193.00 करोड़ का 44 प्रतिशत) | = ₹ 84.92 करोड़ |
| (3) ठेका मूल्य (₹ 193 करोड़) का 10 प्रतिशत | = ₹ 19.30 करोड़ |
| (4) कुल शास्ति: उपरोक्त (2) का 0.1 प्रतिशत (कुल विलम्ब यथा 730 दिन) | = ₹ 61.99 करोड़ |
| (5) आरोपण योग्य शास्ति: (3) या (4) जो भी कम है | = ₹ 19.30 करोड़ |

¹⁴ एम-10 कांक्रीट में सीमेंट, रेत एवं गिट्टी के घटक 1:3:6 के अनुपात में होते हैं।

¹⁵ जल संसाधन संभाग, झाबुआ, मनावर, राघोगढ़ और संभाग-1, ॥ सागर

(जुलाई 2011 से मई 2012) पाँच¹⁶ लघु सिंचाई योजनाओं की नहरों में पानी का बहाव तीन क्यूमेक से कम व पूर्ण आपूर्ति स्तर पर पानी की गहराई भी एक मीटर से कम थी। इसलिए इन कार्यों में एम-10 ग्रेड की कांक्रीट लाईनिंग प्रावधानित करना आवश्यक था। हालाँकि कार्यपालन यंत्रियों (ई.ई.) द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलनों पर मुख्य अभियंता (सी.ई.) द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति में एम-15 ग्रेड¹⁷ सी.सी. लाईनिंग के उच्चतर ग्रेड का कांक्रीट जो एम-10 ग्रेड से महंगा है, का प्रावधान किया गया था एवं निर्धारित विशिष्टियों के बदलाव के लिए कोई औचित्य दिए बिना तदनुसार कार्य कार्यान्वित किया गया था। पाँच योजनाओं में सी.सी. के दो ग्रेडों की लागत में अन्तर ₹ 383.02 प्रति घ.मी. और ₹ 641.28 प्रति घ.मी. के बीच रहा।

इन पाँच योजनाओं में मार्च 2014 तक प्राक्कलित 20,486.68 घ.मी. कांक्रीट में से ठेकेदारों ने एम-15 ग्रेड की 9,631.493 घ.मी. कांक्रीट को कार्यान्वित किया जिस पर ₹ 41.33 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ था। कार्यान्वित किये जाने वाले शेष बचे 10,855.187 घ.मी. कांक्रीट पर ₹ 59.23 लाख अतिरिक्त व्यय होगा जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में विवरण दिया गया है।

चार¹⁸ संभागों के कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (अक्टूबर 2012 से मार्च 2013) कि एम-15 ग्रेड सी.सी. लाईनिंग, शासन के निर्देशों, प्राक्कलनों, तकनीकी स्वीकृति और अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार की गई थी। हालाँकि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-I, सागर ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी कार्यपालन यंत्रियों ने शासन के निर्देशों के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

सी.सी. लाईनिंग की निर्धारित विशिष्टियों के परिपेक्ष्य में कार्यपालन यंत्रियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं। आगे, कार्यपालन यंत्रियों ने स्वयं ही प्रमुख अभियंता के तकनीकी परिपत्र एवं यू.एस.आर., 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन कर उच्चतर विशिष्टि के प्रस्ताव तैयार किए एवं अनुमोदन हेतु मुख्य अभियंता को प्रस्तुत किए।

प्रकरण विभाग एवं शासन को भेजा गया (जून एवं अगस्त 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

लोक निर्माण विभाग

3.2.3 दर अनुसूची में उच्चतर दरें निर्धारित करने के कारण अतिरिक्त लागत

दर अनुसूची में "सड़क मार्गों के लिए कड़ी चट्टान में खुदाई- ब्लास्टिंग प्रतिबंधित" मद हेतु उच्चतर दर को अविवेकपूर्ण ढंग से निर्धारित किए जाने के परिणामस्वरूप एक सड़क कार्य में मद के कार्यान्वयन में ₹ 50.75 लाख की अतिरिक्त लागत आई।

प्रमुख अभियंता, (ई.-इन-सी.) लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू. डी.) द्वारा सड़क एवं सेतु कार्यों के लिए तैयार व प्रकाशित दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) राज्य में पी.डब्ल्यू. डी. द्वारा कार्यान्वित सड़को के निर्माण एवं संधारण के लिए लागू होती है। एस.ओ.आर. सड़क एवं सेतु कार्यों की विशिष्टियों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है और भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा जारी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की स्टेण्डर्ड डाटा बुक पर आधारित होती है। कार्य की लागत निर्धारित करने के लिए एस.ओ.आर. के

¹⁶ बिरई तालाब-राघोगढ़, ढोलखरा तालाब -झाबुआ, इन्दला तालाब -मनावर, समनापुर तालाब टिकरी तालाब- सागर।

¹⁷ एम-15 कांक्रीट में सीमेंट, रेत एवं गिट्टी के घटक 1:2:4 के अनुपात में होते हैं।

¹⁸ जल संसाधन संभाग झाबुआ, मनावर, राघोगढ़ और संभाग-II सागर।

आधार पर प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं। मजदूरी, सामग्री और पी.ओ.एल.¹⁹ की दरों में वृद्धि या कमी के कारण विभाग द्वारा एस.ओ.आर. समय-समय पर पुनरीक्षित की जाती है। इसलिए एस.ओ.आर. में दी गई मदों की दरों की परिशुद्धता का, जहाँ ठेकेदार को प्राक्कलित दरों पर भुगतान किया जाता है, कार्यों पर हुये व्यय पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

सड़क मार्गों के निर्माण के लिए दो मुख्य मदें 'कड़ी चट्टान की खुदाई ब्लास्टिंग आवश्यक' एवं 'कड़ी चट्टान की खुदाई ब्लास्टिंग प्रतिबंधित' हैं; एस.ओ.आर. 2009 के अनुसार दरें क्रमशः ₹ 140 प्रति घ.मी. तथा ₹ 503 प्रति घ.मी. थीं (एस.ओ.आर. 2008 के अनुसार ₹ 123 तथा ₹ 279 के विरुद्ध)। इस प्रकार एस.ओ.आर. 2009 में 'कड़ी चट्टान की खुदाई ब्लास्टिंग प्रतिबंधित' की दर 80 प्रतिशत तक अधिक थी जबकि दूसरे मद में वृद्धि केवल 13 प्रतिशत थी। हमने अवलोकित किया कि अप्रैल 2009 से प्रभावी एस.ओ.आर. में कड़ी चट्टान की खुदाई ब्लास्टिंग प्रतिबंधित मद की दर (₹ 503 प्रति घ.मी.) में मशीनरी, ऊपरि व्यय, ठेकेदार का लाभ और श्रम की मदों के घटक यथा मेट, मजदूर, चिजलर और लुहार सम्मिलित थे। जब पूछा गया (फरवरी/ अप्रैल 2014), प्रमुख अभियंता ने श्रम घटकों की दरों के लिए आधार उपलब्ध नहीं कराया। हमने अवलोकित किया कि विभाग द्वारा श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए एस.ओ.आर. में अपनाई गई दरें, अप्रैल 2009 से लागू श्रम आयुक्त, इंदौर द्वारा प्रकाशित दरों की तुलना में 0.74 से 71 प्रतिशत तक अधिक थी। श्रम आयुक्त द्वारा प्रकाशित श्रमिकों की मजदूरी की दर के आधार पर मद की दर की गणना ₹ 429.85 प्रति घनमीटर की गई थी।

हमने कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग दमोह के अभिलेखों से अवलोकित किया (नवम्बर 2013) कि माला पोंडी-भानगढ़ सड़क के निर्माण कार्य में सड़क मार्ग हेतु 'कड़ी चट्टान की खुदाई ब्लास्टिंग आवश्यक' की 67096.66 घ.मी. मात्रा (₹ 140 प्रति घ.मी.) का प्रावधान किया गया था। कार्यपालन यंत्री ने इस आधार पर कि वन विभाग द्वारा चट्टान में ब्लास्टिंग की अनुमति नहीं दी गई, ठेकेदार के माध्यम से "सड़क मार्गों के लिए कड़ी चट्टान में खुदाई- ब्लास्टिंग प्रतिबंधित" मद का ₹ 503 प्रति घ.मी. की दर से 69,382.346 घ.मी. का कार्यान्वयन कराया। परिणामस्वरूप दर अनुसूची में 'कड़ी चट्टान में खुदाई-ब्लास्टिंग प्रतिबंधित' मद के उच्चतर दर के अविवेकपूर्ण निर्धारण के परिणामतः ₹ 50.75 लाख की अतिरिक्त लागत आई जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में विवरण दिया गया है।

इसके अतिरिक्त खुदाई की पद्धति में बदलाव के लिए जिससे ₹ 2.52 करोड़²⁰ का अतिरिक्त व्यय आवश्यक हुआ, सक्षम प्राधिकारी (सी.ई.) की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी (अगस्त 2014)।

शासन ने बताया (अगस्त 2014) कि एस.ओ.आर. को वास्तविक आधार पर तैयार करने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में प्रचलित मजदूरी की वास्तविक बाजार दरों का औसत लेकर दरें निकाली गई थी।

¹⁹ पी.ओ.एल.: पेट्रोल, ऑयल और लुब्रिकेन्ट्स

²⁰ दर में अन्तर (₹ 503- ₹ 140= ₹ 363) प्रति घ.मी. * कार्यान्वित मात्रा (69,382.346 घ.मी.) = ₹ 2.52 करोड़

उत्तर समाधानकारक नहीं हैं क्योंकि श्रम आयुक्त ने भी राज्य के विभिन्न भागों में प्रचलित बाजार दर का विश्लेषण करने के पश्चात अकुशल/ कुशल मजदूरों के लिए मजदूरी की दैनिक/ मासिक दरें जारी कीं, जिन्हें अपनाया जाना चाहिए था।

3.2.4 मूल्य वृद्धि का अस्वीकार्य भुगतान

सड़क कार्य कार्यान्वित कर रहे एक ठेकेदार को मूल्य वृद्धि के ₹ 75.26 लाख का भुगतान किया गया था यद्यपि यह अनुबंध के अंतर्गत नहीं था, क्योंकि कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 महीने से कम थी।

मुख्य अभियंता (सी.ई.), राष्ट्रीय राजमार्ग (रा.रा.) परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.), भोपाल ने भोपाल-सागर सड़क के कि.मी. 88 से कि.मी. 101 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य मद दर निविदा के आधार पर ₹ 14 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को सौंपा (मार्च 2013)। कार्य, वर्षाकाल सहित चार महीने के भीतर पूर्ण होना निर्धारित था। कार्य नवम्बर 2013 में पूर्ण हुआ एवं ठेकेदार को मूल्य वृद्धि के ₹ 75.26 लाख को सम्मिलित करते हुए ₹ 16.88 करोड़ के अंतिम देयक का भुगतान मार्च 2014 में किया गया था।

कार्य की दरों एवं मूल्यों के संबंध में मानक निविदा अभिलेख की सामान्य शर्त 13.4 के दो भाग हैं। पहला भाग, 12 माह तक की अवधि के ठेके के लिए है, जिसमें प्रावधान है कि बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत की गई दरें एवं मूल्य, ठेके की अवधि हेतु स्थिर रहेंगे एवं 12 माहों की अवधि तक के ठेकों के लिए किसी भी कारण से समायोजन के अधीन नहीं होंगे। कथित शर्त का दूसरा भाग, 12 माह से अधिक की अवधि के ठेकों के लिए है, जिसमें प्रावधान है कि "बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत की गई दर/ मूल्य, ठेके के कार्य-संपादन के दौरान 12 माह से अधिक की अवधि के ठेकों के लिए निबंधनों की शर्त 47.1²¹ के प्रावधानों के अनुसार समायोजन के अधीन है।" कार्य के अनुबंध में, दूसरे भाग को काट दिया गया था क्योंकि अनुबंध की अवधि 12 माह से कम थी। इस प्रकार कथित अनुबंध में मूल्य वृद्धि लागू नहीं थी।

कार्यपालन यंत्री (ई.ई.), लोक निर्माण विभाग (रा.रा.), भोपाल संभाग के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया (मई 2014) कि चार माह की निर्धारित पूर्णता अवधि के विरुद्ध, कार्य आठ माह की अवधि में पूर्ण किया गया (नवम्बर 2013)। यद्यपि, ठेकेदार अनुबंध की शर्तों के आधार पर मूल्य वृद्धि के भुगतान के लिए हकदार नहीं था, संभाग ने उसे मूल्य वृद्धि के ₹ 75.26 लाख का भुगतान कर दिया।

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (रा.रा.) संभाग, भोपाल ने बताया (मई 2014) कि मूल्य वृद्धि, अनुबंध की शर्त 47.1 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार भुगतान की गई थी एवं समय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शर्त 13.4 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि शर्त 47.1 के अनुसार 12 माह से अधिक की ठेका अवधि के लिए मूल्य वृद्धि भुगतान योग्य थी। जैसा कि ठेका अवधि 12 माह से कम थी, मूल्य वृद्धि स्वीकार्य नहीं थी।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (अगस्त 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

²¹ जब ठेका निबंधनों के अनुसार मूल्य समायोजन को अनुमत किया जाता है, शर्त 47.1 ठेका मूल्य की गणना करने के लिए सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को प्रावधानित करती है।

3.2.5 पर्यवेक्षण प्रभारों का कम आरोपण

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली के प्रावधानों के उल्लंघन में, यूको बैंक के लिए भवनों के निक्षेप कार्य हेतु अशासकीय कार्यों के लिए पर्यवेक्षण प्रभार निम्नतर दर पर प्रभारित किए गए थे। प्रभारों का कम आरोपण ₹ 41.26 लाख था।

मध्य प्रदेश निर्माण विभाग (एम.पी.डब्ल्यू.डी.) नियमावली की कंडिका 2.164 के अनुसार अशासकीय कार्यों के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रतिशत के रूप में पर्यवेक्षण प्रभारों की दरें निर्धारित की जाएंगी। तदनुसार, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), मध्य प्रदेश शासन (म.प्र.शासन) ने निक्षेप कार्य के आधार पर ₹ 5 करोड़ से अधिक मूल्य के गैर-शासकीय कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सात प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार के आरोपण के लिए एक आदेश जारी किया (मई 1997)।

हमने अवलोकित किया (सितम्बर 2013) कि लोक निर्माण विभाग, म.प्र.शासन ने, लोक निर्माण विभाग को निक्षेप कार्य आधार पर जेल रोड, भोपाल में यूको बैंक के कार्यालय एवं हॉस्टल भवनों के निर्माण को अनुमत इस शर्त के आधार पर किया (अगस्त 2008) कि नियमों के अंतर्गत स्वीकार्य पर्यवेक्षण प्रभार यूको बैंक से वसूल किए जायेंगे जिसकी विफलता पर अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी। यूको बैंक ने विभाग से कथित कार्य को तीन प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार सम्मिलित करते हुए ₹ 10.70 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर निक्षेप कार्य के आधार पर कार्यान्वित करने हेतु अनुरोध किया (जनवरी 2009)। विभाग ने बैंक से अनुबंध करने के बाद, सिविल कार्य को 17 माह अर्थात् अगस्त 2011 तक पूर्ण करने के लिए मार्च 2010 में एक फर्म को कार्यादेश जारी किया। कार्य अक्टूबर 2014 तक प्रगति पर था। इसके अतिरिक्त, भवनों हेतु विद्युत व अन्य संबद्ध कार्यों को भी ₹ 1.09 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था (मई 2012 से फरवरी 2014)। भवनों के सिविल कार्यों व अन्य कार्यों का मूल्य ₹ 6.72 करोड़²² था और अक्टूबर 2014 तक उसका भुगतान भी कर दिया गया था।

हमने देखा (सितम्बर 2013) कि यूको बैंक द्वारा म.प्र.शासन से किए गए अनुरोध (सितम्बर 2008) पर लोक निर्माण विभाग ने वित्त विभाग से तथाकथित परामर्श के बाद अगस्त 2008 में दिये गए आदेश का अधिक्रमण (सुपरसीड) किया और यूको बैंक के उक्त कार्य के कार्यान्वयन के लिए सात प्रतिशत के स्थान पर तीन प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभारों को आरोपित करने की अनुमति प्रदान की (सितम्बर 2008)। हमारे द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी, विभाग पर्यवेक्षण प्रभारों को कम करने का औचित्य एवं वित्त विभाग की अनुमति का साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सका। विभाग की कार्रवाई मध्य प्रदेश निर्माण विभाग नियमावली की कंडिका 2.164 के प्रावधानों के प्रतिकूल थी क्योंकि नियम, विभिन्न अशासकीय कार्यों हेतु भिन्न पर्यवेक्षण प्रभारों की दरों को लागू करने हेतु प्रावधानित नहीं करता है। इस प्रकार केवल यूको बैंक के एक विशिष्ट प्रकरण में पर्यवेक्षण प्रभारों को सात प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करने के परिणामस्वरूप ₹ 41.26 लाख²³ के पर्यवेक्षण प्रभारों का कम आरोपण हुआ।

²² नए भोपाल संभाग द्वारा कार्यान्वित किए गए सिविल कार्यों हेतु ₹ 5.09 करोड़ और (विद्युत/संधारण) संभाग, भोपाल द्वारा कार्यान्वित किए गए विद्युत कार्यों हेतु ₹ 1.63 करोड़।

²³ ₹ 10.32 करोड़ (पर्यवेक्षण प्रभारों को छोड़कर प्राक्कलित मूल लागत) का चार प्रतिशत = ₹ 41.26 लाख

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया कि तीन प्रतिशत के पर्यवेक्षण प्रभार आरोपित किए गए थे क्योंकि लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी।

कार्यपालन यंत्री का उत्तर समाधानकारक नहीं हैं क्योंकि पर्यवेक्षण प्रभारों को कम करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया था।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया था (जून एवं अगस्त 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

3.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताएं

एक अनियमितता तब सतत समझी जाती है जब यह वर्ष दर वर्ष प्रकट होती है, यह व्यापक हो जाती है जब यह संपूर्ण प्रणाली में प्रचलित हो जाती है। पूर्व की लेखापरीक्षाओं में ध्यान में लाए जाते रहने के बावजूद इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न केवल कार्यपालक के गंभीर न होने की सूचक है अपितु प्रभावी निगरानी के अभाव का सूचक भी है। क्रमागत रूप से यह नियमों/ विनियमों के अनुपालन से जानबूझकर विचलन किए जाने को बढ़ावा देता है एवं प्रशासनिक संरचना की कमजोरी में परिणित होता है। लेखापरीक्षा में प्रतिवेदित किए गए सतत अनियमितताओं के रूचि के प्रकरणों की चर्चा नीचे की गई है:

लोक निर्माण विभाग

3.3.1 परिहार्य अतिरिक्त लागत

भारतीय सड़क कांग्रेस विशिष्टियों के प्रावधानों की तुलना में दो सड़क कार्यों में उच्चतर विशिष्टियों के प्रावधान एवं कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

मुख्य अभियंता (सी.ई.) मध्य परिक्षेत्र भोपाल, ने केंद्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत दो सड़क कार्यों²⁴ के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2010)। कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छिंदवाड़ा द्वारा कार्य दो ठेकेदारों को कुल उद्धृत मूल्य ₹ 11.72 करोड़ पर सौंपा गया (जुलाई 2010 व दिसम्बर 2010)। कार्य क्रमशः 15 माहों (अक्टूबर 2011 के भीतर) और 18 माहों (जून 2012 के भीतर) में पूरे किए जाने निर्धारित थे।

फ्लेक्सिबल सड़कों के रूपांकन के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस (आई.आर.सी.:37) विशिष्टियों के अनुसार क्रस्ट (मोटाई) के साथ बिटुमिनस कोर्स के प्रकार का रूपांकन सब-ग्रेड²⁵ के केलिफोर्निया बियरिंग अनुपात (सी.बी.आर.)²⁶ एवं रूपांकित यातायात के मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल (एम.एस.ए.)²⁷ के आधार पर किया जाता है जो व्यावसायिक वाहन प्रतिदिन (सी.वी.पी.डी.), रूपांकन आयु व लेन वितरण घटक (एल.डी.एफ), वाहन

²⁴ सड़क का नाम संभाग पूर्ण
मुलताई- रोहना- गुरैय्या- पौमा सड़क लो.नि.वि.(भ/स) संभाग छिंदवाड़ा मार्च 2013
हिरदागढ़- नवेगांव सड़क लो.नि.वि.(भ/स) संभाग छिंदवाड़ा प्रगतिरत

²⁵ सब-ग्रेड सड़को में मिट्टी कार्य की 30 से. मी. से 50 से.मी. की ऊपरी परत है।

²⁶ केलिफोर्निया बियरिंग अनुपात से आशय मिट्टी की स्ट्रेंथ से है। यह मानक इकाई भार का सामग्री प्रतिरोध या 2.54 मि.मी. भेदन के लिए पिस्टन पर इकाई भार से अनुपात है।

²⁷ मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल से आशय सड़क पर यातायात से दबाव से है।

क्षति घटक (वी.डी.एफ.)²⁸ के आधार पर निश्चित किया जाता है। आई.आर.सी. विशिष्टियों में आगे प्रावधान है कि जहां कहीं भी रूपांकित यातायात एक एम.एस.ए. है एवं सब-ग्रेड की सी.बी.आर. 10 प्रतिशत तक है, बिटुमिनस वियरिंग कोर्स के तौर पर मात्र 20 मि.मी. ओपन ग्रेडेड प्रिमिक्स कारपेट (ओ.जी.पी.सी.) के साथ सील कोट का प्रावधान किया जाना चाहिए एवं इस प्रकार, बिटुमिनस मेकेडम (बी.एम.) तथा सेमी डेन्स बिटुमिनस कांक्रीट (एस.डी.बी.सी.) की कोई आवश्यकता नहीं है।

अभिलेखों²⁹ की संवीक्षा के दौरान हमने देखा (जनवरी 2013) कि कार्यपालन यंत्री (ई.ई.) ने वी.डी.एफ. (1.5 के स्थान पर 4.5), रूपांकित आयु (10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष) और एल.डी.एफ. (0.75 के स्थान पर 1.5) को गलत विचारित किए जाने के कारण रूपांकित यातायात की त्रुटिपूर्ण रूप से चार से पाँच एम.एस.ए. की गणना की, जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में विवरण दिया गया है। जबकि सही वी.डी.एफ. एवं एल.डी.एफ. के आधार पर रूपांकित यातायात की गणना एक एम.एस.ए. हुई, जिसके लिए निर्धारित बिटुमिनस कोर्स ओ.जी.पी.सी. एवं सील कोट है। हालाँकि, कार्यपालन यंत्री ने पाँच एम.एस.ए. के रूपांकित यातायात के लिए आवश्यक बी.एम. (60 मि.मी.) और एस.डी.बी.सी. (40 मि.मी.) के प्रावधान को अपनाया। तकनीकी स्वीकृति में उच्चतर विशिष्टि को अपनाने के परिणामस्वरूप ₹ 2.45 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 3.7 में विवरण दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया कि कार्य तीन व चार प्रतिशत सी.बी.आर. के लिए आई.आर.सी.-37 के अनुसार कार्यान्वित किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि क्रस्ट को बेहतर कार्य-निष्पादन हेतु और संस्वीकृत प्राक्कलन, जिसकी पूर्ण रूप से संवीक्षा की गई, जाँच की गई एवं उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था, के आधार पर अपनाया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि आई.आर.सी. विशिष्टि बेहतर कार्य-निष्पादन को प्रभावित करने वाले सभी कारकों पर विचार करने के पश्चात इष्टतम क्रस्ट मोटाई व संघटकों को प्रावधानित करती है। विभाग ने प्राक्कलनों को तैयार करते समय आई.आर.सी.-37 के प्रावधानों की उपेक्षा की और महंगी विशिष्टियों के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप यातायात तीव्रता की गलत गणना हुई, इस प्रकार ₹ 2.45 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया था (दिसम्बर 2013, अप्रैल एवं अगस्त 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

जल संसाधन विभाग

3.3.2 ठेकेदार से अतिरिक्त सुरक्षा जमा का न काटा जाना

मदों की असंतुलित दरों हेतु अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कटौती न किए जाने के कारण ठेकेदारों को ₹ 3.18 करोड़ के अदेय वित्तीय लाभ प्रदान किए गए थे, परिणामस्वरूप शासकीय धन की हानि हुई।

अनुबंध की शर्त 3.28 प्रावधानित करती है कि ऐसी मदें जिनके लिए ठेकेदार ने प्राक्कलित दर की तुलना में गैर आनुपातिक रूप से उच्चतर दरें उद्धृत की हों; ऐसी

²⁸ वी.डी.एफ., विभिन्न एक्सल भारों वाले वाणिज्यिक वाहनों की संख्या को मानक एक्सल भार बारम्बारता की संख्या में बदलने के लिए एक गुणज है।

²⁹ कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ एवं स) संभाग छिदवाड़ा

मदों हेतु भुगतान को, उद्धृत की गई/ अनुबंधित दर पर करने के स्थान पर उस मद की प्राक्कलित दर में सकल निविदा प्रतिशत को जोड़कर या घटाकर सीमित करना चाहिए। रोक कर रखी गई इस राशि को अतिरिक्त सुरक्षा जमा (ए.एस.डी.) के रूप में रखा जाएगा, जो संपूर्ण कार्य के पूर्ण होने के बाद ही विमुक्त की जाएगी। कार्य को पूर्ण करने में विफलता की दशा में, संपूर्ण अतिरिक्त सुरक्षा जमा को राजसात कर लिया जाएगा। जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) ने निर्देशित किया (अप्रैल 1994) कि मद दर निविदाएं उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार की जानी चाहिए। आगे, अनुबंध की शर्त 4.3.3 के अनुसार प्रभारी अभियंता, विलंब के प्रकरण में कार्य को निरस्त करने व दूसरे ठेकेदार को सौंपने हेतु समर्थ है और अधिक व्यय यदि कोई हो तो उसे मूल ठेकेदार द्वारा वहन एवं भुगतान किया जाएगा।

दो कार्य अ³⁰ तथा ब³¹ को अलग-अलग ठेकेदारों को क्रमशः ₹ 6.31 करोड़ और ₹ 73.69 करोड़ के उद्धृत मूल्य पर सौंपे गए (अगस्त 2007 और अगस्त 2008)। कार्यों को क्रमशः 12 माह (अगस्त 2008 के भीतर) और 30 माह (फरवरी 2011 के भीतर) के भीतर पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

हमने उपरोक्त दोनो कार्यों में अवलोकित किया (जनवरी 2013 व सितम्बर 2013) कि ठेकेदारों ने कार्यों की 8 से 11 मदों के लिए 120 प्रतिशत से 228 प्रतिशत तक के मध्य गैर-अनुपातिक रूप से उच्च दरें उद्धृत कीं जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में दर्शाया गया है। संभागों ने तथापि, ठेकेदारों को भुगतान करते समय असंतुलित मदों के लिए भुगतान को प्राक्कलित लागत में सकल प्रतिशत को जोड़कर या घटाकर सीमित नहीं किया। ठेकेदारों को भुगतान किए गए चलित देयकों में से ए.एस.डी. के तौर पर रोक कर रखी जाने वाली आवश्यक राशि ₹ 3.80 करोड़ (अ: ₹ 60.27 लाख एवं ब: ₹ 3.20 करोड़) के विरुद्ध संभागों ने केवल कार्य 'ब' के लिए ₹ 62.03 लाख रोक कर रखे एवं कार्य 'अ' के प्रकरण में कोई भी राशि रोक कर नहीं रखी गई जो मदों की असंतुलित दरों के लिए ₹ 3.18 करोड़ की वसूली न होने/ कम वसूली होने में परिणामित हुआ। लेखापरीक्षा में जब पूछताछ की गई, कार्यपालन यंत्रियों ने चूकों के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए। ठेकेदार कार्यों को अप्रैल 2011 एवं जून 2011 में छोड़ गए, जब किए गए कार्य क्रमशः केवल 68 प्रतिशत और 30 प्रतिशत थे। विभाग ने उन्हीं माहों में कार्यों के निर्धारित दिनांक के भीतर पूर्ण न होने के आधार पर निरस्त कर दिया। दोनों प्रकरणों में शेष कार्य अन्य ठेकेदारों को उच्चतर दरों पर सौंपे गए थे (अगस्त 2011 और सितम्बर 2012)। कार्य 'अ' दिसम्बर 2012 में पूर्ण हुआ था जबकि कार्य 'ब' प्रगति पर था (जुलाई 2014)। चूककर्ता ठेकेदारों से वसूली योग्य, अन्य ठेकेदार द्वारा शेष कार्य के कार्यान्वयन पर ₹ 8.04 करोड़³² शुद्ध अतिरिक्त लागत वहन की गई एवं संग्रहित न की गई ए.एस.डी. ₹ 3.18 करोड़ थी जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

³⁰ सिंध परियोजना चरण-II, आर.बी.सी. संभाग, नरवर, शिवपुरी- उकैला उच्च स्तरीय नहर के आर.डी. 0.00 कि.मी. से आर.डी. 9.45 कि.मी. के मिट्टी कार्य, सीमेंट कांक्रीट लाईनिंग और संरचनाओं के निर्माण (बरूआ पिकअप बियर से आगे)

³¹ कुटनी बांध संभाग, खजवा, छतरपुर, छतरपुर- सिंहपुर बैराज आर.डी. कि.मी. 0.00 से आर.डी. कि.मी. 4.50 तक कांक्रीट व मिट्टी कार्य की बैराज का निर्माण

³² ₹ 0.73 करोड़ (कार्य अ) + ₹ 7.31 करोड़ (कार्य ब) = ₹ 8.04 करोड़

तालिका 3.1

(₹ करोड़ में)

कार्य का नाम	मूल ठेकेदार द्वारा शेष कार्य हेतु भुगतान योग्य राशि	अन्य ठेकेदार को राशि* का भुगतान या किया जाने वाला भुगतान	अतिरिक्त लागत	विभाग के पास मूल ठेकेदार की जमा सुरक्षा राशियां	चूककर्ता ठेकेदारों से वसूली योग्य राशि	असंप्रतिष्ठित ए.एस.डी.
1	2	3	4=3-2	5	6=4-5	7
कार्य अ	2.13	3.16	1.03	0.30	0.73	0.60
कार्य ब	52.40	60.78	8.38	1.07	7.31	2.58
योग	54.53	63.94	9.41	1.37	8.04	3.18

*₹ 3.16 करोड़ का अर्थ दूसरे ठेकेदार को भुगतान की गई वास्तविक राशि है जबकि ₹ 60.78 करोड़ का अर्थ, मूल ठेकों को रद्द करने के बाद सौंपे गए दूसरे ठेकेदार द्वारा उद्धृत राशि है।

यदि संभाग ने मदों की असंतुलित दरों के कारण ए.एस.डी. पर ₹ 3.18 करोड़ को वसूल किया होता तो उस सीमा तक कार्यों पर व्यय की गई अतिरिक्त लागत को वसूल किया जा सकता था। यह ठेकेदारों को अदेय वित्तीय सहायता के तुल्य है।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री (ई.ई.), कुटनी बांध संभाग ने ए.एस.डी. की कटौती न किए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की। कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना चरण-II, आर.बी.सी. संभाग ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया कि मदों की गैर आनुपातिक दरों के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों (जुलाई 2007) का पालन नहीं किया गया था।

तथ्य वही है कि मदों की असंतुलित दरों के लिए ठेकेदारों से ₹ 3.18 करोड़ की ए.एस.डी. की वसूली नहीं की गई थी।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (मई, जून और अगस्त 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

3.4 असावधानी/ नियंत्रण में विफलता

शासन का, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधोसंरचना का विकास एवं उन्नयन एवं लोक सेवा के क्षेत्र निश्चित ध्येयों की पूर्ति के माध्यम से जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का दायित्व है। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में ऐसे दृष्टांत प्रकट हुए जहाँ पर समाज के हित के लिए सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को सृजित करने के लिए शासन द्वारा विमुक्त की गई निधियां अप्रयुक्त/अवरुद्ध रही और/अथवा विभिन्न स्तरों पर अनिर्णयात्मकता, प्रशासनिक असावधानी तथा संगठित कार्यवाही के अभाव कारण निष्फल/अनुत्पादक सिद्ध हुई। कुछ ऐसे प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

नर्मदा घाटी विकास विभाग

3.4.1 कार्य की पूर्णता में विलंब हेतु क्षतिपूर्ति की वसूली न होना

कार्य पूर्णता में विलंब हेतु ठेकेदार पर ₹ 1.97 करोड़ की क्षतिपूर्ति को ठेकेदार पर आरोपित एवं उससे वसूल नहीं किया गया यद्यपि नहर कार्य के कार्यान्वयन में विलंब ठेकेदार पर आरोपणीय था।

कार्यपालन यंत्री (ई.ई.), नर्मदा विकास (एन.डी.) संभाग, क्र. 18, खरगोन ने इंदिरा सागर परियोजना के आर.डी.³³ कि.मी. 107.74 से आर.डी. कि.मी. 114.073 तक

³³ चल दूरी

मुख्य नहर का निर्माण कार्य, सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) संरचनाएं और सी.सी. लाईनिंग के कार्य ₹ 20.55 करोड़ की लागत पर मद दर के आधार पर एक ठेकेदार को सौंपा (जनवरी 2007)। कार्य वर्षा काल सहित 24 महीने में अर्थात् जनवरी 2009 तक पूर्ण किए जाने हेतु नियत था। जुलाई 2014 तक, नहर के मिट्टी कार्य, सी.सी. की संरचनाएं एवं सी.सी. लाईनिंग के कार्य क्रमशः 89 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और 71 प्रतिशत पूर्ण हुए थे। अगस्त 2014 तक, ₹ 2.30 करोड़ की मूल्य वृद्धि सम्मिलित करते हुए, ठेकेदार को ₹ 18.74 करोड़ का भुगतान किया गया था।

अनुबंध की शर्तों 4.3.2, 4.3.3 और 4.4.1 के अनुसार, यदि ठेकेदार नियत तत्परता के साथ कार्य को करते रहने में उपेक्षा करता है या विफल रहता है तो अन्य कार्रवाई जैसे अनुबंध की समाप्ति, उसकी लागत पर शेष कार्य की पूर्णता, किसी अन्य नई निविदा में भाग लेने से प्रतिबन्धित करना इत्यादि के अतिरिक्त ठेकेदार उसके द्वारा निष्पादन हेतु प्रारम्भिक सुरक्षा राशि सहित उसकी सम्पूर्ण सुरक्षा जमा की राशि की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

कार्यपालन यंत्री एन.डी. संभाग क्र. 18 खरगोन के अभिलेखों की संवीक्षा में हमने अवलोकित किया (जुलाई 2013 और जून 2014) कि कार्य के लिए आवश्यक कुल भूमि अधिग्रहित कर ली गई थी एवं जून 2007 तक ठेकेदार को उपलब्ध करा दी गई थी और सितम्बर 2007 तक केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.), द्वारा अनुमोदित आरेखन भी ठेकेदार को उपलब्ध करा दिए गए थे। लेकिन ठेकेदार निर्धारित अवधि में कार्य को पूर्ण करने में विफल रहा। भू-अर्जन में देरी, सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा आरेखनों के अनुमोदन में देरी, भू-अर्जन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश (जुलाई 2009 से फरवरी 2010) के आधार पर मुख्य अभियंता (सी.ई.) ने गैर-दाण्डिक शर्त के अंतर्गत अक्टूबर 2010 तक 21 महीने की समय वृद्धि प्रदान की।

ठेकेदार बढ़ाई गई अवधि में भी कार्य पूरा नहीं कर सका (अक्टूबर 2010 तक)। हमने अवलोकित किया कि कार्य की धीमी प्रगति के लिए कार्यपालन यंत्री ने सितम्बर 2011 से सितम्बर 2013 के बीच ठेकेदार को कई नोटिस जारी किए थे। कार्यपालन यंत्री एवं अधीक्षण यंत्री (एस.ई.) के प्रस्ताव के आधार पर मुख्य अभियंता ने आगे दिसम्बर 2013 तक समयवृद्धि प्रदान की, हालाँकि विलंब हेतु शास्ति के तौर पर ठेकेदार नवम्बर 2010 से मूल्य वृद्धि का हकदार नहीं होगा। कार्यपालन यंत्री ने हालाँकि मूल्य वृद्धि का भुगतान न करने के सम्बन्ध में मुख्य अभियंता के निर्देशों की उपेक्षा करते हुए ठेकेदार को मूल्य वृद्धि (अक्टूबर 2010 से अगस्त 2014) के ₹ 1.89 करोड़ की राशि का भुगतान किया, जो अनियमित था।

आगे, जैसा कि बढी हुई अवधि के लिए मूल्य वृद्धि अनुमत नहीं थी, संभाग को ठेका शर्त के अनुसार ठेकेदार पर ₹ 1.97 करोड़³⁴ राशि की क्षतिपूर्ति आरोपित एवं वसूल भी की जानी चाहिए थी, जो नहीं किया गया।

³⁴ कुल क्षतिपूर्ति (₹ 1.97 करोड़) = ₹ 1.03 करोड़ + ₹ 0.94 करोड़
संविदा के कुल मूल्य (₹ 20.55 करोड़) का पाँच प्रतिशत अर्थात् प्रारम्भिक निष्पादन प्रतिभूति
= ₹ 1.03 करोड़
सुरक्षा जमा का पाँच प्रतिशत, चल देयकों से काटा गया अर्थात् ₹ 18.74 करोड़ का पाँच प्रतिशत = ₹ 0.94 करोड़

कार्यपालन यंत्री ने सितम्बर 2013 में बताया कि विलंब ठेकेदार पर आरोपणीय नहीं था एवं तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय वृद्धि को शास्ति के बिना स्वीकृत किया गया था। हालाँकि जून 2014 में, कार्यपालन यंत्री ने स्वीकार किया कि 21 माह का विलंब विभाग पर आरोपणीय था एवं ठेकेदार 38 माह के विलंब हेतु उत्तरदायी था।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (जुलाई और अगस्त 2014); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2014)।

भोपाल
दिनांक

(दीपक कपूर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: कंडिका 1.6, पृष्ठ 3)
30 जून 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषित विवरण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	2003-04 वर्ष तक			2004-05			2005-06			2006-07			2007-08			2008-09		
		नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि
1	लोक निर्माण	467	1514	801.94	63	264	148.86	79	417	177.42	77	335	662.66	82	423	1471.14	83	378	1811.68
2	जल संसाधन	557	1322	503.70	89	298	284.80	118	414	1085.46	114	452	516.72	129	478	485.26	119	425	1705.70
3	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	92	192	143.70	17	42	129.09	21	50	127.40	18	42	33.14	29	69	135.40	29	62	233.88
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए.)	18	61	34.82	14	105	84.07	19	51	107.05	31	108	86.36	45	163	252.07	46	177	493.09
5	वन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	56	23.24	15	20	3.58	12	14	15.92
6	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	98	168	43.80	37	42	6.74	25	60	33.07	38	76	45.70	71	153	42.30	39	65	71.11
7	सहकारिता	136	379	61.34	5	11	1.54	9	21	10.14	1	4	3.15	6	11	1.01	2	5	6.44
8	पशुपालन	145	276	20.89	6	12	0.37	20	66	22.24	24	62	0.22	21	66	19.02	39	119	18.04
9	मछली पालन	10	11	0.39	1	2	0.08	5	12	2.46	0	0	0	2	3	0.11	2	4	0.44
10	ग्रामद्योग	49	107	69.68	12	27	63.82	5	19	23.92	10	52	56.07	15	46	18.07	9	32	47.02
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	42	85	114.79	1	6	14.21	11	24	53.23	63	134	249.55	3	12	21.34	8	17	35.27
12	ऊर्जा	10	13	211.86	1	1	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	पर्यटन	2	2	0.59	1	5	7.08	1	5	6.92	1	2	2.20	0	0	0	1	7	9.23
14	नागरिक विमानन	4	27	27.24	1	4	3.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3.37
15	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	28	62	52.26	11	27	27.23	25	134	79.97	3	8	12.67	9	21	21.42	3	8	13.73
	योग	1658	4219	2087	259	846	771.5	338	1273	1729.28	439	1331	1691.68	427	1465	2470.72	393	1317	4464.92

परिशिष्ट 1.1 (निरंतर)
30 जून 2014 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) का वर्षवार विश्लेषित विवरण


(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			योग		
		नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएं	राशि												
1	लोक निर्माण	72	461	1638.73	67	380	524.38	6	54	112.17	83	575	1322.02	70	501	1056.52	1149	5302	9727.52
2	जल संसाधन	119	482	1658.37	101	366	1423.64	25	140	286.69	78	516	2134.32	85	386	2029.34	1534	5279	12114
3	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	26	64	42.42	30	73	166.26	29	172	590.44	15	73	355.32	41	127	1073.64	347	966	3030.69
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास (एम.पी.आर.आर.डी.ए.)	56	251	1065.57	31	162	185.27	3	22	502.03	15	118	373.94	27	173	1140.27	305	1391	4324.54
5	वन	27	16	18.51	74	622	312.90	54	607	82.34	129	1170	751.84	81	504	188.32	451	3009	1396.65
6	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	53	42	75.98	60	149	154.93	61	263	272.03	96	508	342.62	85	430	83.29	663	1956	1171.57
7	सहकारिता	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	250	386.16	198	682	469.78	
8	पशुपालन	21	53	4.72	61	249	36.91	13	76	113.69	42	259	88.35	31	219	244.04	423	1457	568.49
9	मछली पालन	4	5	0.56	1	2	1.84	4	5	1.59	20	74	8.93	17	58	5.68	66	176	22.08
10	ग्रामद्योग	13	33	10.27	9	37	47.91	12	52	85.22	5	17	20.85	19	59	42.39	158	481	485.22
11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	11	42	119.72	23	92	171.73	25	94	193.28	14	50	93.37	3	19	37.29	204	575	1103.78
12	ऊर्जा	1	2	41.85	0	0	0	0	0	0	1	1	1.08	2	4	1.17	15	21	256
13	पर्यटन	1	1	1.84	1	9	22.84	0	0	0	0	0	0	2	10	16.23	10	41	66.93
14	नागरिक विमानन	1	4	2.98	0	0	0	1	1	0.63	0	0	0	1	2	1.20	9	42	38.99
15	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	29	53	39.31	24	38	31.53	17	81	47.93	36	269	142.75	33	132	77.28	218	833	546.08
	योग	435	1510	4720.83	482	2179	3080.14	250	1567	2288.04	534	3630	5635.39	535	2874	6382.82	5750	22211	35322.32

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: कडिका 2.1.2 पृष्ठ 9)

वन विभाग का संगठन चार्ट (वन्य प्राणी शाखा)



परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ: कंडिका 2.1.5, पृष्ठ 10)

मध्य प्रदेश में टाईगर रिज़र्व, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	इकाई का नाम	सं. क्षे. का क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	आ.एवं सं.अ.	लेखापरीक्षा हेतु चयनित (√)
टाईगर रिज़र्व				
1	बांधवगढ़ टाईगर रिज़र्व, उमरिया	716.903	उप निदेशक, बांधवगढ़ टी.आर., उमरिया	√
2	सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व, होशंगाबाद	1339.264	उप निदेशक, सतपुड़ा टी.आर. होशंगाबाद	√
3	पेंच टाईगर रिज़र्व, सिवनी	411.330	उप निदेशक, पेंच टी.आर. सिवनी	√
4	कान्हा टाईगर रिज़र्व, मंडला	917.430	उप निदेशक, कान्हा टी.आर. मंडला	√
5	पन्ना टाईगर रिज़र्व, पन्ना	576.131	उप निदेशक, पन्ना टी.आर., पन्ना	
6	संजय टाईगर रिज़र्व, सीधी	812.581	उप निदेशक, संजय टी.आर., सीधी	
राष्ट्रीय उद्यान				
1	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल	4.452	सहा. निदेशक, वन विहार	√
2	माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी	577.440	निदेशक, माधव एन.पी. शिवपुरी	
3	जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डिंडोरी	0.270	डी.एफ.ओ. (टी), डिंडोरी	
4	डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, धार	0.897	डी.एफ.ओ. (टी), धार	
अभ्यारण्य				
1	खिवनी अभ्यारण्य, देवास	132.778	डी.एफ.ओ. (टी), देवास	√
2	कूनो पालपुर अभ्यारण्य, श्योपुर	344.686	डी.एफ.ओ. (डब्ल्यू.एल.), कूनो श्योपुर	√
3	घाटीगाँव अभ्यारण्य, ग्वालियर	510.640	डी.एफ.ओ. (टी), ग्वालियर	√
4	रातापानी अभ्यारण्य	910.638	डी.एफ.ओ. (टी), ओबेदुल्लागंज	√
5	सिंघोरी अभ्यारण्य	312.036		√
6	गांधी सागर अभ्यारण्य	368.620	डी.एफ.ओ. (टी), मंदसौर	
7	नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य	57.190	डी.एफ.ओ. (टी), राजगढ़	
8	राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, मुरैना	435.000	डी.एफ.ओ. (टी), मुरैना	
9	नौरादेही अभ्यारण्य	1197.040	डी.एफ.ओ. (डब्ल्यू.एल.), सागर	
10	ओरछा अभ्यारण्य	44.914	डी.एफ.ओ. (टी) टीकमगढ़	
11	रालामंडल अभ्यारण्य, इंदौर	2.345	डी.एफ.ओ. (टी) इंदौर	
12	सैलाना अभ्यारण्य, रतलाम	12.965	डी.एफ.ओ. (टी) रतलाम	
13	सरदारपुर अभ्यारण्य	348.121	डी.एफ.ओ. (टी) धार	
14	वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य	23.973	डी.एफ.ओ. (टी) दमोह	
15	करेरा अभ्यारण्य, शिवपुरी	202.210	निदेशक माधव एन.पी. शिवपुरी	
16	केन घड़ियाल अभ्यारण्य, पन्ना	20.500	डी.डी. पन्ना टी.आर.	
17	बगदरा अभ्यारण्य, सिंगरौली	478.000	डी.डी. संजय टी.आर.	
18	सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, सीधी	83.684	डी.डी. संजय टी.आर.	
19	फेन अभ्यारण्य, मंडला*	110.704	डी.डी. कान्हा टी.आर.	√
बफर क्षेत्र				
1	बफर संभाग, कान्हा टाईगर रिज़र्व*	1134.310	उप निदेशक, के.टी.आर. मंडला	√

* (कान्हा टाईगर रिज़र्व के अंतर्गत आच्छादित)

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.1.6, पृष्ठ 11)

चयनित संरक्षित क्षेत्रों में विकास निधि में प्राप्तियों एवं व्यय के विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	सं.क्षे. का नाम	प्राप्तियां/ व्यय	वर्ष					योग
			2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
1	बांधवगढ़ टी.आर.	प्राप्ति	322.26	490.00	678.68	519.26	511.21	2521.41
		व्यय	657.66	645.05	403.41	927.97	510.94	3145.03
2	कान्हा टी.आर.	प्राप्ति	305.06	500.06	598.51	441.05	518.64	2363.32
		व्यय	315.03	293.78	289.09	56.46	56.46	1010.82
3	पेंच टी.आर.	प्राप्ति	101.85	148.75	194.37	155.48	44.95	645.40
		व्यय	52.25	55.07	57.07	187.58	60.57	412.53
4	सतपुड़ा टी.आर.	प्राप्ति	109.06	146.95	224.00	159.99	232.19	872.19
		व्यय	37.85	154.76	172.09	279.11	102.86	746.67
5	वन विहार एन.पी.	प्राप्ति	105.66	122.49	166.25	176.00	124.75	695.15
		व्यय	93.19	128.79	122.39	72.07	32.08	448.52
6	कूनो अभ्यारण्य	प्राप्ति	9.18	24.32	5.00	1.10	3.80	43.40
		व्यय	0.00	28.87	2.59	1.38	4.93	37.77
7	रातापानी अभ्यारण्य	प्राप्ति	17.28	19.77	15.83	22.30	अप्रदायित	75.18
		व्यय	2.20	15.01	75.30	25.51		118.02
8	सिंघोरी अभ्यारण्य	प्राप्ति	0.27	0.45	0.29	0.19	अप्रदायित	1.20
		व्यय	रातापानी अभ्यारण्य के व्यय में सम्मिलित					-
कुल प्राप्ति							7217.25	
कुल व्यय							5919.36	

सोन चिड़िया एवं खिवनी अभ्यारण्य में प्राप्ति तथा व्यय निरंक थे ।

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.1.8.6, पृष्ठ 21)

संरक्षित क्षेत्रों से परिवहन किए गए वनोपज का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	अभ्यारण्य/ टी.आर.	अवधि	अवैध कटाई के प्रकरणों की संख्या	काटे गए वृक्षों की संख्या	जब्त की गई बल्लियां (संख्या)	जब्त की गई लकड़ी (घ.मी.)	जब्त किए गए जलाऊ चट्टे	जब्त किए गए बाँस (संख्या)	आगार को परिवहित				
									बल्लियां (संख्या में)	लट्टे (घ.मी.)	जलाऊ चट्टे (संख्या)	बाँस (संख्या)	बाँस (नोशनल टन में)
1	कान्हा टी.आर.	2009-13	125	221	14	0.035	1	0.049	14	0.035	1	0	1.227
2	पेंच टी.आर.	2009-13	21	118	6	3.950	0	20	6	3.632	0	20	0
3	सतपुड़ा टी.आर.	1/09-6/13	308	1250	786	77.434	0	160	713	73.538	54.15	185	0
4	खिवनी अभ्यारण्य	1/10-12/13	1304	9414	0	600.676	0	0	4262	525.897	12	0	0
5	कूनो अभ्यारण्य	2009-13	17	126	90	0	0	0	24	0	0	0	0
6	रातापानी अभ्यारण्य	1/09-9/13	2145	12163	0	773.942	0	0	5416	725.667	112.925	1429	0
7	सिंघोरी अभ्यारण्य	1/09-9/13	1165	10004	0	391.411	0	0	9172	190.880	112.875	0	0
योग			5085	33296	896	1847.448	1	180.049	19607	1519.65	292.95	1634	1.227

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: कंडिका 2.1.8.7, पृष्ठ 21)

अभ्यारण्य के विकास के लिए राज्य शासन द्वारा निधि प्रावधानित न किए जाने के बारे में विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	वर्ष	प्रस्तावित राशि			केन्द्रीय अंश			विमुक्त न की गई राशि	अव्ययित राशि	राज्य शासन द्वारा प्रदान न की गई निधियां
		आवर्ती	अनावर्ती	कुल	स्वीकृत	विमुक्त	व्यय			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13
1	2010-11	183.23	2289.53	2472.76	629.065	590.681	282.961	38.384	307.72	2127.778
2	2011-12	272.11	5190.98	5463.09	322.226	313.054	170.834	9.172	142.22	5279.049
3	2012-13	170.42	1355.60	1526.02	196.713	157.368	151.297	39.345	6.07	1329.307
4	2013-14	290.18	840.90	1131.08	177.46	141.97	139.106	35.49	2.86	953.62
	योग	915.94	9677.01	10592.95	1325.46	1203.07	744.20	122.391	458.87	9689.75

अव्ययित राशि: 458.87 लाख (यथा 4.59 करोड़)

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.1, पृष्ठ 22)

टाईगर रिज़र्व से गुजरने वाले विद्युत लाईनों के गुजरने के बारे में विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(लम्बाई कि.मी. में)

स. क्र.	टी.आर. का नाम	विद्युत लाईनों की लम्बाई	विद्युत रोधण हेतु आयोजना बद्ध		कार्य सौंपे गए		विद्युत लाईनों की शेष लम्बाई
			लम्बाई	लागत (₹ करोड़ में)	लम्बाई	लागत (₹ करोड़ में)	
1	बांधवगढ़ टी.आर.	124.80	124.80	19.35	0	0	124.80
2	कान्हा टी.आर.	24.50	0	0	0	0	24.50
3	कान्हा बफर ज़ोन	170.10	16.60	0.95	16.60	0.95	153.50
4	पेंच टी.आर.	71.30	17.20	1.49	2.20	0.34	69.10
5	सतपुड़ा टी.आर.	110.60	0	0	0	0	110.60
योग		501.30	158.60	21.79	18.80	1.29	482.50

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.3 (ब), पृष्ठ 24)

वायरलेस सैटों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	अभ्यारण्य/एन.पी./ टी.आर.	स्वीकृत वायरलेस सैट	उपलब्ध वायरलेस सैट	अप्रयुक्त वायरलेस सैट	चालू स्थिति में वायरलेस सैट
1	बांधवगढ़ टी.आर.	519	519	113	406
2	कान्हा बफर	104	117	11	106
3	पेंच टी.आर.	161	81	80	1
4	सतपुड़ा टी.आर.	409	409	212	197
5	खिवनी अभ्यारण्य	6	6	2	4
6	कूनो अभ्यारण्य	46	29	0	29
7	वन विहार एन.पी.	49	49	15	34
योग		1294	1210	433	777
8	कान्हा (कोर) टी.आर.	उपलब्ध नहीं कराए गए	252	88	164
9	रातापानी अभ्यारण्य		39	उपलब्ध नहीं कराए गए	
10	सिंघोरी अभ्यारण्य		60		
योग			351	88	164
महा योग			1561	521	941

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कंडिका 2.1.9.5, पृष्ठ 26)

बीट निरीक्षण में कमी को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	अभ्यारण्य/एन.पी./टी.आर.	माह	निरीक्षण कर्ता अधिकारी	लक्ष्य	वास्तविक	कमी
1	कान्हा टी.आर. बफर	अप्रैल 09- मार्च 10	क्षेत्र अधिकारी	240	133	107
			क्षेत्र सहायक	348	262	86
		अप्रैल 10- मार्च 11	क्षेत्र अधिकारी	240	143	97
			क्षेत्र सहायक	348	272	76
		अप्रैल 11- मार्च 12	क्षेत्र अधिकारी	252	137	115
			क्षेत्र सहायक	288	232	56
		अप्रैल 12- मार्च 13	क्षेत्र अधिकारी	252	134	118
			क्षेत्र सहायक	324	281	43
अप्रैल 13- मार्च 14	क्षेत्र अधिकारी	144	122	22		
	क्षेत्र सहायक	396	342	54		
2	सतपुड़ा टी.आर.	अप्रैल 09- मार्च 13	क्षेत्र अधिकारी	596	561	35
3	जी.आई.बी. अभ्यारण्य ग्वालियर	मार्च 13- जून 13	क्षेत्र अधिकारी	48	31	17
			उप वनमंडलाधिकारी	9	6	3
4	खिवनी अभ्यारण्य	जनवरी 13	क्षेत्र सहायक	10	9	1
		फरवरी 13	क्षेत्र सहायक	10	8	2
		जनवरी 14	क्षेत्र सहायक	10	9	1
		फरवरी 14	क्षेत्र अधिकारी	2	1	1
5	रातापानी एवं सिधोरी	जनवरी 12- अक्तूबर 13	उप वनमंडलाधिकारी	30	15	15
			क्षेत्र अधिकारी	16	4	12
			क्षेत्र सहायक	58	3	55

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: कडिका 2.1.9.6, पृष्ठ 26)

विकास निधि से संरक्षण कार्य न किए जाने के विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	टी.आर. का नाम	कार्य का विवरण	स्वीकृति का दिनांक	पुनः वैधीकरण दिनांक	स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	कार्य में विलंब माह में (03/14 तक)
1	पेंच टी.आर.	बचाव दस्ते के विकास एवं निर्माण कार्य के लिए सामग्री का क्रय	29.06.10	-	19.74	4.37	45
		करमाझिरी क्षेत्र में अलीकट में नवीन हाथी राशन शेड का निर्माण	09.11.09	-	1.5	निरंक	53
2	बांधवगढ़ टी.आर.	मगधी रेंज की सीमा स्थित गांवों में चेन लिंक फेंसिंग का कार्य	28.05.11	05.11.12	113.05	निरंक	34
		पनपथा रेंज में चेन लिंक फेंसिंग का कार्य	09.12.11	05.11.12	7.77	निरंक	27
		मगधी रेंज में चेन लिंक फेंसिंग का कार्य	09.12.11	05.11.12	8.43	निरंक	27
		हाथी कैम्प के लिए मजदूर आवास का निर्माण	26.10.12	-	5.4	निरंक	17
		खितौली रेंज की सीमा पर 20 कि.मी. चेन लिंक फेंसिंग का कार्य	18.05.12	-	180	निरंक	22
3	वन विहार	गौर एवं बारहसिंगा के लिए आहता एवं शेड का निर्माण	21.11.11	28.04.12	13.15	4.34	28
योग					349.04	8.71	17 से 53 माह

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: कडिका 2.1.9.7, पृष्ठ 26)

मंडल वार न्यायालय प्रकरणों की स्थिति दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	टी.आर./ एन.पी./अभ्यारण्य	प्रकरणों की कुल संख्या	निर्णीत प्रकरण			लम्बित प्रकरण	प्राचीनतम अनिर्णय से संबद्ध वर्ष
			पक्ष में	विरुद्ध	कुल		
1	बांधवगढ़	135	15	60	75	60	1991
2	कान्हा कोर	34	0	2	2	32	1998
3	कान्हा बफर	49	0	2	2	47	1997
4	पेंच	126	0	11	11	115	1995
5	सतपुड़ा	63	4	6	10	53	1989
6	जी.आई.बी., ग्वालियर	3	0	1	1	2	2009
7	खिवनी	32	2	3	5	27	1997
8	कूनो	122	8	12	20	102	2002
योग		564	29	97	126	438	

परिशिष्ट 2.11
(संदर्भ: कंडिका 2.2.6.1. (अ), (ब) एवं 2.2.6.3, पृष्ठ 35, 36 एवं 42)
परियोजना की लागत एवं मदों की मात्रा में वृद्धि दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	मद	इकाई	टी.एस. के अनुसार प्राक्कलित मात्रा	कार्यान्वित मात्रा	मात्रा में अंतर (6-5)	प्रतिशत वृद्धि (7/5*100)	कॉलम 10 में दर्शाई गई दरों पर भुगतान की गई अधिक मात्राओं का विवरण	उद्धृत दर/ नियत मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा के लिए दर/ अनंतिम दर	लागत में वृद्धि की राशि (9*10) जैसा नीचे टीप में वर्णन किया गया	लागत में वृद्धि की कुल राशि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	कछाल शीर्ष कार्य (-) ^{21.03} प्रतिशत	डी.आर./एस.आर. में खुदाई	घ.मी.	583112.39	697046.64	113934.25	19.54	113934.25	98.93	11271515 (-) ^{21.03} प्रतिशत	8901115						
2	कुशलपुरा सेंट्रल स्पिल वे (मद दर निविदा)	बंधान के लिए मिट्टी कार्य 30 से.मी. मोटी स्टोन पिचिंग वर्ग मी. में	घ.मी. वर्ग मी.	20770 1264	121824.99 6925.82	101054.99 5661.82	486.54 447.93	* (अ) 2077 * (ब) 98977.99 (अ) 126.40 (ब) 5535.42	85 88.69 200 256.35	176545 8778358 25280 1419005	8954903						
4	बघरू शीर्ष कार्य (मद दर निविदा)	कड़ी मिट्टी/ कड़ी मुरम में खुदाई	घ.मी.	31132	51209.31	20077.31	64.49	(अ) 3113.20 (ब) 11598.36 * (स) 5365.75	35 31.11 23.33	108962 360825 125183	594970						
5		डी.आर./एस.आर. में खुदाई	घ.मी.	40381	67137.80	26756.80	66.26	(अ) 4038.10 (ब) 22718.70	140 108.17	565334 2457482	3022816						
6		फिल्टर ब्लैकेट	घ.मी.	10709	13358.71	2649.71	24.74	(अ) 1070.90 (ब) 1578.81	225 214	240953 337865	578818						
7	सीपेज ड्रेन	सीपेज ड्रेन	घ.मी.	3409	6103.68	2694.68	79.05	(अ) 340.90 (ब) 2035.43 (स) 318.35	250 240.43 180.32	85225 489378 57405	632008						
8								खनन क्षेत्र से मिट्टी कार्य	घ.मी.	262584	317769.21	55185.21	21.02	(अ) 26258.40 (ब) 28200.81 (स) 726	40 43.30 32.47	1050336 1221095 23573	2295004

स. क्र.	परियोजना का नाम	मद	इकाई	टी.एस. के अनुसार प्राक्कलित मात्रा	कार्यान्वित मात्रा	मात्रा में अंतर (6-5)	प्रतिशत वृद्धि (7/5*100)	कॉलम 10 में दर्शाई गई दरों पर भुगतान की गई अधिक मात्राओं का विवरण	उद्धृत दर/ नियत मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा के लिए दर/ अनंतिम दर	लागत में वृद्धि की राशि (9*10) जैसा नीचे टीप में वर्णन किया गया	लागत में वृद्धि की कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		खोदी गई मिट्टी से मिट्टी कार्य	घ.मी.	21664	29335.66	7671.66	35.41	(अ) 2166.40 (ब) 5505.26	30 42.32	64992 232983	297975
10		जल सिंचन	घ.मी.	313734	398744.82	85010.82	27.10	(अ) 31373.40 (ब) 53637.42	10 10.70	313734 573920	887654
11		कड़ी मिट्टी/ कड़ी मुरम में खुदाई	घ.मी.	84079.28	126764.59	42685.31	50.77	(अ) 8407.928 (ब) 34277.382	43.76 103.75	367931 3556278	3924209
12		क्षैतिज एवं झुका हुआ फिल्टर प्रदाय करना	घ.मी.	21804.44	27444.22	5639.78	25.87	(अ) 2180.444 (ब) 3459.336	507.64 314.92	1106881 1089414	2196295
13		फिल्टर में रेत प्रदाय करना	घ.मी.	50354.62	65580.46	15225.84	30.24	(अ) 5035.462 (ब) 10190.378	787.72 484.24	3966534 4934589	8901123
14		वेट परकुशन ड्रिलिंग	मी.	12581.50	16316.84	3735.34	29.69	(अ) 1258.15 (ब) 2477.19	857.74 2341.83	1079166 5801158	6880324
15	अपर काकेटो शीर्ष कार्य (मद दर निविदा)	ग्राउटिंग	एम.टी.	1085.97	1943.98	858.01	79.01	(अ) 108.597 (ब) 749.413	8752.50 10763.32	950495 8066172	9016667
16		एम-15 ए-100 नियंत्रित कांक्रीट	घ.मी.	38186.47	46004.33	7817.86	20.47	(अ) 3818.647 (ब) 3999.213	3501 2299.75	13369083 9197190	22566273
17		एम-25 ए-40 नियंत्रित कांक्रीट	घ.मी.	7302.38	14176.58	6874.20	94.14	(अ) 730.238 (ब) 6143.962	4288.72 4066.02	3131786 24981472	28113258
18		सीमेंट कांक्रीट 1:3:6 ए-40	घ.मी.	2257.92	3095.52	837.60	37.10	(अ) 225.792 (ब) 611.808	2975.85 1913.82	671923 1170890	1842813
19		स्टील रिन्फोर्समेंट सरिया	कि.ग्रा.	807000	1214726.70	407726.73	50.52	(अ) 80700 (ब) 327026.73	68.27 35.86	5509389 11727179	17236568
20		एच.आर. में खुदाई		21703.06	68338.580	46635.52	214.88	(अ) 2170.306	218.81	474885	14605485

स. क्र.	परियोजना का नाम	मद	इकाई	टी.एस. के अनुसार प्राक्कलित मात्रा	कार्यान्वित मात्रा	मात्रा में अंतर (6-5)	प्रतिशत वृद्धि (7/5*100)	कॉलम 10 में दर्शाई गई दरों पर भुगतान की गई अधिक मात्राओं का विवरण	उद्धृत दर/ नियत मात्रा से 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा के लिए दर/ अनंतिम दर	लागत में वृद्धि की राशि (9*10) जैसा नीचे टीप में वर्णन किया गया	लागत में वृद्धि की कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								(ब) 44465.214	317.79	14130600	
21	घोघरा मुख्य तालाब (-)	कड़ी मिट्टी/ कड़ी मुरम में खुदाई	घ.मी.	80011.27	110279.80	30268.53	37.83	30268.53	31.73	960420	960420
22	5.7 प्रतिशत (मदों की दरें निविदा प्रतिशत सहित हैं)	डी.आर./एस.आर. में खुदाई	घ.मी.	41357.7	700868.86	659511.16	1594.65	659511.16	92.77	61182850	61182850
23		एच.आर. में खुदाई	घ.मी.	15030.99	52849.44	37818.45	251.60	37818.45	199.05	7527762	7527762
24		फिल्टर ब्लॉकेट	घ.मी.	15767.75	64667.78	48900.03	310.13	48900.03	183.23	8959952	8959952
25		रॉक टो	घ.मी.	10584.76	12258.93	1674.17	15.82	1674.17	301.60	504930	504930
26		बोल्डर पिचिंग	घ.मी.	12074.90	30528.65	18453.75	152.83	18453.75	393.00	7252324	7252324
27	घोघरा फीडर	डी.आर./एस.आर. में खुदाई	घ.मी.	18601.03	37932.18	19331.15	103.93	19331.15	81.91	1583414	1583414
28	तालाब (-) 3	फिल्टर ब्लॉकेट	घ.मी.	3154.37	4626.99	1472.62	46.69	1472.62	367.92	541806	541806
29	प्रतिशत (मदों की दरें निविदा प्रतिशत सहित हैं)	कट आफ ट्रेंच के लिए मिट्टी कार्य	घ.मी.	51395.01	65474.10	14079.09	27.39	14079.09	57.45	808844	808844
30		बोल्डर पिचिंग	घ.मी.	2095.10	2827.61	732.51	34.96	732.51	633.38	463957	463957
31	रेहटी नहर (-)	डी.आर./एस.आर. में खुदाई	घ.मी.	29415.86	47075.87	17660.01	60.03	17660.01	90.84	1604235	1604235
32	6.25 प्रतिशत (मदों की दरें निविदा प्रतिशत सहित हैं)	एम10 प्लेन सीमेंट कांक्रीट	घ.मी.	4555.66	8821.786	4266.126	93.64	4266.126	2289.00	9765162	9765162
महा योग											24,40,48,219

* टीप: मद दर निविदा में, (अ) प्राक्कलन के 110 प्रतिशत मात्राओं तक, (ब) प्राक्कलन के 110 प्रतिशत से अधिक मात्राओं एवं (स) अनंतिम दरों पर भुगतान के लिए मात्राओं के लिए तीन दरें लागू होती हैं।

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: कंडिका 2.2.6.1 (स) एवं 2.2.7.1, पृष्ठ 37 एवं 44)

प्राक्कलनों में प्रावधानित अधिक लीड एवं इसकी लागत के विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	मद	प्रदायित लीड (कि.मी. में)	वास्तविक लीड (कि.मी. में)	प्राक्कलन की लागत में वृद्धि	निविदा प्रतिशत	उत्तर एवं लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	घोघरा मुख्य तालाब	गिट्टी एवं पत्थर	10	2	42.60	(-) 5.70	खुदाई से प्राप्त कड़ी चट्टान की मात्रा पिचिंग एवं फिल्टर ब्लैंकेट कार्य में उपयोग होगी। शेष आवश्यक मात्रा के लिए 10 कि.मी. की लीड प्रावधानित की गई थी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि ग्रेवल, बोल्डर, पिचिंग स्टोन एवं फिल्टर सामग्री की समस्त मात्रा के लिए प्राक्कलन में एक जैसी 10 कि.मी. की लीड प्रावधानित की गई थी जिसके परिणामस्वरूप प्राक्कलित दर एवं लागत में वृद्धि हुई।
	अपर घोघरा	गिट्टी एवं पत्थर	10	1	20.67	(-) 6.20	
2	बिलगांव शीर्ष कार्य	फिल्टर एवं पिचिंग स्टोन	35	1	60.89	—	35 कि.मी. खदान से फिल्टर सामग्री प्राप्त की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फिल्टर, पिचिंग इत्यादि के लिए कड़ी चट्टान, खोदी गई कड़ी चट्टान से उपलब्ध थी। इसप्रकार, खदान से 35 कि.मी. की लीड का प्रावधान त्रुटिपूर्ण था।
3	कुशलपुरा सेंट्रल स्पिलवे	गिट्टी	3	100 मी. की मुफ्त लीड	59.33	मद दर	कड़ी चट्टान को गिट्टी में बदलने के लिए लीड प्रावधानित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खोदी गई चट्टान को गिट्टी में बदलने के लिए अलग से लीड भुगतान योग्य नहीं है।
4	रेहटी शीर्ष कार्य	फिल्टर के लिए गिट्टी/ पानी/ रेत	5/2/10	1/मुफ्त लीड /1	25.57	मद दर	खोदी गई कड़ी चट्टान को अनुबंध के अनुसार इश्यू रेट पर ठेकेदार को जारी की गई थी। स्थानीय रेत अनुपलब्ध रहने के कारण 10 कि.मी. की लीड प्रावधानित की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स्थल पर जारी की गई गिट्टी के लिए प्राक्कलनों में 5 कि.मी. की त्रुटिपूर्ण लीड प्रावधानित की गई थी। खदान चार्ट के अनुसार, फिल्टर एवं पिचिंग के लिए स्थानीय रेत उपलब्ध थी। आगे, विभाग द्वारा 10 कि.मी. की लीड के साथ रेत के उपयोग के समर्थन में कोई अभिलेख प्रदान नहीं किए जा सके।

स. क्र.	परियोजना का नाम	मद	प्रदायित लीड (कि.मी. में)	वास्तविक लीड (कि.मी. में)	प्राक्कलन की लागत में वृद्धि	निविदा प्रतिशत	उत्तर एवं लेखापरीक्षा टिप्पणी
5	रेहटी नहर	सर्विस रोड के लिए गिट्टी एवं मुरम	15/6	मुफ्त लीड	10.63	(-) 6.25	कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया ।
	उप योग				219.69		
6	सेमरी नहर	गिट्टी	16	मुफ्त लीड	6.77	--	स्थल परिस्थितियों के अनुसार, कड़ी चट्टान का प्रावधान किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कड़ी चट्टान को स्थल पर जारी करने के लिए अतिरिक्त लीड प्रावधानित की गई थी।
7	अपर काकेटो शीर्ष कार्य	कड़ी मुरम/ कड़ी मिट्टी का उपयोग/ निवर्तन	3	मद में सम्मिलित यथा मुफ्त लीड	783.81	मद दर	प्राक्कलन के दौरान प्रावधानित की गई समस्त लीड सही एवं का.यं. द्वारा प्रमाणित हैं । सी.ओ.टी. के लिए काली मिट्टी मुफ्त लीड के भीतर उपलब्ध नहीं थी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि खोदी गई मिट्टी के निवर्तन एवं उपयोग, कड़ी चट्टान को स्थल पर जारी करने के लिए 3 कि.मी. की अतिरिक्त लीड ली गई थी। आगे, तटबन्ध के लिए मिट्टी कार्य हेतु 2 कि.मी. से अधिक समस्त लीड के साथ मिट्टी कार्य की सबसे महंगी मद के प्रावधान के बावजूद मिट्टी कार्य एवं सी.ओ.टी. के लिए 5 कि.मी. की अतिरिक्त लीड भी जोड़ी गई थी। गिट्टी, रेत एवं पानी के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया ।
	विघटित चट्टान एवं साफ्ट रॉक						
	कड़ी चट्टान	3	मुफ्त लीड				
	सी.ओ.टी. भराई	मद में सम्मिलित 2 से अधिक अतिरिक्त 5	मुफ्त लीड				
	रॉक टो/ पिचिंग के लिए गिट्टी	18	मुफ्त लीड				
	मिट्टी कार्य की मिट्टी	मद में सम्मिलित 2 से अधिक अतिरिक्त 5	निरंक				
योग					1,010.27		

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: कंडिका 2.2.6.2 (अ), पृष्ठ 38)

रूपांकनों एवं टी.एस. में मुख्य बदलावों से लागत में वृद्धि एवं एक मुश्त आधार पर प्रावधानित मदों को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	निविदा का वर्ष	लागत में वृद्धि का कारण	लागत/एक मुश्त लागत में वृद्धि/ परिवर्तन
1	घोघरा मुख्य बांध	2010	अनंतिम आधार पर बार बार टी.एस. प्रदान की गई थी एवं चौथी तथा अंतिम टी.एस., मुख्य रूप से डी.आर. और एस.आर. की खुदाई की मात्राओं में अत्यधिक वृद्धि एवं स्पिलवे के प्रकार एवं स्थिति में परिवर्तन के कारण वास्तविक रूप से किए गए कार्य एवं एम.बी. में अभिलिखित किए गए लेवल के आधार पर मई 2012 में प्रदान की गई थी।	6.81
	घोघरा फीडर	2011	पहाड़ी का अवलोकन न किए जाने के कारण कार्यान्वयन के दौरान बांध की लम्बाई में वृद्धि एवं स्पिलवे का स्थानांतरण होने से टी.एस. का पुनरीक्षण	1.37
2	सगड़ शीर्ष कार्य	2009	रेडियल गेट की संख्या एवं रेडियल गेट के आरेखन रूपांकन तथा स्पिल चैनल के रूपांकन में परिवर्तन	14.20
3	संजय सागर बाह शीर्ष कार्य	2006	रेडियल गेट तथा गेन्ट्री क्रेन के आरेखन रूपांकन में परिवर्तन	13.38
			स्पिल चैनल में पहाड़ी का अवलोकन न किए जाने के कारण कार्यान्वयन के दौरान अलग निविदा के माध्यम से पहाड़ी की खुदाई	1.60
4	बघरू शीर्ष कार्य	2007	आंकड़ों में परिवर्तन के बिना पार्श्व वेस्ट वियर को सेन्द्रल स्पिलवे से प्रतिस्थापित किया गया	10.88
5	कीटखेड़ी शीर्ष कार्य	2012	डी.आर./एस.आर. में बढ़ोत्तरी के द्वारा मिट्टी के वर्गीकरण में परिवर्तन	0.87
योग				49.11
1	घोघरा नहर	2011	सर्वेक्षण तथा अन्वेषण, विस्तृत प्राक्कन तैयार किए बिना एक मुश्त आधार पर अनंतिम तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।	25.99
2	बिलगांव नहर	2012	वास्तविक सर्वेक्षण अन्वेषण के बिना एकमुश्त आधार पर संरचनाओं का टी.एस. देना एवं विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना	19.20
3	बघरू नहर	2011	कार्यान्वयन के दौरान संरचनाओं की संख्या में कमी एवं एक मुश्त आधार पर प्राक्कलन तैयार करना	3.29
योग				48.48
महा योग				97.59

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: कंडिका 2.2.7.5, 2.2.7.5 (द) एवं 2.2.7.5 (फ), पृष्ठ 47, 49 एवं 50)

प्राक्कलन में अनावश्यक/ अस्वीकार्य मदों एवं मात्राओं को सम्मिलित किए जाने के विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

कार्य का नाम	स. क्र.	मद	मात्रा	इकाई	दर	प्राक्कलित लागत में वृद्धि						
बघरू शीर्ष कार्य	1	पी.सी.सी. तथा आर.सी.सी. के साथ अलग से फार्म वर्क	9747.94	वर्ग मी.	410	39.97						
बिलगांव शीर्ष कार्य	2	रिवर ट्रेनिंग कार्य के लिए खुदाई	24300	घ.मी.	71	55.49						
			27000		122							
			2700		196							
सेमरी शीर्ष कार्य	3	स्थल सफाई	149202.29	घ.मी.	3.85 (सम्मिलित दर 35.35- वास्तविक दर 31.50)-5.90 प्रतिशत	5.41						
					4		रेत फिल्टर का संघनन	47273.18	घ.मी.	6.40	3.03	
सेमरी नहर	5	बरमा चालन उपस्कर का स्थानांतरण	550	संख्या	1863	10.25						
	6	स्लीपर, सी.एन.एस., कांक्रीट लाइनिंग एवं फिल्टर की हाऊसिंग के लिए खुदाई	40208.16	घ.मी.	103.60 (39.60364)	41.66						
अपर काकेटो शीर्ष कार्य	7	नहर तल एवं पार्श्व में टैपिंग	199755.35	वर्ग मी.	10.50	20.97						
							8	नियंत्रित कांक्रीट की उच्चतर दरें	1933.70	घ.मी.	120	10.12
									10256.88		76	
अपर काकेटो शीर्ष कार्य	9	यू.एस.आर. के अनुसार आवश्यक 15 से.मी. के विरुद्ध 60 से.मी. गहराई में स्ट्रीपिंग तथा रीफिलिंग	11961.86	घ.मी.	25.30	27.50						
			11961.86		68.20							
			23923.73		68							
	10	तीन बार कॉफर डेम के निर्माण का प्रावधान	एक मुश्त राशि (₹ 6,89,000/प्रत्येक समय के लिए)	2	13.78							
	11	10,000 घंटों के लिए डिवॉटिंग	10000.00	घंटे	103.80	10.38						
	12	विद्युत व्यवस्था	एक मुश्त राशि		25.00							
	13	बरमा चालन उपस्कर का स्थानांतरण	3699.00	संख्या	1863	68.91						
सगड़ शीर्ष कार्य	14	स्टील की अलग लागत को जोड़ना	41314.35	कि.ग्रा.	37	15.29						
			15		खुदाई एवं पिचिंग के लिए हाऊसिंग से उपयोगी मिट्टी को कम न करना, स्ट्रीपिंग भराई इत्यादि में मात्रा को दो बार जोड़ना		145,353.55	घ.मी.	47	83.61		
			72843.45	घ.मी.	21							
घोघरा मुख्य तालाब	16	डाउनस्ट्रीम में पिचिंग	27706.23	घ.मी.	225	62.34						
घोघरा मुख्य तालाब	17	उपयोगी मिट्टी की कटौती न करना	88921.06	घ.मी.	57.25	50.91						
	18	फिल्टर ब्लैकट की कटौती न करना	20494.31	घ.मी.	72.05	14.77						
	19	रॉक टो की कटौती न करना	4906.80	घ.मी.	72.05	3.54						
योग						562.93						

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: कंडिका 2.3.1, पृष्ठ 55)

मध्य प्रदेश की प्रमुख जिला सड़कों एवं अन्य जिला सड़कों को दर्शाने वाला मानचित्र



(स्रोत: प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. म.प्र. द्वारा प्रदायित)

(ग्रामीण सड़के इस मानचित्र में अलग से नहीं दर्शाई गई हैं।)

परिशिष्ट 2.16
(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.1, पृष्ठ 59)

सड़कों के नवीनीकरण के लिए महंगी विशिष्टियों के अपनाए जाने को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि	कार्यान्वित मद	एस.डी.बी.सी./ओ.जी.पी.सी की कार्यान्वित मात्रा	एस.डी.बी.सी./ओ.जी.पी.सी एवं सील कोट के लिए भुगतान की गई राशि	सरफेस ड्रेजिंग की मात्रा (वर्ग मी. में) *	सरफेस ड्रेजिंग के लिए भुगतान योग्य राशि	कार्य की अतिरिक्त लागत
1	ग्वालियर-II	107 (10 एम.डी.आर. /97 ओ.डी.आर.)	16.68	एस.डी.बी.सी	13494.66 घ.मी.	8.17	539786.40	3.25	4.92
2	खरगोन	15 (एम.डी.आर.)	5.77	एस.डी.बी.सी	6104.07 घ.मी.	4.03	244162.80	1.62	2.41
3	नीमच	10 (ओ.डी.आर.)	6.89	एस.डी.बी.सी	5645.49 घ.मी.	3.77	225819.60	1.50	2.27
4	मंदसौर	19 (3 एम.डी.आर./16 ओ.डी.आर.)	10.62	एस.डी.बी.सी	11135.41 घ.मी.	7.33	445416.40	2.90	4.43
5	बालाघाट	03 (एम.डी.आर.)	3.83	एस.डी.बी.सी	4064.70 घ.मी.	2.79	162588	1.12	1.67
6	सागर	11 (एम.डी.आर.)	4.39	एस.डी.बी.सी ओ.जी.पी.सी	3330.25 घ.मी. 391830.54 व.मी.	9.35	590218.38	3.63	5.72
7	उज्जैन	10 (ओ.डी.आर.)	1.95	एस.डी.बी.सी ओ.जी.पी.सी	243.04 घ.मी. 91880.00 व.मी.	1.70	101602.00	0.79	0.91
8	रीवा	06 (ओ.डी.आर.)	1.34	ओ.जी.पी.सी	89980.00 व.मी.	1.71	89980.00	0.62	1.09
9	बुरहानपुर	09 (3 एम.डी.आर./6 ओ.डी.आर.)	2.74	एस.डी.बी.सी ओ.जी.पी.सी	841.46 घ.मी. 62090.66 व.मी.	1.57	95749.06	0.57	1.00
10	बड़वानी	06 (4 एम.डी.आर./2 ओ.डी.आर.)	6.39	एस.डी.बी.सी ओ.जी.पी.सी	4152.28 घ.मी. 86950.34 व.मी.	4.80	253041.50	1.67	3.13
11	देवास	04 (एम.डी.आर.)	5.06	एस.डी.बी.सी ओ.जी.पी.सी	4277.39 घ.मी. 9937.50 व.मी.	3.47	181032.90	1.25	2.22
	योग	200 (53 एम.डी.आर. /147 ओ.डी.आर.)	65.66			48.69		18.92	29.77

* टीप 1: एस.डी.बी.सी. की मोटाई 25 मि.मी. है, क्षेत्रफल जिस पर एस.डी.बी.सी. बिछाया गया, की गणना के लिए एस.डी.बी.सी. की मात्रा (घ.मी.) में 0.025 मी. से भाग दिया गया है।

- जहाँ पर ओ.जी.पी.सी. का भुगतान घ.मी. में किया गया था, ओ.जी.पी.सी. की मात्रा को 0.020 मी. से भाग देकर सतह क्षेत्रफल की गणना की गई।
- सरफेस ड्रेजिंग द्वारा नवीनीकरण हेतु समान क्षेत्रफल विचारित किया गया।

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.2 (अ), पृष्ठ 60)

टेकेदारों द्वारा बिटुमिन की इनवाइस को प्रस्तुत न किए जाने के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	टेकेदारों को भुगतान की गई बिटुमिनस कार्य की लागत	आवश्यक बिटुमिन (मी.टन में)	बिटुमिन की मात्रा जिसके लिए टेकेदारों द्वारा इनवाइस प्रस्तुत किए गए (मी.टन में)	बिटुमिन की मात्रा जिसके लिए टेकेदारों द्वारा इनवाइस प्रस्तुत नहीं किए गए (मी.टन में)	बिटुमिनस कार्य की लागत जिसके लिए टेकेदारों द्वारा इनवाइस प्रस्तुत नहीं किए गए
1	सिहोर	12 (4 एम.डी.आर./8 ओ.डी.आर.)	3.76	546.60	00.00	546.60	3.76
2	विदिशा	40 (5 एम.डी.आर./35 ओ.डी.आर.)	5.41	762.27	00.00	762.27	5.41
3	रायसेन	33 (5 एम.डी.आर./28 ओ.डी.आर.)	5.70	1144.23	00.00	1144.23	5.70
4	ग्वालियर-II	151 (22 एम.डी.आर./129 ओ.डी.आर.)	17.19	2525.97	00.00	2525.97	17.19
5	नीमच	24 (6 एम.डी.आर./18 ओ.डी.आर.)	5.76	1125.42	00.00	1125.42	5.76
6	मंदसौर	136 (11 एम.डी.आर./125 ओ.डी.आर.)	24.32	3574.87	00.00	3574.87	24.32
7	छतरपुर	55 (17 एम.डी.आर./38 ओ.डी.आर.)	18.89	2931.45	00.00	2931.45	18.89
8	बालाघाट	50 (10 एम.डी.आर./40 ओ.डी.आर.)	13.64	1933.49	00.00	1933.49	13.64
9	कटनी	01 (ओ.डी.आर.)	1.47	238.30	211.17	27.14	0.17
		01 (ओ.डी.आर.)	0.75	124.11	48.83	75.29	0.45
		01 (ओ.डी.आर.)	0.33	58.13	45.40	12.73	0.07
		01 (ओ.डी.आर.)	1.24	195.89	59.43	136.46	0.86
10	देवास	01 (एम.डी.आर.)	1.08	163.68	143.16	20.52	0.14
		01 (ओ.डी.आर.)	0.32	73.92	55.05	18.87	0.08
		01 (ओ.डी.आर.)	2.11	173.96	00	173.96	2.11
11	बड़वानी	01 (एम.डी.आर.)	0.85	151.86	19.54	132.32	0.74
		01 (एम.डी.आर.)	2.70	367.99	183.18	184.81	1.36
		01 (एम.डी.आर.)	0.81	166.25	00	166.25	0.81
		01 (एम.डी.आर.)	0.44	67.54	58.76	8.78	0.06
		01 (ओ.डी.आर.)	0.74	106.28	77.45	28.83	0.20
		01 (ओ.डी.आर.)	0.12	32.04	00	32.04	0.12
12	सागर	01 (एम.डी.आर.)	0.54	91.13	37.15	53.98	0.32
		01 (ओ.डी.आर.)	0.97	214.27	168.08	46.19	0.21
		01 (ओ.डी.आर.)	0.23	30.27	19.75	10.52	0.08
13	उज्जैन	01 (एम.डी.आर.)	1.06	252.05	185.33	66.72	0.28
		01 (एम.डी.आर.)	1.75	332	200.50	131.50	0.69
14	रीवा	01 (एम.डी.आर.)	0.31	37.36	30.86	6.50	0.05
		01 (ओ.डी.आर.)	0.12	87.42	80.81	6.61	0.01
15	बुरहानपुर	01 (एम.डी.आर.)	1.14	192.64	48.53	144.11	0.85
		01 (ओ.डी.आर.)	0.28	41.14	00	41.14	0.28
		01 (ओ.डी.आर.)	0.29	43.15	00	43.15	0.29
		01 (ओ.डी.आर.)	0.24	33.25	19.64	13.61	0.10
16	टीकमगढ़	01 (ओ.डी.आर.)	0.34	42.10	39.97	2.13	0.02
		01 (ओ.डी.आर.)	0.90	121.33	89.03	32.30	0.24
योग		527 (90 एम.डी.आर./ 437 ओ.डी.आर.)	115.80	17982.36	1821.62	16160.76	105.26

*टीप: बिटुमिनस कार्य की लागत, जिसके लिए इनवाइस प्रस्तुत नहीं किए गए थे, की गणना बिटुमिन की आनुपातिक कमी के आधार पर की गई है।

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.2 (अ), पृष्ठ 61)

पैक्ड बिटुमिन के स्थान पर खुले बिटुमिन का उपयोग एवं बिटुमिन के इनवाइस को प्रस्तुत नहीं करने को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	बिटुमिनस कार्य के लिए आवश्यक बिटुमिन की मात्रा (मी.टन में)	ठेकेदारों द्वारा खुले बिटुमिन के मूल इनवाइस के स्थान पर प्रस्तुत इनवाइस की दूसरी प्रति		ठेकेदारों से वसूली योग्य कुल राशि	बिटुमिनस कार्य के लिए ठेकेदारों को भुगतान की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
				अनुबंधों की संख्या	बिटुमिन की मात्रा (मी.टन में)	(कॉ. 4 X ₹ 3000 प्रति मी.टन)	
1	विदिशा	40 (5 एम.डी.आर./ 35 ओ.डी.आर.)	762.27	05	90.11	22.87	541.46
2	नीमच	12 (ओ.डी.आर.)	1236.47	निरंक	निरंक	37.09	998.49
3	बालाघाट	55 (8 एम.डी.आर./ 47 ओ.डी.आर.)	2202.90	13	833.44	66.09	1556.17
	योग	107(13 एम.डी.आर./ 94(ओ.डी.आर.))	4201.64	18	*923.55	126.05 यथा ₹ 1.26 करोड़	3096.12

* टीप: (ठेकेदारों ने पैक्ड बिटुमिन की आवश्यक मात्रा 4,201.64 मी.टन के विरुद्ध मात्र 923.55 मी.टन मात्रा के लिए डुप्लीकेट इनवाइस प्रस्तुत किए)

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.2 (ब), पृष्ठ 61)

टेकेदारों द्वारा बिटुमिन की खपत के समायोजन के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	कार्यान्वयन के अनुसार बिटुमिन की मात्रा (मी.टन में)	टेकेदारों द्वारा रिफाइन्री से क्रय बिटुमिन की मात्रा (मी.टन में)	बिटुमिन की मात्रा जिसके लिए टेकेदारों द्वारा अन्य स्रोतों से क्रय/ अन्य टेकों में पहले से ही प्रस्तुत किए गए इनवाइस प्रस्तुत किए (मी.टन में)	बिटुमिन की मात्रा जिसके लिए टेकेदारों द्वारा इनवाइस प्रस्तुत नहीं किए गए (मी.टन में)	टेकेदारों को भुगतान की गई अनियमित राशि
1	मंदसौर	06 (ओ.डी.आर.)	302.72	95.19	120.55	86.98	193.78
2	छतरपुर	07 (2 एम.डी.आर./ 5 ओ.डी.आर.)	402.76	निरंक	210.63	192.13	293.47
3	बालाघाट	04 (ओ.डी.आर.)	227.58	निरंक	85.44	142.14	167.29
4	देवास	01 (ओ.डी.आर.)	34.67	निरंक	34.67	00.00	17.82
	योग	18 (2 एम.डी.आर./ 16 ओ.डी.आर.)	967.73	95.19	451.29	421.25	672.36

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.3, पृष्ठ 62)

ओ.जी.पी.सी. एवं बी.एम. जो सील कोट या एस.डी.बी.सी. से आच्छादित नहीं किया गया के विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	अनुबंध क्र./ वर्ष	सड़कों के नाम	कार्यान्वित मद	ओ.जी.पी.सी./बी.एम. की मात्रा	ठेकेदारों को भुगतान की गई अनियमित राशि
1	ग्वालियर-II	70/09-10	डबरा-पिछोर सड़क (एम.डी.आर.)	ओ.जी.पी.सी.	893.13(व.मी.)	02.55
2		278/09-10	पिछोर-इंदरगढ़ सड़क (ओ.डी.आर.)	ओ.जी.पी.सी.	1108.40(व.मी.)	02.96
3		566/10-11	सिशोर-बोरोथा सड़क (ओ.डी.आर.)	ओ.जी.पी.सी.	1143.53(व.मी.)	00.98
4		277/10-11	शुकरपुर-रिगोड सड़क (ओ.डी.आर.)	ओ.जी.पी.सी.	4900(व.मी.)	10.50
5	छतरपुर	81/12-13	अलीपुरा-चिकारी सड़क (ओ.डी.आर.)	ओ.जी.पी.सी.	3750.00(व.मी.)	04.38
6		58/12-13	लुगासी-झेजान-सरदापुर सड़क (ओ.डी.आर.)	बी.एम.	74.95 (घ.मी.)	03.37
7	बालाघाट	190/10-11	बैहर-स्टेशन सड़क (ओ.डी.आर.)	ओ.जी.पी.सी.	186.20(व.मी.)	00.18
8		203/11-12	तिरोड़ी-खवासा सड़क (ओ.डी.आर.)	ओ.जी.पी.सी.	6372.16(व.मी.)	06.54
9		226/11-12	मोवाड़-बोन्काटा सड़क (ओ.डी.आर.)	ओ.जी.पी.सी.	2561.32(व.मी.)	03.03
योग 9 सड़क कार्य (1 एम.डी.आर./8 ओ.डी.आर.)						34.49

परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.4, पृष्ठ 62)

एस.डी.बी.सी. कार्यों में बिटुमिन के कम उपयोग को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

स. क्र.	अनुबंध क्र./वर्ष	सड़क का नाम	एस.डी.बी.सी. की मात्रा (घ.मी.)	विशिष्टि के अनुसार एस.डी.बी.सी. कार्य में बिटुमिन की सैद्धांतिक खपत* (कि.ग्रा. में)	ठेकेदारों द्वारा वास्तव में खपत किया गया बिटुमिन (कि.ग्रा. में)	बिटुमिन की कम खपत (कि.ग्रा. में)	बिटुमिन की कम खपत के कारण वसूली योग्य लागत (कॉ. 7 * ₹ 25.08 प्रति कि.ग्रा. की दर से)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	30/13-14	पशुपतिनाथ पहुँच मार्ग (ओ.डी.आर.)	154.17	17729.55	15417.00	2312.55	57999
2	47/13-14	सुवासरा-गुरादिया-विजय सड़क (ओ.डी.आर.)	546.93	62896.95	54693.00	8203.95	205755
3	7/12-13	गरोठ-खारवाड़ा सड़क (ओ.डी.आर.)	263.88	30346.20	26388.00	3958.20	99272
4	8/12-13	गरोठ-बोलिया सड़क (ओ.डी.आर.)	1552.71	178561.65	155271.00	23290.65	584130
5	15/12-13	शामगढ़-रेलवे स्टेशन सड़क (ओ.डी.आर.)	114.98	13222.70	11498.00	1724.70	43255
6	45/12-13	मालखाड़ा-चांदवास-धर्मराजेश्वर सड़क (ओ.डी.आर.)	1069.10	122946.50	106910.00	16036.50	402195
7	64/12-13	गरोठ-खद्वदा सड़क (ओ.डी.आर.)	780.30	89734.50	78030.00	11704.50	293549
8	66/12-13	लांडी-भसोदामंडी सड़क (ओ.डी.आर.)	614.62	70681.30	61462.00	9219.30	231220
9	78/12-13	शामगढ़-परसाली-सुवासरा सड़क (ओ.डी.आर.)	858.00	98670.00	85800.00	12870.00	322780
10	85/12-13	शामगढ़-परसाली-सुवासरा सड़क (ओ.डी.आर.)	376.00	43240.00	37600.00	5640.00	141451
11	99/12-13	रतलाम-नीमच सड़क (एम.डी.आर.)	378.54	43532.10	41639.40	1892.70	47469
12	102/12-13	शामगढ़-परसाली-सुवासरा सड़क (ओ.डी.आर.)	448.00	51520.00	44800.00	6720.00	168538
13	103/12-13	सुवासरा-मंडी सड़क (ओ.डी.आर.)	183.30	21079.50	18330.00	2749.50	68957
14	120/12-13	गरोठ-बोलिया-पिदवा सड़क (ओ.डी.आर.)	808.88	93021.20	80888.00	12133.20	304301
15	123/11-12	गरोठ-खारवाड़ा सड़क (ओ.डी.आर.)	139.10	15996.50	13910.00	2086.50	52329
16	128/11-12	गरोठ-खारवाड़ा सड़क (ओ.डी.आर.)	146.52	16849.80	14652.00	2197.80	55121
17	191/11-12	मंदसौर-संजीत सड़क (ओ.डी.आर.)	1012.44	116430.60	101244.00	15186.60	380880
18	199/11-12	परसाली-सुवासरा सड़क (ओ.डी.आर.)	717.50	82512.50	71750.00	10762.50	269924
19	204/11-12	रतलाम-नसीराबाद सड़क (एम.डी.आर.)	970.42	111598.30	97042.00	14556.30	365072
कुल 19 सड़क कार्य (2 एम.डी.आर./17 ओ.डी.आर.)			11135.39	1280569.85	1117324.40	163245.45	4094197 (यथा ₹ 40.94 लाख)

* बिटुमिन की सैद्धांतिक खपत के अनुसार गणना, जैसा कि विशिष्टि में विवरण दिया गया है (115 कि.ग्रा./घ.मी.) - एस.डी.बी.सी. कार्य में वास्तविक खपत (163245.45 कि.ग्रा. * ₹ 25.08) = ₹ 40,94,197/-

परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.5, पृष्ठ 63)

सरफेस ड्रेसिंग के अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

संभाग का नाम	स. क्र.	अनुबंध क्र./ वर्ष	सड़क का नाम	सरफेस ड्रेसिंग की मात्रा (व.मी. में)	दर	निविदा प्रतिशत	अतिरिक्त लागत
ग्वालियर क्र II	1	428/11-12	डबरा-चिनोर सड़क (ओ.डी.आर.)	1453.50	45	01.50 अधिक	66389
	2	226/11-12	मुरार-छिमार सड़क (ओ.डी.आर.)	6100.00	51	19.98 अधिक	373258
	3	223/11-12	मुरार-छिमार सड़क (ओ.डी.आर.)	5612.00	51	19.99 अधिक	343426
	4	225/11-12	मुरार-छिमार सड़क (ओ.डी.आर.)	5797.00	51	19.98 अधिक	354717
	5	224/11-12	मुरार-छिमार सड़क (ओ.डी.आर.)	5856.00	51	19.97 अधिक	358298
	6	10/12-13	बरुआ पहुँच मार्ग (ओ.डी.आर.)	2045.44	53	03.60 अधिक	112311
गुना	7	109/10-11	बंजरपुरा-डोंगरखेड़ी सड़क (ओ.डी.आर.)	5925.05	42	14.98 अधिक	286130
कुल 7 सड़क कार्य (ओ.डी.आर.)				32788.99			1894529

परिशिष्ट 2.23

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.6, पृष्ठ 63)

विशिष्टियों की पुष्टि न करने वाले कार्यों को स्वीकार करने को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	टेकेदारों को अनियमित भुगतान
1	ग्वालियर-II	45 (6 एम.डी.आर./39 ओ.डी.आर.)	230.08
2	नीमच	01 (ओ.डी.आर.)	21.69
3	छतरपुर	07 (2 एम.डी.आर./5 ओ.डी.आर.)	72.15
4	बालाघाट	03 (1 एम.डी.आर./2 ओ.डी.आर.)	03.95
5	रीवा	01 (ओ.डी.आर.)	13.26
योग		57 (9 एम.डी.आर./ 48ओ.डी.आर.)	341.13

परिशिष्ट 2.24

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.8, पृष्ठ 64)

बी.एम. एवं बी.यू.एस.जी. कार्य जिनके लिए प्रारंभिक एवं अंतिम लेवल अभिलिखित किए बिना भुगतान किया गया, का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	सड़क का नाम	कार्यान्वित मद	कार्यान्वयन की मात्रा	टेकेदारों को भुगतान की गई राशि
1	कटनी	(I) पिपरौघ निवार बासेड़ी विजयराघौगढ़ कैमूर सड़क (II) सकारीगढ़ गणेशपुर डोकारिया देवराखुर्द सड़क (III) दरौदी हाथेड़ा सड़क (IV) बारही धनवाही सड़क (सभी ओ.डी.आर.)	बी.यू. एस.जी.	13029.66 व.मी.	27.11
2	बड़वानी	राजपुर-खेतिया सड़क (ओ.डी.आर.) मोई-काबरी-धूलकोट सड़क (ओ.डी.आर.)	बी.यू. एस.जी. बी.एम.	8096.16 व.मी. 1068.23 व.मी.	78.41
3	सागर	हार्डी-जूमा-जामघाट सड़क (ओ.डी.आर.) ढाना हवाई पट्टी (ओ.डी.आर.)	बी.यू. एस.जी. बी.एम.	7637.78 व.मी. 1702.91 घ.मी.	84.67
4	उज्जैन	उज्जैन मक्सी सड़क (एम.डी.आर.) तराना-रूपाखेड़ी सड़क (ओ.डी.आर.)	बी.यू. एस.जी. बी.एम.	56190.49 व.मी. 1706.85 घ.मी.	177.90
5	रीवा	मऊगंज-घोघामा सड़क (ओ.डी.आर.)	बी.यू. एस.जी.	3980.38 व.मी.	10.24
6	बुरहानपुर	बाड़ी-बरसाल-रातागढ़-साईंखेड़ा-नेपा सड़क (ओ.डी.आर.)	बी.यू. एस.जी.	1217.00 व.मी.	02.53
कुल 12 सड़क कार्य (1 एम.डी.आर./11 ओ.डी.आर.)					380.86

परिशिष्ट 2.25

(संदर्भ: कंडिका 2.3.8.9, पृष्ठ 65)

मरम्मत एवं संधारण के लिए क्रय की गई सामग्री का लेखाकरण न किए जाने का विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स.क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	प्रदायकर्ताओं से विटुमिन/ इमल्शन एवं निर्माण सामग्री का क्रय		विटुमिन/ इमल्शन एवं निर्माण सामग्री के क्रय पर कुल व्यय
			विटुमिन/ इमल्शन के क्रय की लागत	निर्माण सामग्री के क्रय की लागत	
1	2	3	4	5	6 (कॉ. 4+5)
1	सीहोर	3054	13.76	36.11	49.87
2	विदिशा	3054	00.00	15.72	15.72
3	रायसेन	3054	45.53	77.33	122.86
4	ग्वालियर- II	3054	49.18	00.00	49.18
5	खरगोन	3054	49.77	00.00	49.77
6	नीमच	3054	24.56	44.81	69.37
7	मंदसौर	3054	22.30	20.78	43.08
8	छतरपुर	3054	06.49	143.43	149.92
9	बालाघाट	3054	24.42	00.00	24.42
10	कटनी	3054	00.00	87.52	87.52
11	गुना	3054	00.00	09.11	09.11
12	सागर	3054	00.00	60.00	60.00
13	उज्जैन	3054	00.00	40.46	40.46
14	रीवा	3054	00.00	58.70	58.70
योग			236.01	593.97	829.98

परिशिष्ट 2.26

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9.1, पृष्ठ 66)

कार्यों को विभाजित करने के पश्चात निविदा करने तथा सौंपे जाने का विवरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	20 लाख के भीतर विभाजित किए गए अनुबंध			2 लाख के भीतर विभाजित किए गए अनुबंध		
		सड़कों की संख्या	कुल लागत	अनुबंधों की संख्या	सड़कों की संख्या	कुल लागत	अनुबंधों की संख्या
1	सीहोर	4	142.28	11	1	14.00	7
2	ग्वालियर- II	4	109.25	11	32	142.34	73
3	खरगोन	2	43.69	7	3	23.24	12
4	नीमच	2	59.40	6	6	45.06	21
5	मंदसौर	3	88.68	9	5	17.80	12
6	छतरपुर	10	567.65	33	1	5.98	3
7	बालाघाट	2	56.41	5	5	23.57	13
योग		27	1067.36	82	53	271.99	141
		(ओ.डी.आर.)			(ओ.डी.आर.)		

परिशिष्ट 2.27

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9.2, पृष्ठ 67)

टेकेदारों द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों का नियोजन न किए जाने का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	अनुबंध क्र./ वर्ष	कार्य की प्राक्कलित लागत	टेकेदारों को भुगतान की गई कुल राशि	तकनीकी विशेषज्ञों के अनियोजन के लिए अवधि (माह में)	टेकेदारों से वसूली योग्य राशि (कॉ.6 * ₹30000 प्रतिमाह)
1	2	3	4	5	6	7
1	टीकमगढ़	31/12-13 (एम.डी.आर.)	72.24	115.57	8	02.40
2	सागर	57/12-13 (ओ.डी.आर.)	94.00	73.25	18	05.40
3	रीवा	3/12-13 (ओ.डी.आर.)	28.00	98.98	6	1.80
4		127/12-13(ओ.डी.आर.)	57.34	5.84	22	6.60
5		7/13-14(ओ.डी.आर.)	99.33	36.72	9	2.70
6	बड़वानी	89/12-13 (एम.डी.आर.)	50.92	113.24	15	4.50
7		106/13-14(एम.डी.आर.)	371.57	269.60	7	2.10
8		60/12-13(एम.डी.आर.)	83.39	90.05	17	5.10
9		115/11-12(ओ.डी.आर.)	50.00	52.69	26	7.80
10		69/12-13(एम.डी.आर.)	74.70	84.88	23	6.90
11		110/13-14(ओ.डी.आर.)	31.78	28.21	2	0.60
12	देवास	53/12-13 (एम.डी.आर.)	49.74	42.82	22	6.60
13		170/12-13(एम.डी.आर.)	52.07	122.38	4	1.20
14	कटनी	95/12-13 (ओ.डी.आर.)	159.22	209.57	7	2.10
15		111/12-13 (ओ.डी.आर.)	136.69	164.76	16	4.80
योग		15 (7 एम.डी.आर. /8 ओ.डी.आर.)	1410.99	1508.56		60.60

परिशिष्ट 2.28

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9.3, पृष्ठ 68)

टेकेदारों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन में मोटर ग्रेडर का नियोजन न किए जाने को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	लो.नि.वि. संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	मिट्टी कार्य/जी.एस.बी./ डब्लू.बी.एम. में मोटर ग्रेडर का नियोजन न करने हेतु वसूली योग्य राशि	हार्ड शोल्डर/ सब ग्रेड/ सब बेस में मोटर ग्रेडर का नियोजन न करने हेतु वसूली योग्य राशि	मोटर ग्रेडर के नियोजन न करने के कारण टेकेदारों से कुल वसूली योग्य राशि
1	2	3	4	5	6 = (4+5)
1	सीहोर	02 (ओ.डी.आर.)	00.00	01.71	01.71
2	विदिशा	38 (6 एम.डी.आर./32 ओ.डी.आर.)	04.87	07.60	12.47
3	रायसेन	75 (9 एम.डी.आर./66 ओ.डी.आर.)	24.52	15.24	39.76
4	ग्वालियर- II	117 (16 एम.डी.आर./101 ओ.डी.आर.)	40.77	39.76	80.53
5	खरगोन	48 (6 एम.डी.आर./42 ओ.डी.आर.)	14.53	12.29	26.82
6	नीमच	38 (4 एम.डी.आर./34 ओ.डी.आर.)	02.29	18.66	20.95
7	मंदसौर	108 (12 एम.डी.आर./96 ओ.डी.आर.)	06.42	34.87	41.29
8	छतरपुर	30 (8 एम.डी.आर./22 ओ.डी.आर.)	44.51	00.00	44.51
9	बालाघाट	44 (4 एम.डी.आर./40 ओ.डी.आर.)	41.29	29.57	70.86
10	गुना	01 (ओ.डी.आर.)	00.00	00.30	00.30
11	सागर	01 (ओ.डी.आर.)	00.00	00.23	00.23
12	बुरहानपुर	04 (ओ.डी.आर.)	00.00	02.03	02.03
13	बड़वानी	05 (ओ.डी.आर.)	00.00	03.70	03.70
14	देवास	01 (ओ.डी.आर.)	00.00	01.19	01.19
15	कटनी	03 (ओ.डी.आर.)	00.00	03.76	03.76
योग		515 (65 एम.डी.आर./ 450 ओ.डी.आर.)	179.20	170.91	350.11

परिशिष्ट 2.29

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9.4, पृष्ठ 68)

जॉब मिक्स फार्मूला के अनुमोदन के बिना एस.डी.बी.सी. कार्य का कार्यान्वयन दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग का नाम	अनुबंधों की संख्या	टेकेदारों को भुगतान
1	ग्वालियर- II	106 (10 एम.डी.आर./96 ओ.डी.आर.)	826.81
2	मंदसौर	19 (3 एम.डी.आर./16 ओ.डी.आर.)	750.14
3	बालाघाट	05 (एम.डी.आर.)	458.37
4	सागर	01 (एम.डी.आर.)	08.40
5	बड़वानी	02 (एम.डी.आर.)	156.77
6	देवास	01 (एम.डी.आर.)	25.13
योग		134 (22 एम.डी.आर./112 ओ.डी.आर.)	2225.62

परिशिष्ट 2.30

(संदर्भ: कंडिका 2.3.9.5, पृष्ठ 69)

कार्यान्वयन में विलंब के लिए टेकेदारों से निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होने/ कम होने को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभागों का नाम	अनुबंधों की संख्या	कार्यान्वयन में विलंब हेतु शास्ती की कुल वसूली योग्य राशि	समय वृद्धि के अनुमोदन के बिना देयकों से वसूल की गई राशि	सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के साथ देयकों से वसूल की गई राशि	विलंब के लिए शास्ति हेतु टेकेदारों से कम वसूली की राशि
1	विदिशा	13 (ओ.डी.आर.)	05.07	01.18 (12 प्रकरणों में)	00.00	03.89
2	रायसेन	16 (2 एम.डी.आर./14 ओ.डी.आर.)	04.73	00.00	00.00	04.73
3	ग्वालियर-II	51 (4 एम.डी.आर./47 ओ.डी.आर.)	15.27	02.01	00.00	13.26
4	नीमच	11 (ओ.डी.आर.)	04.57	00.80	00.00	03.77
5	मंदसौर	55 (6 एम.डी.आर./49 ओ.डी.आर.)	25.22	03.01 (39 प्रकरणों में)	00.30 (5 प्रकरणों में)	21.91
6	छतरपुर	25 (5 एम.डी.आर./20 ओ.डी.आर.)	17.37	00.96 (17 प्रकरणों में)	00.15 (5 प्रकरणों में)	16.26
7	बालाघाट	29 (2 एम.डी.आर./27 ओ.डी.आर.)	24.03	00.96 (16 प्रकरणों में)	01.18 (2 प्रकरणों में)	21.89
8	टीकमगढ़	03 (ओ.डी.आर.)	02.99	00.00	00.00	02.99
9	गुना	01 (ओ.डी.आर.)	00.82	00.00	00.00	00.82
10	सागर	03 (ओ.डी.आर.)	14.73	00.00	00.00	14.73
11	उज्जैन	01 (ओ.डी.आर.)	04.89	00.00	00.00	04.89
12	रीवा	02 (ओ.डी.आर.)	04.15	00.00	00.00	04.15
13	बुरहानपुर	01 (ओ.डी.आर.)	03.12	00.00	00.00	03.12
14	बड़वानी	04 (1 एम.डी.आर./3 ओ.डी.आर.)	08.09	00.00	00.00	08.09
15	देवास	01 (एम.डी.आर.)	02.37	00.00	00.00	02.37
16	कटनी	01 (ओ.डी.आर.)	05.42	00.00	00.00	05.42
योग		217 (21 एम.डी.आर./196 ओ.डी.आर.)	142.84	08.92	01.63	132.29

परिशिष्ट 2.31

(संदर्भ: कंडिका 2.4.5, पृष्ठ 74)

विगत पाँच वर्षों का वर्षवार एवं योजनावार आवंटन एवं व्यय को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना का नाम	वर्ष										कुल आवंटन	कुल व्यय
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14			
		आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	नन्दीशाला	1.55	1.51	2.30	2.02	2.30	2.30	2.81	2.81	2.48	2.48	11.43	11.11
2	समुन्नत	1.32	1.38	2.13	2.12	2.30	2.30	2.13	2.12	3.08	3.08	10.97	11.00
3	समुन्नत (बुंदेलखंड)	0	0	1.92	1.92	0	0	2.61	2.61	0	0	4.52	4.52
4	डेयरी इकाई	1.03	0.66	0.62	0.57	1.16	1.15	2.25	2.25	3.69	3.69	8.75	8.31
5	बकरा	2.02	2.02	2.38	2.31	1.97	1.97	1.95	1.95	2.51	2.51	10.84	10.77
6	बकरी इकाई (राज्य योजना)	1.18	0.89	1.10	1.00	0.84	0.84	0.97	0.96	1.06	1.06	5.15	4.74
7	बकरी इकाई (आर.के.वी.वाई.)	0	0	6.04	6.04	0	0	0	0	0	0	6.04	6.04
8	बकरी इकाई (बुंदेलखंड)	0	0	4.74	4.74	5.06	5.06	7.74	7.74	0	0	17.54	17.54
9	गहन बकरा वर्धन योजना	0	0	0	0	0.71	0.71	11.33	11.33	0.80	0.80	12.84	12.84
	योग	7.1	6.46	21.23	20.72	14.34	14.33	31.79	31.77	13.62	13.62	88.08	86.87

परिशिष्ट 2.32

(संदर्भ: कंडिका 2.4.6, पृष्ठ 74)

पाँच योजनाओं के अंतर्गत पशुओं की लागत, शासकीय अनुदान, बैंक ऋण तथा हितग्राही अंशदान की राशि को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

योजना का नाम एवं पशु का प्रकार	वर्ष	पशु की लागत	शासकीय सबसीडी		बैंक ऋण	हितग्राही अंशदान			
			सामान्य वर्ग के लिए	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए		सामान्य वर्ग के लिए	अ.जा./अ.ज.जा. के लिए		
नन्दीशाला योजना के लिए सांड का वितरण	2009-11	14000	11200	11200	--	2800	2800		
	2011-12 से आगे	17500	14000	14000	--	3500	3500		
समुन्नत योजना के लिए भैसा सांड वितरण	राज्य	2009-12	18000	13500	14400	--	4500	3600	
	बुंदेलखंड	2012 से आगे	22000	17600	17600	--	4400	4400	
डेयरी इकाई	3 स्थानीय प्रजाति गाय	2009-11	60105	7500	10000	सामा. - 46594 अजा/अजजा - 44094	6011	6011	
		2011 से आगे	54000	13500	17820	सामा. - 35100 अजा/अजजा - 30780	5400	5400	
	3 संकरित प्रजाति गाय	2009-11	--	--	--	--	--	--	
		2011 से आगे	96000	24000	31680	सामा. - 62400 अजा/अजजा - 54720	9600	9600	
	3 भैंस	2009-11	58764	7500	10000	सामा. - 45388 अजा/अजजा - 42388	5876	5876	
		2011 से आगे	105000	26250	34650	सामा. - 68250 अजा/अजजा - 59850	10500	10500	
बकरा	2009-11	4000	3200	3200	--	800	800		
	2011 से आगे	5000	4000	4000	--	1000	1000		
बकरी इकाई	राज्य योजना	2009-14	33212	8303	16606	सामा. - 21588 अजा/अजजा - 13285	3321	3321	
	आर.के.वी. वाई.	2010-11	10+1	33212	8303	10960	सामा. - 21588 अजा/अजजा - 18931	3321	3321
			20+2	66424	16606	21920	सामा. - 43176 अजा/अजजा - 37862	6642	6642
	बुंदेलखंड	2009-12	43330	32498	34664	--	10832	8666	

परिशिष्ट 2.33

(संदर्भ: कंडिका 2.4.6.1 (ब), पृष्ठ 76)

नन्दीशाला के अंतर्गत भैंसा सांडों के वितरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	अवधि	लक्ष्य	वितरित	शेष	बैंक में पड़ी राशि
1	बालाघाट	2009-14	407	370	37	5.18
2	बड़वानी	2009-14	265	217	48	6.72
3	बैतूल	2009-14	48	48	0	0
4	भिंड	2009-14	36	36	0	0
5	दमोह	2009-14	334	206	128	17.84
6	देवास	2009-14	320	256	64	8.96
7	धार	2009-10	384	375	9	1.23
8	गुना	2009-14	28	28	0	0
9	होशंगाबाद	2009-14	45	39	6	0.84
10	इंदौर	2009-14	198	198	0	0
11	जबलपुर	2009-14	33	33	0	0
12	खंडवा	2009-14	344	337	7	0.98
13	मंडला	2009-14	256	170	86	11.88
14	नरसिंहपुर	2009-14	284	251	33	4.62
15	रायसेन	2009-14	43	43	0	0
16	राजगढ़	2009-14	38	38	0	0
17	रतलाम	2009-14	239	224	15	2.07
18	रीवा	2009-14	55	55	0	0
19	सागर	2009-14	463	352	111	15.51
20	सीहोर	2009-14	23	23	0	0
21	सिवनी	2009-14	41	41	0	0
22	शिवपुरी	2009-14	53	53	0	0
23	सीधी	2009-14	73	73	0	0
24	टीकमगढ़	2009-14	320	252	68	9.52
25	उमरिया	2009-14	9	9	0	0
योग			4339	3727	612	85.35

परिशिष्ट 2.34

(संदर्भ: कंडिका 2.4.6.1(द), पृष्ठ 77)

नन्दीशाला योजना के अंतर्गत प्रदाय किए गए सांडों का कार्य निष्पादन दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिला	अवधि	सेवा हेतु उपलब्ध पशु	लक्षित बछड़ों का जन्म, 80 सेवाओं के 60 प्रतिशत की दर से	वास्तविक बछड़ों के जन्म	अंतर
1	बालाघाट	2009-2014	1142	54816	16456	38360
2	बड़वानी	2009-2014	516	24768	7954	16814
3	बैतूल	2010-2014	154	7392	2004	5388
4	भिंड	2010-2014	0	0	0	0
5	दमोह	2009-2014	773	37104	7456	29648
6	देवास	2009-2014	935	44880	11851	33029
7	धार	2009-2014	953	45744	18294	27450
8	गुना	2009-2014	347	16656	2621	14035
9	होशंगाबाद	2010-2014	300	14400	2958	11442
10	इंदौर	2009-2014	275	13200	6290	6910
11	जबलपुर	2009-2014	165	7920	2976	4944
12	खंडवा	2010-2013	380	18240	3389	14851
13	मंडला	2009-2014	286	13728	2488	11240
14	नरसिंहपुर	2009-2014	393	18864	8103	10761
15	रायसेन	2009-2014	75	3600	0	3600
16	राजगढ़	2009-2014	90	4320	0	4320
17	रतलाम	2009-2014	322	15456	14238	1218
18	रीवा	2009-2014	55	2640	0	2640
19	सागर	2010-2014	818	39264	15013	24251
20	सीहोर	2009-2011	156	7488	4409	3079
21	सिवनी	2009-2014	249	11952	3672	8280
22	शिवपुरी	2009-2013	204	9792	2315	7477
23	सीधी	2009-2014	188	9024	4661	4363
24	टीकमगढ़	2009-2014	912	43776	18787	24989
25	उमरिया	2009-2014	0	0	0	0
	योग		9688	465024	155935	309089

परिशिष्ट 2.35

(संदर्भ: कंडिका 2.4.6.2 (स), पृष्ठ 79)

हितग्राहियों को भैंसा सांडों के वितरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष	चयनित हितग्राहियों की संख्या	हितग्राहियों की संख्या जिन्हें भैंसे वितरित किए गए	अवितरित	बैंक में पड़ी हुई सबसिडी की राशि
1	बालाघाट	2009-14	102	83	19	3.34
2	बड़वानी	2009-14	32	32	0	0
3	बैतूल	2009-14	185	183	2	0.35
4	भिंड	2011-14	233	212	21	3.69
5	दमोह	2010-14	443	441	2	0.38
6	देवास	2009-14	409	298	111	17.90
7	धार	2009-14	39	39	0	0
8	गुना	2009-14	225	133	92	14.80
9	होशंगाबाद	2009-14	160	160	0	0
10	इंदौर	2009-14	15	15	0	0
11	जबलपुर	2010-14	186	126	60	10.29
12	खंडवा	2009-14	31	31	0	0
13	मंडला	2010-14	102	94	8	1.41
14	नरसिंहपुर	2009-14	38	38	0	0
15	रायसेन	2010-14	184	143	41	7.02
16	राजगढ़	2009-14	184	142	42	7.39
17	रतलाम	2009-14	258	216	42	7.40
18	रीवा	2011-14	257	152	105	18.31
19	सागर	2010-14	562	540	22	4.08
20	सीहोर	2009-14	268	213	55	8.70
21	सिवनी	2009-14	167	155	12	1.70
22	शिवपुरी	2009-14	197	197	0	0
23	सीधी	2009-14	160	158	2	0.35
24	टीकमगढ़	2010-14	455	373	82	15.45
25	उमरिया	2010-14	118	24	94	15.15
योग			5010	4198	812	137.71

परिशिष्ट 2.36

(संदर्भ: कंडिका 2.4.6.2(ई), पृष्ठ 80)

समुन्नत योजना के अंतर्गत भैंसा सांडों के कार्य निष्पादन को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	जिला	अवधि	सेवा के लिए उपलब्ध पशु	लक्षित बछड़ों का जन्म, 80 सेवाओं के 60 प्रतिशत की दर से	वास्तविक बछड़ों का जन्म	अंतर
1	बालाघाट	2009-2014	233	11184	688	10496
2	बड़वानी	2009-2014	0	0	0	0
3	बैतूल	2010-2014	357	17136	3172	13964
4	भिंड	2010-2014	665	31920	4803	27117
5	दमोह	2010-2014	1118	53664	6433	47231
6	देवास	2009-2014	1162	55776	12129	43647
7	धार	2009-2014	138	6624	2344	4280
8	गुना	2009-2014	364	17472	9201	8271
9	होशंगाबाद	2010-2014	321	15408	2379	13029
10	इंदौर	2009-2014	0	0	0	0
11	जबलपुर	2009-2014	0	0	0	0
12	खंडवा	2010-2014	0	0	0	0
13	मंडला	2009-2014	319	15312	1208	14104
14	नरसिंहपुर	2009-2014	132	6336	1999	4337
15	रायसेन	2009-2014	601	28848	8594	20254
16	राजगढ़	2009-2014	515	24720	14252	10468
17	रतलाम	2009-2014	327	15696	15034	662
18	रीवा	2009-2014	411	19728	17849	1879
19	सागर	2010-2014	0	0	0	0
20	सीहोर	2009-2011	0	0	0	0
21	सिवनी	2009-2014	250	12000	4835	7165
22	शिवपुरी	2009-2013	365	17520	3025	14495
23	सीधी	2009-2014	345	16560	2010	14550
24	टीकमगढ़	2009-2014	0	0	0	0
25	उमरिया	2009-2014	223	10704	10343	361
	योग		7846	376608	120298	256310

परिशिष्ट 2.37

(संदर्भ: कंडिका 2.4.6.3(ब), पृष्ठ 81)

डेयरी इकाई योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को गायों/ भैंसों के वितरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

जिले का नाम	वर्ष	लक्षित हितग्राही	चयनित हितग्राही	वितरण	शेष	बैंक में पड़ी हुई सबसिडी की राशि	बैंकों/ हितग्राहियों द्वारा लौटाई गई/ समर्पित
बड़वानी	2009-14	133	133	129	4	1.19	0
बालाघाट	2009-14	82	82	82	0	0	0
बैतूल	2009-14	38	28	26	2	0.15	1.00 लाख समर्पित
भिंड	2009-10	169	169	164	5	0.40	0
दमोह	2009-14	18	18	0	18	1.50	0
देवास	2009-14	94	94	94	0	0	0
धार	2009-14	272	272	272	0	0	0
गुना	2009-14	60	60	26	34	7.80	0
होशंगाबाद	2009-14	48	48	39	9	2.41	0
इंदौर	2009-14	169	169	162	7	1.73	0
जबलपुर	2009-14	27	27	9	18	0.87	0
खंडवा	2009-14	277	277	270	7	0.55	0
मंडला	2009-14	14	11	9	2	0.53	0.225
नरसिंहपुर	2009-14	80	72	34	38	3.49	3.48(लौटाई गई) 0.65(समर्पित)
रायसेन	2009-10	21	21	21	0	0	0
राजगढ़	2009-14	29	29	29	0	0	0
रतलाम	2009-14	106	106	96	10	2.27	0
रीवा	2009-14	195	195	94	101	26.10	0
सागर	2009-14	136	136	133	3	1.60	0
सीहोर	2009-14	179	179	68	111	23.05	0
सिवनी	2009-14	18	18	2	16	1.03	0.27
शिवपुरी	2009-14	100	100	100	0	0	0
सीधी	2009-14	68	68	0	68	4.20	2.89(लौटाई गई)
टीकमगढ़	2009-14	19	19	18	1	0.10	0
उमरिया	2009-14	142	53	53	0	0	6.33 (समर्पित)
योग		2494	2384	1930	454	78.97	6.64 (बैंक/ हितग्राहियों द्वारा लौटाई गई) 8.205 (समर्पित)

परिशिष्ट 2.38

(संदर्भ: कंडिका 2.4.6.4 (ब), पृष्ठ 83)

हितग्राहियों को बकरों के वितरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष	लक्ष्य	वितरण	शेष	बैंक में पड़ी राशि
1	बड़वानी	2009-14	1294	1292	2	0.08
2	बालाघाट	2009-14	182	182	0	0
3	बैतूल	2009-14	783	633	150	5.66 ^S
4	भिड़	2009-14	1618	1473	145	5.34
5	दमोह	2009-14	180	180	0	0
6	देवास	2009-14	221	221	0	0
7	धार	2009-14	140	140	0	0
8	गुना	2009-14	977	946	31	1.18
9	होशंगाबाद	2009-14	1039	831	208	8.32
10	इंदौर	2009-14	312	312	0	0
11	जबलपुर	2009-14	942	702	240	9.60
12	खंडवा	2009-14	166	166	0	0
13	मंडला	2009-14	778	766	12	0.46
14	नरसिंहपुर	2009-14	874	872	2	0.07
15	रायसेन	2009-14	1138	1104	34	1.36
16	राजगढ़	2009-14	976	888	88	3.52
17	रतलाम	2009-14	189	189	0	0
18	रीवा	2009-14	183	183	0	0
19	सागर	2009-14	215	215	0	0
20	सीहोर	2009-14	1229	1229	0	0
21	सिवनी	2009-14	1091	1078	13	0.48
22	शिवपुरी	2009-14	1009	1009	0	0
23	सीधी	2009-14	264	263	1	0.04
24	टीकमगढ़	2009-14	131	131	0	0
25	उमरिया	2009-14	264	264	0	0
योग			16195	15269	926	36.11

S ₹ 228/हितग्राही की दर से दवाई की लागत को छोड़कर जो हितग्राहियों के खाते में जमा नहीं की गई ।

परिशिष्ट 2.39

(संदर्भ: कडिका 2.4.6.5(ब), पृष्ठ 85)

राज्य योजना, आर.के.व्ही.वाई. योजना एवं बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत बकरी इकाई के वितरण को दर्शाने वाला पत्रक

(₹ लाख में)

योजना का नाम	जिला	लक्षित हितग्राही	वर्ष	चयनित हितग्राही	हितग्राही जिन्हे बकरी इकाई वितरित की गई	हितग्राही जिन्हे बकरी इकाई वितरित नहीं की गई	बैंक में पड़ी राशि	बैंकर द्वारा लौटाई गई राशि
राज्य योजना के अंतर्गत बकरी का वितरण	सीहोर	165	2009-14	165	165	00	0	0
	रायसेन	246	2009-14	246	160	86	12.63	0
	इंदौर	19	2009-14	19	19	0	0	0
	धार	34	2009-14	34	34	0	0	0
	रतलाम	31	2009-14	31	31	0	0	0
	राजगढ़	116	2009-14	116	110	06	0.52	0
	सिवनी	122	2009-14	115	12	103	12.66	0
	उमरिया	117	2009-14	75	75	0	0	0
	सीधी	10	2009-14	10	0	10	1.32	0
	बैतूल	187	2009-14	187	132	55	7.45	0
	भिंड	203	2010-14	203	157	46	5.19	0
	देवास	26	2009-14	26	24	02	0.16	0
	होशंगाबाद	163	2009-14	163	155	08	1.06	0
	खंडवा	37	2009-14	37	37	0	0	0
	मंडला	10	2009-14	10	10	0	0	0
	नरसिंहपुर	109	2009-14	99	56	43	4.26	1.09
	शिवपुरी	268	2009-14	268	268	0	0	0
	बालाघाट	262	2009-14	262	255	07	0.58	0
	गुना	101	2009-14	101	53	48	1.20	0
	जबलपुर	214	2009-14	213	55	158	16.18	0
	बड़वानी	0	2009-14	0	0	0	0	0
	रीवा	49	2009-14	49	35	14	2.01	0
सागर	30	2009-14	30	30	0	0	0	
टीकमगढ़	40	2009-14	40	40	0	0	0	
दमोह	14	2009-14	14	14	0	1.44	0	
योग		2573		2513	1913	600	66.66	1.09
आर.के.व्ही.वाई. के अंतर्गत (10+1) (20+2) बकरी इकाई का वितरण	सीहोर	107	2010-11	107	107	0	0	0
	रायसेन	180	2010-11	180	180	0	0	0
	इंदौर	180	2010-11	180	180	0	0	0
	धार	180	2010-11	180	180	0	0	0
	रतलाम	180	2010-11	180	180	0	0	0
	राजगढ़	180	2010-11	180	180	0	0	0
	सिवनी	185	2010-11	81	10	71	7.73	0
	उमरिया	180	2010-11	115	115	0	0	0
सीधी	180	2010-11	180	180	0	0	0	

योजना का नाम	जिला	लक्षित हितग्राही	वर्ष	चयनित हितग्राही	हितग्राही जिन्हे बकरी इकाई वितरित की गई	हितग्राही जिन्हे बकरी इकाई वितरित नहीं की गई	बैंक में पड़ी राशि	बैंकर द्वारा लौटाई गई राशि
	बैतूल	180	2010-11	180	105	75	8.53	0
	भिंड	99	2010-11	99	99	0	0	0
	देवास	180	2010-11	180	97	83	9.08	0
	होशंगाबाद	180	2010-11	170	170	0	0	0
	खंडवा	181	2010-11	181	181	0	0	0
	मंडला	178	2010-11	178	16	162	16.96	0
	नरसिंहपुर	181	2010-11	181	58	123	4.56	8.75
	शिवपुरी	180	2010-11	180	180	0	0	0
	बालाघाट	180	2010-11	176	43	133	13.86	0
	गुना	141	2010-11	141	51	90	9.66	0
	जबलपुर	180	2010-11	180	66	114	12.11	0
	बड़वानी	109	2010-11	109	109	0	0	0
	रीवा	156	2010-11	156	156	0	0	0
योग		3677		3494	2643	851	82.49	8.75
बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत बकरी इकाई	सागर	996	2010-14	996	951	45	14.33	0
	दमोह	905	2010-14	899	552	347	144.45	0
	टीकमगढ़	974	2010-14	974	949	25	8.12	0
योग		2875		2869	2452	417	166.90	0
महा योग		9125		8876	7008	1868	316.05	9.84

परिशिष्ट 2.40

(संदर्भ: परिशिष्ट 2.4.6.6(ब), पृष्ठ 87)

सघन बकरी संवर्धन योजना के क्रियान्वयन की प्रगति को दर्शाने वाला पत्रक

जिले का नाम	वर्ष	गहन बकरी वर्धन				प्रगति			
		लक्ष्य		उपलब्धियां		शेड	सिलो पिट	हितग्राहियों द्वारा बकरी का क्रय (क्रय बकरियां)	धातु पात्र का क्रय
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	संयुक्त खाते में जमा				
रीवा	2012-13	54	127.69	54	127.69	50	32	5 (500)	0
बड़वानी	2012-13	20	47.29	26+7*	47.29	11	11	0	0
रतलाम	2012-13	15	35.47	30**	35.47	29	29	29 (1450)	0
देवास	2012-13	20	47.29	40***	47.29	40	40	13 ^S (500)	0
गुना	2013-14	20	47.29	20	47.29	20	0	5 (500)	0
भिण्ड	2012-13	20	47.29	20	47.29	20	0	0	0
बैतूल	2012-13	35	82.76	35	82.76	31	21	0	0
शिवपुरी	2012-13	20	47.29	20	47.29	8	8	0	0
खंडवा	2012-13	20	47.29	20	47.29	0	0	0	0
राजगढ़	2012-13	20	47.29	40	47.29	राशि डी.पी.आई.पी. को प्रदान की गई			
रायसेन	2013-14	20	47.29	28 ^{SS}	47.29	0	0	0	0
सीहोर	2012-13	20	47.29	20	47.29	19	17	16 (1253)	0
सिवनी	2012-13	20	47.29	40	47.29	40	5	22 (1100)	0
धार	2012-14	29	68.57	29	68.57	0	0	0	0
बालाघाट	2013-14	20	47.29	40	47.29	40	40	1 (27)	0
योग		353	834.69	469	834.68	308	203	91 (5330)	0

* 95+5 बकरी इकाईयों के साथ 7 हितग्राही एवं 47+2 एवं 48+3 के साथ 26 हितग्राही

** 47+2 बकरी इकाईयों के साथ 15 हितग्राही एवं 48+3 के साथ 15 हितग्राही

*** 48+2 बकरी इकाईयों के साथ 20 हितग्राही एवं 48+2 के साथ 20 हितग्राही

S 7 हितग्राहियों ने पूर्ण बकरी इकाई क्रय की एवं 6 हितग्राहियों ने निर्धारित बकरी इकाईयों का आधा क्रय किया।

SS 95+5 के 12 हितग्राही, 48+3 के 8 हितग्राही एवं 47+2 के 8 हितग्राही

परिशिष्ट 2.41

(संदर्भ: कंडिका 2.4.7.1(ब), पृष्ठ 88)

हितग्राहियों के नाम जिन्हें समान योजनाओं में बहुविध लाभ दिए गए थे को दर्शाने वाला पत्रक

जिले का नाम	स.क्र.	हितग्राही का नाम	योजनाओं के लाभ	
दमोह	1	गणेश/बलराम पटेल	नन्दीशाला 10-11 एवं 11-12	
देवास	2.	सेवकराम/श्रीराम	11-12 में नन्दीशाला दो बार	
	3	मोहनसिंह/ मोतीसिंह	2011-12 में मुर्दा में दो बार	
	4	प्रकाश/बाबूलाल	2010-11 एवं 12-13 में मुर्दा	
मंडला	5	घनश्याम पटेल	नन्दीशाला 2011-12 एवं 13-14	
	6.	रंजन सिंह/ पातीराम	नन्दीशाला 2010-11 एवं 11-12	
बालाघाट	7	नानसिंह/बहादुर	2009-10,12-13 एवं 13-14 में विभागीय बकरी	
भिंड	8	अनिल/आशाराम	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	9	श्यामलाल/आशाराम	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	10	कस्तूरी/विजय कुमार	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	11	जयपाल/प्रेम	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	12	हरभजनसिंह/नाथू	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	13	रामलखन/रामेश्वरसिंह	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	14	रामकुमार/ दशरथ सिंह	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	15	रामबहादुर/आदिराम	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	16	फूलसिंह/सुरनामसिंह	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	17	रामहेत/तुलसीराम	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	18	रामदास/दिल्लीराम	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	19	ओमप्रकाश/दौलतराम	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	20	कमलेश/बैजनाथ	11-12 एवं 12-13 में बकरा	
	21	रघुराज/कालीचरण	2012-13 में बकरा दो बार	
	22	संतोष कुमार/ हरनाथ	2010-11 में बकरा दो बार	
	23	पतिराम/ दयाप्रसाद	2010-11 में बकरा दो बार	
	24	गोरेन्द्र/ कमालसिंह	2010-11 में बकरा दो बार	
	25	रमेश/ महंत सिंह	2010-11 में बकरा दो बार	
	26	जनवेद/श्यामसिंह	2010-11 में बकरा दो बार	
	27	उदाल/मिर्जाजी	2010-11 में बकरा दो बार	
	28	श्यामबाबू/नेकसाही	2011-12 में बकरा दो बार	
	29	रामसिंह/रामगोपाल	2011-12 में बकरा दो बार	
	30	मोहनसिंह/रामसहाय	2011-12 में बकरा दो बार	
	31	वीरेन्द्रसिंह/ दयालसिंह	2011-12 एवं 12-13 में विभागीय बकरी	
	32	नारायणदास/भूदोले	2011-12 एवं 12-13 में विभागीय बकरी	
	33	सुरेश/दलजीत	2011-12 विभागीय बकरी एवं आर.के.वी.वाई. 2011-12	
	34	अतिराम/बुधसिंह	2012-13 विभागीय बकरी एवं आर.के.वी.वाई. 2011-12	
	35	कन्हैयालाल/सुल्तान	2012-13 विभागीय बकरी एवं आर.के.वी.वाई. 2011-12	
	36	आशाराम/ चूड़ामणि	2012-13 विभागीय बकरी एवं आर.के.वी.वाई. 2011-12	
	37	दाताराम/ श्रीराम	2012-13 विभागीय बकरी एवं आर.के.वी.वाई. 2011-12	
	38	जगेश्वर/पहलवान	2012-13 विभागीय बकरी एवं आर.के.वी.वाई. 2011-12	
	39	बच्चूलाल/ आशाराम	2012-13 विभागीय बकरी एवं आर.के.वी.वाई. 2011-12	
	40	सावत्री/ ठाकुरसिंह	2012-13 विभागीय बकरी एवं आर.के.वी.वाई. 2011-12	
	41	रामलखन/बेनीराम	2012-13 विभागीय बकरी एवं आर.के.वी.वाई. 2011-12	
	42	रामसिया/धनुक	2012-13 एवं 2013-14 विभागीय बकरी	
	43	मालती/हरविलास	2013-14 विभागीय बकरी एवं आर.के.वी.वाई. 2011-12	
	योग 43 हितग्राही			

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1.1, पृष्ठ 92)

खजाना तथा बैंक अभिलेखों से सत्यापित न किए गए प्रेषण का विवरण दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	पावती क्रमांक	पावती के प्रतिपण के अनुसार राशि	जमा किए गए बैंक के चालान का क्रमांक/ दिनांक	चालान एवं मासिक लेखा के अनुसार प्रेषित राशि	खजाने का प्राप्ति चालान क्रमांक	चालान एवं खजाना अभिलेखों के अनुसार प्रेषित राशि	अंतर
1	84-94/17745	4300	11/18-11-2009	4300	8782/48	300	4000
2	74-81/17745	5040	9/10-11-2009	5040	8782/20	40	5000
3	68-73/17745	1800	27/05-11-2009	1800	8782/6	800	1000
4	47-60/17745	4600	27/29-10-2009	4600	8782/63	600	4000
5	61-66/17745	2400	34/30-10-2009	2400	8782/66	400	2000
6	38-44/17745	9162	24/15-10-2009	9162	8782/39	162	9000
7	36-37/17745	2404	18/13-10-2009	2404	8782/31	404	2000
8	27/17745	72515	55/24-09-2009	72515	8782/60	515	72000
9	08-23/17745	9852	50/17-09-2009	9852	8782/45	852	9000
10	03-07/17745	3300	23/09-09-2009	3300	8780/33	300	3000
11	97-100/ 17724, 01-02/17745	3342	33/08-09-2009	3342	8782/30	342	3000
12	94-96//17724	2250	8/04-09-2009	2250	8782/22	250	2000
13	89-93/17724	2100	12/01-09-2009	2100	8782/2	100	2000
14	78-87/17724	3200	25/28-08-2009	3200	8782/42	200	3000
15	76-77/17724	850	21/21-08-2009	850	8782/32	50	800
16	68-73/17724	2220	19/17-08-2009	2220	8782/16	220	2000
17	48-65/17724	10711	15/08-08-2009	10711	8782/4	711	10000
18	37-47/17724	2950	26/29-07-2009	2950	8782/41	950	2000
19	35-36/17724	3100	13/22-07-2009	3100	8782/35	100	3000
20	33-34/17724	72615	29/21-07-2009	72615	8782/31	615	72000
21	29-32/17724	2115	5/20-07-2009	2115	8782/30	115	2000
22	21-28/17724	3449	41/15-07-2009	3449	8782/19	449	3000
23	15-20/17724	4325	18/14-07-2009	4325	8782/18	325	4000
24	06-14/17724	2230	32/09-07-2009	2230	8782/11	230	2000
25	01-05/17724, 91-100/17723	6686	10/03-07-2009	6686	8782/4	686	6000
26	88-90/17723	950	8/26-06-2009	950	8782/61	50	900
27	84-87/17723	1372	72/23-06-2009	1372	8782/48	372	1000
28	78-83/17723	1650	31/15-06-2009	1650	8782/41	650	1000
29	72-77/17723	3310	9/11-06-2009	3310	8782/26	310	3000
30	67-71/17723	2472	26/08-06-2009	2472	8782/22	472	2000
31	62-66/17723	2400	44/03-06-2009	2400	8782/2	400	2000
32	60-61/17723	5250	35/01-06-2009	5250	8782/2	250	5000
33	51-59/17723	1340	22/28-05-2009	1340	8782/49	340	1000
34	34/17723	57018	13/16-04-2009	57018	8782/23	7018	50000
35	23-26/17723	2350	22/20-03-2009	2350	8782/48	350	2000
36	27-31/17723	4562	10/28-03-2009	4562	8782/68	562	4000
37	10-19/17723	70080	29/09-03-2009	70080	8782/14	80	70000
38	01-06/17723,	2600	23/05-03-2009	2600	8782/5	600	2000

स. क्र.	पावती क्रमांक	पावती के प्रतिपण के अनुसार राशि	जमा किए गए बैंक के चालान का क्रमांक/ दिनांक	चालान एवं मासिक लेखा के अनुसार प्रेषित राशि	खजाने का प्राप्ति चालान क्रमांक	चालान एवं खजाना अभिलेखों के अनुसार प्रेषित राशि	अंतर
	99-100/17722						
39	94-98/17722	4650	13/25-02-2009	4650	8782/54	650	4000
40	82-91/17722	2630	26/16-02-2009	2630	8782/36	630	2000
41	65-75/17722	8450	14/04-02-2009	8450	8782/5	450	8000
42	58-64/17722	3422	25/29-01-2009	3422	8782/89	422	3000
43	53-56/17722	3600	18/21-01-2009	3600	8782/66	600	3000
44	41-52/17722	7750	17/21-01-2009	7750	8782/67	750	7000
45	36-40/17722	1800	13/17-01-2009	1800	8782/46	800	1000
46	32-35/17722	1240	18/15-01-2009	1240	8782/45	240	1000
47	28-31/17722	4700	4/10-01-2009	4700	8782/22	700	4000
48	07-19/17722	70600	6/07-01-2009	70600	8782/13	600	70000
49	01-06/17722, 97-100/6750	2600	9/02-01-2009	2600	8782/4	600	2000
50	89-93/6750	1182	11/22-12-2009	1182	8782/74	182	1000
51	75-78/6750	64054	1/05-11-2008	64054	8782/15	54	64000
52	59-60/6750	2400	39/15-10-2008	2400	8782/47	400	2000
53	61-71/6750	5230	16/18-10-2008	5230	8782/16	230	5000
54	43-48/6750	67960	80/01-10-2008	67960	8782/1	960	67000
55	28-36/6750	7112	17/15-09-2008	7112	8782/36	112	7000
56	19-22/6750	5700	21/03-09-2008	5700	8782/4	700	5000
57	09-18/6750	3600	16/01-09-2008	3600	8782/1	600	3000
58	06-08/6750	6750	30/23-08-2008	6750	8782/42	750	6500
59	01-03/6750, 89-100/6749	8230	33/21-08-2008	8230	8782/31	230	8000
60	71-88/6749	66100	1/16-08-2008	66100	8782/25	100	66000
61	52-70/6749	7922	12/14-08-2008	7922	8782/24	922	7000
62	45-51/6749	3300	29/07-08-2008	3300	8782/12	300	3000
63	42-44/6749	65220	31/29-07-2008	65220	8782/38	220	65000
64	29-41/6749	15772	55/22-07-2008	15772	8782/26	772	15000
65	24-28/6749	2250	8/07-07-2008	2250	8782/8	250	2000
66	12-23/6749	7100	10/01-07-2008	7100	8782/1	100	7000
67	01-08/6749, 95-100/6747	4892	6/14-06-2008	4892	8782/36	892	4000
68	76-94/6747	16600	16/06-06-2008	16600	8782/15	600	16000
69	64-71/6747	70750	81/28-05-2008	70750	8782/75	750	70000
70	60-63/6747	5250	16/26-05-2008	5250	8782/72	250	5000
71	45-59/6747	14500	24/24-05-2008	14500	8782/71	500	14000
72	33-42/6747	4402	43/15-05-2008	4402	8782/44	402	4000
73	19-32/6747	21000	25/14-05-2008	21000	8782/43	1000	20000
74	10-18/6747	2920	10/10-05-2008	2920	8782/33	920	2000
75	98-100/6746	1300	25/29-04-2008	1300	8782/60	300	1000
76	96-97/6746	850	73/26-04-2008	850	8782/56	250	600
77	94/6746	4500	17/22-04-2008	4500	8782/42	500	4000
	योग	991138	-	991138	-	40858	950280

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ : कंडिका 3.1.2, पृष्ठ 93)

कंसल्टेंट को मूल्य वृद्धि के लिए किए गए अधिक भुगतान को दर्शाने वाला पत्रक

(राशि ₹ में)

अवधि	उद्धृत मूल्य	किए गए कार्य का अद्यतन मूल्य	उद्धृत मूल्य की शेष राशि	भुगतान की गई मूल्य वृद्धि (उद्धृत मूल्य पर 10 प्रतिशत)	प्र.क्र./ दिनांक	भुगतान योग्य मूल्य वृद्धि	किया गया अधिक भुगतान
1	2	3	4=2-3	5	6	7= कॉ. 4 का 10 प्रतिशत	8=7-5
अप्रैल 2012 से मार्च 2013	3,85,00,000	2,73,59,655	1,11,40,345	9,62,500	05/31.08.2012	11,14,035	27,35,965
				9,62,500	11/28.09.2012		
				9,62,500	12/26.12.2012		
				9,62,500	10/28.06.2013		
				38,50,000			
अप्रैल 2013 से मार्च 2014	3,85,00,000	3,20,27,478	64,72,522	9,62,500	10/28.06.2013	6,47,252	31,70,664
				9,62,500	06/01.11.2013		
				9,62,500	13/06.02.2014		
				9,30,416	09/14.03.2014		
				38,17,916			
महा योग				76,67,916		17,61,287	59,06,629

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ : परिशिष्ट 3.1.3, पृष्ठ 95)

शासन को ब्याज तथा शास्ति की हानि को दर्शाने वाला पत्रक

1. जल संसाधन विभाग

(₹ लाख में)

स. क्र.	संभाग	ठेकेदारों को भुगतान का माह	बोर्ड में जमा की जाने वाली सेस की राशि	बोर्ड में जमा किए जाने की दिनांक	नियत एक माह से अधिक सेस के जमा की राशि में कमी	विलंब की सीमा (माहों में)	जमा में विलंब पर ब्याज का दायित्व 2 प्रतिशत प्रतिमाह से	जमा में विलंब पर शास्ति का दायित्व सेस की राशि के तुल्य
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 * 7) * 2 प्रतिशत	9
1	का. यं. बाणसागर वित्तिका संभाग, सीवा	फर-11	2.83	फरवरी-14	2.83	34	1.92	2.83
		मार्च-11	3.23		3.23	33	2.13	3.23
		मई -11	4.40		4.40	32	2.82	4.40
		जून -11	4.06		4.06	30	2.44	4.06
		जुलाई -11	0.17		0.17	29	0.10	0.17
		अग -11	2.54		2.54	28	1.42	2.54
		सितं -11	2.99		2.99	27	1.62	2.99
		अक्तू -11	1.31		1.31	26	0.68	1.31
		नवं -11	0.69		0.69	25	0.34	0.69
		दिसं -11	5.02		5.02	24	2.41	5.02
		जन-12	3.91		3.91	23	1.80	3.91
		फर-12	2.99		2.99	22	1.32	2.99
		मार्च-12	6.67		6.67	21	2.80	6.67
		अप्रैल्-12	1.20		1.20	20	0.48	1.20
		मई -12	6.85		6.85	19	2.60	6.85
		जून -12	9.37		9.37	18	3.37	9.37
		जुलाई -12	0.98		0.98	17	0.33	0.98
		अग -12	0.62		0.62	16	0.20	0.62
		सितं -12	1.45		1.45	15	0.43	1.45
		अक्तू -12	1.98		1.98	14	0.56	1.98
		नवं -12	4.29		4.29	13	1.12	4.29
		दिसं -12	2.87		2.87	12	0.69	2.87
		जन-13	4.06		4.06	11	0.89	4.06
		फर-13	6.04		6.04	10	1.21	6.04
		मार्च-13	5.37		5.37	9	0.97	5.37
		अप्रैल्-13	2.22		2.22	8	0.35	2.22
		मई -13	7.63		7.63	7	1.07	7.63
		जून -13	9.25		9.25	6	1.11	9.25
		जुलाई -13	1.63		1.63	5	0.16	1.63
		अग -13	0.89		0.89	4	0.07	0.89
		सितं -13	1.23		1.23	3	0.07	1.23
		अक्तू -13	0.65		0.65	2	0.03	0.65
		नवं -13	2.52		2.52	1	0.05	2.52

1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 * 7) * 2 प्रतिशत	9
2	का. यं. ज. सं. सं. सिंगरौली	जून-08	0.08	मई-14	0.08	69	0.12	0.08
		अग-08	0.09		0.09	67	0.13	0.09
		सितं-08	0.03		0.03	66	0.04	0.03
		फर-09	0.05		0.05	61	0.06	0.05
		फर-11	0.09		0.09	37	0.07	0.09
		मार्च-11	0.06		0.06	36	0.04	0.06
		मई-11	0.16		0.16	34	0.11	0.16
		जून-11	0.17		0.17	33	0.11	0.17
		अग-11	0.12		0.12	31	0.07	0.12
		नवं-11	0.03		0.03	28	0.02	0.03
		दिसं-11	0.10		0.10	27	0.05	0.10
		फर-12	0.05		0.05	25	0.03	0.05
		मार्च-12	0.05		0.05	24	0.02	0.05
		फर-13	0.09		0.09	13	0.02	0.09
		मार्च-13	0.14		0.14	12	0.03	0.14
		मई-13	0.09		0.09	10	0.02	0.09
		जून-13	0.38		0.38	9	0.07	0.38
		अग-13	0.03		0.03	7	0.00	0.03
		सितं-13	0.24		0.24	6	0.03	0.24
		नवं-13	0.26		0.26	4	0.02	0.26
दिसं-13	0.55	0.55	3	0.03	0.55			
3	का. यं. ज. सं. सं. टीकमगढ	सितं-12	0.27	अगस्त-14	0.27	21	0.11	0.27
		अक्तू-12	0.33		0.33	20	0.13	0.33
		नवं-12	1.00		1.00	19	0.38	1.00
		दिसं-12	1.98		1.98	18	0.71	1.98
		जन-13	0.07		0.07	17	0.02	0.07
		फर-13	0.92		0.92	16	0.29	0.92
		मार्च-13	3.07		3.07	15	0.92	3.07
		मई-13	2.55		2.55	13	0.66	2.55
		जून-13	4.98		4.98	12	1.20	4.98
		अग-13	1.14		1.14	10	0.23	1.14
		सितं-13	2.41		2.41	9	0.43	2.41
		अक्तू-13	0.34		0.34	8	0.05	0.34
नवं-13	0.28	0.28	7	0.04	0.28			
4	का. यं. सिध परियोजना मेसनरी बांध सं. मडीखेडा	जुलाई-10	1.11	जून-14	1.11	40	0.89	1.11
		सितं-10	0.03		0.03	38	0.02	0.03
		दिसं-10	1.78		1.78	35	1.25	1.78
		मार्च-11	0.75		0.75	32	0.48	0.75
		जून-11	0.06		0.06	29	0.03	0.06
		अग-11	0.15		0.15	27	0.08	0.15
		सितं-11	0.12		0.12	26	0.06	0.12
		अक्तू-11	0.05		0.05	25	0.03	0.05
		दिसं-11	0.82		0.82	23	0.38	0.82
		जन-12	0.10		0.10	22	0.04	0.10
		मार्च-12	0.20		0.20	20	0.08	0.20
		अप्रैल -12	0.29		0.29	19	0.11	0.29
		मई-12	0.58		0.58	18	0.21	0.58

1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 * 7) * 2 प्रतिशत	9
		जून-12	0.45		0.45	17	0.15	0.45
		जुलाई-12	0.55		0.55	16	0.18	0.55
		अग-12	0.12		0.12	15	0.04	0.12
		मार्च-12	0.06		0.06	14	0.02	0.06
		नव-12	0.19		0.19	12	0.05	0.19
		दिसं-12	0.22		0.22	11	0.05	0.22
		जन-13	0.33		0.33	10	0.07	0.33
		फर-13	0.12		0.12	9	0.02	0.12
		अप्रैल-13	0.06		0.06	7	0.01	0.06
		जून-13	0.35		0.35	5	0.04	0.35
		जुलाई-13	0.16		0.16	4	0.01	0.16
5	का.यं. क्योटी नहर संभाग सीवा	फर-04	0.69	मार्च-14	0.69	119	1.64	0.69
		मार्च-04	2.00		2.00	118	4.72	2.00
		जून-04	2.17		2.17	115	4.99	2.17
		जुलाई-04	0.17		0.17	114	0.39	0.17
		अग-04	0.66		0.66	113	1.49	0.66
		सितं-04	0.28		0.28	112	0.63	0.28
		अक्तू-04	0.23		0.23	111	0.51	0.23
		नव-04	0.21		0.21	110	0.46	0.21
		दिसं-04	1.53		1.53	109	3.34	1.53
		जन-05	2.63		2.63	108	5.68	2.63
		फर-05	5.91		5.91	107	12.65	5.91
		अप्रैल-05	1.95		1.95	105	4.10	1.95
		मई-05	1.21		1.21	104	2.52	1.21
		जून-05	0.09		0.09	103	0.19	0.09
		जुलाई-05	1.51		1.51	102	3.08	1.51
		अग-05	0.11		0.11	101	0.22	0.11
		अक्तू-05	0.09		0.09	99	0.18	0.09
		नव-05	0.06		0.06	98	0.12	0.06
		दिसं-05	0.26		0.26	97	0.50	0.26
		जन-06	1.34		1.34	96	2.57	1.34
		फर-06	1.28		1.28	95	2.43	1.28
		मार्च-06	1.53		1.53	94	2.88	1.53
		मई-06	1.23		1.23	92	2.26	1.23
		जून-06	1.47		1.47	91	2.68	1.47
		जुलाई-06	1.91		1.91	90	3.44	1.91
		अग-06	0.57		0.57	89	1.01	0.57
		सितं-06	0.12		0.12	88	0.21	0.12
		अक्तू-06	0.41		0.41	87	0.71	0.41
		नव-06	1.70		1.70	86	2.92	1.70
		दिसं-06	0.78		0.78	85	1.33	0.78
		जन-07	1.63		1.63	84	2.74	1.63
		फर-07	1.36		1.36	83	2.25	1.36
		मार्च-07	1.19		1.19	82	1.95	1.19
अप्रैल-07	0.49	0.49	81	0.79	0.49			
मई-07	1.33	1.33	80	2.13	1.33			
जून-07	1.15	1.15	79	1.82	1.15			

1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 * 7) * 2 प्रतिशत	9
		जुलाई-07	0.82		0.82	78	1.28	0.82
		अग-07	0.58		0.58	77	0.89	0.58
		सितं-07	0.75		0.75	76	1.14	0.75
		अक्तू-07	0.05		0.05	75	0.08	0.05
		नवं-07	0.43		0.43	74	0.64	0.43
		दिसं-07	0.50		0.50	73	0.73	0.50
		जन-08	1.37		1.37	72	1.97	1.37
		फर-08	0.91		0.91	71	1.29	0.91
		मार्च-08	2.54		2.54	70	3.56	2.54
		मई-08	0.36		0.36	68	0.49	0.36
		जून-08	0.59		0.59	67	0.79	0.59
		जुलाई-08	0.39		0.39	66	0.51	0.39
		अग-08	2.14		2.14	65	2.78	2.14
		अक्तू-08	0.25		0.25	63	0.32	0.25
		नवं-08	0.33		0.33	62	0.41	0.33
		जन-09	0.31		0.31	60	0.37	0.31
		फर-09	2.57		2.57	59	3.03	2.57
		मार्च-09	1.45		1.45	58	1.68	1.45
		मई-09	1.17		1.17	56	1.31	1.17
		जून-09	0.15		0.15	55	0.17	0.15
		अग-09	1.44		1.44	53	1.53	1.44
		सितं-09	0.67		0.67	52	0.70	0.67
		नवं-09	0.04		0.04	50	0.04	0.04
		दिसं-09	0.01		0.01	49	0.01	0.01
		जन-10	0.79		0.79	48	0.76	0.79
		फर-10	0.03		0.03	47	0.03	0.03
		अप्रैल-10	1.04		1.04	45	0.94	1.04
		मई-10	0.69		0.69	44	0.61	0.69
		जून-10	1.27		1.27	43	1.09	1.27
		अग-10	0.14		0.14	41	0.11	0.14
		सितं-10	0.03		0.03	40	0.02	0.03
		नवं-10	0.21		0.21	38	0.16	0.21
		दिसं-10	1.05		1.05	37	0.78	1.05
		जन-11	0.15		0.15	36	0.11	0.15
		फर-11	3.25		3.25	35	2.28	3.25
		मार्च-11	2.47		2.47	34	1.68	2.47
		मई-11	1.29		1.29	32	0.83	1.29
		जून-11	1.94		1.94	31	1.20	1.94
		अग-11	1.15		1.15	29	0.67	1.15
		सितं-11	0.75		0.75	28	0.42	0.75
		अक्तू-11	0.43		0.43	27	0.23	0.43
		नवं-11	1.18		1.18	26	0.61	1.18
		दिसं-11	2.99		2.99	25	1.50	2.99
		जन-12	1.92		1.92	24	0.92	1.92
		फर-12	4.73		4.73	23	2.18	4.73
		मार्च-12	4.51		4.51	22	1.98	4.51
		अप्रैल-12	0.57		0.57	21	0.24	0.57

1	2	3	4	5	6	7	8 = (6 * 7) * 2 प्रतिशत	9
		मई-12	4.85		4.85	20	1.94	4.85
		जून-12	7.85		7.85	19	2.98	7.85
		जुलाई-12	1.09		1.09	18	0.39	1.09
		अग-12	0.72		0.72	17	0.24	0.72
		सितं-12	1.86		1.86	16	0.60	1.86
		अक्तू-12	2.66		2.66	15	0.80	2.66
		नवं-12	2.80		2.80	14	0.78	2.80
		दिसं-12	4.22		4.22	13	1.10	4.22
		जन-13	1.46		1.46	12	0.35	1.46
		फर-13	2.35		2.35	11	0.52	2.35
		मार्च-13	4.76		4.76	10	0.95	4.76
		अप्रैल-13	0.46		0.46	9	0.08	0.46
		मई-13	13.42		13.42	8	2.15	13.42
		जून-13	14.69		14.69	7	2.06	14.69
		जुलाई-13	0.70		0.70	6	0.08	0.70
		अग-13	0.96		0.96	5	0.10	0.96
		सितं-13	0.69		0.69	4	0.06	0.69
		अक्तू-13	2.90		2.90	3	0.17	2.90
		नवं-13	0.99		0.99	2	0.04	0.99
		दिसं-13	4.54		4.54	1	0.09	4.54
6	का.यं.ज. सं.सं. खनियाढाना	मई-12	0.27	मई-14	0.27	22	0.12	0.27
		जून-12	1.20		1.20	21	0.50	1.20
		जुलाई-12	0.74		0.74	20	0.30	0.74
		अग-12	0.65		0.65	19	0.25	0.65
		सितं-12	0.22		0.22	18	0.08	0.22
		अक्तू-12	0.84		0.84	17	0.29	0.84
		नवं-12	0.58		0.58	16	0.19	0.58
		दिसं-12	0.11		0.11	15	0.03	0.11
		जन-13	0.10		0.10	14	0.03	0.10
		फर-13	0.21		0.21	13	0.05	0.21
		मार्च-13	0.76		0.76	12	0.18	0.76
		मई-13	0.27		0.27	10	0.05	0.27
		जून-13	0.99		0.99	9	0.18	0.99
		अग-13	0.44		0.44	7	0.06	0.44
		सितं-13	0.50		0.50	6	0.06	0.50
अक्तू-13	0.05	0.05	5	0.01	0.05			
दिसं-13	1.39	1.39	3	0.08	1.39			
		योग	319.70		319.70		192.65	319.70

2. लोक निर्माण विभाग

(₹ लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8 = (6*7) * दो प्रतिशत	9		
1	लो.नि.वि. (भ/स) सं गुना	मार्च-12	16.07	सितंबर- 13	16.07	16	5.1424	16.07		
		जून-12	16.35	दिसंबर- 13	16.35	16	5.2320	16.35		
		सितंबर-12	8.00		8.00	13	2.0800	8.00		
		दिसंबर-12	10.08		10.08	10	2.0160	10.08		
		मार्च-13	27.40		27.40	7	3.8360	27.40		
2	लो.नि.वि. (भ/स) सं खंडवा	अग-11	1.45	अक्टूबर- 13	1.45	24	0.6960	1.45		
		सितंबर-11	3.36		3.36	23	1.5456	3.36		
		अक्टू-11	0.83		0.83	22	0.3652	0.83		
		नवंबर-11	1.34		1.34	21	0.5628	1.34		
		दिसंबर-11	5.23		5.23	20	2.0920	5.23		
		जन-12	2.02		2.02	19	0.7676	2.02		
		फर-12	1.82		1.82	18	0.6552	1.82		
		मार्च-12	6.71		6.71	17	2.2814	6.71		
		अप्रैल-12	0.16		0.16	16	0.0512	0.16		
		मई-12	6.77		6.77	15	2.0310	6.77		
		जून-12	5.20		5.20	14	1.4560	5.20		
		जुलाई-12	1.15		1.15	13	0.2990	1.15		
		अग-12	5.16		5.16	12	1.2384	5.16		
		सितंबर-12	2.20		2.20	11	0.4840	2.20		
		अक्टू-12	0.61		0.61	10	0.1220	0.61		
		नवंबर-12	1.90		1.90	9	0.3420	1.90		
		दिसंबर-12	8.42		8.42	8	1.3472	8.42		
		जन-13	1.89		1.89	7	0.2646	1.89		
		फर-13	4.61		4.61	6	0.5532	4.61		
		मार्च-13	10.37		10.37	5	1.0370	10.37		
		अप्रैल-13	0.18		0.18	4	0.0144	0.18		
		मई-13	4.30		4.30	3	0.2580	4.30		
		जून-13	2.42		2.42	2	0.0968	2.42		
जुलाई-13	1.16	1.16	1	0.0232	1.16					
फर-14	3.34	3.34	जून-14	3.34	2	0.1336	3.34			
मार्च-14	5.80	5.80		5.80	1	0.1160	5.80			
3	लो.नि.वि. (भ/स) सं टीकमगाड		0.00665	मार्च-13	0.00665	9	0.0012	0.00665		
		मई-12	9.45		9.45	8	1.5120	9.45		
		जून-12	8.79		8.79	7	1.2306	8.79		
		जुलाई-12	4.13		4.13	6	0.4956	4.13		
		अग-12	2.04		2.04	5	0.2040	2.04		
		सितंबर-12	2.43		2.43	4	0.1944	2.43		
		अक्टू-12	1.72		1.72	3	0.1032	1.72		
		नवंबर-12	4.67		4.67	2	0.1868	4.67		
		दिसंबर-12	6.09		6.09	1	0.1218	6.09		
		जन-13	5.62		5.62	अप्रैल-13	5.62	1	0.1124	5.62
		अप्रैल-13	3.24		3.24	अगस्त- 14	3.24	14	0.9072	3.24
		मई-13	10.01		10.01		10.01	13	2.6026	10.01
		जून-13	8.70		8.70		8.70	12	2.0880	8.70

1	2	3	4	5	6	7	8 = (6*7) * दो प्रतिशत	9
		जुलाई-13	2.72		2.72	11	0.5984	2.72
		अग-13	3.61		3.61	10	0.7220	3.61
		सितं-13	6.93		6.93	9	1.2474	6.93
		अक्तू-13	3.93		3.93	8	0.6288	3.93
		नव-13	2.03		2.03	7	0.2842	2.03
		दिसं-13	5.67		5.67	6	0.6804	5.67
4	लो.नि.वि. (भा/स) सं स्तलाम	जन-13	4.38	अप्रैल-14	4.38	13	1.1388	4.38
		फर-13	3.40		3.40	12	0.8160	3.40
		मार्च-13	8.45		8.45	11	1.8590	8.45
		अप्रैल-13	3.16		3.16	10	0.6320	3.16
		मई-13	3.54		3.54	9	0.6372	3.54
		जून-13	2.05		2.05	8	0.3280	2.05
		जुलाई-13	1.74		1.74	7	0.2436	1.74
		अग-13	4.67		4.67	6	0.5604	4.67
		सितं-13	2.43		2.43	5	0.2430	2.43
		अक्तू-13	3.89		3.89	4	0.3112	3.89
		नव-13	0.73		0.73	3	0.0438	0.73
5	लो.नि.वि. (भा/स) सं उमरिया	दिसं-12	3.85	अगस्त-14	3.85	18	1.3860	3.85
		जन-13	0.55		0.55	17	0.1870	0.55
		फर-13	2.34		2.34	16	0.7488	2.34
		मार्च-13	5.46		5.46	15	1.6380	5.46
		अप्रैल-13	0.21		0.21	14	0.0588	0.21
		मई-13	1.86		1.86	13	0.4836	1.86
		जून-13	1.01		1.01	12	0.2424	1.01
		जुलाई-13	1.32		1.32	11	0.2904	1.32
		सितं-13	1.15		1.15	9	0.2070	1.15
		अक्तू-13	1.18		1.18	8	0.1888	1.18
		नव-13	0.42		0.42	7	0.0588	0.42
		दिसं-13	0.68		0.68	6	0.0816	0.68
		जन-14	2.50		2.50	5	0.2500	2.50
फर-14	0.43	0.43	4	0.0344	0.43			
6	लो.नि.वि. (भा/स) सं देवास	मार्च-12	8.02	अगस्त-13	8.02	15	2.4060	8.02
		अप्रैल-12	0.19		0.19	14	0.0532	0.19
		मई-12	10.78		10.78	13	2.8028	10.78
		जून-12	1.92		1.92	12	0.4608	1.92
		जुलाई-12	0.93		0.93	11	0.2046	0.93
		अग-12	0.76		0.76	10	0.1520	0.76
		सितं-12	1.83		1.83	9	0.3294	1.83
		अक्तू-12	0.79		0.79	8	0.1264	0.79
		नव-12	2.34		2.34	7	0.3276	2.34
		दिसं-12	4.51		4.51	6	0.5412	4.51
		जन-13	5.53		5.53	5	0.5530	5.53
		फर-13	4.29		4.29	4	0.3432	4.29
		मार्च-13	7.73		7.73	3	0.4638	7.73
		अप्रैल-13	2.07		2.07	2	0.0828	2.07
मई-13	4.99	4.99	1	0.0998	4.99			

1	2	3	4	5	6	7	8 = (6*7) * दो प्रतिशत	9
7	लो.नि.वि. (भा/स) सं अशोकनगर	जन-13	1.42	अगस्त- 14	1.42	17	0.4828	1.42
		फर-13	6.56		6.56	16	2.0992	6.56
		मार्च-13	12.83		12.83	15	3.8490	12.83
		मई-13	9.94		9.94	13	2.5844	9.94
		जून-13	1.97		1.97	12	0.4728	1.97
		अग-13	0.55		0.55	10	0.1100	0.55
		सितं-13	0.99		0.99	9	0.1782	0.99
		अक्तू-13	2.08		2.08	8	0.3328	2.08
		नवं-13	0.62		0.62	7	0.0868	0.62
		दिसं-13	1.88		1.88	6	0.2256	1.88
		जन-14	5.79		5.79	5	0.5790	5.79
		फर-14	0.97		0.97	4	0.0776	0.97
		मार्च-14	6.47		6.47	3	0.3882	6.47
8	डी.पी.ई. पी.आई.यू. सं जबलपुर	नवं-12 से पहले	26.98	मार्च-14	26.98	15	8.0945	26.98
		नवं-12	4.74	4.74	14	1.3259	4.74	
		दिसं-12	3.44	3.44	11	0.7573	3.44	
		जन-13	3.95	जनवरी- 14	3.95	10	0.7904	3.95
		फर-13	2.26		2.26	9	0.4065	2.26
		मार्च-13	4.42		4.42	8	0.7073	4.42
		अप्रैल-13	1.37		1.37	7	0.1912	1.37
		मई-13	1.49		1.49	6	0.1789	1.49
		जून-13	1.16		1.16	5	0.1162	1.16
		जुलाई-13	2.09		2.09	4	0.1673	2.09
		अग-13	0.74		0.74	3	0.0445	0.74
		सितं -13	2.11		2.11	2	0.0843	2.11
अक्तू-13	3.85	3.85	1		0.0770	3.85		
योग		486.83			486.83		97.08	486.83

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण

1	2	3	4	5	6	7	8 = (6*7) * दो प्रतिशत	9
1	न.वि.सं.क्र. 2 पनागर	फर-13	0.22	दिसंबर- 13	0.22	8	0.0357	0.22
		फर-13	0.01		0.01	8	0.0010	0.01
		मार्च-13	0.33		0.33	7	0.0459	0.33
		मार्च-13	0.20		0.20	7	0.0282	0.20
		मई-13	0.05		0.05	5	0.0045	0.05
		जून-13	0.40		0.40	4	0.0322	0.40
		जून-13	0.10		0.10	4	0.0078	0.10
		जून-13	0.20		0.20	4	0.0159	0.20
		अग-13	0.18		0.18	2	0.0072	0.18
		अग-13	0.07		0.07	2	0.0026	0.07
2	न.वि.सं.क्र. 1 डिंडोरी	जुलाई-09	0.17	दिसंबर- 09	0.17	3	0.0104	0.17
		सितं-09	0.16	0.16	1	0.0032	0.16	
		फर-10	0.04	जनवरी- 14	0.04	45	0.0366	0.04
		मार्च-10	0.43		0.43	44	0.3791	0.43
		जून-10	0.03		0.03	41	0.0233	0.03
		जून-10	0.06		0.06	41	0.0512	0.06
		अक्टू-10	0.00		0.00	37	0.0028	0.00
		नव-10	0.10		0.10	36	0.0697	0.10
		जन-11	0.12		0.12	34	0.0811	0.12
		फर-11	0.11		0.11	33	0.0752	0.11
		सितं-11	0.11		0.11	26	0.0568	0.11
		दिसं-11	0.09		0.09	23	0.0405	0.09
		जून-12	0.02		0.02	17	0.0084	0.02
योग		3.20			3.20		1.02	3.20

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	ब्याज की देयता	शास्ति की देयता
जल संसाधन विभाग	192.65	319.70
लोक निर्माण विभाग	97.08	486.83
नर्मदा घाटी विकास विभाग	1.02	3.20
योग	290.75	809.73

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.2.2, पृष्ठ 98)

सिमेंट कांक्रीट के एम-10 मिश्रण के स्थान पर एम-15 के अनियमित प्रावधान के कारण नहर लाईनिंग में अतिरिक्त लागत

स. क्र.	योजना का नाम/ प्रवाह/एफ.एस.डी. ¹ / संभाग	अनुबंध क्रमांक/ निविदा प्रतिशत	एम.-15 ग्रेड के अनुसार प्रावधान (1:2:4)			एम.-10 ग्रेड के अनुसार आवश्यकता (1:3:6)			प्रीमियम के साथ/ बिना अतिरिक्त लागत (₹ में)	दर में अंतर (₹ में)	वास्तव में कार्यान्वित की गई मात्रा (घ.मी. में)	किए गए कार्य पर अतिरिक्त लागत (₹ में)	प्रीमियम के पश्चात अतिरिक्त लागत (₹ में)
			प्राक्कलित मात्रा (घ.मी. में)	दर (₹ में)	राशि (₹ में)	प्राक्कलित मात्रा (घ.मी. में)	दर (₹ में)	राशि (₹ में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9	11=5-8	12	13=11*12	14
1	समनापुर, 1.964 क्यूमेक, 0.85 मी., ज.सं.संभाग -I, सागर	04/2012-13, (+) 5 प्रतिशत	6366.63	3506.39	22323871	6366.63	3075.62	19581344	2742527	430.77	286.714	123508	129683
प्रीमियम के पश्चात									2879653				
2	टीकरी तालाब, 1.107 क्यूमेक/ 0.85 मी. ज.सं.संभाग -II, सागर	03/2011-12, (+) 3.48 प्रतिशत	3998.66	3535.66	14137925	3998.66	2894.38	11573630	2564295	641.28	1097.911	704072	728573
प्रीमियम के पश्चात									2653532				
3	इंदला तालाब 1.55 क्यूमेक, 0.85 मी., ज.सं.संभाग मनावर	06/2011-12, (-) 2.08 प्रतिशत	4419.21	3402.70	15037239	4419.21	2965.87	13106800	1930439	436.83	3691.831	1612703	1579158
प्रीमियम के पश्चात									1890286				
4	ढोलखारा तालाब, , 1.24 क्यूमेक, 0.75 मी., ज.सं.संभाग झाबुआ	06/2011-12, (-) 11.11 प्रतिशत	3959.94	3207.87	13018929	3959.94	2824.85	11186241	1832688	383.02	3665.610	1404002	1248017
प्रीमियम के पश्चात									1629076				
5	बिरई तालाब, 0.36 क्यूमेक, 0.45 मी., ज.सं.संभाग राघोगढ	03/2011-12, (-) 11.11 प्रतिशत	1742.24	3424.70	5965775	1742.24	2858.20	4979677	986098	566.50	889.427	503860	447882
प्रीमियम के पश्चात									876542				

10855.187घ.मी. की कार्यान्वित न की गई शेष मात्रा पर अधिक व्यय

एम.-15 पर कुल व्यय	₹ 7,04,83,739
एम.-10 पर कुल व्यय	₹ 6,04,27,692
प्राक्कलित मात्रा पर अंतर	₹ 1,00,56,047
कम कार्यान्वित मात्रा के मूल्य में अंतर (9631.493 घ.मी.)	₹ 41,33,313
अकार्यान्वित शेष मात्रा पर प्रतिबद्ध देयताएं	₹ 59,22,734

¹ एफ.एस.डी.- पूर्ण प्रवाह गहराई² प्रीमियम से तात्पर्य दरों की एकीकृत अनुसूची से अधिक/कम निविदा प्रतिशत से है।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.2.3, पृष्ठ 99)

कड़ी चट्टान में खुदाई (विस्फोटन प्रतिबंधित) की अतिरिक्त मद के लिए मद के घटकों की दरों को त्रुटिपूर्ण अपनाए जाने के कारण अतिरिक्त लागत को दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	घटक ³ का विवरण	इकाईयों में मात्रात्मक घटक	श्रम विभाग द्वारा प्रकाशित दरें (₹ प्रति इकाई में)	घटक की राशि (₹ प्रति घन मीटर में)	विभाग द्वारा अपनाई गई दरें (₹ प्रति घन मीटर में)	घटक की राशि (₹ प्रति घन मीटर में)
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6
	अ) श्रमिक वर्ग					
1.	मेट	1.640 दिवस	135	221.40	136	223.04
2.	ट्रक में भराई सहित मजदूर	16.000 दिवस	135	2160.00	100	1600.00
3.	छेनीवाला	24.000 दिवस	140	3360.00	200	4800.00
4.	लोहार	1.000 दिवस	146	146.00	250	250.00
	ब) मशीनरी					
5.	टीपर 5.5 घ.मी. क्षमता 1 फेरा प्रति घंटा	2.900 घंटे	242	701.80	242	701.80
6.	उपयोग के लिए उपयुक्त पाई गई खोदी गई चट्टान के लिए क्रेडिट, खुदाई के 50 प्रतिशत की दर से	8.000 घ.मी.	(100.00)	(800.00)	(100)	(800)
	स) उपरि प्रभार (अ+ब) पर 8% की दर से	-	-	463.14	-	541.99
	द) ठेकेदार का मुनाफा (अ+ब+स) पर 10% की दर से	-	-	625.23	-	731.68
	16 घ.मी. के लिए लागत = अ+ब+स+द	-	-	6877.57	-	8048.51
	दर प्रति घ.मी. (अ+ब+स+द) /16	-	-	429.85	-	503.03

1. दरों में अंतर (1) (₹ 503.03 - ₹ 429.85)	₹ 73.15 प्रति घ.मी.
2. कार्यान्वित मात्रा (2)	69382.346 घ.मी.
अतिरिक्त लागत की राशि (1)* (2)	₹ 50,75,319

³ स्टैंडर्ड डाटा बुक के अनुसार 16 घ.मी. कार्य के लिए घटक लिए गए ।

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.3.1, पृष्ठ 103)

मुलताई-रोहना-गौरख्या-पोमा सड़क की क्रस्ट के सुधार हेतु त्रुटिपूर्ण गणना को दर्शाने वाला पत्रक

मद	विभागीय गणना	आई.आर.सी.37 के प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा गणना
1. सी.व्ही.पी.डी.	120.15	120.15
2. वृद्धि दर	7.5 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3. रूपांकित आयु	15 वर्ष	10 वर्ष
4. व्ही.डी.एफ. ⁴	4.5	1.5
5. निर्माण अवधि	2 वर्ष	2 वर्ष
6. मार्ग वितरण घटक	दो लेन (1.5)	दो लेन (0.75)
7. सड़क की पूर्णता के पश्चात सी.व्ही.पी.डी. $A = P^5 (1+0.075)^{x6}$	$A^7=120.15(1+0.075)^2$ $= 138.85$ सी.व्ही.पी.डी.	$A=120.15(1+0.075)^2$ $= 138.85$ सी.व्ही.पी.डी.
8. मानक एक्सल की संचयी संख्या $N = \frac{365[(1+r)^n - 1] \times A \times D \times F}{r}$	$= \frac{365[(1+0.075)^{15} - 1] \times 138.85 \times 4.5 \times 1.5}{0.075}$ $= 4.47$ एम.एस.ए. $= 5$ एम.एस.ए., 4 सी.बी.आर.	$\frac{365[(1+0.075)^{10} - 1] \times 138.85 \times 0.75 \times 1.5}{0.075}$ $= 0.80$ एम.एस.ए. $= 1$ एम.एस.ए., 4 सी.बी.आर.
पेवमेंट की मोटाई	जी.एस.बी.+सी.आर.एम. 325मि.मी. डब्ल्यू.एम.एम. 250मि.मी. बी.एम. 60 मि.मी. एस.डी.बी.सी. 40 मि.मी. 675 मि.मी. (कार्यान्वित)	जी.एस.बी. 255 मि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. 225 मि.मी. ओ.जी.पी.सी. 20 मि.मी. सील कोट 480 मि.मी. (अपनाया जाना था)

अपनाए गए त्रुटिपूर्ण घटक;

1. मार्ग वितरण घटक - 0.75 के स्थान पर 1.5
2. वाहन क्षति घटक- 1.5 के स्थान पर 4.5
3. रूपांकित आयु- 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष

⁴ व्ही.डी.एफ., विभिन्न एक्सल भारों के वाणिज्यिक वाहनों की संख्या को मानक एक्सल भार की बारम्बारता संख्या में बदलने के लिए एक गुणज है। 150 से 1500 सी.व्ही.पी.डी. के लिए 3.5 व्ही.डी.एफ. लागू होता है।

⁵ अंतिम गणना के अनुसार वाणिज्यिक वाहनों की संख्या

⁶ निर्माण की पूर्णता की अवधि (वर्ष में)

⁷ परियोजना सड़क के लिए रूपांकित यातायात

परिशिष्ट 3.6 (निरंतर)

नीमढाना-हिरदागढ़-नवेगांव सड़क के निर्माण हेतु क्रस्ट की त्रुटिपूर्ण गणना को दर्शाने वाला पत्रक

मद	विभागीय गणना	आई.आर.सी.37 के प्रावधानों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा गणना
1. सी.व्ही.पी.डी.	97.76	97.76
2. वृद्धि दर	7.5 प्रतिशत	7.5 प्रतिशत
3. रूपांकित आयु	15 वर्ष	10 वर्ष
4. व्ही.डी.एफ.	4.5	1.5
5. निर्माण अवधि	2 वर्ष	2 वर्ष
6. मार्ग वितरण घटक	दो लेन (1.5)	दो लेन (0.75)
7. सड़क की पूर्णता के पश्चात सी.व्ही.पी.डी. $A = P(1+0.075)^x$	$A=97.76(1+0.075)^2$ $= 112.97$ सी.व्ही.पी.डी.	$A=97.76(1+0.075)^2$ $=112.97$ सी.व्ही.पी.डी.
8. मानक एक्सल की संचयी संख्या $N = \frac{365[(1+r)^n - 1] \times A \times D \times F}{r}$	$= \frac{365[(1+0.075)^{15} - 1] \times 112.97 \times 4.5 \times 1.5}{0.075}$ $= 3.63$ एम.एस.ए. $= 4$ एम.एस.ए., 3 सी.बी.आर.	$\frac{365[(1+0.075)^{10} - 1] \times 112.97 \times 0.75 \times 1.5}{0.075}$ $= 0.66$ एम.एस.ए. $= 1$ एम.एस.ए., 3 सी.बी.आर.
पेवमेंट की मोटाई	जी.एस.बी.+सी.आर.एम. 325 मि.मी. डब्ल्यू.एम.एम. 250 मि.मी. बी.एम. 60 मि.मी. एस.डी.बी.सी. 40 मि.मी. 675 मि.मी. (कायान्वित)	जी.एस.बी. 325 ११ डब्ल्यू.बी.एम. 225११ ओ.जी.पी.सी. 20 ११ सील कोट 550 मि.मी. (अपनाया जाना था)

अपनाए गए त्रुटिपूर्ण घटक;

1. मार्ग वितरण घटक - 0.75 के स्थान पर 1.5
2. वाहन क्षति घटक- 1.5 के स्थान पर 4.5
3. रूपांकित आयु- 10 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.3.1, पृष्ठ 103)

ओ.जी.पी.सी. के साथ सील कोट के स्थान पर बी.एम. के साथ एस.डी.बी.सी. के कार्यान्वयन के कारण अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला पत्रक

स. क्र.	कार्य का नाम	विभाग द्वारा रूपांकित क्रस्ट/ एमएसए/ सी.बी.आर.	वास्तव में कार्यान्वित				कार्यान्वित किया जाना था						अतिरिक्त लागत (₹ लाख में)		
			कार्य की मद	मात्रा (घ.मी.)	दर ₹/ घ.मी.	राशि (₹ लाख में)	कुल	कार्य की मद	कार्यान्वित की जाने वाली मात्रा (वर्ग मी. में)	दर ⁸ ₹/ वर्ग मी.	राशि (₹ लाख में)	कुल राशि (₹ लाख में)		सकल निविदा प्रतिशत	राशि (₹ लाख में)
1	मुलताई-रोहना- गौरय्या-पौमा सड़क का सुधार	675 मि.मी. 5 एम.एस.ए. सी.बी.आर.-4	बी.एम.	2815.71	3690	103.90	197.09	ओ.जी.पी. सी.	46976.07	104	48.86	63.89	16.10 % कम	53.60	143.49
			एस.डी. बी.सी.	1849.06	5040	93.19		सील कोट	46976.07	32	15.03				
2	नीमढाना- हिरदागढ़- नवेगांव सड़क	675 मि.मी. 4 एम.एस.ए. सी.बी.आर.-3	बी.एम.	2162.82	3400	73.54	142.75	ओ.जी.पी. सी.	36047.00	104	37.49	49.03	16.72% कम	40.83	101.92
			एस.डी. बी.सी.	1441.88	4800	69.21		सील कोट	36047.00	32	11.54				
योग														94.43	245.41

⁸ 22 जून 2009 से प्रभावी दरों की अनुसूची

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.3.2, पृष्ठ 104)

मदों की असंतुलित दरों की कटौती न किए जाने के कारण टेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला पत्रक (कार्य 'अ')

स. क्र.	मद क्र.	संक्षिप्त विवरण	प्राक्कलित मात्रा	प्राक्कलित दर (राशि ₹ में)	कार्यान्वित मात्रा	उद्धृत दर (राशि ₹ में)	निविदा प्रतिशत* सहित प्राक्कलित दर (राशि ₹ में)	अंतर (राशि ₹ में)	ए.एस.डी. ⁹ की राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=6*9
1	1	खुदाई एवं मिट्टी कार्य	88986.56 घ.मी.	23.57	87056.40 घ.मी.	38	32.06	5.94	5.17
2	15	1:3:6 को प्रदाय करना एवं बिछाना	2621.49 घ.मी.	1314.41	153.11 घ.मी.	3000	1787.86	1212.14	1.86
3	16	50 मि.मी. मोटे पूर्व ढलित स्लेब को प्रदान करना एवं लगाना	31504.80 वर्ग मी.	159.14	1820.34 वर्ग मी.	225	216.47	8.53	0.16
4	21	स्थल पर ढलित 1:3:6 को प्रदाय करना एवं बिछाना	1176.49 घ.मी.	1122.95	1294.13 घ.मी.	1800	1527.44	272.56	3.53
5	22	1:2:4 प्रदाय करना एवं बिछाना	969.20 घ.मी.	1436.94	796.69 घ.मी.	2500	1954.54	545.46	4.35
6	23	1:2:4 प्रदाय करना एवं बिछाना	4352.57 घ.मी.	1839.91	4787.82 घ.मी.	3250	2502.64	747.36	35.78
7	24	एम.20 प्रदाय करना एवं बिछाना	864.99 घ.मी.	2297.02	951.49 घ.मी.	3500	3124.40	375.60	3.57
8	26	स्टील रिन्फोर्समेंट प्र./ल.	93482.50 कि.ग्रा.	25.22	102830.80 कि.ग्रा.	40	34.31	5.69	5.85
योग								60.27	
रोकी गई ए.एस.डी.								0	
ए.एस.डी. की शेष राशि								60.27	

* दरों की एकीकृत अनुसूची, 2003 से 36.02 प्रतिशत अधिक

⁹ ए.एस.डी. से तात्पर्य अतिरिक्त सुरक्षा जमा से है।

परिशिष्ट 3.8 (निरंतर)
मदों की असंतुलित दरों की कटौती न किए जाने के कारण ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला पत्रक (कार्य 'ब')

स. क्र.	मद क्र.	संक्षिप्त विवरण	प्राक्कलित मात्रा	प्राक्कलित दर (राशि ₹ में)	कार्यान्वित मात्रा	उद्धृत दर (राशि ₹ में)	निविदा प्रतिशत** सहित प्राक्कलित दर (राशि ₹ में)	अंतर (राशि ₹ में)	ए.एस.डी. की राशि (₹ लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10=6*9
1	3	कड़ी चट्टान में खुदाई	35150.00 घ.मी.	266.39	15925.90 घ.मी.	350	285.36	64.64	10.29
2	7	जी.आई. माइल्ड स्टील नलिका							
3	(ब)	80 मि.मी. व्यास	2822.00 घ.मी.	734.00	780.38 घ.मी.	1250	786.26	463.74	3.62
4	(स)	64 मि.मी. व्यास	5460.00 घ.मी.	551.00	3226.89 घ.मी.	800	590.23	209.77	6.77
5	9	सी.ओ.टी.की भरवाई	163800.00 घ.मी.	80.00	180180.00 घ.मी.	100	85.70	14.30	25.77
6	10	फिल्टर ब्लैकेट प्रदाय करना							
7	(ब)	रेत	101785.00 घ.मी.	145.22	76217.10 घ.मी.	250	155.56	94.44	71.98
8	11	बंधान के लिए मिट्टी कार्य	712655.00 घ.मी.	83.00	646202.00 घ.मी.	100	88.91	11.09	71.66
9	14	नियंत्रित कांक्रीट प्रदाय करना एवं बिछाना	769.70 घ.मी.	2199.00	903.78 घ.मी.	3000	2355.57	644.43	5.82
10	15	एम.15 सीमेंट प्रदाय करना एवं बिछाना	72266.40 घ.मी.	2241.55	17155.70 घ.मी.	3089	2401.15	687.85	118.00
11	16	एम.20 सीमेंट प्रदाय करना एवं बिछाना	17472.80 घ.मी.	3242.58	1465.95 घ.मी.	3910	3473.45	436.55	6.39
योग									320.30
रोकी गई ए.एस.डी.									62.03
ए.एस.डी. की शेष राशि									258.27

** दरों की एकीकृत अनुसूची, 2007 से 7.12 प्रतिशत अधिक